



तीसरी **THIRD**

अनुदानों की पूरक मांगें **SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS**

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए
FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

(रेलवे को छोड़कर)
(Excluding Railways)

2010-2011

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई हैं)
(Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

मार्च March, 2011

परिचायक टिप्पणी

विषय : अनुदानों की पूरक मांगों का तीसरा बैच, 2010-2011

वर्ष 2010-11 के लिए अनुदानों की पूरक मांगों के तीसरे और अन्तिम बैच में 82 अनुदान और 3 विनियोग शामिल हैं। ₹ 79,590.49 रुपए के सकल अतिरिक्त व्यय को प्राधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद व्यय के प्रस्तावों की कुल राशि ₹ 68,918.61 रुपए है और मंत्रालयों/विभागों की बचतों द्वारा अथवा बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूलियों द्वारा पूरे किए गए सकल अतिरिक्त व्यय के तकनीकी पूरक प्रस्तावों की राशि ₹ 10,670.90 रुपए है। इसके अलावा, 98 लाख रुपए के सांकेतिक प्रावधान की मांग की गई है जिसमें व्यय की प्रत्येक मद के लिए एक लाख रुपए है जिससे कि नई सेवा अथवा सेवा के नए लिखत वाले मामलों में बचतों का पुनर्विनियोजन किया जा सके।

2. ₹ 68,918.61 रुपए के निवल नकद बहिर्वाह से सम्बद्ध प्रस्ताव के परिणामस्वरूप संशोधित अनुमान (आयोजना और आयोजना-भिन्न) 2010-2011 में कुल अनुमानित व्यय में कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं होगा, क्योंकि इसका मुख्य भाग पहले ही संशोधित अनुमान 2010-2011 में शामिल किया जा चुका है तथा शेष राशि हेतु अन्य अनुदानों में समकक्ष समग्र बचतें होंगी।

3. निवल नगद व्यय से संबंधित अतिरिक्त व्यय की मदें निम्नलिखित हैं

INTRODUCTORY NOTE

Subject : Third Batch of Supplementary Demands for Grants, 2010-2011.

The third and final batch of Supplementary Demands for Grants for 2010-2011 includes 82 Grants and 3 Appropriations. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹ 79,590.49 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹ 68,918.61 crore and technical supplementary proposals involving gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹ 10,670.90 crore. Besides, token provision of ₹ 98 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling reappropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. Proposal involving net cash outgo of ₹ 68,918.61 crore will not result in any significant variation in total estimated expenditure in Revised Estimates (Plan and Non-Plan) 2010-2011, as major portion of this has already been included in Revised Estimates for 2010-2011 and for the remaining there would be equivalent overall savings in other Grants.

3. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
कृषि मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE			
2 कृषि अनुसंधान और शिक्षा	2 Department of Agricultural Research and Education			
(क) निम्नलिखित के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) को सामान्य सहायता अनुदान हेतु (i) कृषि विज्ञान (₹ 6.80 करोड़) (ii) बागवानी (₹ 3 करोड़) (iii) कृषि विस्तार (₹ 226 करोड़) (iv) कृषि शिक्षा (₹ 4 करोड़) (v) कृषि इंजीनियरिंग (0.63 करोड़) (vi) आईसीएआर मुख्यालय प्रशासन (1.10 करोड़) (vii) अन्य एनआरएम संस्थान (₹ 3 करोड़) (viii) पशु विज्ञान (₹ 4.68 करोड़) और (ix) मात्स्यिकी (₹ 10 करोड़)।	(a) For Grants-in-aid General to Indian Council for Agricultural Research (ICAR) under (i) Crop Science (₹ 6.80 crore), (ii) Horticulture (₹ 3 crore), (iii) Agricultural Extension (₹ 226 crore), (iv) Agricultural Education (₹ 4 crore), (v) Agricultural Engineering (₹ 0.63 crore), (vi) ICAR Headquarters Administration (₹ 1.10 crore), (vii) Other NRM Institutes (₹ 3 crore), (viii) Animal Science (₹ 4.68 crore), and (ix) Fisheries (₹ 10 crore).	221.30	-	221.30
(ख) निम्नलिखित के लिए (1) निम्नलिखित के तहत आईसीएआर को पूंजी आस्तियां सृजन हेतु अनुदान (1) फसल विज्ञान (₹ 3.38 करोड़) (2) बागवानी (₹ 2.50 करोड़) (3) कृषि शिक्षा (₹ 0.19 करोड़) (4) अर्थव्यवस्था और सांख्यिकी (₹ 0.01 करोड़) (5) कृषि इंजीनियरिंग (₹ 0.40 करोड़) (6) आईसीएआर मुख्यालय प्रशासन (₹ 1.77 करोड़) (7) मृदा और जल संरक्षण (₹ 0.24 करोड़) (8) अन्य एनआरएम संस्थान (₹ 1.65 करोड़) (9) पशुपालन (₹ 3.24 करोड़) और (10) मात्स्यिकी (₹ 0.86 करोड़) तथा (ii) निम्नलिखित को सामान्य सहायता अनुदान (1) फसल विज्ञान (₹ 153.89 करोड़) (2) बागवानी (₹ 46.53 करोड़) (3) कृषि विस्तार (₹ 0.87 करोड़) (4) कृषि शिक्षा (₹ 16.06 करोड़) (5) अर्थशास्त्र और सांख्यिकी (₹ 10.40 करोड़) (6) कृषि शिक्षा	(b) For (i) Grants for creation of Capital Assets to ICAR under (1) Crop Science (₹ 3.38 crore), (2) Horticulture (₹ 2.50 crore), (3) Agricultural Education (₹ 0.19 crore), (4) Economics and Statistics (₹ 0.01 crore), (5) Agricultural Engineering (₹ 0.40 crore), (6) ICAR Headquarters Administration (₹ 1.77 crore), (7) Soil and Water Conservation (₹ 0.24 crore), (8) Other NRM Institutes (₹ 1.65 crore), (9) Animal Husbandry (₹ 3.24 crore), and (10) Fisheries (₹ 0.86 crore) and (ii) Grants-in-aid General under (1) Crop Science (₹ 153.09 crore), (2) Horticulture (₹ 46.53 crore), (3) Agricultural Extension (₹ 0.87 crore), (4) Agricultural Education (₹ 16.06			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
इंजीनियरिंग (₹19.14 करोड़), (7) मृदा और जल संरक्षण (₹10.63 करोड़) (8) अन्य एनआरएम संस्थान (₹46.40 करोड़) (9) पशु पालन (₹116.94 करोड़) और (10) मात्स्यिकी (₹77.45 करोड़)।	crore), (5) Economics and Statistics (₹ 10.40 crore), (6) Agricultural Engineering (₹ 19.14 crore), (7) Soil and Water Conservation (₹ 10.63 crore), (8) Other NRM Institutes (₹ 46.40 crore), (9) Animal Husbandry (₹ 116.94 crore), and (10) Fisheries (₹ 77.45 crore).	-	272.95	272.95
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS			
7 उर्वरक विभाग	7 Department of Fertilisers			
निम्नलिखित को (क) आयातित विनियंत्रित उर्वरकों पर सब्सिडी (₹4350 करोड़) और (ख) देशी विनियंत्रित उर्वरकों पर सब्सिडी (₹3650 करोड़)।	For (a) subsidy on imported decontrolled fertilisers (₹ 4,350 crore) and (b) subsidy on indigenous decontrolled fertilisers (₹ 3,650 crore).	-	8,000.00	8,000.00
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
11 वाणिज्य विभाग	11 Department of Commerce			
(क) आपूर्ति और निस्तारण महानिदेशालय द्वारा वेतन के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting additional expenditure for salary by the Directorate General of Supplies and Disposals.	-	1.83	1.83
(ख) सचिवालय के वेतन के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional expenditure for salary of the Secretariat.	-	3.40	3.40
(ग) निम्नलिखित को (i) विदेशी व्यापार महानिदेशालय के कार्यालय द्वारा मानित निर्यात, आवश्यक उत्पाद शुल्क और केन्द्रीय बिक्रीकर पर शुल्क कमी के बकाया दावों को निपटान (₹2,000 करोड़) और (ii) वेतन, संशोधित अश्वोर्ड करीयर प्रोग्रेसन स्कीम तथा विदेशी व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्यिक आसूचना महानिदेशालय और सांख्यिकी व्यापार आयुक्तों द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत और विशेष आर्थिक क्षेत्र के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (₹30.33 करोड़)।	(c) For (i) clearance of pending claims of Duty Drawback on Deemed Exports, Terminal Excise Duty and Central Sales Tax by the Office of Directorate General of Foreign Trade (₹ 2,000 crore), and (ii) meeting additional expenditure (₹ 30.33 crore) for Salaries, Modified Assured Career Progression Scheme and Leave Travel Concession by the Directorate General of Foreign Trade, Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, Trade Commissioners and Special Economic Zones.	-	2,030.33	2,030.33
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
13 डाक विभाग	13 Department of Posts			
(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु परियोजना/योजनाओं के संबंध में वृद्धि हेतु।	(a) For augmentation of provision towards projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.	94.45	-	94.45
(ख) निम्नलिखित को (i) कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की अनुपालना में किराया (₹0.40 करोड़) के बकाया भुगतान, और (ii) वेतन (₹1,181.15 करोड़), पेंशन (₹1,050 करोड़) और अन्य प्रचालन व्यय (₹14.89 करोड़) के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति।	(b) For (i) making payment of arrears of rent (₹ 0.40 crore) in satisfaction of an award given by High Court, Kolkata, and (ii) meeting additional expenditure under salaries (₹ 1,181.15 crore), pensions (₹ 1,050 crore) and other operational expenses (₹ 14.89 crore).	-	1,696.88	1,696.88

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
16 उपभोक्ता मामले विभाग	16 Department of Consumer Affairs			
दाल के आयात के संबंध में सब्सिडियों पर अतिरिक्त व्यय (₹100 करोड़) की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure (₹ 100 crore) on subsidies towards Import of Pulses.	-	80.65	80.65
17 खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग	17 Department of Food and Public Distribution			
(क) निम्नलिखित को प्रदान करने हेतु (i) अतिरिक्त उठाव और बकाया दावों के निपटान के कारण भारतीय खाद्य निगम (₹4,575 करोड़) की खाद्य सब्सिडी, (ii) चीनी सब्सिडी (₹ 463.85 करोड़), तथा (iii) चीनी मिलों को सब्सिडी (₹4 करोड़) और (ग) (iv) खाद्य तेलों के आयात पर सब्सिडी (₹178 करोड़) और (v) केन्द्रीय सतर्कता समिति पर वेतन व्यय (₹0.06 करोड़)।	(a) For providing (i) food subsidy to Food Corporation of India (₹ 4,575 crore) on account of additional offtake and to clear pending claims, (ii) sugar subsidy (₹ 463.85 crore), (iii) subsidy for sugar mills (₹ 4 crore), (iv) subsidy for import of edible oils (₹ 178 crore), and (v) salary expenditure on Central Vigilance Committee (₹ 0.06 crore).	-	3,972.46	3,972.46
(ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अधिप्राप्ति प्रचालनों हेतु भारतीय खाद्य निगम को अल्पावधिक ऋण देने हेतु।	(b) For extending short term loan to Food Corporation of India for procurement operations under Targeted Public Distribution System.	-	5,000.00	5,000.00
सांस्कृतिक मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE			
19 सांस्कृतिक मंत्रालय	19 Ministry of Culture			
(क) निम्नलिखित के विभिन्न कार्यालयों के संबंध में व्यय (i) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (₹17.90 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय पुरातत्व और पुरावशेष स्मारक मिशन (2 करोड़)।	(a) For expenditure towards various activities of (i) Archaeological Survey of India (₹ 17.90 crore) and (ii) National Mission on Monuments and Antiquities (₹ 2 crore).	19.90	-	19.90
(ख) निम्नलिखित को सामान्य सहायता अनुदान (i) केन्द्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, वाराणसी (₹2.50 करोड़) (ii) एशियाटिक सोसायटी कोलकाता (₹1.55 करोड़) (iii) नव नालन्दा महावीर और ह्वेनत्सांग मेमोरियल हॉल (₹0.90 करोड़) (iv) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी (₹1.71 करोड़) (v) सलारगंज म्यूजियम हैदराबाद (₹2.44 करोड़) और (vii) भारतीय म्यूजियम (₹3.64 करोड़)।	(b) For Grants-in-aid General to (i) Central Institutes of Higher Tibetan Studies, Varanasi (₹ 2.50 crore), (ii) The Asiatic Society, Kolkata (₹ 1.55 crore), (iii) Nav Nalanda Mahavira and Huen Tsang Memorial Hall (₹ 0.90 crore), (iv) Delhi Public Library (₹ 1.71 crore), (v) Salarjung Museum, Hyderabad (₹ 2.44 crore), and (vi) Indian Museum (₹ 3.64 crore).	-	12.74	12.74
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
20 रक्षा मंत्रालय	20 Ministry of Defence			
(क) रक्षा मंत्रालय के सचिवालय, छावनी बोर्ड और अन्य अधीनस्थ कार्यालयों के वेतन और अन्य संस्थापन संबंधी व्यय के कारण अतिरिक्त व्यय (₹55.21 करोड़) की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting additional expenditure (₹ 55.21 crore) on account of salaries and other establishment related expenditure of the Secretariat, Cantonment Boards and other subordinate offices of Ministry of Defence.	-	53.35	53.35
(ख) जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैन्ट्री के संबंध में वेतन और भत्तों पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional expenditure on pay and allowances in respect of Jammu and Kashmir Light Infantry (JAKLI).	-	103.34	103.34
(ग) कम्पनी की वित्तीय पुनर्संरचना के तहत बकाया देयताओं के समापन सीमाशुल्क भुगतान आदि के संबंध में हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।	(c) For providing Grants-in-aid to Hindustan Shipyard Limited towards liquidation of outstanding dues, payment of customs duty, etc. under financial restructuring of the company.	-	452.68	452.68

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(घ) तटरक्षा संगठन द्वारा विमान खरीद पर अतिरिक्त व्यय (₹100 करोड़) की पूर्ति हेतु।	(d) For meeting additional expenditure (₹ 100 crore) on acquisition of aircrafts by Coast Guard Organisation.	-	87.16	87.16
(ङ) इकाई चलित कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट को ऋण प्रदान करने हेतु।	(e) For providing loan to Unit Run Canteen Stores Department.	-	1.00	1.00
21 रक्षा पेंशन पेंशन, परिवार पेंशन, उपदान, पेंशन का सरांक्षीकृत मूल्य, छुट्टी नगदीकरण आदि में वर्धित आवश्यकता के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति।	21 Defence Pensions For meeting additional expenditure on account of increased requirement in pension, family pension, gratuity, commuted value of pension, leave encashment, etc.	-	9,000.00	9,000.00
22 रक्षा सेवा-थल सेना न्यायालय आदेश से उत्पन्न अतिरिक्त व्यय (₹ 0.40 करोड़) की पूर्ति (ख) थल सेना के वेतन और भत्ते, परिवहन, पूर्वसैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना, स्टोर और निर्माण कार्य के तहत अतिरिक्त व्यय (₹1,659.78 करोड़) की पूर्ति।	22 Defence Services - Army For (a) meeting the additional expenditure (₹ 0.40 crore) arising out of court orders, and (b) meeting the additional expenditure (₹ 1,659.78 crore) under pay and allowances of Army, transportation, ex-servicemen contributory health scheme, stores and works.	-	1,660.17	1,660.17
23 रक्षा सेवा-नौसेना नौसेना के वेतन और भत्तों, असैनिकों के वेतन और भत्तों, स्टोर, निर्माण कार्य और संयुक्त कर्मचारीगण के अतिरिक्त व्यय (₹ 548.74 करोड़) की पूर्ति हेतु।	23 Defence Services - Navy For meeting additional expenditure (₹ 548.74 crore) on account of pay and allowances of Navy, pay and allowances of civilians, stores, works and joint staff.	-	193.26	193.26
विदेश मंत्रालय	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS			
31 विदेश मंत्रालय (क) निम्नलिखित को (i) सचिवालय व्यय की पूर्ति (₹2.04 करोड़) (ii) एम्बेसीज और मिशनों के तहत (₹4.24 करोड़) विशेष कूटनीतिक व्यय (₹60 करोड़) (iii) चीनी अध्ययन संस्थान (₹15 करोड़), मेशन डी आई "इन्डे परियोजना (₹1.40 करोड़) (iv) निम्नलिखित के संबंध में व्यय (1) अफ्रीका कार्यक्रम हेतु अन्तरराष्ट्रीय तकनीकी आर्थिक सहयोग। विशेष राष्ट्रमण्डल सहायता (₹10 करोड़) (2) अफगानिस्तान को सहायता (₹20 करोड़) और (v) विभिन्न देशों में विभिन्न अधिग्रहण परियोजनाओं/संपत्ति निर्माण के व्यय की पूर्ति (₹25 करोड़)।	31 Ministry of External Affairs (a) For (i) meeting secretariat expenditure (₹ 2.04 crore), (ii) meeting expenditure under Embassies and Missions (₹ 4.24 crore), Special Diplomatic Expenditure (₹ 60 crore), (iii) Grants-in-aid to Institute of Chinese Studies (₹ 15 crore), Maison de l'Inde project (₹ 1.40 crore), (iv) expenditure towards (1) International Technical Economic Cooperation/Special Commonwealth Assistance for Africa programme (₹ 10 crore), (2) Aid to Afganishtan (₹ 20 crore), and (v) meeting expenditure of various Projects of acquisition/construction of property in various countries (₹ 25 crore).	-	121.28	121.28
(ख) परियोजना पुनात्संगचु-1 के निष्पादन हेतु भूतान को सहायता।	(b) For aid to Bhutan for execution of the project Punatsangchu-I.	35.40	-	35.40
(ग) परियोजना पुनात्संगचु-1 के निष्पादन हेतु भूतान सरकार को ऋण।	(c) For loan to Government of Bhutan for execution of the project Punatsangchu-I.	93.60	-	93.60
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
33 वित्तीय सेवा विभाग (क) किसानों को ऋण माफी और ऋण राहत योजना-2008 के कार्यान्वयन हेतु किसान ऋण राहत निधि में जमा करने हेतु (₹4000 करोड़)।	33 Department of Financial Services (a) For crediting Farmers' Debt Relief Fund to implement Debt Waiver and Debt Relief Scheme for Farmers-2008 (₹ 4,000 crore).	-	3,380.55	3,380.55
(ख) किसानों को अल्पावधिक ऋण प्रदान करने हेतु (₹1000 करोड़)।	(b) For providing short term credit to Farmers (₹ 1,000 crore).	-	530.00	530.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ग) द्विपक्षीय ऋण व्यवस्था के तहत क्रेडिटिंगसॉल्ट फर विल्डराफबाड द्वारा आईसीआईसीआई बैंक को दी गई ऋण श्रृंखला हेतु "ब्याज विभेदक निधि" के तहत आईसीआईसीआई को निधियों की प्रतिपूर्ति हेतु।	(c) For reimbursement of funds to ICICI Bank under 'Interest Differential Fund' for Lines of Credit extended to ICICI Bank by Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KfW) under the bilateral credit arrangement.	-	82.33	82.33
(घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनःपूंजीकरण हेतु अंशदान।	(d) For contribution for re-capitalisation of Regional Rural Banks.	-	350.00	350.00
(ङ) टीयर पूंजी पूंजी को जोखिम भारत आस्तियां अनुपात (सीआरएआर) 8 प्रतिशत और भारत सरकार के कतिपय पीएसबी में धारिता को 58 प्रतिशत तक बढ़ाने हेतु इक्विटी सहायता के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों के पुनःपूंजीकरण हेतु अतिरिक्त व्यय (₹6000 करोड़) की पूर्ति	(e) For meeting additional expenditure (₹ 6,000 crore) for re-capitalisation of Public Sector Banks through equity support to maintain their Tier-I Capital to Risk Weighted Asset Ratio (CRAR) at 8% as also to raise Government of India's holding in certain PSBs to 58 percent.	3,187.00	-	3,187.00
40 भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग निम्नलिखित को (क) अतिरिक्त संस्थापन और वेतनमान संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु (178.54 करोड़) और (ख) भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा अधिकारियों के लिए आवासीय भवन निर्माण हेतु अहमदाबाद नगर निगम से भूमि अधिप्राप्ति के लिए अतिरिक्त भुगतान (₹8.15 करोड़)	40 Indian Audit and Accounts Department For (a) meeting additional establishment and salary related expenditure (₹ 178.54 crore) and (b) making additional payment (₹ 8.15 crore) for procurement of land from Ahmedabad Municipal Corporation for construction of residential building for Indian Audit and Accounts Services Officers.	-	185.32	185.32
41 राजस्व विभाग (क) निम्नलिखित को (i) केन्द्रीय बिक्री कर की चरणबद्ध वापसी के कारण हुए राजस्व घाटे के लिए राज्य सरकारों को क्षतिपूर्ति (₹3,000 करोड़) और (ii) मूल्यवर्धित पर क्षतिपूर्ति (₹500 करोड़ रुपए) (ख) प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु तैयार आवास खरीद हेतु।	41 Department of Revenue (a) For (i) compensation to State Governments for revenue loss due to phasing out of Central Sales Tax (₹ 3,000 crore) and (ii) Value Added Tax Compensation (₹ 500 crore). (b) For purchase of ready-built accommodation for Zonal Offices of Enforcement Directorate.	-	3,354.13	3,354.13
43 अप्रत्यक्ष कर निम्नलिखित के वेतनों पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (क) सीमाशुल्क कार्यालय (₹68.57 करोड़) और (ख) केन्द्रीय उत्पादशुल्क कार्यालय (216.79 करोड़)।	43 Indirect Taxes For meeting additional expenditure on salaries of (a) Customs Offices (₹ 68.57 crore) and (b) Central Excise Offices (₹ 216.79 crore).	-	0.10	0.10
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
47 आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) विभाग (क) चिकित्सा और जन स्वास्थ्य के तहत विभिन्न योजनाओं और संस्थानों हेतु पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु सामान्य सहायता अनुदान और अनुदानों हेतु (₹92.41 करोड़)। (ख) चिकित्सा और जन स्वास्थ्य के तहत विभिन्न योजनाओं और संस्थानों हेतु सामान्य सहायता अनुदान। (ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रावधानों की वृद्धि के संबंध में विभिन्न योजनाओं और संस्थानों को पूंजी आस्तियां सृजन हेतु सामान्य सहायता अनुदान और अनुदानों हेतु (₹15.43 करोड़)।	47 Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH) (a) For Grants-in-aid General and Grants for creation of Capital Assets for various schemes and institutions (₹92.41 crore) under Medical and Public Health. (b) For Grants-in-aid General for various schemes and institutions (₹ 16.60 crore) under Medical and Public Health. (c) For Grants-in-aid General and Grants for creation of Capital Assets for various schemes and institutions (₹ 15.43 crore) towards augmentation of provisions for North Eastern Areas.	77.66	-	77.66
		-	12.99	12.99
		2.42	-	2.42

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(घ) भारतीय दवा भेषज निगम लिमिटेड के आधुनिकीकरण और विस्तार के उद्देश्य हेतु अतिरिक्त व्यय (₹9 करोड़)।	(d) For additional expenditure (₹ 9 crore) for the purpose of modernisation and expansion of Indian Medicines Pharmaceutical Corporation Limited.	7.90	-	7.90
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
50 लोक उद्यम विभाग	50 Department of Public Enterprises			
घरेलू यात्रा व्यय (₹0.21 करोड़) और कार्यालय व्यय (₹0.09 करोड़) पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure on Domestic Travel Expenses (₹ 0.21 crore) and Office Expenses (₹ 0.09 crore).	-	0.30	0.30
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
51 गृह मंत्रालय	51 Ministry of Home Affairs			
(क) निम्नलिखित पर अतिरिक्त व्यय (i) गृह मंत्रालय के वेतन (₹2.87 करोड़) (ii) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की मजदूरियां (₹0.05 करोड़) (iii) सूचना प्रौद्योगिकी (₹0.30 करोड़) (iv) गृह मंत्रालय के विभागीय लेखा संगठन के वेतन (₹2.50 करोड़)।	(a) For additional expenditure on (i) Salaries (₹ 2.87 crore) of Ministry of Home Affairs (MHA) (Proper), (ii) Wages (₹ 0.05 crore) of Narcotics Control Bureau (NCB), (iii) Information Technology (₹ 0.30 crore), (iv) Salaries (₹ 2.50 crore) of Departmental Accounting Organisation of MHA.	-	5.72	5.72
(ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (₹6.89 करोड़) और जस्टिस चटर्जी आयोग (₹0.20 करोड़) को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (ii) आसूचना ब्यूरो के प्रचार और प्रसार (₹0.19 करोड़) (iii) इण्डो-अफ्रीकी प्लान के अन्य प्रशासनिक व्यय (₹0.50 करोड़) (iv) राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (एनआईए) के विज्ञापन और प्रचार (₹0.30 करोड़) (v) राजभाषा विभाग के किराया, दरें और कर (₹0.3 करोड़), (vi) एनआईए के लघु निर्माण कार्य (₹0.04 करोड़) (vii) आप्रवासन ब्यूरो के किराया, दरें और कर (₹0.60 करोड़) और लघु निर्माण कार्य (₹3 करोड़)।	(b) For (i) providing Grants-in-aid to National Human Rights Commission (₹ 6.89 crore) and Justice Chatterjee Commission (₹ 0.20 crore), (ii) Advertising and Publicity of Intelligence Bureau (IB) (₹ 0.19 crore), (iii) Other Administrative Expenses of Indo-Africa Plan (₹ 0.50 crore), (iv) Advertising and Publicity of National Investigation Agency (NIA) (₹ 0.30 crore), (v) Rent, Rates and Taxes of Official Language Department (₹ 0.03 crore), (vi) Minor Works of NIA (₹ 0.04 crore), and (vii) Rent, Rates and Taxes (₹ 0.60 crore) and Minor Works (₹ 3 crore) of Bureau of Immigration (BOI).	-	4.53	4.53
(ग) मानवाधिकार भवन हेतु।	(c) For construction of Manav Adhikar Bhawan.	7.73	-	7.73
(घ) निम्नलिखित के मुख्य निर्माण कार्य हेतु (i) बीओआई (₹502 करोड़) (ii) आईबी (₹4.99 करोड़) और (iii) एनसीबी (₹2.97 करोड़)।	(d) For Major Works of (i) BOI (₹ 5.02 crore), (ii) IB (₹ 4.99 crore) and (iii) NCB (₹ 2.97 crore).	-	12.98	12.98
(ङ) आईबी के लिए मशीनरी और उपस्कर खरीद हेतु (₹3.95 करोड़)।	(e) For purchase of Machinery and Equipment (₹ 3.95 crore) for IB.	-	2.95	2.95
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING			
59 सूचना और प्रसारण मंत्रालय	59 Ministry of Information and Broadcasting			
भवन निर्माण और विभिन्न मीडिया इकाइयों के पूंजी स्वरूप के व्यय की अन्य मदों पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (₹15.48 करोड़)।	For meeting additional expenditure (₹ 15.48 crore) on construction of buildings and other items of expenditure of capital nature of various media units.	13.88	-	13.88

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
श्रम और रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT			
60 श्रम और रोजगार मंत्रालय	60 Ministry of Labour and Employment			
(क) राज्य सरकारों को असंगठित क्षेत्र के मजदूरों हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। स्वास्थ्य बीमा के केन्द्रीय हिस्से की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (108.90 करोड़)	(a) For (i) meeting additional requirement on Centre's share of Rashtriya Swasthaya Bima Yojana scheme/Health Insurance for unorganised Sector Workers to State Governments (₹ 108.90 crore), (ii) salaries under the scheme 'Strengthening of Adjudication Machinery (CGITs)/Strengthening of Adjudication Machinery and holding of Lok Adalats' (₹ 0.76 crore), and (iii) meeting expenditure on Enhancing Skill Development Infrastructure in North Eastern States and Sikkim (₹ 30.53 crore).	83.66	-	83.66
(ii) न्याय निर्णय मशीनरी का सुदृढ़ीकरण सीजीआईटी/न्यायनिर्णय मशीनरी का सुदृढ़ीकरण और लोक अदालतों का आयोजन योजना के तहत वेतन (₹ 0.76 करोड़) और(ii) 'पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में कौशल वृद्धि विकास अवसंरचना' पर व्यय की पूर्ति (₹ 30.53 करोड़)।				
(ख) निम्नलिखित को (i) न्यायनिर्णय मशीनरी का सुदृढ़ीकरण (सीजीआईटी)/न्याय निर्णय मशीनरी का सुदृढ़ीकरण और लोक अदालतों का आयोजन योजना के तहत वेतन (₹ 1.01 करोड़) (iii) केन्द्रीय मजदूर शिक्षा बोर्ड के वेतन और भत्तों के बकाया का संवितरण (₹ 11 करोड़) और (iii) राष्ट्रीय श्रम संस्थान के वेतन और भत्तों का भुगतान (₹ 0.40 करोड़)।	(b) For (i) salaries under the scheme 'Strengthening of Adjudication Machinery (CGITs)/Strengthening of Adjudication Machinery and holding of Lok Adalats' (₹ 1.01 crore), (ii) disbursement of arrears of salary and allowances of Central Board for Workers' Education (₹ 11 crore) and (iii) payment of salary and allowances arrear of National Labour Institute (₹ 0.40 crore).	-	1.01	1.01
विधि और न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
61 चुनाव आयोग	61 Election Commission			
चुनावों में ड्यूटी पर लगे पर्यवेक्षकों को मानदेय जारी करने सहित वेतन, चिकित्सा इलाज, यात्रा व्यय कार्यालय व्यय, लघुनिर्माण कार्य और अनुसूक्षण, वकीलों को देय अन्य प्रभार और फीस पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति।	For meeting additional expenditure on salaries, medical treatment, travel expenses, office expenses, minor works and maintenance, other charges and fees to advocates, including release of honorarium to observers deployed on duty in elections.	-	4.22	4.22
63 विनिर्माण-भारत का सर्वोच्च न्यायालय	63 Appropriation - Supreme Court of India			
अन्य संस्थापन संबंधी व्यय सहित जजों के वेतन संबंधी लेखों पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure towards salaries of Judges including other establishment related expenditure.	-	13.37	13.37
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
64 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	64 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises			
निम्नलिखित संस्थापन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (क) खादी और ग्रामोद्योग (₹ 34.78 करोड़)। और (ख) कॉयर् बोर्ड (₹ 4.50 करोड़)।	For meeting additional establishment related expenditure of (a) Khadi and Village Industries (₹ 34.78 crore) and (b) Coir Board (₹ 4.50 crore).	-	30.25	30.25
खान मंत्रालय	MINISTRY OF MINES			
65 खान मंत्रालय	65 Ministry of Mines			
निम्नलिखित के व्यय की पूर्ति हेतु (क) बड़े स्तर पर खनन की जांच हेतु जांच आयोग की स्थापना पर (₹ 0.95 करोड़) (ख) भारतीय खान ब्यूरो के संबंध	For meeting expenditure (a) on setting up of Commission of Inquiry (₹ 0.95 crore) to inquire into large scale mining, (b) on			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
वेतन (₹ 8.91 करोड़) और (ग) वेतनों के बकाया की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान (₹ 0.22 करोड़) को सहायता अनुदान।	salaries in respect of Indian Bureau of Mines (₹ 8.91 crore) and (c) on Grants-in-aid to National Institute of Miners' Health (₹ 0.22 crore) for meeting arrears of salaries.	-	10.08	10.08
पंचायती राज मंत्रालय	MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ			
69 पंचायती राज मंत्रालय	69 Ministry of Panchayati Raj			
निम्नलिखित को (क) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (₹ 20 करोड़) (ख) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम के तहत 60 आदिवासी और पिछड़े जिलों हेतु एकीकृत कार्रवाई योजना (₹ 1,500 करोड़) को कार्यान्वित करना।	For (a) meeting additional expenditure on Rashtriya Gram Swaraj Yojana (₹ 20 crore), and (b) implementing Integrated Action Plan (₹ 1,500 crore) for 60 tribal and backward districts under Backward Region Grant Fund Programme.	1,520.00	-	1,520.00
संसदीय कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS			
70 संसदीय कार्य मंत्रालय	70 Ministry of Parliamentary Affairs			
वेतन और घरेलू यात्रा व्यय और वर्धित कार्यकलापों के कारण अन्य प्रभारों पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure for salary, domestic travel expenses and other charges due to increased activities.	-	1.45	1.45
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS			
72 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	72 Ministry of Petroleum and Natural Gas			
संवेदी पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण अनुमानित कम वसूलियों के संबंध में क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु।	For providing compensation towards estimated under-recoveries on account of sale of sensitive petroleum products.	-	21,000.00	21,000.00
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति सचिवालय	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE-PRESIDENT			
75 विनियोग-राष्ट्रपति के कर्मचारीवृंद, गृह और भत्ते	75 Appropriation-Staff, Household and Allowances of the President			
वेतन आदि और वाहन खरीद के लिए भी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure for salary, etc. and also for purchase of a vehicle.	-	2.96	2.96
78 विनियोग-संघ लोक सेवा आयोग	78 Appropriation - Union Public Service Commission			
प्रशासनिक व्यय और आयोग द्वारा संचालित परीक्षाओं हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति।	For meeting additional expenditure on administrative expenses and for examinations conducted by the Commission.	-	10.29	10.29
79 उपराष्ट्रपति सचिवालय	79 Secretariat of the Vice-President			
बेकार बुलेटपूफ कार बदलने और कार्यालय व्यय के संबंध में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure towards replacement of condemned bullet-proof car and office expenses.	-	0.21	0.21
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
80 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	80 Ministry of Road Transport and Highways			
केन्द्रीय सड़क निधि के लिए प्रदान करने हेतु (₹ 726.54 करोड़)।	To provide for the Central Road Fund (₹ 726.54 crore).	493.82	-	493.82

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
कपड़ा मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
92 कपड़ा मंत्रालय	92 Ministry of Textiles			
(क) निम्नलिखित हेतु (i) कॉटन पर एमएसपी प्रचालन के कारण भारतीय कपास निगम को घाटों की प्रतिपूर्ति (₹ 473 करोड़) और (ii) निम्नलिखित को अनुदान प्रदान करने हेतु (1) अहमदाबाद कपड़ा उद्योग अनुसंधान संघ (₹ 1.48 करोड़) (2) बम्बई कपड़ा अनुसंधान संघ (₹ 1.48 करोड़) (3) दक्षिण भारत कपड़ा अनुसंधान संघ (₹ 1.44 करोड़) (4) उत्तर भारत का कपड़ा अनुसंधान संघ (₹ 1.32 करोड़) (5) हस्त निर्मित कपड़ा अनुसंधान संघ (₹ 0.30 करोड़) (6) ऊन अनुसंधान संघ (₹ 0.18 करोड़) और (7) भारतीय जूट उद्योग अनुसंधान संघ (₹ 2.40 करोड़)।	(a) For (i) reimbursement of losses (₹ 473 crore) to Cotton Corporation of India on account of MSP operation on cotton, and (ii) providing Grants to (1) Ahmedabad Textile Industries Research Association (₹ 1.48 crore), (2) Bombay Textile Research Association (₹ 1.48 crore), (3) South India Textile Research Association (₹ 1.44 crore), (4) North India Textile Research Association (₹ 1.32 crore), (5) Man Made Textile Research Association (₹ 0.30 crore), (6) Wool Research Association (₹ 0.18 crore), and (7) Indian Jute Industry Research Association (₹ 2.40 crore).	-	456.97	456.97
(ख) संचित हेंडलूम स्टॉक की बिक्री पर विशेष छूट की अनुदान योजना संबंधी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting the additional requirement on the scheme for Grant of Special Rebate on sale of accumulated handloom stock.	-	66.61	66.61
(ग) निम्नलिखित को (i) निम्नलिखित के संसाधनों के अन्तरण की पूर्ति (1) ब्रिटिश भारत निगम (₹ 42.99 करोड़) (2) राष्ट्रीय जूट विनिर्माण लि. (₹ 49.65 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय कपड़ा निगम (₹ 2.04 करोड़)।	(c) For (i) meeting the gap in resources of (1) British India Corporation (₹ 42.99 crore), (2) National Jute Manufactures Limited (₹ 49.65 crore) and (ii) National Textiles Corporation (₹ 2.04 crore).	-	90.86	90.86
संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल रहित)	UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)			
95 अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	95 Andaman and Nicobar Islands			
विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के तहत राजस्व व्यय हेतु।	For revenue expenditure under various Ministries/Departments.	14.79	72.04	86.83
96 चण्डीगढ़	96 Chandigarh			
विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के तहत राजस्व व्यय हेतु।	For revenue expenditure under various Ministries/Departments.	19.13	33.16	52.29
97 दादरा और नागर हवेली	97 Dadra and Nagar Haveli			
(क) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के तहत राजस्व व्यय हेतु।	(a) For revenue expenditure under various Ministries/Departments.	29.20	3.04	32.24
(ख) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के तहत पूंजी व्यय हेतु।	(b) For capital expenditure under various Ministries/Departments.	32.00	0.50	32.50
98 दमन और दीव	98 Daman and Diu			
(क) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के तहत पूंजी व्यय हेतु।	(a) For capital expenditure under various Ministries/Departments.	11.00	-	11.00
(ख) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के तहत राजस्व व्यय हेतु।	(b) For revenue expenditure under various Ministries/Departments.	-	3.00	3.00
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
100 शहरी विकास मंत्रालय	100 Department of Urban Development			
(क) राष्ट्रपति सम्पदा के किराया, दरें और कर (₹ 1.48 करोड़) और लघु निर्यात कार्यों (₹ 6.28 करोड़) के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting the additional expenditure under Rent, Rates and Taxes (₹ 1.48 crore) and Minor Works (₹ 6.28 crore) of the President's Estate.	-	7.76	7.76
(ख) राष्ट्रपति संपदा को सीसीटीवी लगाने के बड़े कार्यों पर अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional requirement on Major Works for President's Estate for installation of CCTV.	-	1.04	1.04

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ग) शहरी विकास के बड़े कार्यों (₹ 108 करोड़) और रोजगार के बड़े कार्यों (₹ 0.41 करोड़) पर अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु।	(c) For meeting additional requirement on Major Works of Urban Development (₹ 108 crore) and Major Works of Employment (₹ 0.41 crore).	19.49	-	19.49
(घ) दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में इक्विटी निवेश हेतु।	(d) For equity investment in Delhi Metro Rail Corporation Limited.	306.92	-	306.92
Total Cash Outgo		6,291.25	62,627.36	68,918.61

जोड़ नकद व्यय

4. अनुदानों की पूरक मांगों के इस बैच में 10,670.90 करोड़ रुपए के तकनीकी पूरक अनुदान/विनियोग हेतु प्रस्ताव शामिल हैं जिनकी प्रतिपूर्ति मंत्रालयों/विभागों की अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूलियों द्वारा की जाती है। मदें निम्नलिखित हैं :

4. This Batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for ₹ 10,670.90 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/Departments. The items are as follows:

Technical Supplementary Demands for Grants**अनुदानों की तकनीकी पूरक मांगें****परमाणु ऊर्जा विभाग****4 परमाणु ऊर्जा**

(क) सचिवालय के संस्थापन संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।

(ख) निम्नलिखित के अतिरिक्त संस्थापन व्यय की पूर्ति हेतु (i) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (₹ 18.31 करोड़) और (ii) विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (₹ 3.41 करोड़)।

(ग) निम्नलिखित को पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (i) टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (₹ 2.30 करोड़) (ii) भौतिकी संस्थापन के तहत राष्ट्रीय विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (3 करोड़) और (iii) विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों सोसायटियों और गैर-सरकारी संस्थानों को सहायता (₹ 11.59 करोड़)।

घ) निम्नलिखित हेतु अतिरिक्त संस्थापन संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु (i) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (₹ 73.66 करोड़) (ii) इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र (₹ 19.72 करोड़) (iii) राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केन्द्र (₹ 26.04 करोड़) (iv) खरीद और स्टोर्स निदेशालय (₹ 7.25 करोड़) (v) सामान्य सेवा संगठन (₹ 8.57 करोड़) (vi) परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय (₹ 21.01 करोड़) (vii) निर्माण, सेवा और संपदा प्रबंधन निदेशालय (₹ 6.31 करोड़) और (viii) निम्नलिखित को संस्थापन संबंधी व्यय के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान (1) टाटा मेमोरियल सेन्टर (₹ 42.81 करोड़) (2) गणित विज्ञान संस्थान (₹ 0.01 करोड़) और (3) परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसायटी (₹ 0.01 करोड़)।

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY**4 Atomic Energy**

(a) For meeting establishment related expenditure of the Secretariat.

(b) For meeting additional establishment related expenditure of (i) Bhabha Atomic Research Centre (₹ 18.31 crore) and (ii) Board of Radiation and Isotope Technology (₹ 3.41 crore).

(c) For Grants for creation of Capital Assets to (i) Tata Institute of Fundamental Research (₹ 2.30 crore), (ii) National Institute of Science, Education and Research under Institute of Physics (₹ 3 crore), and (iii) Assistance to Universities, Research Institutions Societies and Non-Governmental Institutions (₹ 11.59 crore).

(d) For meeting additional establishment related expenditure for (i) Bhabha Atomic Research Centre (₹ 73.66 crore), (ii) Indira Gandhi Centre for Atomic Research (₹ 19.72 crore), (iii) Raja Ramanna Centre for Advanced Technology (₹ 26.04 crore), (iv) Directorate of Purchase and Stores (₹ 7.25 crore), (v) General Services Organisation (₹ 8.57 crore), (vi) Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research (₹ 21.01 crore), (vii) Directorate of Construction, Services and Estate Management (₹ 6.31 crore), and (viii) Grants-in-aid General towards establishment related expenditure to (1) Tata Memorial Centre (₹ 42.81 crore), (2) Institute of Mathematical Sciences (₹ 0.01 crore), and (3) Atomic Energy Education Society (₹ 0.01 crore).

- 0.66 0.66

- 21.72 21.72

16.89 - 16.89

- 205.39 205.39

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
11 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	11 Department of Commerce			
विदेशी व्यापार महानिदेशालय द्वारा नगद क्षतिपूर्ति सहायता योजना के तहत न्यायालय आदि से उत्पन्न व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting expenses arising out of court decree under Cash Compensatory Support Scheme by the Directorate General of Foreign Trade.	0.07	-	0.07
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
13 डाक विभाग	13 Department of Posts			
(क) निम्नलिखित हेतु (1) कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की संतुष्टि में किराया (₹ 0.40 करोड़) के बकाया भुगतान (ii) वेतन (₹ 1,181.15 करोड़), पेंशन (₹ 1,050 करोड़) और अन्य प्रचालन व्यय (₹ 14.89 करोड़) के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति।	(a) For (i) making payment of arrears of rent (₹ 0.40 crore) in satisfaction of an award given by High Court, Kolkata, and (ii) meeting additional expenditure under salaries (₹ 1,181.15 crore), pensions (₹ 1,050 crore) and other operational expenses (₹ 14.89 crore).	-	306.91	306.91
(ख) डाक कार्यालयों का कम्प्यूटीकरण और नेटवर्किंग तहत कार्यालय आदेश से उत्पन्न अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional expenditure arising out of court decree under 'Computerisation and Networking of Post Offices'.	0.59	-	0.59
14 दूरसंचार विभाग	14 Department of Telecommunications			
(क) विश्वविद्यालय सेवा बाध्यता निधि (यूएसओएफ) को अतिरिक्त राशि (₹ 700 करोड़) का अन्तरण और वैश्विक सेवा बाध्यता के तहत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को क्षतिपूर्ति के रूप में यूएसओएफ से भुगतान (₹ 700 करोड़) (ख) भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड को कार्यकारी अन्तर के संबंध में अनुदान (₹ 180 करोड़) प्रदान करना।	For (a) transferring an additional sum (₹ 700 crore) to Universal Service Obligation Fund (USOF) and for payment (₹ 700 crore) from USOF as compensation to telecom service providers under Universal Service Obligation, and (b) providing grant (₹ 180 crore) towards working margin of Indian Telephone Industries Limited.	-	1,419.03	1,419.03
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
16 उपभोक्ता मामले विभाग	16 Department of Consumer Affairs			
दाल आयात के संबंध में सब्सिडियों पर अतिरिक्त व्यय (₹ 100 करोड़) की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure (₹ 100 crore) on subsidies towards Import of Pulses.	-	3.05	3.05
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
20 रक्षा मंत्रालय	20 Ministry of Defence			
हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के संबंध में बकाया ब्याज और गारंटी फी का ऋण में परिवर्तन हेतु।	For conversion of interest and guarantee fee outstanding into loan in respect of Hindustan Shipyard Limited.	-	222.35	222.35
22 रक्षा सेवा- थल सेना	22 Defence Services - Army			
निम्नलिखित को (क) न्यायालय आदेश से उत्पन्न अतिरिक्त व्यय (₹ 0.40 करोड़) की पूर्ति, और (ख) थल सेना के वेतन, भत्ते, परिवहन, पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना स्टोर्स और निर्माण कार्य के तहत अतिरिक्त व्यय (₹ 1659.78 करोड़) की पूर्ति।	For (a) meeting the additional expenditure (₹ 0.40 crore) arising out of court orders, and (b) meeting the additional expenditure (₹ 1659.78 crore) under pay and allowances of Army, transportation, ex-servicemen contributory health scheme, stores and works.	-	0.01	0.01
23 रक्षा सेवा- नौसेना	23 Defence Services - Navy			
नौसेना के वेतन भत्ते, असैनिकों के वेतन और भत्ते, स्टोर्स, निर्माणकार्य और संयुक्त कर्मचारीवृंद के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 548.74 करोड़)।	For meeting additional expenditure (₹ 548.74 crore) on account of pay and allowances of Navy, pay and allowances of civilians, stores, works and joint staff.	-	355.48	355.48

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भित्त Non Plan	जोड़ Total
24 रक्षा सेवा- वायु सेना न्यायालय आदेशों की वजह से अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	24 Defence Services - Air Force For meeting additional expenditure arising out of Court orders.	-	0.89	0.89
25 रक्षा आयुध कारखाने न्यायालय आदेशों से की वजह से अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	25 Defence Ordnance Factories For meeting additional expenditure arising out of Court orders.	-	1.00	1.00
26 रक्षा सेवा- अनुसंधान और विकास निम्नलिखित हेतु (क) न्यायालय आदेशों से की वजह से अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 0.15 करोड़)। (ख) वेतन और भत्तों के तहत अतिरिक्त व्यय (₹ 14.85 करोड़)।	26 Defence Services - Research and Development For (a) meeting additional expenditure (₹ 0.15 crore) arising out of Court orders and (b) additional expenditure (₹ 14.85 crore) under pay and allowances.	-	15.00	15.00
27 रक्षा सेवाओं पर पूंजी परियोजना न्यायालय आदेशों से की वजह से अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	27 Capital Outlay on Defence Services For meeting additional expenditure arising out of Court orders.	-	2.63	2.63
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	MINISTRY OF EARTH SCIENCES			
29 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (क) निम्नलिखित को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (i) सिसमीसिटी और भूकम्प (₹ 20 करोड़) (ii) 'सागर निधि' पोत का प्रचालन और अनुसंधान (₹ 4 करोड़) (iii) सूचना प्रौद्योगिकी योजना के तहत उपस्कर खरीद (₹ 1.50 करोड़) (iv) कार्यशाला और विचारगोष्ठी (₹ 1.50 करोड़) (v) अवसंरचना का निर्माण ; 'ध्रुव विज्ञान' योजना के तहत अन्टार्कटिका की खोज (₹ 20 करोड़) और (vi) समुद्र निरीक्षण और सूचना सेवा के तहत अनुसंधान परियोजनाएं (5 करोड़)	29 Ministry of Earth Sciences (a) providing Grants-in-aid General to (i) Seismicity and Earthquake (₹ 20 crore), (ii) operation and maintenance of vessel 'Sagar Nidhi' (₹ 4 crore), (iii) purchase of equipment under the scheme 'Information Technology' (₹ 1.50 crore), (iv) Seminar and Symposia (₹ 1.50 crore), (v) Construction of Infrastructure; and expedition to Antarctica under the scheme 'Polar Science' (₹ 20 crore), and (vi) Research projects under Ocean Observation and Information Services (₹ 5 crore).	27.93	-	27.93
(ख) भारतीय उष्णकटिबन्धीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।	(b) For providing Grants-in-aid General to Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune.	4.55	3.00	7.55
(ग) भारतीय मौसम विज्ञान को वेतन भुगतान हेतु।	(c) For payment of salary to India Meteorological Department.	-	23.21	23.21
पर्यावरण और वन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS			
30 पर्यावरण और वन मंत्रालय (क) भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण (₹ 0.45 करोड़) और (ख) भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण (₹ 0.45 करोड़)।	30 Ministry of Environment and Forests For meeting expenditure towards court decree in respect of (a) Botanical Survey of India (₹ 0.45 crore) and (b) Zoological Survey of India (₹ 0.45 crore).	0.90	-	0.90
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
35 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण (क) निम्नलिखित को (i) ऋण समेकन और राहत सुविधा योजना के तहत राज्यों को ऋणी राहत (₹ 1,000 करोड़) प्रदान करना; और (ii) राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि को अंशदान हेतु निधियों का अन्तरण (340 करोड़)। (ख) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता।	35 Transfers to State and Union Territory Governments (a) To (i) provide debt relief (₹ 1,000 crore) to States under Debt Consolidation and Relief Facility Scheme, and (ii) transfer funds (₹ 340 crore) for contribution to National Disaster Response Fund. (b) For Additional Central Assistance for Externally Aided Project.	-	1,340.00	1,340.00
		250.00	-	250.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
40 भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग निम्नलिखित को (क) अतिरिक्त संस्थापन और वेतन संबंधी व्यय की पूर्ति (₹ 178.54 करोड़) और (ख) भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा अधिकारियों के लिए आवासीय भवन निर्माण के लिए अहमदाबाद नगर निगम से भूमि की प्राप्ति के लिए अतिरिक्त भुगतान (₹ 8.15 करोड़)।	40 Indian Audit and Accounts Department For (a) meeting additional establishment and salary related expenditure (₹ 178.54 crore) and (b) making additional payment (₹ 8.15 crore) for procurement of land from Ahmedabad Municipal Corporation for construction of residential building for Indian Audit and Accounts Services Officers.	-	1.37	1.37
41 राजस्व विभाग (क) निम्नलिखित को अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (1) केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो (₹ 2.78 करोड़), (ii) राष्ट्रीय मदक द्रव्य नियंत्रण निधि (₹ 5 करोड़) और (ग) अन्तरराष्ट्रीय अंशदान (₹ 2.09 करोड़) हेतु।	41 Department of Revenue (a) For providing additional Grants-in-aid (i) to Central Bureau of Narcotics (₹ 2.78 crore), (ii) against National Fund for Control of Drug Abuse (₹ 5 crore), and (c) for International Contribution (₹ 2.09 crore).	-	5.67	5.67
43 अप्रत्यक्ष कर निम्नलिखित वेतनों के संबंध में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (1) सीमाशुल्क कार्यालय (₹ 68.57 करोड़) और (ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय (₹ 216.79 करोड़)।	43 Indirect Taxes For meeting additional expenditure on salaries of (a) Customs Offices (₹ 68.57 crore) and (b) Central Excise Offices (₹ 216.79 crore).	-	132.20	132.20
भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय				
49 भारी उद्योग विभाग निम्नलिखित के लिए (क) निम्नलिखित संबंधित लेखा समायोजना करने हेतु (i) एन्ड्रयू यूल और कम्पनी लिमिटेड (₹ 1.28 करोड़) और भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड (₹ 2.53 करोड़) (ii) बर्न स्टैन्डर्ड कम्पनी लिमिटेड जो कि कम्पनी की अनुमोदित पुनर्संरचना योजना के भाग के रूप में भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड की सहायक है, के सन्दर्भ में ब्याज माफी, दायित्व ब्याज (₹ 639.15 करोड़ और इक्विटी अवलिखित (₹ 500.01 करोड़) (ख) (i) ऑटोमोबाइल और सम्बद्ध उद्योग विकास परिषद को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 4.84 करोड़) प्रदान करने हेतु (ii) एचएमटी लिमिटेड को ब्याज सहायता (₹ 5.20 करोड़) और (iii) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड को अनुदान (₹ 0.12 करोड़)।	49 Department of Heavy Industry For (a) carrying out accounting adjustment relating to (i) waiver of guarantee fee in respect of Andrew Yule and Company Limited (₹ 1.28 crore) and Heavy Engineering Corporation Limited (₹ 2.53 crore), (ii) waiver of interest and penal interest (₹ 639.15 crore) and write down of equity (₹ 500.01 crore) in respect of Burn Standard Company Limited, a subsidiary of Bharat Bhari Udyog Nigam Limited, as a part of approved restructuring plan of the company, (b) (i) providing Grants-in-aid General (₹ 4.84 crore) to Development Council for Automobile and Allied Industries, (ii) Interest subsidy (₹ 5.20 crore) to HMT Limited and (iii) Grants to National Industrial Development Corporation Limited (₹ 0.12 crore).	-	1,142.97	1,142.97
गृह मंत्रालय				
53 पुलिस निम्नलिखित पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (क) असम राइफल्स (एआर) को वेतन (₹ 114 करोड़), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) (₹ 583.27 करोड़), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) (₹ 117.24 करोड़), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) (₹ 725 करोड़), दिल्ली पुलिस (डीपी) (₹ 357.71 करोड़), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) (₹ 117.24 करोड़), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) (27 करोड़ रुपए), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) (₹ 130 करोड़) और विभागीय लेखा संगठन (₹ 5.25 करोड़) (ख) घरेलू यात्रा व्यय-सीआरपीएफ (₹ 25 करोड़) और एसएसबी	53 Police For meeting additional expenditure on (a) Salaries of Assam Rifles (AR) (₹ 114 crore), Border Security Force (BSF) (₹ 583.27 crore), Central Industrial Security Force (CISF) (₹ 117.24 crore), Central Reserve Police Force (CRPF) (₹ 725 crore), Delhi Police (DP) (₹ 357.71 crore), Indo-Tibetan Border Police (ITBP) (₹ 117.24 crore), National Security Guard (NSG) (₹ 27 crore), Sashastra Seema Bal (SSB) (₹ 130 crore) and Departmental Accounting Organisation (₹ 5.25 crore), (b) Domestic			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(₹ 1 करोड़) (ग) सीमा सुरक्षा बल के किराया, दरें और कर (₹ 6.23 करोड़) (घ) डीपी की आपूर्ति और सामग्री (₹ 10.44 करोड़), अश्रु गैस इकाई (₹ 4.60 करोड़) और फॉरेंसिक विज्ञान निदेशालय (₹ 0.45 करोड़), (ङ) एआर (₹ 10 करोड़), बीएसएफ (₹ 10 करोड़), सीआईएसएफ (₹ 15 करोड़), सीआरपीएफ (₹ 20 करोड़), डीपी (₹ 10 करोड़) और राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एनपीए) (₹ 1.01 करोड़) को हथियार और गोला-बारूद (सामान्य), (च) सीआरपीएफ (₹ 72 करोड़) और आईटीबीपी (₹ 26.58 करोड़) के राशन की लागत (छ) डीपी (₹ 15 करोड़) और एनएसजी (₹ 2.50 करोड़) के कपड़े और टेंट सामग्री (ण) बीएसएफ (₹ 2.03 करोड़) और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (₹ 0.01 करोड़), की व्यावसायिक सेवाएं, (i) सीआईएसएफ (₹ 4 करोड़) के अन्य प्रभार, नक्सल प्रबन्धन को सहायता (₹ 125 करोड़) और केन्द्रीय जासूसी प्रशिक्षण स्कूल (₹ 0.36 करोड़) तथा (झ) मजबूत पुलिस स्टेशनों के सुदृढीकरण के पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान (₹ 10 करोड़)।	Travel Expenses of CRPF (₹ 25 crore) and SSB (₹ 1 crore), (c) Rent, Rates and Taxes of BSF (₹ 6.23 crore), (d) Supplies and Material of DP (₹ 10.44 crore), Tear Smoke Unit (₹ 4.60 crore) and Directorate of Forensic Sciences (₹ 0.45 crore), (e) Arms and Ammunition (General) of AR (₹ 10 crore), BSF (₹ 10 crore), CISF (₹ 15 crore), CRPF (₹ 20 crore), DP (₹ 10 crore) and National Police Academy (NPA) (₹ 1.01 crore), (f) Cost of Ration of CRPF (₹ 72 crore) and ITBP (₹ 26.58 crore), (g) Clothing and Tentage of DP (₹ 15 crore) and NSG (₹ 2.50 crore), (h) Professional Services of BSF (₹ 2.03 crore) and Bureau of Police Research and Development (₹ 0.01 crore), (i) Other Charges of CISF (₹ 4 crore), Assistance for Naxal Management (₹ 125 crore) and Central Detective Training School (₹ 0.36 crore), and (j) Grants-in-aid for creation of Capital Assets for strengthening of fortified Police Station (₹ 10 crore).			
54 गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	54 Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs			
निम्नलिखित के संबंध में अतिरिक्त व्यय हेतु (क) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना (₹ 100 करोड़), (ख) स्वतंत्रता सेनानियों के गृहों का अनुरक्षण (₹ 0.05 करोड़) (ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में हेलीकोप्टर सेवाएं (₹ 5 करोड़) (घ) निम्नलिखित के संबंध में (i) 1984 के दंगा पीड़ितों को वर्धित क्षतिपूर्ति (₹ 5 करोड़) (ii) गुजरात दंगा पीड़ित (₹ 45.58 करोड़) (iii) भागलपुर दंगा पीड़ित (₹ 0.90 करोड़) और (iv) मिजोरम (₹ 5 करोड़) और त्रिपुरा (₹ 3 करोड़) के लिए पुनर्वास।	For additional expenditure on (a) Swatantrata Sainik Samman Pension Scheme (₹ 100 crore), (b) maintenance of homes for freedom fighters (₹ 0.05 crore), (c) Helicopter services in North Eastern Region (₹ 5 crore), (d) (i) enhanced compensation to 1984 riot victims (₹ 5 crore), (ii) Gujarat riot victims (₹ 45.58 crore), (iii) Bhagalpur riot victims (₹ 0.90 crore), and (iv) rehabilitation for Mizoram (₹ 5 crore) and Tripura (₹ 3 crore).		1,982.07	1,982.07
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
57 स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	57 Department of School Education and Literacy			
(क) निम्नलिखित के लिए (i) निम्नलिखित योजनाओं के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयनकारी एजेंसियों को अनुदान (1) सर्वशिक्षा अभियान (₹ 1,609.80 करोड़) (2) राष्ट्रीय विद्यालय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (₹ 0.45 करोड़) (3) उत्कृष्टता के बेंचमार्क के रूप में खण्ड स्तर पर 6000 मॉडल विद्यालयों की स्थापना (59 करोड़ रुपए) और (ii) शिक्षा उपकर के अतिरिक्त संग्रहण के कारण 'प्रारंभिक शिक्षा कोष' को निधियों का अन्तरण (₹ 1,372 करोड़)।	(a) For (i) Grants to implementing agencies in States/Union Territories under the schemes of (1) Sarva Shiksha Abhiyan (₹ 1,609.80 crore), (2) National Programme of Mid Day Meals in Schools (₹ 0.45 crore), (3) Setting up of 6000 Model Schools at Block level as Bench Mark of Excellence (₹ 59 crore), and (ii) Transfer of funds to Prarambhik Shiksha Kosh due to additional collection of Education Cess (₹ 1,372 crore).	825.00	-	825.00
(ख) 'राष्ट्रीय विद्यालय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम' योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान हेतु।	(b) For Grants-in-aid General under the scheme National Programme of Mid Day Meals in Schools.	732.90	-	732.90

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING			
59 सूचना और प्रसारण मंत्रालय	59 Ministry of Information and Broadcasting			
(क) भवन निर्माण और विभिन्न मीडिया इकाइयों के पूंजी स्वरूप की अन्य मदों के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 15.48 करोड़)।	(a) For meeting additional expenditure (₹ 15.48 crore) on construction of buildings and other items of expenditure of capital nature of various media units.	1.60	-	1.60
(ख) प्रसार भारती को अतिरिक्त ऋण प्रदान करना।	(b) For providing additional loans to Prasar Bharati.	162.16	-	162.16
(ग) प्रसार भारती को पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु अतिरिक्त ऋण प्रदान करने के लिए।	(c) For providing additional loans for development of North Eastern Areas to Prasar Bharati.	9.28	-	9.28
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
64 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	64 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises			
निम्नलिखित के अतिरिक्त संस्थापन संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु (क) खादी और ग्रामोद्योग (₹ 34.78 करोड़) और (ख) कॉयर् बोर्ड (₹ 4.50 करोड़)	For meeting additional establishment related expenditure of (a) Khadi and Village Industries (₹ 34.78 crore) and (b) Coir Board (₹ 4.50 crore).	-	0.50	0.50
अनिवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS			
68 अनिवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	68 Ministry of Overseas Indian Affairs			
अनिवासी भारतीय केन्द्र परियोजना पर पूंजी परिव्यय हेतु	For capital outlay of the project of Pravasi Bhartiya Kendra.	-	5.00	5.00
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
71 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	71 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions			
निम्नलिखित के लिए (क) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संबंध में अतिरिक्त व्यय (₹ 5 करोड़) की पूर्ति हेतु; (ख) निम्नलिखित के तहत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति (i) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के वेतन (₹ 1.83 करोड़), (ii) सीबीआई के घरेलू यात्रा व्यय (₹ 1.30 करोड़) और (ग) भारतीय लेक प्रशासन संस्थान को अतिरिक्त सहायता अनुदान (₹ 2.91 करोड़) प्रदान करना।	For (a) meeting additional expenditure (₹ 5 crore) toward conduct of examinations by Staff Selection Commission, (b) meeting additional requirement under (i) Salaries (₹ 1.83 crore) of Central Bureau of Investigation (CBI), (ii) Domestic Travel Expenses (₹ 1.30 crore) of CBI, and (c) providing additional Grants-in-aid (₹ 2.91 crore) to Indian Institute of Public Administration.	-	11.04	11.04
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS			
72 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	72 Ministry of Petroleum and Natural Gas			
इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा बोनस शेयरों में अतिरिक्त इक्विटी निवेश हेतु।	For additional equity investment in the bonus shares issued by Engineers India Limited.	-	101.53	101.53
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
74 विद्युत मंत्रालय	74 Ministry of Power			
केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting establishment related expenditure of Central Electricity Regulatory Commission.	-	7.35	7.35

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE-PRESIDENT			
77 राज्य सभा वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु	77 Rajya Sabha For meeting additional salary related expenditure.	-	0.06	0.06
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
80 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	80 Ministry of Road Transport and Highways			
(क) केन्द्रीय सड़क निधि के लिए प्रावधान (₹726.54 करोड़)।	(a) To provide for the Central Road Fund (₹ 726.54 crore).	57.70	-	57.70
(ख) निम्नलिखित संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (i) राज्य की सड़कों के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से राज्य सरकारों को पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹116.35 करोड़), तथा (ii) राज्य में अंतरराज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की सड़कें (₹12.52 करोड़)।	(b) To meet additional expenditure on (i) Grants for creation of Capital Assets to State Governments from Central Road Fund for State Roads (₹ 116.35 crore), and (ii) Inter State or Economic Importance Roads in States (₹ 12.52 crore).	128.87	-	128.87
(ग) दिल्ली में सड़कों के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से राज्य सरकारों को पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए।	(c) To meet additional expenditure on Grants for creation of assets to Union Territory from Central Road Fund for Roads in Delhi.	3.51	-	3.51
(घ) अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए (i) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा आरम्भ की राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं संबंधी (₹591.96 करोड़) (ii) सड़क स्कन्ध (₹622 करोड़) और बीआरडीबी (₹60 करोड़) द्वारा आरम्भ किए गए राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य के विकास संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(d) To meet additional expenditure (i) of National Highways Development Projects (₹ 591.96 crore) undertaken by National Highways Authority of India (NHAI), (ii) on development of National Highways works undertaken by Road wing (₹ 622 crore) and by BRDB (₹ 60 crore).	591.96	-	591.96
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
85 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	85 Department of Scientific and Industrial Research			
(क) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को (₹60 करोड़) और (ख) 'उद्योग अनुसंधान एवं विकास' योजना के तहत (₹2 करोड़) सहायता अनुसंधान प्रदान करने हेतु।	For providing Grants-in-aid (a) to Council of Scientific and Industrial Research (₹ 60 crore) and (b) under the scheme 'Research and Development by Industry' (₹ 2 crore).	2.00	-	2.00
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
88 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	88 Ministry of Social Justice and Empowerment			
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को अतिरिक्त इक्विटी जारी करने हेतु।	For releasing additional equity to the National Scheduled Castes Finance and Development Corporation.	25.00	-	25.00
कपड़ा मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
92 कपड़ा मंत्रालय	92 Ministry of Textiles			
(क) निम्नलिखित के लिए (i) ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन (₹42.99 करोड़) (2) राष्ट्रीय जूट विनिर्माण लि. (₹49.65 करोड़) के संसाधन अंतराल को पूरा करने हेतु (ii) राष्ट्रीय कपड़ा निगम के लिए (₹2.04 करोड़)।	(a) For (i) meeting the gap in resources of (1) British India Corporation (₹ 42.99 crore), (2) National Jute Manufactures Limited (₹ 49.65 crore) and (ii) National Textiles Corporation (₹ 2.04 crore).	-	3.82	3.82

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) बेंगलुरु में विकास आयुक्त के लिए कार्यालय आवास के निर्माण संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For additional expenditure on construction of office accommodation for the Development Commissioner for Handicrafts at Bengaluru.	1.35	-	1.35
जनजातीय कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS			
94 जनजातीय कार्य मंत्रालय	94 Ministry of Tribal Affairs			
(i) विशेषकर दुर्बल जनजातीय समूहों का विकास (₹100 करोड़), (ii) जनजातीय उप आयोजना (₹66.25 करोड़) और (iii) लघु वन उत्पाद हेतु राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम (₹0.01 करोड़) संबंधी योजना के तहत पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करने के लिए।	(a) For providing Grants for creation of capital assets under the scheme (i) Development of Particularly Vulnerable Tribal Groups (₹ 100 crore), (ii) Tribal Sub-Plan (₹ 66.25 crore) and (iii) State Tribal Development Cooperative Corporation for Minor Forest Produce (₹ 0.01 crore).	6.86	-	6.86
संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल रहित)	UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)			
95 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	95 Andaman and Nicobar Islands			
विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के तहत राजस्व व्यय हेतु	For revenue expenditure under various Ministries/Departments.	-	34.35	34.35
96 चंडीगढ़	96 Chandigarh			
विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के तहत राजस्व व्यय हेतु	For revenue expenditure under various Ministries/Departments.	-	291.32	291.32
98 दमन एवं दीव	98 Daman and Diu			
विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के तहत राजस्व व्यय हेतु	For revenue expenditure under various Ministries/Departments.	-	84.00	84.00
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
100 शहरी विकास विभाग	100 Department of Urban Development			
शहरी विकास के प्रमुख निर्माण कार्यों (₹108 करोड़) और रोजगार के प्रमुख निर्माण कार्यों (₹0.41 करोड़) संबंधी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु।	For meeting additional requirement on Major Works of Urban Development (₹ 108 crore) and Major Works of Employment (₹ 0.41 crore).	81.71	-	81.71
जोड़ तकनीकी	Total Technical	2,930.83	7,740.07	10,670.90

5. नीचे सूचीबद्ध मदों के संबंध में ₹1 लाख प्रत्येक का पूरक अनुदान लिया जाना भी प्रस्तावित है, उनके समाने दर्शाए गए व्यय की पूर्ति संगत अनुदान के राजस्व अथवा पूँजी भाग में उपलब्ध बचतों, जैसा भी मामला है, के पुनर्विनियोग से की जाएगी।

5. Supplementary grants of Rs.1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.

अनुदानों की तकनीकी पूरक मांगें

Token Supplementary Demands for Grants

कृषि मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE
1 कृषि और सहकारिता विभाग	1 Department of Agriculture and Cooperation
(क) (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹0.59 करोड़); और राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना के तहत पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹0.50 करोड़), (ii) राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन को सामान्य सहायता अनुदान (₹0.70 करोड़) और (ii) कृषि आर्थिक	(a) For (i) Grants-in-aid General (₹ 0.59 crore), and Grants for creation of capital assets (₹ 0.50 crore) under National Project on Organic Farming, (ii) Grants-in-aid General (₹ 0.70 crore) and Grants for creation of capital assets

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
नीति और विकास हेतु निविष्टि पर अध्ययन के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹3.50 करोड़) परिसंपत्तियों के अनुदान हेतु, (iii) कृषि आर्थिक नीति और विकास के लिए निविष्टि (₹13 करोड़) (iv) एकीकृत तिलहनों/ऑयलपाम/दलहन और मक्का विकास के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹167.75 करोड़ रुपए), (v) राष्ट्रीय बाँस और व्यापार विकास मिशन के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹15 करोड़), (vi) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को अतिरिक्त परियोजनाओं/प्रस्तावों के लिए पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹30 करोड़); तथा 'राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस आयोजना कृषि योजना' के कार्यान्वयन हेतु (₹10 करोड़)	(₹ 3.50 crore) to National Institute of Plant Health Management, (iii) Grants-in-aid General under Studies on input for Agricultural Economic Policy and Development (₹ 13 crore), (iv) Grants-in-aid General under Integrated Oilseeds/Oil Palm/Pulses and Maize Development (₹ 167.75 crore), (v) Grants-in-aid General under National Mission on Bamboo and Trade Development (₹ 15 crore), (vi) Grants for creation of capital assets to National Horticulture Board (₹ 30 crore) for undertaking additional projects/proposals, and (vii) implementation of the scheme of National e-Governance Plan-Agriculture (₹ 10 crore).	241.04	-	241.04
(ख) राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना-1 के तहत सामान्य सहायता अनुदान हेतु।	(b) For Grants-in-aid General under National Agricultural Extension Project-I.	-	2.73	2.73
(ग) ग्रामीण गोदामों के निर्माण के तहत सामान्य सहायता अनुदान	(c) For Grants-in-aid General under Construction of Rural Godowns.	20.00	-	20.00
(घ) (i) राष्ट्रीय बाँस और व्यापार विकास मिशन (₹30 करोड़), (ii) प्रशिक्षण की आउटसोर्सिंग और किसानों के खेतों पर बागवानी उपकरणों सहित नए विकसित उपकरणों का प्रदर्शन (₹5.50 करोड़), (iii) फसल पशु प्रौद्योगिकी (₹2.50 करोड़), तथा (iv) राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस आयोजना - कृषि (₹1 करोड़) के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लाभ हेतु प्रावधान में बढ़ोतरी के संबंध में सहायता अनुदान।	(d) For Grants-in-aid General towards augmentation of provision for the benefit of North Eastern Areas under (i) National Mission on Bamboo and Trade Development (₹ 30 crore), (ii) Outsourcing of training and demonstration of newly developed equipments including horticulture equipments at farmers' field (₹ 5.50 crore), (iii) Post Harvest Technology (₹ 2.50 crore), and (iv) National e-Governance Plan-Agriculture (₹1 crore)	39.00	-	39.00
(ङ) राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस आयोजना-कृषि के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सरकारों को सहायता अनुदान हेतु।	(e) For Grants-in-aid to State Governments towards implementation of National e-Governance Plan-Agriculture.	1.00	-	1.00
2 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	2 Department of Agricultural Research and Education			
कृषि विस्तार हेतु आईसीएआर को सामान्य सहायता अनुदान।	For Grants-in-aid General to ICAR for Agricultural Extension.	12.00	-	12.00
3 पशुपालन, डेयरी कार्य और मात्स्यिकी विभाग	3 Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries			
(क) (i) राष्ट्रीय मवेशी और भैंस प्रजनन परियोजना (₹6.22 करोड़) और (ii) चारा फसलों पर मिनिकिट्स परीक्षण कार्यक्रम (₹15 करोड़)।	For Grants-in-aid General to different State Implementing Agencies in the Scheme of (a) National Project for Cattle and Buffalo Breeding (₹ 6.22 crore) and (b) Minikits Testing Programme on Fodder Crops (₹ 15 crore).	21.22	-	21.22
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
5 नाभिकीय ऊर्जा विभाग	5 Nuclear Power Schemes			
भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लि. के तहत कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना के लिए व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting expenditure for Fuels for Kudankulam Nuclear Power Project under Nuclear Power Corporation of India Limited.	28.09	-	28.09

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
नागर विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
9 नागर विमानन मंत्रालय	9 Ministry of Civil Aviation			
(क) हज परिचालन, 2010 के लिए एयर इंडिया को भुगतान हेतु (₹70 करोड़), तथा (ख) इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (₹1.88 करोड़)	For (a) payment to Air India for Haj Operation, 2010 (₹ 70 crore), and (b) providing Grants-in-aid to Indira Gandhi Rashtriya Uran Academy (₹ 1.88 crore).	-	71.88	71.88
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
11 वाणिज्य विभाग	11 Department of Commerce			
(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु रबर बोर्ड को सब्सिडी प्रदान करने हेतु।	(a) For providing subsidy to Rubber Board for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.	10.00	-	10.00
(ख) निम्नलिखित को 'संस्थाओं को सहायता' योजना के भीतर सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (i) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (₹8 करोड़) तथा भारतीय पैकेजिंग संस्थान (₹2 करोड़)।	(b) For providing Grants-in-aid within the scheme of Assistance to Institutions viz. (i) Indian Institute of Foreign Trade (₹ 8 crore) and (ii) Indian Institute of Packaging (₹ 2 crore).	10.00	-	10.00
12 औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	12 Department of Industrial Policy and Promotion			
(क) गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और गोवा के नमक उत्पादन क्षेत्रों में 880 मकानों के निर्माण हेतु नमक आयुक्त द्वारा 'नमक मजदूर आवास योजना' के कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यकता की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting the requirement towards implementation of the scheme Namak Mazdoor Aawas Yojana by Salt Commissioner for construction of 880 houses in salt producing areas of Gujarat, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Orissa, Rajasthan, Maharashtra, West Bengal, Karnataka and Goa.	0.99	-	0.99
(ख) (i) राष्ट्रीय सीमेंट और निर्माण सामग्री परिषद् (2 करोड़), (ii) केन्द्रीय विनिर्माण तकनीकी संस्थान (₹1.49 करोड़), तथा (iii) लुग्दी और कागज उद्योग विकास परिषद् (₹1 करोड़) के कर्मचारियों के वेतन, उत्पादन और अन्य स्थापना संबंधी व्यय के भुगतान के संबंध में सहायता अनुदान हेतु।	(b) For Grants-in-aid towards payment of salary, gratuity and other establishment related expenses for the employees of (i) National Council for Cement and Building Material (₹ 2 crore), (ii) Central Manufacturing Technical Institute (₹ 1.49 crore), and (iii) Development Council for Pulp and Paper Industry (₹ 1 crore).	-	4.49	4.49
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
15 सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग	15 Department of Information Technology			
(क) सूचना प्रौद्योगिकी ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) कार्यक्रम (₹25 करोड़) और (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ हेतु मीडिया लैब एशिया (₹1 करोड़) के कार्यान्वयन की सहायता के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting additional expenditure to support implementation of (i) ongoing National Knowledge Network (NKN) programme (₹ 25 crore) and (ii) Media Lab Asia (₹ 1 crore) for the benefit of North Eastern Region.	26.00	-	26.00
(ख) निम्नलिखित के कार्यान्वयन हेतु सहायता के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के सम्बन्ध में (i) मौजूदा एनकेएन कार्यक्रम (₹225 करोड़) और (ii) मीडिया लैब एशिया (₹3.30 करोड़)।	(b) For meeting additional expenditure to support implementation of (i) ongoing NKN programme (₹ 225 crore) and (ii) Media Lab Asia (₹ 3.30 crore).	228.30	-	228.30
(ग) (i) 2004-2005 से 2010-2011 तक की अवधि के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स - हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स (ईएचटीपी) के पास केन्द्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति के लम्बित दावों के निपटान हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(c) For meeting additional expenditure for clearance of Central Sales Tax reimbursement claims pending with the Software Technology Parks of India (STPI) and the Electronics Hardware Technology Parks (EHTP) for the period from 2004-2005 to 2010-2011.	-	60.60	60.60

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
17 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	17 Department of Food and Public Distribution			
(क) प्रचार-सह-जागरूकता अभियान आरंभ करने हेतु बिहार केरल और त्रिपुरा राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए।	(a) For extending assistance to the States of Bihar, Kerala and Tripura for undertaking publicity-cum-awareness campaign.	0.35	-	0.35
(ख) चीनी मिलों को गन्ना विकास के लिए अतिरिक्त ऋण प्रदान करने हेतु।	(b) For providing additional loan for Cane Development to Sugar Mills.	-	25.00	25.00
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS			
18 कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय	18 Ministry of Corporate Affairs			
(क) कॉरपोरेट कार्य महानिदेशक (₹0.06 करोड़) और (ख) राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (₹0.0089 करोड़)	For meeting additional establishment related expenditure of (a) Director General of Corporate Affairs (₹ 0.06 crore) and (b) National Company Law Appellate Tribunal (₹ 0.0089 crore).	-	0.07	0.07
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
20 रक्षा मंत्रालय	20 Ministry of Defence			
हिन्दुस्थान शिपयार्ड लिमिटेड संबंधी स्थायी ऋण में बकाया ऋण के रुपांतरण हेतु।	For conversion of loan outstanding into loan in perpetuity in respect of Hindustan Shipyard Limited.	-	149.87	149.87
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS			
30 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	30 Ministry of Environment and Forests			
(क) (i) भारतीय वन सेवा अधिकारियों के मध्यवृत्ति प्रशिक्षण के लिए इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वन अकादमी संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु (₹5.25 करोड़), (ii) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद को पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹6.60 करोड़), और (iii) पशुओं के कल्याण (₹0.64 करोड़), और राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (₹6.50 करोड़),	(a) For (i) meeting expenditure towards Indira Gandhi National Forest Academy for Mid Career Training of Indian Forest Service Officers (₹ 5.25 crore), (ii) Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Forestry Research and Education (₹ 6.60 crore), and (iii) Grants-in-aid General to Welfare of Animals (₹ 0.64 crore) and National Afforestation Programme (₹ 6.50 crore).	18.99	-	18.99
(ख) राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम की योजनाओं के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹0.50 करोड़), और वन्यजीव आवासों का एकीकृत विकास (₹4.88 करोड़), (ii) राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम (₹5.17 करोड़), और प्रदूषण के उपशमन हेतु सहायता (₹1.25 करोड़) और (iii) वचनबद्ध देयताओं की पूर्ति हेतु पारिस्थितिकी विकास बलों के लिए व्यय (₹4 करोड़) की योजनाओं के तहत पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान।	(b) For expenditure for the benefit of North Eastern Region and Sikkim towards (i) Grants-in-aid General under the schemes of National Afforestation Programme (₹ 0.50 crore), and Integrated Development of Wildlife Habitats (₹ 4.88 crore), (ii) Grants for creation of Capital Assets under the schemes of National River Conservation Programme (₹ 5.17 crore), and Assistance for Abatement of Pollution (₹ 1.25 crore) and (iii) expenditure for Eco-Development Forces to meet the committed liabilities (₹ 4 crore).	15.80	-	15.80
(ग) (i) उत्कृष्टता केन्द्र (₹2.75 करोड़), (2) गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान (₹1 करोड़) (3) राष्ट्रीय	(c) For (i) Grants-in-aid General to (1) Centres of Excellence (₹ 2.75 crore), (2) Gobind Ballabh Pant Himalayan			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
नदी संरक्षण कार्यक्रम (₹1.50 करोड़) (4) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (₹0.25 करोड़), (5) पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन कार्यक्रम (₹1.25 करोड़), जैव विविधता संरक्षण (₹1.79 करोड़) को सामान्य सहायता अनुदान (ii) राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम को पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹2.46 करोड़)	Institute of Environment and Development (₹ 1 crore), (3) National River Conservation Programme -EAP (1.50 crore), (4) Central Pollution Control Board (₹ 0.25 crore), (5) Environmental Impact Assessment Programme (₹ 1.25 crore), Biodiversity Conservation (₹ 1.79 crore) and (ii) Grants for creation of Capital Assets to National Lake Conservation Programme (₹ 2.46 crore) .	11.00	-	11.00
(घ) प्रोजेक्ट टाइगर योजना (₹11.71 करोड़) और प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना (₹1 करोड़) के तहत सामान्य सहायता अनुदान	(d) For Grants-in-aid General under the scheme of Project Tiger (₹ 11.71 crore) and Project Elephant (₹ 1 crore).	12.71	-	12.71
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
32. आर्थिक कार्य विभाग	32 Department of Economic Affairs			
(क) मुद्रा निदेशालय की स्थापना संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting establishment related expenditure in connection with setting up of Directorate of Currency.	-	1.95	1.95
(ख) रेलवे सुरक्षा कार्यों के लिए अतिरिक्त बजटीय सहायता प्रदान करने हेतु।	(b) For providing additional budgetary support for Railway Safety Works.	112.16	-	112.16
(ग) संस्कृतिक विरासत और धारणीय पर्यटन संबंधी विश्व बैंक बहु-दाता न्याय निधि के संबंध में अंशदान करने हेतु।	(c) For making contribution towards World Bank Multi-Donor Trust Fund on Cultural Heritage and Sustainable Tourism.	-	4.60	4.60
(घ) सिक्कों की खरीद के संबंध में भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और टकसाल निगम को अतिरिक्त भुगतान हेतु।	(d) For making additional payment to Security Printing and Minting Corporation of India Limited towards purchase of coins.	-	788.80	788.80
41. राजस्व विभाग	41 Department of Revenue			
(क) राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान को अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (₹0.35 करोड़); (ख) प्रवर्तक निदेशालय के स्थापना संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु (₹3.89 करोड़); (ग) जब्त संपत्ति हेतु अपीलीय न्यायाधिकरण (₹0.84 करोड़); (घ) सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय प्राधिकरण (₹0.87 करोड़) और (ङ) अंतराष्ट्रीय अंशदान (₹0.04 करोड़)।	For (a) providing additional Grants-in-aid (₹ 0.35 crore) to National Institute of Public Finance and Policy, (b) meeting establishment related expenditure of Enforcement Directorate (₹ 3.89 crore), (c) Appellate Tribunal for Forfeited Property (₹ 0.84 crore), (d) Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (₹ 0.87 crore) and (e) International Contribution (₹ 0.04 crore).	-	5.99	5.99
42. प्रत्यक्ष कर	42 Direct Taxes			
मुम्बई में आयकर विभाग के लिए पहले से निर्मित आवासीय फ्लैटों की खरीद संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure for purchase of ready-built residential flats for Income Tax Department at Mumbai.	-	32.41	32.41
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES			
45. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	45 Ministry of Food Processing Industries			
खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन, स्थापना और आधुनिकीकरण में सहायता के लिए।	For assistance to Technology Upgradation, Establishment and Modernisation of Food Processing Industries.	23.83	-	23.83
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
46. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	46 Department of Health and Family Welfare			
(क) (i) निम्नलिखित के लिए (1) बल्लभ भाई चैस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली विश्वविद्यालय (₹4	(a) For (i) Grants for creation of capital assets to (1) Vallabh Bhai Chest			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
करोड़) और (2) राष्ट्रीय चिकित्सा स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु (₹6.87 करोड़) को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान हेतु तथा (ii) 'राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम' योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹12.21 करोड़)।	Institute, Delhi University (₹ 4 crore), and (2) National Institute of Medical Health & Neuro-Science, Bengaluru (₹ 6.87 crore) and (ii) Grants-in-aid General under the scheme National Programme for Prevention and Control of Fluorosis (₹ 12.21 crore).	23.08	-	23.08
(ख) (i) फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया (₹0.10 करोड़), और (ii) 'कालाजार कार्यक्रम योजना के तहत (₹16.25 करोड़ रुपए) सामान्य सहायता अनुदान हेतु।	(b) For Grants-in-aid General (i) to Pharmacy Council of India (₹ 0.10 crore), and (ii) under the scheme 'Kala-Azar Programme' (₹ 16.25 crore).	-	16.35	16.35
(ग) 'पल्स पोलियो कार्यक्रम' के तहत अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान के लिए।	(c) For Grants-in-aid General to meet the additional requirement under the Pulse Polio Programme.	50.00	-	50.00
(घ) 'एफपी सामग्री की मुफ्त आपूर्ति योजना के तहत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान के लिए।	(d) For Grants-in-aid General to meet the additional requirement under the scheme 'Free Supply of FP Material'.	-	14.65	14.65
48 स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग निम्नलिखित के लिए (क) अतिरिक्त अनुसंधान कार्यक्रमों पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान के लिए (₹20 करोड़ रुपए), (ख) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली की विभिन्न अनुसंधान इकाइयों, फील्ड स्टेशनों, ग्रामीण केन्द्रों आदि में अवसंरचना के उन्नयन संबंधी चालू निर्माण कार्यों के लिए पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (50 करोड़)।	48 Department of Health Research For (a) Grants-in-aid General (₹ 20 crore) to meet additional expenditure on extra mural research activities, (b) Grants for creation of capital assets (₹ 50 crore) for on-going works relating to up-gradation of the infrastructure at various research units, field stations, rural centres, etc. of Indian Council of Medical Research, New Delhi.	-	70.00	70.00
भारती उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
49 भारी उद्योग विभाग निम्नलिखित के लिए (क) संचित हानियों के लिए आवश्यक लेखांकन समायोजन करने हेतु (₹500.01 करोड़), और (ख) बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड के सम्बन्ध में अतिरिक्त इक्विटी निवेश (₹25.43 करोड़) प्रदान करने हेतु।	49 Department of Heavy Industry For (a) carrying out necessary accounting adjustment towards accumulated losses (₹ 500.01 crore), and (b) providing additional equity investment (₹ 25.43 crore) in respect of Burn Standard Company Limited.	525.44	-	525.44
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
51 गृह मंत्रालय निम्नलिखित के सम्बन्ध में (क) जनगणना के लिए किराया, दरें और कर (पृथक्करण और संकलन) (₹2 करोड़) और (ख) जनगणना के तहत विज्ञापन और प्रचार (₹17.50 करोड़)।	51 Ministry of Home Affairs For (a) Rent, Rates and Taxes for Census (Abstraction and Compilation) (₹ 2 crore), and (b) Advertising and Publicity (₹ 17.50 crore) under Census.	-	19.50	19.50
53 पुलिस (क) पुलिस राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की अपराध और आपराधिक नेटवर्क प्रणाली, (₹5 करोड़) और (ii) राज्य स्तर पर क्षेत्रीय अदालती विज्ञान प्रयोगशालाओं और जिला स्तर पर जिला अदालती चल इकाइयों के सृजन (₹13.69 करोड़) संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	53 Police (a) For meeting additional expenditure on (i) Crime and Criminal Network System of National Crime Records Bureau (₹ 5 crore), and (ii) creation of Regional Forensic Science Laboratories at State Level and District Forensic Mobile Units at District Level (₹ 13.69 crore).	18.69	-	18.69
(ख) (i) तटवर्ती सुरक्षा की मशीनरी एवं उपस्कर (68.30 करोड़), (ii) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का आवासीय भवन (₹0.20 करोड़) और (iii) मोटर वाहन (आधुनिकीकरण) (₹0.63 करोड़) संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional expenditure on (i) Machinery and Equipment of Coastal Security (₹ 68.30 crore), (ii) Residential Building of Bureau of Police Research and Development (₹ 0.20 crore), and (iii) Motor Vehicle (Modernisation) (₹ 0.63 crore).	-	69.13	69.13

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
54 गृह मंत्रालय का अन्य व्यय (क) राज्यों में स्थापित प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों को (₹4 करोड़) और (ख) यूएनडीपी आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम के तहत (₹5 करोड़) सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	54 Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs For providing Grants-in-aid (a) to Administrative Training Institutes set up in States (₹ 4 crore), and (b) under UNDP-Disaster Risk Management Programme (₹ 5 crore).	-	9.00	9.00
55 संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण (क) यूटी विशिष्ट परियोजनाओं के लिए पुडुचेरी (₹50 करोड़) (ख) बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के लिए पुडुचेरी यूटी सहायता प्रावधान (₹7.50 करोड़ रुपए), (ग) पुडुचेरी-यूटी के लिए निम्नलिखित प्रावधान करना (i) सामान्य सहायता (₹105.69 करोड़), (ii) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम हेतु सहायता (₹7.39 करोड़ रुपए), (iii) राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्य योजना हेतु सहायता (₹1.45 करोड़); (iv) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) (₹4.64 करोड़); (v) शहरी अवसंरचना गवर्नेंस पर उप-मिशन (₹10 करोड़); (vi) छोटे और मध्यम शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास हेतु उप-मिशन (₹7.56 करोड़); (vii) शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं का उप-मिशन (₹10 करोड़); (viii) एकीकृत आवास एवं गंदी-बस्ती विकास का उप-मिशन (₹1.20 करोड़) और (ix) राजीव आवास योजना (₹0.20 करोड़) के लिए पुडुचेरी को प्रावधान और (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रावधान (i) सामान्य सहायता (₹229.72 करोड़); (ii) एनएसएपी के लिए सहायता (₹39.98 करोड़); (iii) नीगैप के लिए सहायता (2.94 करोड़); (iv) शहरी अवसंरचना गवर्नेंस पर उप-मिशन (₹500 करोड़); (v) शहरी गरीबों को बुनियादी सुविधाओं का उप-मिशन (₹184.47 करोड़); (vi) राजीव आवास योजना (₹10 करोड़); (vii) राष्ट्रमंडल खेल अवसंरचना (₹50 करोड़) और (viii) ईएपी के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (₹5 करोड़)।	55 Transfers to Union Territory Governments For (a) providing one time Additional Central Assistance to Union Territory (UT) of Puducherry for UT specific projects (₹ 50 crore), (b) providing assistance to UT of Puducherry for Flood Management Programme (₹ 7.50 crore), (c) providing to UT of Puducherry for (i) Normal Assistance (₹ 105.69 crore), (ii) Assistance for National Social Assistance Programme (NSAP) (₹ 7.39 crore), (iii) Assistance for National e-Governance Action Plan (NeGAP) (₹ 1.45 crore), (iv) Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) (₹ 4.64 crore), (v) Sub-mission on Urban Infrastructure Governance (₹ 10 crore), (vi) Sub-mission for Urban Infrastructure Development for Small and Medium Towns (UIDSMT) (₹ 7.56 crore), (vii) Sub-mission of Basic Services to the Urban Poor (BSUP) (₹ 10 crore), (viii) Sub-mission on Integrated Housing and Slum Development (₹ 1.20 crore) and (ix) Rajiv Aawas Yojana (RAY) (₹ 0.20 crore), and (d) providing to National Capital Territory of Delhi for (i) Normal Assistance (₹ 229.72 crore), (ii) Assistance for NSAP (₹ 39.98 crore), (iii) Assistance for NeGAP (₹ 2.94 crore), (iv) Sub-mission on Urban Infrastructure Governance (₹ 500 crore), (v) Sub-mission of Basic Services to the Urban Poor (BSUP) (₹ 184.47 crore), (vi) Rajiv Aawas Yojana (RAY) (₹ 10 crore), (vii) Commonwealth Games Infrastructure (₹ 50 crore) and (viii) Additional Central Assistance for EAP (₹ 5 crore).	1,227.74	-	1,227.74
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
57 स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (क) सामान्य शिक्षा के तहत वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु विभिन्न संस्थाओं को सामान्य सहायता अनुदान हेतु। (ख) (i) (1) स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (₹485.94 करोड़) (2) अल्पसंख्यक संस्थाओं में अवसंरचना विकास (₹1.50 करोड़), (3) उत्कृष्टता के बेंचमार्क के रूप में प्रखंड स्तर पर 6000 मॉडल स्कूलों की	57 Department of School Education and Literacy (a) For Grants-in-aid General to various institutions to meet the additional expenditure on account of salary under General Education. (b) For augmenting the provisions of North Eastern Region towards (i) Grants for creation of capital assets to meet additional expenditure under the schemes of (1) National Programme of	-	128.52	128.52

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
स्थापना (₹5 करोड़) और (4) सर्व-शिक्षा अभियान (₹87.20 करोड़) की योजनाओं के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के संबंध में पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रावधानों के संवर्धन हेतु और (ii) राज्यों में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹10.90 करोड़)।	Mid Day Meals in Schools (₹ 485.94 crore), (2) Infrastructure Development in Minority Institutions (₹ 1.50 crore), (3) setting up of 6000 Model Schools at Block Level as Bench Mark of Excellence (₹ 5 crore) and (4) Sarva Shiksha Abhiyan (₹ 87.20 crore) and (ii) Grants-in-aid General to meet additional expenditure in States (₹ 10.90 crore).	590.54	-	590.54
(ग) राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण हेतु।	(c) For transfer to National Investment Fund.	185.90	-	185.90
58 उच्च शिक्षा विभाग	58 Department of Higher Education			
(क) सामान्य शिक्षा के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सामान्य सहायता अनुदान/अनुदान हेतु।	(a) For Grants-in-aid General/Grants for creation of Capital Assets under General Education.	16.50	491.97	508.47
(ख) तकनीकी शिक्षा के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सामान्य सहायता अनुदान/अनुदान हेतु।	(b) For Grants-in-aid General/Grants for creation of Capital Assets under Technical Education.	88.85	248.42	337.27
(ग) (i) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, इटानगर (3 करोड़) और (ii) केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कोकराझार (₹8 करोड़) को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु।	(c) For Grants for creation of capital assets to (i) North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Itanagar (₹ 3 crore)), and (ii) Central Institute of Technology, Kokrajhar (₹ 8 crore).	11.00	-	11.00
सूचना एवं प्रसाधन मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING			
59 सूचना एवं प्रसाधन मंत्रालय	59 Ministry of Information and Broadcasting			
(क) (i) सत्यजीत राय फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कोलकाता (0.18 करोड़), (ii) चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया (₹0.10 करोड़), (iii) भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे (₹1.94 करोड़), (iv) प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (₹0.68 करोड़) और (v) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन (₹0.47 करोड़) को अतिरिक्त सहायता अनुदान और (ख) वेतन और संस्थापना संबंधी व्यय (₹12.74 करोड़) प्रदान करने हेतु।	For providing (a) additional Grants-in-aid to (i) Satyajit Ray Film and Television Institute of India, Kolkata (₹ 0.18 crore), (ii) Children's Film Society of India (₹ 0.10 crore), (iii) Film and Television Institute of India, Pune (₹ 1.94 crore), (iv) Press Council of India (₹ 0.68 crore) and (v) Indian Institute of Mass Communication (₹ 0.47 crore), and (b) salary and establishment related expenditure (₹ 12.74 crore).	-	16.11	16.11
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT			
60 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	60 Ministry of Labour and Employment			
(क) राज्य सरकारों के असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना स्कीम/स्वास्थ्य बीमा के केन्द्र का हिस्सा (₹14.50 करोड़) जारी करने हेतु तथा (ख) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के युवा के दक्षता प्रशिक्षण (₹3 करोड़) और दक्षता विकास पहल (₹2 करोड़) पर अतिरिक्त व्यय संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु।	For (a) releasing Centre's share (₹ 14.50 crore) of Rashtriya Swasthaya Bima Yojana scheme/Health Insurance for unorganised Sector Workers to State Governments, and (b) meeting additional expenditure requirements on Skill Training for the Youth of Left Wing Extremism areas (₹ 3 crore) and Skill Development Initiative (₹ 2 crore).	19.50	-	19.50
विधि एवं न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
62 विधि एवं न्याय मंत्रालय	62 Law and Justice			
न्यायपालिका की अवसंरचना सुविधाओं के लिए अनुदान जारी करने हेतु।	For release of grants for Infrastructure facilities for Judiciary.	4.00	-	4.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
64 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	64 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises			
(क) (i) प्रौद्योगिक सहायता की गुणवत्ता संस्थाएं और कार्यक्रम (₹ 0.24 करोड़), (iii) खादी उद्योग (₹ 1.51 करोड़), (iii) ग्रामीण उद्योग (₹ 0.09 करोड़) तथा प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (₹ 20.43 करोड़) के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/योजनाओं के प्रावधान संवर्धन हेतु।	(a) For augmentation of provision for the projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim under (i) Quality of Technology Support Institutions and Programme (₹ 0.24 crore), (ii) Khadi Industries (₹ 1.51 crore), (iii) Village Industries (₹ 0.09 crore), and (iv) Prime Minister's Employment Generation Programme (₹ 20.43 crore).	22.27	-	22.27
(ख) (i) प्रौद्योगिकी सहायता की गुणवत्ता संस्थाओं और कार्यक्रम (₹ 56.39 करोड़), (ii) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को विपणन सहायता सहित जनजातीय उप-आयोजना तथा साथ ही प्रशिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए (₹ 1.78 करोड़), (iii) प्रशिक्षण संस्थान (3.85 करोड़) संबंधी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (iv) (1) खादी उद्योग (₹ 100.10 करोड़) और (2) ग्रामोद्योग (₹ 15.16 करोड़) को अनुदान (v) (1) खादी उद्योग (₹ 56.99 करोड़) और (2) ग्रामोद्योग (₹ 8.17 करोड़) को अनुदान तथा (vi) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड को अतिरिक्त सहायता अनुदान (₹ 10 करोड़)।	(b) For meeting additional requirement on (i) subsidy under Quality of Technology Support Institutions and Programme (₹ 56.39 crore), (ii) Tribal Sub-Plan including Marketing support/assistance to Micro and Small Medium Enterprises and also for reimbursement of training fee (₹ 1.78 crore), (iii) Training Institutions (₹ 3.85 crore), (iv) Grants to (1) Khadi Industries (₹ 100.10 crore) and (2) Village Industries (₹ 15.16 crore), (iv) one time financial incentives to (1) Khadi Industries (₹ 56.99 crore) and (2) Village Industries (₹ 8.17 crore), and (v) additional Grants-in-aid to National Small Industries Corporation Limited (₹ 10 crore).	252.44	-	252.44
(ग) जिला उद्योग केन्द्रों के कम्प्यूटरीकरण के संबंध में डाटाबेस के उन्नयन हेतु।	(c) For upgradation of Database towards computerisation of District Industries Centres.	7.91	-	7.91
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY			
67. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	67 Ministry of New and Renewable Energy			
(क) सहकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में अधिशेष विद्युत उत्पादन के लिए बूट मॉडल के तहत वित्तीय संस्थाओं संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 4.50 करोड़), और ग्रिड और ऊर्जा संबंधी परियोजनाओं के निपटान के लिए अनुदान जारी करने हेतु (₹ 7.50 करोड़), विशेष क्षेत्र विकास परियोजनाओं संबंधी शेष निधियों जारी करने संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 3.25 करोड़), तथा (ख) राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा फेलोशिप कार्यक्रम के तहत व्यय (₹ 2.35 करोड़)।	For (a) meeting the expenditure towards Financial Institutions under BOOT Model for surplus power generation in Cooperative/ Public Sector Sugar Mills (₹ 4.50 crore), releasing Grants against settlement of projects relating to Off-Grid Solar Power (₹ 7.50 crore), meeting expenses for balance releases of funds relating to Special Area Development Projects (₹ 3.25 crore), and (d) expenditure under National Renewable Energy Fellowship programme (₹ 2.35 crore).	17.60	-	17.60
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
71. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	71 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions			
(क) आरटीआई अधिनियम की प्रचार योजना के लिए (क) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3.50 करोड़) (ख) पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 0.50 करोड़) के लिए।	For (a) Grants-in-aid General (₹ 3.50 crore) and (b) Grants for creation of Capital Assets (₹ 0.50 crore) for the scheme of Propagation of RTI Act.	4.00	-	4.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
योजना मंत्रालय	MINISTRY OF PLANNING			
73. योजना मंत्रालय	73 Ministry of Planning			
(क) अवसंरचना के वित्त पोषण संबंधी उच्चस्तरीय समिति की सेवा के लिए अवसंरचना विकास वित्त निगम को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	(a) For providing Grants-in-aid to Infrastructure Development Finance Corporation for serving a high level Committee on Financing Infrastructure.	1.50	-	1.50
(ख) अनुप्रयुक्त जन शक्ति अनुसंधान संस्थान को सहायता अनुदान जारी करने हेतु।	(b) For release of Grants-in-aid to Institute of Applied Manpower Research.	-	0.50	0.50
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
74. विद्युत मंत्रालय	74 Ministry of Power			
(क) केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु को पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के लिए (₹55.47 करोड़) तथा (ख) ऊर्जा क्षमता ब्यूरो के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में ऊर्जा क्षमता की वित्त पोषण योजना के परिचालन हेतु (₹0.87 करोड़)।	For (a) Grants for creation of capital assets (₹ 55.47 crore) to Central Power Research Institute, Bengaluru, and (b) operationalisation of the scheme of Financing Energy Efficiency at Micro, Small and Medium Enterprises under Bureau of Energy Efficiency (₹ 0.87 crore).	56.34	-	56.34
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE-PRESIDENT			
77. राज्य सभा	77 Rajya Sabha			
(क) खान-पान सुविधाओं (₹1.50 करोड़) और (ख) राज्य सभा टीवी चैनल के तहत 'मजदूरी' और 'व्यावसायिक सेवाओं' (₹0.25 करोड़) पर व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting expenditure on (a) catering facilities (₹ 1.50 crore), and (b) Wages and Professional Services (₹ 0.25 crore) under Rajya Sabha TV Channel.	-	1.75	1.75
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
80. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	80 Ministry of Road Transport and Highways			
(क) सड़कों और पुल के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting additional expenditure under Roads and Bridges.	-	75.34	75.34
(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में सड़क विकास निर्माण कार्यों संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional expenditure on Road Development works in North Eastern Region and Sikkim.	76.00	-	76.00
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
81. ग्रामीण विकास मंत्रालय	81 Department of Rural Development			
(क) इंदिरा आवास योजना पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting the additional expenditure on Indira Aawas Yojana.	0.75	-	0.75
(ख) ग्रामीण रोजगार के तहत महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting the additional expenditure on Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme under Rural Employment.	80.00	-	80.00
(ग) अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत डीआरडीए प्रशासन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(c) For meeting the additional expenditure on DRDA Administration under Other Rural Development Programme.	80.00	-	80.00
(घ) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को वेतन संबंधी व्यय की पूर्ति के संबंध अतिरिक्त सहायता अनुदान हेतु।	(d) For additional Grants-in-aid to National Institute of Rural Development for meeting the expenditure on salaries.	-	0.97	0.97

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ड) (i) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (₹548.85 करोड़), तथा (ii) केन्द्रीय सड़क निधि में हाई स्पीड डीजल/मोटर स्पिरिट संबंधी अतिरिक्त आय कर संग्रहण के अंतरण के लिए (₹553.38 करोड़)।	(e) For (i) meeting the additional expenditure on Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (₹ 548.85 crore), and (ii) transfer of additional cess collection on High Speed Diesel/Motor Spirit to Central Road Fund (₹ 553.38 crore).	1,102.23	-	1,102.23
83. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (पूर्वनाम - पेय जलापूर्ति विभाग)	83 Department of Drinking Water and Sanitation (Previously Department of Drinking Water Supply)			
कुल स्वच्छता अभियान पर अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु राज्य जल और स्वच्छता मिशन, जिला जल और स्वच्छता समितियाँ, मिशन, ग्रामीण विकास विभाग एजेंसियों आदि को अतिरिक्त सहायता अनुदान उपलब्ध कराने हेतु।	For providing additional Grants-in-aid to State Water and Sanitation Mission, District Water and Sanitation Committees, Missions, District Rural Development Agencies, etc. for meeting additional requirement on Total Sanitation Campaign.	55.50	-	55.50
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
84. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	84 Department of Science and Technology			
(क) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार एवं प्रचार योजना।	(a) For Grants-in-aid General to Science and Technology Communication and Popularisation Scheme.	2.90	-	2.90
(ख) देहरादून और हैदराबाद में दो केन्द्रीय विद्यालयों के लिए भारतीय सर्वेक्षण को सामान्य सहायता अनुदान।	(b) For Grants-in-aid General to Survey of India for two Kendriya Vidyalayas at Dehradun and Hyderabad.	-	2.59	2.59
85. वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	85 Department of Scientific and Industrial Research			
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	For providing Grants-in-aid to Council of Scientific and Industrial Research.	-	5.00	5.00
86. जैव प्रौद्योगिकी विभाग	86 Department of Biotechnology			
(क) नेशनल सेंटर फॉर सैल साइन्स, पुणे (₹10 करोड़), (ख) इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर (₹10 करोड़), (ग) राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र (₹8 करोड़), (घ) यूनेस्को जैव प्रौद्योगिकी शिक्षण एवं प्रशिक्षण क्षेत्रीय केन्द्र, फरीदाबाद (₹7.26 करोड़), (ड) बायोटेक प्रचार (₹2 करोड़), और (च) बायोइन्फॉर्मेटिक्स प्रोग्राम (₹3 करोड़) को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।	For providing Grants-in-aid to (a) National Centre for Cell Science, Pune (₹ 10 crore), (b) Institute of Life Sciences, Bhubaneswar (₹ 10 crore), (c) Rajiv Gandhi Centre for Biotechnology (₹ 8 crore), (d) UNESCO Regional Centre for Education and Training in Biotechnology, Faridabad (₹ 7.26 crore), (e) Biotech Popularisation (₹ 2 crore), and (f) Bioinformatics Programme (₹ 3 crore).	40.26	-	40.26
पोत परिवहन मंत्रालय	MINISTRY OF SHIPPING			
87. पोत परिवहन मंत्रालय	87 Ministry of Shipping			
(क) (i) हुगली और हल्दिया चैनल के लिए कोलकाता पत्तन न्यास को अतिरिक्त तलकषण सब्सिडी प्रदान करने हेतु (₹41.27 करोड़), (ii) प्रमुख पत्तनों के लिए प्रशुल्क प्राधिकरण को अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (₹3.20 करोड़) और (iii) अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्यों के लघु निर्माण कार्यों के लिए वर्धित निविष्टि लागत की पूर्ति हेतु (₹5.51 करोड़)।	(a) For (i) providing additional dredging subsidy (₹ 41.27 crore) to Kolkata Port Trust for Hoogly and Haldia Channel, (ii) providing additional Grants-in-aid General (₹ 3.20 crore) to Tariff Authority for Major Ports, and (iii) meeting increased input costs (₹ 5.51 crore) for minor works of Andaman Lakshadweep Harbour Works.	-	49.98	49.98
(ख) अंतरदेशीय जलमार्गों संबंधी विकासात्मक निर्माण कार्यों की लागत की पूर्ति हेतु भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अतिरिक्त अनुदान की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional Grants for creation of capital assets by Inland Waterways Authority of India (IWAI) to meet the cost of developmental works on Inland Waterways.	22.59	-	22.59

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भित्त Non Plan	जोड़ Total
(ग) आईडब्ल्यूएआई को पेंशन संबंधी देयताओं की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	(c) For providing additional Grants-in-aid General to IWAI to meet pension liabilities.	-	18.74	18.74
(घ) वेब आधारित इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा आदान-प्रदान प्रणाली के विकास संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(d) For meeting additional expenditure on account of the development of Web based Electronic Data interchange system.	2.08	-	2.08
(ङ) हुगली डॉक और पोर्ट इंजीनियर्स लि. द्वारा वेतन आदि के भुगतान हेतु कार्यशील पूंजी की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु।	(e) For meeting additional requirement of working capital for payment of salaries, etc. by Hooghly Dock and Port Engineers Limited.	-	1.20	1.20
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
88. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	88 Ministry of Social Justice and Empowerment			
(क) (i) (1) अनुसूचित जातियों के बालकों के लिए छात्रावास (₹12 करोड़), (2) अनुसूचित जातियों की बालिकाओं के लिए छात्रावास (₹10 करोड़) योजना में पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹12 करोड़), (ii) अनुसूचित जातियों के लिए परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹4.70 करोड़) के लिए।	(a) For (i) Grants for creation of capital assets in the scheme of (1) Boys Hostels' for Scheduled Castes (₹ 12 crore), (2) Girls Hostels' for Scheduled Castes (₹ 10 crore), and (ii) Grants-in-aid General under the scheme of Pre-Examination Training Centres for Scheduled Castes (₹ 4.70 crore).	26.70	-	26.70
(ख) पिछड़ा वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को सहायता अनुदान हेतु।	(b) For Grants-in-aid to National Commission for Backward Classes.	-	0.10	0.10
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION			
90. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	90 Ministry of Statistics and Programme Implementation			
(क) मंत्रालय के कार्यक्रम कार्यान्वयन स्कंध के कर्मचारियों को वेतन के भुगतान हेतु।	(a) For payment of salary to the staff of Programme Implementation Wing of the Ministry.	-	0.30	0.30
(ख) सांख्यिकी विभाग के कर्मचारियों को वेतन, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद को प्रशिक्षण शुल्क और प्रिंटर/सर्वर की खरीद हेतु भुगतान के लिए।	(b) For payment of salary to the staff of Department of Statistics, training fees to National Institute of Financial Management, Faridabad and for purchase of printer/server.	-	0.86	0.86
(ग) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के तहत फील्ड ऑपरेशन डिविजन और डाटा प्रोसेसिंग डिविजन के कर्मचारियों को वेतन के भुगतान हेतु (₹4.75 करोड़), (ii) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के कर्मचारियों को वेतन (₹3.66 करोड़) और (iii) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के संबंध में 'वेतन और भत्तों' तथा पेंशन और पेंशन के संराशिकृत मूल्य के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (₹8.35 करोड़)।	(c) For (i) payment of salary (₹ 4.75 crore) to the staff of Field Operation Division and Data Processing Division under National Sample Survey Organisation, (ii) salary to the staff of Central Statistical Organisation (₹ 3.66 crore) and (iii) meeting additional expenditure under Pay and Allowances, pension commuted value of pension in respect of Indian Statistical Institute (₹ 8.35 crore).	-	16.76	16.76
(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु 'क्षमता विकास और स्थानीय स्तर के विकास हेतु मूलभूत आंकड़ा योजना' के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(d) For meeting additional expenditure under the scheme Capacity Development and Basic Statistics for Local Level Development for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.	3.11	-	3.11

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
कपड़ा मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
92 कपड़ा मंत्रालय	92 Ministry of Textiles			
(क) डिजाइन तथा तकनीकी उन्नयन पर अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting the additional requirement on Design and Technical Upgradation.	2.56	-	2.56
(ख) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For additional expenditure on Technology Upgradation Fund Scheme.	519.68	-	519.68
पर्यटन मंत्रालय	MINISTRY OF TOURISM			
93 पर्यटन मंत्रालय	93 Ministry of Tourism			
निम्नलिखित के लिए (क) होटल प्रबन्धन संस्थान/पाक कल संस्थान/भारतीय पर्यटन तथा यात्रा प्रबन्धन संस्थान/राष्ट्रीय होटल प्रबन्धन तथा केटरिंग प्रौद्योगिकी परिषद को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (₹ 4.40 करोड़) और (ख) गंतव्य तथा सर्किट विकास हेतु उत्पाद/अवसंरचना विकास के अन्तर्गत मौजूदा योजनाओं को सहायता उपलब्ध कराने हेतु (₹ 17.13 करोड़)	For (a) providing Grants-in-aid (₹ 4.40 crore) to Institute of Hotel Managements/Food Craft Institutes/Indian Institutes of Tourism and Travel Management/National Council for Hotel Management and Catering Technology, and (b) providing assistance for on-going schemes under Product/Infrastructure Development for Destination and Circuits (₹ 17.13 crore).	21.53	-	21.53
जनजाति कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS			
94 जनजाति कार्य मंत्रालय	94 Ministry of Tribal Affairs			
(क) निम्नलिखित के लिए (i) सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (1) जनजातियों से सम्बद्ध एनजीओ जिसमें कोचिंग तथा सम्बद्ध योजना और उत्कृष्ट सेवा हेतु पुरस्कार शामिल है (₹ 4.40 करोड़) (2) जनजातियों के उत्पादन/उत्पाद हेतु, बाजार विकास (₹ 2.54 करोड़) और (3) उत्कृष्ट/उच्च श्रेणी के शिक्षा संस्थान योजना तहत (₹ 2.50 करोड़) और (ii) योजना के अन्तर्गत अन्य प्रभार उपलब्ध कराने हेतु (1) मॉनीटरिंग तथा पूनमूल्यांकन (₹ 0.38 करोड़) और (2) अनुसंधान सूचना तथा जन शिक्षा, जनजातीय उत्सव तथा अन्य (₹ 0.12 करोड़)।	(a) For (i) providing Grants-in-aid General (1) to NGOs for STs including Coaching and Allied Scheme and Award for Exemplary Service (₹ 4.40 crore), (2) for Market Development of Tribal Produce/Product (₹ 2.54 crore), and (3) under the scheme of Institutes of Excellence/Top Class Education (₹ 2.50 crore) and (ii) For providing other charges, under the scheme of (1) Monitoring and Evaluation (₹ 0.38 crore) and (2) Research Information and Mass Education, Tribal Festivals and others (₹ 0.12 crore).	9.94	-	9.94
(ख) अनुसूचित जनजाति से सम्बद्ध एनजीओ जिसमें कोचिंग तथा सम्बद्ध योजना और उत्कृष्ट सेवा हेतु पुरस्कार भी शामिल है, सहायता अनुदान की योजना तहत सामान्य सहायता अनुदान उपलब्ध कराने हेतु।	(b) For providing Grants-in-aid General, under the scheme of Grants-in-aid to NGOs for STs including Coaching and Allied scheme and Award for Exemplary Service.	3.00	-	3.00
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
100 शहरी विकास विभाग	100 Department of Urban Development			
(क) किराया, दर और करों के तहत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (₹ 28.18 करोड़) कार्यप्रभारित/संस्थापना वेतन (₹ 4.65 करोड़), सामान्य मरम्मतों के अन्तर्गत लघु निर्माण कार्य (₹ 65 करोड़) और सांसदों के आवासों की सामान्य मरम्मत (₹ 5 करोड़)।	(a) For meeting the additional requirement under Rent, Rates and Taxes (₹ 28.18 crore), Salaries of Work Charged Establishment (₹ 4.65 crore), Minor Works under Ordinary Repairs (₹ 65 crore) and ordinary repairs of MP Houses (₹ 5 crore).	-	102.83	102.83
(ख) शहरी अवसंरचना विकास परियोजना हेतु सामान्य सहायता अनुदान।	(b) For Grants-in-aid General for Urban Infrastructure Development Project.	12.00	-	12.00

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भित्त Non Plan	जोड़ Total
(ग) लेखा परीक्षा मुख्य निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 2 करोड़), विदेश (₹ 0.10 करोड़), कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन (₹ 0.50 करोड़) पर अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु।	(c) For meeting additional requirement on Major Works of Audit (₹ 2 crore), External Affairs (₹ 0.10 crore), Personnel, Public Grievances and Pension (₹ 0.50 crore).	-	2.60	2.60
जल संसाधन मंत्रालय	MINISTRY OF WATER RESOURCES			
103 जल संसाधन मंत्रालय	103 Ministry of Water Resources			
संस्थापना सम्बन्धी व्यय हेतु राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी संस्थान को निधियां जारी करने हेतु।	For releasing funds to National Institute of Hydrology for establishment related expenditure.	-	3.30	3.30
महिला तथा बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT			
104 महिला तथा बाल विकास मंत्रालय	104 Ministry of Women and Child Development			
राष्ट्रीय जन सहयोग तथा बाल विकास संस्थान को सामान्य सहायता अनुदान।	For Grants-in-aid General to National Institute of Public Cooperation and Child Development.	-	1.30	1.30
युवा मामले तथा खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS			
105 युवा मामले तथा खेल मंत्रालय	105 Ministry of Youth Affairs and Sports			
(क) निम्नलिखित को सामान्य अनुदान सहायता (i) नेहरू युवा केन्द्र संगठन (₹ 2.44 करोड़) (ii) 'राष्ट्रीय युवा तथा किशोर विकास कार्यक्रम' योजना तहत संस्थान (₹ 2.68 करोड़) (iii) भारतीय खेल प्राधिकरण (₹ 10 करोड़)।	(a) For Grants-in-aid General to (i) Nehru Yuva Kendra Sanghatan (₹ 2.44 crore), (ii) institutions under the scheme of National Programme for Youth and Adolescent Development (₹ 2.68 crore), (iii) Sports Authority of India (₹ 10 crore).	15.12	-	15.12
(ख) निम्नलिखित को सामान्य सहायता अनुदान (i) नेहरू युवा केन्द्र संगठन (₹ 2.07 करोड़) (ii) भारतीय खेल प्राधिकरण (₹ 12.42 करोड़) और (लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (₹ 3.33 करोड़)।	(b) For Grants-in-aid General to (i) Nehru Yuva Kendra Sanghatan (₹ 2.07 crore), (ii) Sports Authority of India (₹ 12.42 crore) and (iii) Laxmibai National Institute of Physical Education (₹ 3.33 crore).	-	17.82	17.82
(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु भारतीय खेल प्राधिकरण को सहायता अनुदान।	(c) For Grants-in-aid to Sports Authority of India for the benefit of North Eastern Region.	16.00	-	16.00
6. तत्काल आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से कुल 7.65 करोड़ रुपए के चार अग्रिमों की मंजूरी दी गई थी। इसकी प्रतिपूर्ति अनुदानों की पूरक मांगों की मंजूरी प्राप्त होने के पश्चात कर दी जाएगी।	6. Four advances aggregating ₹ 7.65 crore were sanctioned from the Contingency Fund of India for meeting immediate requirement. These will be recouped to the Fund after the Supplementary Demands for Grants are sanctioned.			
जोड़ सांकेतिक	Total Token	0.58	0.40	0.98
कुल जोड़	GRAND TOTAL	9,222.66	70,367.83	79,590.49
निवल नकद बहिर्वाह	Net Cash Outgo	6,291.25	62,627.36	68,918.61
तकनीकी पूरक	Technical Supplementary	2,930.83	7,740.07	10,670.90
सांकेतिक पूरक	Token Supplementary	0.58	0.40	0.98

विषय सूची CONTENTS

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		(करोड़ रुपए Rupees in crore)			
				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
कृषि मंत्रालय		MINISTRY OF AGRICULTURE					
1. कृषि और सहकारिता विभाग	स्वीकृत	1. Department of Agriculture and Cooperation	Voted	0.05	...	0.05	1-2
2. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	स्वीकृत	2. Department of Agricultural Research and Education	Voted	494.26	...	494.26	3-4
3. पशुपालन और डेरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग	स्वीकृत	3. Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries	Voted	0.01	...	0.01	5
परमाणु ऊर्जा विभाग		DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY					
4. परमाणु ऊर्जा	स्वीकृत	4. Atomic Energy	Voted	244.66	...	244.66	6-7
5. न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं	स्वीकृत	5. Nuclear Power Schemes	Voted	...	0.01	0.01	8
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS					
7. उर्वरक विभाग	स्वीकृत	7. Department of Fertilisers	Voted	8000.00	...	8000.00	9
नागर विमानन मंत्रालय		MINISTRY OF CIVIL AVIATION					
9. नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत	9. Ministry of Civil Aviation	Voted	0.01	...	0.01	10
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY					
11. वाणिज्य विभाग	भारित स्वीकृत	11. Department of Commerce	Charged	0.07	...	0.07	11-12
			Voted	2035.58	...	2035.58	
12. औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	स्वीकृत	12. Department of Industrial Policy and Promotion	Voted	0.02	...	0.02	13
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY					
13. डाक विभाग	भारित स्वीकृत	13. Department of Posts	Charged	0.40	0.59	0.99	14-15
			Voted	2097.84	...	2097.84	
14. दूरसंचार विभाग	स्वीकृत	14. Department of Telecommunications	Voted	1419.03	...	1419.03	16
15. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	15. Department of Information Technology	Voted	0.03	...	0.03	17
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION					
16. उपभोक्ता मामले विभाग	स्वीकृत	16. Department of Consumer Affairs	Voted	83.70	...	83.70	18
17. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	भारित स्वीकृत	17. Department of Food and Public Distribution	Charged	0.06	...	0.06	19-20
			Voted	3972.41	5000.01	8972.42	
कारपोरेट कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS					
18. कारपोरेट कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	18. Ministry of Corporate Affairs	Voted	0.01	...	0.01	21
संस्कृति मंत्रालय		MINISTRY OF CULTURE					
19. संस्कृति मंत्रालय	स्वीकृत	19. Ministry of Culture	Voted	32.64	...	32.64	22

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		(करोड़ रुपए Rupees in crore)			
				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
रक्षा मंत्रालय		MINISTRY OF DEFENCE					
20. रक्षा मंत्रालय	स्वीकृत	20. Ministry of Defence	Voted	609.37	310.52	919.89	23-24
21. रक्षा पेंशन	स्वीकृत	21. Defence Pensions	Voted	9000.00	...	9000.00	25
22. रक्षा सेवा-थल सेना	भारित	22. Defence Services - Army	Charged	0.40	...	0.40	26
	स्वीकृत		Voted	1659.78	...	1659.78	
23. रक्षा सेवा-नौसेना	स्वीकृत	23. Defence Services - Navy	Voted	548.74	...	548.74	27
24. रक्षा सेवा-वायु सेना	भारित	24. Defence Services - Air Force	Charged	0.89	...	0.89	28
25. रक्षा आयुध फैक्ट्रियां	भारित	25. Defence Ordnance Factories	Charged	1.00	...	1.00	29
26. रक्षा सेवाएं-अनुसंधान एवं विकास	भारित	26. Defence Services - Research and Development	Charged	0.15	...	0.15	30
	स्वीकृत		Voted	14.85	...	14.85	
27. रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	भारित	27. Capital Outlay on Defence Services	Charged	...	2.63	2.63	31
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय		MINISTRY OF EARTH SCIENCES					
29. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	स्वीकृत	29. Ministry of Earth Sciences	Voted	58.69	...	58.69	32-33
पर्यावरण और वन मंत्रालय		MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS					
30. पर्यावरण और वन मंत्रालय	भारित	30. Ministry of Environment and Forests	Charged	...	0.90	0.90	34-35
	स्वीकृत		Voted	0.04	...	0.04	
विदेश मंत्रालय		MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS					
31. विदेश मंत्रालय	स्वीकृत	31. Ministry of External Affairs	Voted	131.68	118.60	250.28	36-37
वित्त मंत्रालय		MINISTRY OF FINANCE					
32. आर्थिक कार्य विभाग	स्वीकृत	32. Department of Economic Affairs	Voted	0.03	0.01	0.04	38
33. वित्तीय सेवा विभाग	स्वीकृत	33. Department of Financial Services	Voted	3992.88	3537.00	7529.88	39-40
35. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	भारित	35. Transfers to State and Union Territory Governments	Charged	...	250.00	250.00	41
	स्वीकृत		Voted	1340.00	...	1340.00	
40. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	भारित	40. Indian Audit and Accounts Department	Charged	7.39	...	7.39	42
	स्वीकृत		Voted	171.15	8.15	179.30	
41. राजस्व विभाग	स्वीकृत	41. Department of Revenue	Voted	3359.81	0.10	3359.91	43-44
42. प्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	42. Direct Taxes	Voted	...	0.01	0.01	45
43. अप्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	43. Indirect Taxes	Voted	285.36	...	285.36	46
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES					
45. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	स्वीकृत	45. Ministry of Food Processing Industries	Voted	0.01	...	0.01	47
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE					
46. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	स्वीकृत	46. Department of Health and Family Welfare	Voted	0.04	...	0.04	48-49
47. आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)	स्वीकृत	47. Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)	Voted	93.07	7.90	100.97	50-54
48. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	स्वीकृत	48. Department of Health Research	Voted	0.01	...	0.01	55
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय		MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES					
49. भारी उद्योग विभाग	स्वीकृत	49. Department of Heavy Industry	Voted	1142.97	0.01	1142.98	56-57
50. सरकारी उद्यम विभाग	स्वीकृत	50. Department of Public Enterprises	Voted	0.30	...	0.30	58

				(करोड़ रुपए Rupees in crore)			
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
गृह मंत्रालय		MINISTRY OF HOME AFFAIRS					
51. गृह मंत्रालय	स्वीकृत	51. Ministry of Home Affairs	Voted	10.26	23.66	33.92	59-60
53. पुलिस	स्वीकृत	53. Police	Voted	1982.08	0.01	1982.09	61-62
54. गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	स्वीकृत	54. Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs	Voted	16.50	...	16.50	63-64
55. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	स्वीकृत	55. Transfers to Union Territory Governments	Voted	0.01	...	0.01	65
मानव संसाधन विकास मंत्रालय		MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT					
57. बुनियादी शिक्षा और साक्षरता विभाग	स्वीकृत	57. Department of School Education and Literacy	Voted	1557.93	...	1557.93	66-68
58. उच्चतर शिक्षा विभाग	स्वीकृत	58. Department of Higher Education	Voted	0.05	...	0.05	69-70
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय		MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING					
59. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	स्वीकृत	59. Ministry of Information and Broadcasting	Voted	0.01	186.92	186.93	71-72
श्रम और रोजगार मंत्रालय		MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT					
60. श्रम और रोजगार मंत्रालय	स्वीकृत	60. Ministry of Labour and Employment	Voted	84.68	...	84.68	73-74
विधि और न्याय मंत्रालय		MINISTRY OF LAW AND JUSTICE					
61. निर्वाचन आयोग	स्वीकृत	61. Election Commission	Voted	4.22	...	4.22	75
62. विधि और न्याय	स्वीकृत	62. Law and Justice	Voted	0.01	...	0.01	76
63. भारत का उच्चतम न्यायालय	भारित	63. Appropriation - Supreme Court of India	Charged	13.37	...	13.37	77
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय		MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES					
64. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	स्वीकृत	64. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	Voted	30.78	...	30.78	78-79
खान मंत्रालय		MINISTRY OF MINES					
65. खान मंत्रालय	स्वीकृत	65. Ministry of Mines	Voted	10.08	...	10.08	80
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय		MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY					
67. नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय		67. Ministry of New and Renewable Energy	Voted	0.01	...	0.01	81
अनिवासी भारतीय कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS					
68. अनिवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	68. Ministry of Overseas Indian Affairs	Voted	...	5.00	5.00	82
पंचायती राज मंत्रालय		MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ					
69. पंचायती राज मंत्रालय	स्वीकृत	69. Ministry of Panchayati Raj	Voted	1520.00	...	1520.00	83
संसदीय कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS					
70. संसदीय कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	70. Ministry of Parliamentary Affairs	Voted	1.45	...	1.45	84

		(करोड़ रुपए Rupees in crore)					
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय		MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS					
71. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	स्वीकृत	71. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions	Voted	11.05	...	11.05	85-86
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS					
72. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	स्वीकृत	72. Ministry of Petroleum and Natural Gas	Voted	21000.00	101.53	21101.53	87
योजना मंत्रालय		MINISTRY OF PLANNING					
73. योजना मंत्रालय	स्वीकृत	73. Ministry of Planning	Voted	0.02	...	0.02	88
विद्युत मंत्रालय		MINISTRY OF POWER					
74. विद्युत मंत्रालय	स्वीकृत	74. Ministry of Power	Voted	7.36	...	7.36	89
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय		THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE - PRESIDENT					
75. राष्ट्रपति के कर्मचारीवृंद, आवास और भत्ते	भारित	75. Appropriation - Staff, Household and Allowances of the President	Charged	2.96	...	2.96	90
77. राज्यसभा	भारित	77. Rajya Sabha	Charged	0.06	...	0.06	91
	स्वीकृत		Voted	0.01	...	0.01	
78. संघ लोक सेवा आयोग	भारित	78. Appropriation - Union Public Service Commission	Charged	10.29	...	10.29	92
79. उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	स्वीकृत	79. Secretariat of the Vice-President	Voted	0.21	...	0.21	93
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS					
80. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	स्वीकृत	80. Ministry of Road Transport and Highways	Voted	683.91	591.97	1275.88	94-95
ग्रामीण विकास मंत्रालय		MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT					
81. ग्रामीण विकास विभाग	स्वीकृत	81. Department of Rural Development	Voted	0.05	...	0.05	96-97
83. पेय जलापूर्ति और स्वच्छता विभाग (पूर्वनाम पेय जलापूर्ति विभाग)	स्वीकृत	83. Department of Drinking Water and Sanitation (Previously Department of Drinking Water Supply)	Voted	0.01	...	0.01	98
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY					
84. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	84. Department of Science and Technology	Voted	0.02	...	0.02	99
85. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	स्वीकृत	85. Department of Scientific and Industrial Research	Voted	2.01	...	2.01	100
86. जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	86. Department of Biotechnology	Voted	0.01	...	0.01	101
पोत परिवहन मंत्रालय		MINISTRY OF SHIPPING					
87. पोत परिवहन मंत्रालय	स्वीकृत	87. Ministry of Shipping	Voted	0.03	0.02	0.05	102-103
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय		MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT					
88. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	स्वीकृत	88. Ministry of Social Justice and Empowerment	Voted	0.02	25.00	25.02	104-105

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		(करोड़ रुपए Rupees in crore)			
				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय		MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION					
90. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	स्वीकृत	90. Ministry of Statistics and Programme Implementation	Voted	0.04	...	0.04	106
कपड़ा मंत्रालय		MINISTRY OF TEXTILES					
92. कपड़ा मंत्रालय	स्वीकृत	92. Ministry of Textiles	Voted	523.60	96.03	619.63	107-108
पर्यटन मंत्रालय		MINISTRY OF TOURISM					
93. पर्यटन मंत्रालय	स्वीकृत	93. Ministry of Tourism	Voted	0.01	...	0.01	109
जनजाति कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS					
94. जनजाति कार्य मंत्रालय	भारित स्वीकृत	94. Ministry of Tribal Affairs	Charged	6.86	...	6.86	110-111
			Voted	0.02	...	0.02	
संघ राज्य क्षेत्र (विधान-मंडल रहित)		UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)					
95. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	स्वीकृत	95. Andaman and Nicobar Islands	Voted	121.18	...	121.18	112-114
96. चंडीगढ़	भारित स्वीकृत	96. Chandigarh	Charged	13.32	...	13.32	115-118
			Voted	330.29	...	330.29	
97. दादरा और नगर हवेली	स्वीकृत	97. Dadra and Nagar Haveli	Voted	32.24	32.50	64.74	119-121
98. दमन और दीव	स्वीकृत	98. Daman and Diu	Voted	87.00	11.00	98.00	122-123
शहरी विकास मंत्रालय		MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT					
100. शहरी विकास विभाग	भारित स्वीकृत	100. Department of Urban Development	Charged	7.76	1.04	8.80	124-125
			Voted	0.02	408.13	408.15	
जल संसाधन मंत्रालय		MINISTRY OF WATER RESOURCES					
103. जल संसाधन मंत्रालय	स्वीकृत	103. Ministry of Water Resources	Voted	0.01	...	0.01	126
महिला और बाल विकास मंत्रालय		MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT					
104. महिला और बाल विकास मंत्रालय	स्वीकृत	104. Ministry of Women and Child Development	Voted	0.01	...	0.01	127
युवा मामले और खेल मंत्रालय		MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS					
105. युवा मामले और खेल मंत्रालय	स्वीकृत	105. Ministry of Youth Affairs and Sports	Voted	0.03	...	0.03	128-129
कुल जोड़		GRAND TOTAL		68871.24	10719.25	79590.49	
	भारित		Charged	64.98	255.16	320.14	
	स्वीकृत		Voted	68806.26	10464.09	79270.35	
अनुबंध		ANNEXURE					130-145

मांग संख्या DEMAND NO.1

कृषि और सहकारिता विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1, वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 1 तथा वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 1-2 देखिए)।

(See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011, page 1 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011 and page 1-2 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	15564.12	83.85	15647.97
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	2212.04	0.01	2212.05
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.05	...	0.05
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	17776.21	83.86	17860.07

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

					आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2401-फसल		2401- Crop					
कार्य	स्वीकृत	Husbandry	Voted:		0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02
2435-अन्य कृषि		2435- Other Agricultural					
कार्यक्रम	स्वीकृत	Programmes	Voted:		0.01 (गc)	...	0.01
2552-पूर्वोत्तर		2552-North					
क्षेत्र	स्वीकृत	Eastern Areas	Voted:		0.01 (घd)	...	0.01
3601-राज्य सरकारों को		3601- Grants-in-aid to					
सहायता अनुदान	स्वीकृत	State Governments	Voted:		0.01 (ङe)	...	0.01
जोड़ (प्रक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:		0.04	0.01	0.05

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है:

- (क) राष्ट्रीय जैव कृषि परियोजना के 'सामान्य सहायता अनुदान' (₹0.59 करोड़) और 'पूंजी परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान' (₹0.50 करोड़)।
- (ii) राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान को 'सामान्य सहायता अनुदान' (₹0.70 करोड़) और 'पूंजी परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान' (₹3.50 करोड़)।
- (iii) कृषि आर्थिक नीति और विकास निविष्टि संबंधी अध्ययन के तहत 'सामान्य सहायता अनुदान' (₹13 करोड़);
- (iv) एकीकृत तिलहन/ऑइलपाम/दालें तथा मक्का विकास (आईएसओपीओएम) के तहत 'सामान्य सहायता अनुदान' (₹167.75 करोड़);
- (v) 'राष्ट्रीय बाँस और व्यापार विकास मिशन के तहत 'सामान्य सहायता अनुदान' (₹15 करोड़)।
- (vi) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को अतिरिक्त परियोजनाओं/प्रस्तावों को हाथ में लेने के लिए पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹30 करोड़)।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- (a) (i) 'Grants-in-aid General' (₹ 0.59 crore) and 'Grants for creation of capital assets' (₹0.50 crore) under National Project on Organic Farming;
- (ii) 'Grants-in-aid General' (₹ 0.70 crore) and 'Grants for creation of capital assets' (₹3.50 crore) to National Institute of Plant Health Management;
- (iii) 'Grants-in-aid General' under Studies on input for Agricultural Economic Policy and development (₹13 crore);
- (iv) 'Grants-in-aid General' under Integrated Oilseeds/ Oilpalm/Pulses and Maize Development (ISOPOM) (₹167.75 crore);
- (v) 'Grants-in-aid General' under National Mission on Bamboo and Trade Development (₹15 crore);
- (vi) 'Grants for creation of capital assets' to National Horticulture Board (₹30 crore) for undertaking additional projects/proposals; and

(vii) नवविर्मित योजना 'राष्ट्रीय ई-शासन योजना कृषि कार्यान्वयन हेतु (₹10 करोड़)।	(vii) For implementation of newly formulated scheme 'National E-Governance Plan-Agriculture (₹10 crore).
चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।	As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख) राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना-1 के तहत 'सामान्य सहायता अनुदान' (₹2.73 करोड़)।	(b) 'Grants-in-aid General' under National Agricultural Extension Project-I (₹2.73 crore).
चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।	As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग) ग्रामीण भाण्डागारण के निर्माण के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹20 करोड़)। चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।	(c) Grants-in-aid General under Construction of Rural Godowns (₹20 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ) (i) राष्ट्रीय बाँस और व्यापार विकास मिशन के तहत 'सामान्य सहायता अनुदान' (₹30 करोड़)। (ii) किसानों के बागवानी उपकरणों सहित नवविकसित उपकरणों के प्रदर्शन और प्रशिक्षण की आउटसोर्सिंग के तहत 'सामान्य सहायता अनुदान' (₹5.50 करोड़)।	(d) (i) 'Grants-in-aid General' (₹30 crore) under National Mission on Bamboo and Trade Development; (ii) 'Grants-in-aid General' (₹5.50 crore) under Outsourcing of training and demonstration of newly developed equipments including horticulture equipments at farmers' field;
(iii) फसल-पशु प्रौद्योगिकी के तहत 'सामान्य सहायता अनुदान' (₹2.50 करोड़) और	(iii) 'Grants-in-aid General' (₹2.50 crore) under Post Harvest Technology; and
(iv) 'राष्ट्रीय ई-शासन योजना-कृषि' की नवनिर्मित योजना के कार्यान्वयन के लिए (₹1 करोड़)।	(iv) For implementation of newly formulated scheme 'National E-Governance Plan-Agriculture (₹1 crore).
चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।	As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ) 'राष्ट्रीय ई-शासन योजना कृषि' नामक नवनिर्मित योजना का कार्यान्वयन (1.00 करोड़)। चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक राशि के लिए पूरक की मांग की गई है।	(e) For implementation of newly formulated scheme 'National E-Governance Plan-Agriculture (₹1 crore). As savings are available within same section of the grant, supplementary for token amount is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 2

कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2 और वर्ष 2010-11 के अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 2 देखिए)।
(See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011, page 2 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	3825.55	...	3825.55
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	1074.00	...	1074.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	494.26	...	494.26
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	5393.81	...	5393.81

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2415-कृषि अनुसंधान और शिक्षा	स्वीकृत	2415-Agricultural Research and Education	Voted:	221.30 (का)	272.95 (खb)	494.25
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552-North Eastern Areas	Voted:	0.01 (गc)	..	0.01
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)				
	स्वीकृत		Voted:	221.31	272.95	494.26

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित हैं:

The supplementary grants are sought for following purposes:

- (क) फसल विज्ञान (₹6.80 करोड़), बागवानी (₹3.00 करोड़), कृषि विस्तार (₹226 करोड़), कृषि शिक्षा (₹4.00 करोड़), कृषि इंजीनियरिंग (₹0.63 करोड़), एएसआरबी और डीआईपीए सहित आईसीएआर मुख्यालय प्रशासन (₹1.10 करोड़), अन्य एनआरएम संस्थान (₹3.00 करोड़), पशु विज्ञान (₹4.68 करोड़) और मात्स्यिकी (₹10.00 करोड़) के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) को सामान्य सहायता अनुदान। चूंकि ₹37.91 करोड़ की बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं अतः इसमें ₹221.30 करोड़ का नगद व्यय होगा।
- (ख) (i) फसल विज्ञान (₹3.38 करोड़), बागवानी (₹2.50 करोड़), कृषि शिक्षा (₹0.19 करोड़), अर्थशास्त्र और सांख्यिकी (₹0.01 करोड़), कृषि इंजीनियरिंग (₹0.40 करोड़), एएसआरबी और डीआईपीए सहित आईसीएआर मुख्यालय प्रशासन (₹1.77 करोड़), मृदा और जल संरक्षण (₹0.24 करोड़), अन्य एनआरएम संस्थान (₹1.65 करोड़), पशु पालन (₹3.24 करोड़) और मात्स्यिकी (₹0.86 करोड़) हेतु आईसीएआर को पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान।
- (a) Grants-in-aid General to Indian Council for Agricultural Research (ICAR) for meeting additional expenditure under Crop Science (₹6.80 crore), Horticulture (₹3.00 crore), Agricultural Extension (₹226 crore), Agricultural Education (₹4.00 crore), Agricultural Engineering (₹0.63 crore), ICAR Hqrs. Admn. including ASRB & DIPA (₹1.10 crore), Other NRM Institutes (₹3.00 crore), Animal Science (₹4.68 crore) and Fisheries (₹10.00 crore). As savings of ₹37.91 crore is available within the same section of Grant, this will entail cash outgo of ₹221.30 crore.
- (b) (i) Grants for creation of capital assets to ICAR for Crop Science (₹3.38 crore), Horticulture (₹2.50 crore), Agricultural Education (₹0.19 crore), Economic & Statistics (₹0.01 crore), Agricultural Engineering (₹0.40 crore), ICAR Hqrs. Admn. including ASRB & DIPA (₹1.77 crore), Soil & Water Conservation (₹0.24 crore), Other NRM Institutes (₹1.65 crore), Animal Husbandary (₹3.24 crore) and Fisheries (₹0.86 crore).

ii) कृषि विज्ञान (₹153.09 करोड़), बागवानी (₹46.53 करोड़), कृषि विस्तार (₹0.87 करोड़), कृषि शिक्षा (₹0.16.06 करोड़) अर्थशास्त्र और सांख्यिकी (₹10.40 करोड़), कृषि इंजीनियरिंग (₹19.14 करोड़), मृदा और जल संरक्षण (₹10.63 करोड़), अन्य एनआरएम संस्थान (₹46.40 करोड़), पशु पालन (₹116.94 करोड़) और मात्स्यिकी (₹77.45 करोड़)।

(ii) Grants-in-aid General to ICAR for Crop Science (₹153.09 crore), Horticulture (₹46.53 crore), Agricultural Extension (₹0.87 crore), Agricultural Education (₹16.06 crore), Economic & Statistics (₹10.40 crore), Agricultural Engineering (₹19.14 crore), Soil & Water Conservation (₹10.63 crore), Other NRM Institutes (₹46.40 crore), Animal Husbandary (₹116.94 crore) and Fisheries (₹77.45 crore).

चूंकि ₹238.80 करोड़ रूपए की बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः इसमें ₹272.95 करोड़ रूपए का निवल नगद व्यय होगा।

As savings of ₹238.80 crore is available within the same section of the Grant, this will entail net cash outgo of ₹272.95 crore.

(ग) कृषि विस्तार आईसीएआर को सामान्य सहायता अनुदान (₹12.00 करोड़),। चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

(c) Grant-in-aid General to ICAR for Agricultural Extension (₹12.00 crore). As savings are available with the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.3

पशुपालन, डेयरी कार्य और मात्स्यिकी

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3, वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 3 तथा वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 3 देखिए)।

(See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011, page 3 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011 and page 3 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	1749.60	11.50	1761.10
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	0.02	...	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	1749.63	11.50	1761.13

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2403-पशु		2403- Animal				
पालन	स्वीकृत	Husbandry	Voted:	0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान राष्ट्रीय मवेशी और भैंस प्रजनन परियोजना (₹6.22 करोड़) और उप-शीर्ष आपूर्ति और सामग्री के तहत चारा फसलों संबंधी मिनीकिट्स परीक्षण कार्यक्रम योजना में विभिन्न राज्यों के कार्यान्वयनकारी एजेंसियों को सहायता प्रदान करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान के लिए माँगा गया है (₹15.00 करोड़)। चूँकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक माँगा गया है।

The supplementary grant is sought for Grants-in-aid General to provide assistance to different State Implementing Agencies in the Scheme of National Project for Cattle and Buffalo Breeding (₹6.22 crore) and in scheme of Minikits Testing Programme on Fodder Crops under Sub head Supplies and Materials (₹15.00 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.4

परमाणु ऊर्जा
ATOMIC ENERGY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 4, वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 4 तथा वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों के पृष्ठ 4-5 देखिए)।

(See page 4 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011, page 4 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011 and pages 4-5 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारत	Charged:	1.00	1.00	2.00
	स्वीकृत	Voted:	4852.22	2928.02	7780.24
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	भारत	Charged:	1.50	0.20	1.70
	स्वीकृत	Voted:	0.02	80.03	80.05
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	244.66	...	244.66
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		5099.40	3009.25	8108.65
	भारत	Charged:	2.50	1.20	3.70
	स्वीकृत	Voted:	5096.90	3008.05	8104.95

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत 3451-Secretariat Economic Services	Voted:	...	0.66 (का)	0.66
2852-उद्योग	स्वीकृत 2852-Industries	Voted:	...	21.72 (खb)	21.72
3401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	स्वीकृत 3401-Atomic Energy Research	Voted:	16.89 (गc)	205.39 (घd)	222.28
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत Total (Supplementary)	Voted:	16.89	227.77	244.66

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित के लिए मांगा गया है:

- (क) सचिवालय और अन्य कार्यालयों की स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
- (ख) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (₹18.31 करोड़) और विकिरण और समस्थानिक प्रौद्योगिकी बोर्ड (₹3.41 करोड़) की स्थापना संबंधी अतिरिक्त की पूर्ति हेतु।
- (ग) निम्नलिखित के लिए पूँजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (i) टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान (₹2.30 करोड़) (ii) भौतिकी संस्थान के तहत राष्ट्रीय विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (₹3 करोड़), और (iii) विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, सोसाइटियों और गैर-सरकारी संस्थानों को सहायता (₹11.59 करोड़)।

- (घ) निम्नलिखित के लिए वेतन और भत्तों सहित स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (i) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (₹73.66 करोड़), (ii) इंदिरा गाँधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र (₹19.72 करोड़), (iii) राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केन्द्र (₹26.04 करोड़), (iv) क्रय और स्टोर निदेशालय (₹7.25 करोड़), (v) सामान्य सेवा संगठन (₹8.57 करोड़), (vi) परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय (₹21.01 करोड़),

The supplementary grant is sought for:

- (a) meeting additional establishment related expenditure of Secretariat and other offices.
- (b) meeting additional establishment related expenditure of Bhabha Atomic Research Centre (₹18.31 crore) and Board of Radiation and Isotope Technology (₹3.41 crore).
- (c) Grants for creation of Capital Assets to (i) Tata Institute of Fundamental Research (₹2.30 crore), (ii) National Institute of Science, Education and Research under Institute of Physics (₹3 crore), and (iii) Assistance to Universities, Research Institutions, Societies and Non-Governmental Institutions (₹11.59 crore).
- (d) meeting additional establishment related expenditure including pay and allowances for (i) Bhabha Atomic Research Centre (₹73.66 crore), (ii) Indira Gandhi Centre for Atomic Research (₹19.72 crore), (iii) Raja Ramanna Centre for Advanced Technology (₹26.04 crore), (iv) Directorate of Purchase and Stores (₹7.25 crore), (v) General Services Organisation (₹8.57 crore),

(vii) भवन-निर्माण, सेवा और संपदा प्रबंधन निदेशालय (₹6.31 करोड़), और (viii) निम्नलिखित के लिए स्थापना संबंधी व्यय के संबंध में सहायता अनुदान (1) टाटा स्मारक केन्द्र (₹42.81 करोड़), (2) गणित विज्ञान संस्थान (₹0.01 करोड़), (3) परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसाइटी (₹0.01 करोड़)।

चूँकि अनुदान के पूँजी स्वीकृत भाग में उपलब्ध ₹244.66 करोड़ की समतुल्य बचतों को अभ्यर्पित किया जाएगा, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(vi) Atomic Minerals Directorate of Exploration and Research (₹21.01 crore), (vii) Directorate of Construction, Services and Estate Management (₹6.31 crore), and (viii) Grants-in-aid General towards establishment related expenditure for (1) Tata Memorial Centre (₹42.81 crore), (2) Institute of Mathematical Sciences (₹0.01 crore), (3) Atomic Energy Education Society (₹0.01 crore).

As equivalent savings of ₹244.66 crore available in the Capital Voted Section of the Grant will be surrendered, this will not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 5

नाभिकीय विद्युत योजनाएं
NUCLEAR POWER SCHEMES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 5 और वर्ष 2010-2011 के अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 6 देखिए)।
 (See page 5 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011 and page 6 of Second Supplementary Demands for Grants of the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	2382.59	1450.40	3832.99
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत	Total (Original plus Supplementary) Voted:	2382.60	1450.41	3833.01

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
6801-विद्युत परियोजनाओं		6801- Loans for Power				
को ऋण	स्वीकृत	Projects	Voted:	0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लि. के तहत कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना के लिए ईंधन व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है (₹ 28.09 करोड़)। चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

The supplementary grant is sought for meeting expenditure for Fuels for Kudankulam Nuclear Power Project under Nuclear Power Corporation of India Limited (₹ 28.09 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token Supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.7

उर्वरक विभाग

DEPARTMENT OF FERTILISERS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 7, 2010-11 के अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 6 और 2010-11 के अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 8 देखिए)।

(See page 7 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011, page 6 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011 and page 8 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	52865.46	209.54	53075.00
पूरक अनुदान		SUPPLEMENTARY GRANT			
	स्वीकृत	Voted:	5000.01	...	5000.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	8000.00	...	8000.00
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	65865.47	209.54	66075.01

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2401-फसल कार्य	स्वीकृत	2401-Crop Husbandry	Voted:	...	8000.00
					8000.00

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु है:

The supplementary grant is required for the following purposes:

(i) आयातित विनियंत्रित उर्वरकों पर सब्सिडी (₹4350.00 करोड़) और

(i) subsidy on imported decontrolled fertilizers (₹4350.00 crore); and

(ii) देशी विनियंत्रित उर्वरकों पर सब्सिडी (₹3650.00 करोड़)

(ii) subsidy on indigenous decontrolled fertilizers (₹3650.00 crore).

इसमें नकद व्यय होगा।

This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.9

नागर विमानन मंत्रालय
MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9 और वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 8 देखिए)।
 (See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011 and page 8 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	1456.34	1428.70	2885.04
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	19.01	...	19.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	1475.36	1428.70	2904.06

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

राजस्व भाग मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
3053-नागर विमानन	स्वीकृत	3053-Civil Aviation	Voted:	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant is required for the following purposes:

(क) हज प्रचालन 2010 के लिए एअर इंडिया को भुगतान हेतु (₹ 70 करोड़)।

(a) For payment to Air India for Haj Operation 2010 (₹ 70 crore).

(ख) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (आईजीआरयूए) को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (₹ 1.88 करोड़)।

(b) To provide Grants-in-aid to Indira Gandhi Rashtriya Uran Academy (IGRUA) (₹ 1.88 crore).

चूंकी बचतें अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध हैं अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.11

वाणिज्य विभाग
DEPARTMENT OF COMMERCE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 11 और वर्ष 2010-2011 के अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 9 देखिए)।
(See page 11 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011 and page 9 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	1.00	...	1.00
	स्वीकृत	Voted:	3300.56	682.99	3983.55
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	658.51	...	658.51
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित	Charged:	0.07	...	0.07
	स्वीकृत	Voted:	2035.58	...	2035.58
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		5995.72	682.99	6678.71
	भारित	Charged:	1.07	...	1.07
	स्वीकृत	Voted:	5994.65	682.99	6677.64

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2057-आपूर्ति एवं निपटान	2057-Supplies and Disposals	Voted:	...	1.83(का)	1.83
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	Voted:	0.01(खb)	...	0.01
3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ	3451-Secretariat-Economic Services	Voted:	...	3.40(गc)	3.40
3453-विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन	3453-Foreign Trade and Export Promotion	Charged:	0.07(घd)	...	0.07
		Voted:	0.01(ङ e)	2030.33(चf)	2030.34
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		0.09	2035.56	2035.65
	भारित	Charged:	0.07	...	0.07
	स्वीकृत	Voted:	0.02	2035.56	2035.58

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित के लिए माँगा गया है:

- (क) आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय द्वारा वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु रबड़ बोर्ड को सब्सिडी प्रदान करने हेतु (10.00 करोड़ रुपए)। चूँकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।
- (ग) सचिवालय के वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant/appropriation is sought for:

- (a) meeting additional expenditure for salary by the Directorate General of Supplies and Disposals. This will entail cash outgo.
- (b) providing subsidy to Rubber Board (₹10.00 crore) for the benefit of North Eastern Region and Sikkim. As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) meeting additional expenditure for salary of Secretariat. This will entail cash outgo.

(घ) विदेश व्यापार निदेशालय द्वारा नकद क्षतिपूर्ति सहायता योजना के तहत न्यायालय के आदेश से होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। चूँकि अनुदान के राजस्व भाग (स्वीकृत) से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(ङ) निम्नलिखित को "संस्थानों को सहायता" योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (i) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (8 करोड़ रुपए); और (ii) भारतीय पैकेजिंग संस्थान (2 करोड़ रुपए)। चूँकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

(च) (i) सम निर्यातों पर शुल्क वापसी, आवधिक उत्पाद शुल्क और विदेश व्यापार महानिदेशालय कार्यालय द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर के लम्बित दावों का निपटान (2,000 करोड़ रुपए); और

(ii) विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय, व्यापार आयुक्त और विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा वेतन, संशोधित आशवासित जीवन वृत्ति प्रगति योजना और छुट्टी यात्रा रियायत संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (30.33 करोड़ रुपए)

इसमें 2030.33 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

(d) meeting expenses arising out of a court decree under Cash Compensatory Support Scheme by the Directorate General of Foreign Trade. As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue Section (Voted) of the Grant, there will be no cash outgo.

(e) providing Grants-in-Aid General within the scheme "Assistance to Institutions" to (i) Indian Institute of Foreign Trade (₹8 crore); and (ii) Indian Institute of Packaging (₹2 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token Supplementary is sought.

(f) (i) clearance of pending claims of Duty Drawback on Deemed Exports, Terminal Excise Duty and Central Sales Tax by the office of Directorate General of Foreign Trade (₹2,000 crore); and

(ii) meeting additional expenditure for Salaries, Modified Assured Career Progression Scheme and Leave Travel Concession by the Directorate General of Foreign Trade, Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, Trade Commissioners and Special Economic Zones (₹30.33 crore).

This will entail cash outgo of ₹2030.33 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 12

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12, वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 10 तथा वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 9 देखिए)।

(See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011, page 10 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011 and page 9 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	1198.91	10.00	1208.91
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	भारित	Charged:	46.10	...	46.10
	स्वीकृत	Voted:	0.04	...	0.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1245.07	10.00	1255.07
	भारित	Charged:	46.10	...	46.10
	स्वीकृत	Voted:	1198.97	10.00	1208.97

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2852-उद्योग	स्वीकृत	2852- Industries	Voted:	0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु आवश्यक है:

(क) गुजरात, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटन और गोवा के नमक उत्पादन क्षेत्रों में 880 घरों के निर्माण के लिए नमक आयुक्त द्वारा 'नमक मजदूर आवास योजना' के कर्तव्यचयन के संबंध में आवश्यकता की पूर्ति के लिए (₹0.99 करोड़);

(ख) राष्ट्रीय सीमेंट और भवन सामग्री परिषद (₹2 करोड़), केन्द्रीय विनिर्माण तकनीकी संस्थान (₹1.49 करोड़) और लुग्दी और कागज उद्योग विकास परिषद (₹1 करोड़) के कर्मचारियों के वेतन, उपदान और अन्य संस्थापन संबंधी व्यय के भुगतान के संबंध में अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।

अनुदान के राजस्व भाग के अन्तर्गत उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

(a) To meet the requirement towards implementation of the scheme 'Namak Mazdoor Awas Yojana' by Salt Commissioner for construction of 880 houses in salt producing areas of Gujarat, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Orissa, Rajasthan, Maharashtra, West Bengal, Karnataka and Goa (₹ 0.99 crore) ;

(b) To provide additional grants-in-aid towards payment of salary, gratuity and other establishment related expenses for the employees of National Council for Cement and Building Material (₹ 2 crore), Central Manufacturing Technical Institute (₹ 1.49 crore) and Development Council for Pulp and Paper Industry (₹ 1 crore)

Taking into account the savings available within the Revenue Section of the Grant, token supplementary is sought in each case.

मांग संख्या DEMAND NO. 13

डाक विभाग

DEPARTMENT OF POSTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-11 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 13 और वर्ष 2010-11 के अनुदानों के पहले बैच की पूरक मांगों का पृष्ठ 12 और वर्ष 2010-11 के अनुदानों के दूसरे बैच की पूरक मांगों का पृष्ठ 10 देखिए)।

(See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011, page 12 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-11 and page 10 of the Second Supplementary Demands for the grants 2010-11).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.10	...	0.10
	स्वीकृत	Voted:	11328.68	329.55	11658.23
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	भारित	Charged:	0.70	0.08	0.78
	स्वीकृत	Voted:	0.11	145.00	145.11
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित	Charged:	0.40	0.59	0.99
	स्वीकृत	Voted:	2097.84	...	2097.84
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		13427.83	475.22	13903.05
	भारित	Charged:	1.20	0.67	1.87
	स्वीकृत	Voted:	13426.63	474.55	13901.18

II. इस पूरक विनियोग अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Appropriation/Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas				
	स्वीकृत	Voted:	94.45 (क)	...	94.45
3201-डाक सेवाएं	3201-Postal Services				
	भारित	Charged:	...	0.40 (ख)	0.40
	स्वीकृत	Voted:	...	2003.39 (ग)	2003.39
जोड़ राजस्व भाग	Total Revenue Section		94.45	2003.79	2098.24
	भारित	Charged:	...	0.40	0.40
	स्वीकृत	Voted:	94.45	2003.39	2097.84
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5201-डाक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	5201-Capital Outlay on Postal Services				
	भारित	Charged:	0.59 (घ)	...	0.59
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		95.04	2003.79	2098.83
	भारित	Charged:	0.59	0.40	0.99
	स्वीकृत	Voted:	94.45	2003.39	2097.84

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकता के उपरोक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई अतिरिक्त कूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the additional recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3201-डाक सेवाएं	3201-Postal Services		(-) 129.93	(-) 129.93

यह पूरक विनियोग/अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है :-

The supplementary appropriation/grant is sought for the following purposes:

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/योजनाओं के संबंध में प्रावधान में वृद्धि करने हेतु ₹94.45 करोड़ ;

(a) ₹94.45 crore for augmentation of provision towards projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim;

(ख) उच्च न्यायालय, कोलकाता द्वारा दिए गए पंचाट की अनुपालना में किराए की बकाया राशि के भुगतान के संबंध में ₹0.40 करोड़।

(b) ₹0.40 crore towards making payment of arrears of rent in satisfaction of an award given by High Court, Kolkata;

(ग) वेतन (₹1181.15 करोड़), पेंशन (₹1050 करोड़) और अन्य परिचालनात्मक व्यय (₹14.89 करोड़) के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु ₹2246.04 करोड़। अनुदान के राजस्व आयोजना भाग में उपलब्ध ₹242.65 करोड़ की बचतों को देखते हुए शेष ₹2003.39 करोड़ की राशि के लिए पूरक अनुदान मांगा गया है।

(c) ₹2246.04 crore towards meeting additional expenditure under salaries (₹1181.15 crore), pensions (₹1050 crore) and other operational expenses (₹14.89 crore). After taking into account the savings of ₹242.65 crore available in the Revenue Plan section of the grant, supplementary for the balance amount of ₹2003.39 crore is sought;

अतिरिक्त वसूलियों (₹129.93 करोड़) और अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों (₹176.98 करोड़) को देखते हुए पूरक राजस्व भाग के अन्तर्गत पूरक में नकद व्यय ₹1791.33 करोड़ होगा।

After taking into account the additional recoveries (₹129.93 crore) and the savings available under capital section (₹176.98 crore) of the grant, the supplementary under Revenue Section will entail ₹1791.33 crore as cash outgo.

(घ) 'डाकघरों के कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्किंग' के तहत न्यायालय के फैसले से होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु ₹0.59 करोड़। इसकी प्रतिपूर्ति समतुल्य बचतों द्वारा की जाएगी जिसका अभ्यर्पण अनुदान के स्वीकृत भाग के तहत किया जाएगा।

(d) ₹0.59 crore towards meeting additional expenditure arising out a court decree under 'Computerization & Networking of Post Offices'. This is matched by equivalent savings, which will be surrendered, under the voted section of the grant.

मांग संख्या DEMAND NO.14

दूर संचार विभाग

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 14, वर्ष 2010-11 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 13 और वर्ष 2010-11 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 11 देखिए)।

(See page 14 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011, page 13 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011 and page 11 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2010-11).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	7925.92	1684.95	9610.87
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	1230.56	...	1230.56
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	1419.03	...	1419.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		10575.51	1684.95	12260.46
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	10575.51	1684.95	12260.46

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3275-अन्य संचार सेवाएं	3275- Other Communication				
	स्वीकृत	Services	Voted:	...	1419.03
				1419.03	1419.03
	टिप्पणी:	उपर्युक्त अनुमानों में निम्नलिखित वसूलियां शामिल नहीं हैं जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।			
	Note:	The above estimates do not include the recoveries, which are adjusted in reduction of expenditure.			
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3275-अन्य संचार सेवाएं	3275- Other Communication				
		Services	...	(-)700.00	(-)700.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है:

(i) सार्वभौम सेवा वाध्यता निधि (यूएसओएफ) को ₹ 700 करोड़ की अतिरिक्त राशि के अन्तरण हेतु और सार्वभौम सेवा वाध्यता से दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को क्षतिपूर्ति के रूप ₹ 700 करोड़ के भुगतान हेतु;

(ii) भारतीय टेलिफोन उद्योग लिमिटेड के कार्यकारी मर्जिन के संबंध में ₹ 180 करोड़ का अनुदान प्रदान करने हेतु।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध ₹ 160.97 करोड़ के बचतों के समंजन के बाद, ₹ 1419.03 करोड़ रुपए के शेष राशि के लिए पूरक मांगा गया है।

अतिरिक्त वसूलियों और अनुदान के पूंजी भाग के अन्तर्गत उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए इस पूरक में नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is required for the following purposes:

(i) For transferring an additional sum of ₹ 700 crore to Universal Service Obligation Fund (USOF) and for payment of ₹ 700 crore from USOF as compensation to telecom service providers under Universal Service obligation;

(ii) For providing a grant of ₹ 180 crore towards working margin of Indian Telephone Industries Limited.

After setting off the savings of ₹ 160.97 crore available in the revenue section of the grant, supplementary for the balance amount of ₹ 1419.03 crore is sought.

This supplementary will not entail cash outgo considering the additional recoveries and savings available within the Capital Section of the Grant.

मांग संख्या DEMAND NO.15

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 15 और वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 14 देखिए)।
(See page 15 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011 and page 14 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	2546.00	161.00	2707.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	1012.00	...	1012.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	0.03	...	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	3558.03	161.00	3719.03

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Area	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
2852-उद्योग	2852-Industries	Voted:	0.01 (खb)	...	0.01
3453-विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन	3453-Foreign Trade and Export Promotion	Voted:	...	0.01 (गc)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	0.02	0.01	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु आवश्यक है:

- (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ के लिए चालू राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) कार्यक्रम (₹ 25 करोड़ रुपए) और मीडिया लेब एशिया (₹ 1 करोड़) के कार्यान्वयन में सहायता के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
- (ख) मौजूदा एनकेएन कार्यक्रम (₹ 225 करोड़) और मीडिया लेब एशिया (₹ 3.30 करोड़) के कार्यान्वयन में सहायता के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
- (ग) 2004-2005 से 2010-2011 की अवधि के लिए भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों (एसटीपीआई) और इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों (ईएचटीपी) में लंबित केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) प्रतिपूर्ति दावों के निपटान के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 60.60 करोड़)।

चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

The supplementary grant is required:

- (a) For meeting additional expenditure to support implementation of ongoing National Knowledge Network (NKN) programme (₹ 25 crore) and Media Lab Asia (₹ 1 crore) for the benefit of North Eastern Region.
- (b) For meeting additional expenditure to support implementation of ongoing NKN programme (₹ 225 crore) and Media Lab Asia (₹ 3.30 crore).
- (c) For meeting additional expenditure for clearance of Central Sales Tax (CST) reimbursement claims pending with the Software Technology Parks of India (STPI) and the Electronics Hardware Technology Parks (EHTP) for the period from 2004-2005 to 2010-2011 (₹ 60.60 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

मांग संख्या DEMAND NO.16

उपभोक्ता मामले विभाग

DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 16, 2010-2011 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 15 और वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 12 देखिए)।

(See page 16 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011, page 15 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011 and page 12 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	457.66	31.34	489.00
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	150.07	...	150.07
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	83.70	...	83.70
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)Voted:	691.43	31.34	722.77

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2408-खाद्य, भण्डारण और भाण्डागारण	स्वीकृत	2408-Food, Storage and Warehousing	Voted:	...	83.70
				83.70	83.70

यह पूरक अनुदान दालों के आयातों के संबंध में सब्सिडियों (₹ 100 करोड़) की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। चूंकि ₹ 16.30 करोड़ की बचतों अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध हैं, अतः ₹ 83.70 करोड़ की शेष राशि के लिए पूरक अपेक्षित है। पूंजी भाग के तहत ₹ 3.05 करोड़ की बचतों को ध्यान में रखने के बाद, जो अभ्यर्पित की जाएंगी, इस पूरक में ₹ 80.65 करोड़ का निवल नगद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for meeting the additional requirement on subsidies (₹ 100 crore) towards Import of Pulses. As savings of Rs.16.30 crore is available within the Revenue Section of the Grant, supplementary is sought for the balance amount of ₹ 83.70 crore. After taking into account savings of ₹ 3.05 crore under Capital Section, which will be surrendered, the supplementary will entail a net cash outgo of ₹ 80.65 crore.

मांग संख्या DEMAND NO.17

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 17, वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 17 तथा वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 13 देखिए)।

(See page 17 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011, page 17 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011 and page 13 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	1.07	...	1.07
	स्वीकृत	Voted:	56650.68	10973.06	67623.74
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	भारित	Charged:	0.01	...	0.01
	स्वीकृत	Voted:	5984.27	5000.01	10984.28
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित	Charged:	0.06	...	0.06
	स्वीकृत	Voted:	3972.41	5000.01	8972.42
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		66608.50	20973.08	87581.58
	भारित	Charged:	1.14	...	1.14
	स्वीकृत	Voted:	66607.36	20973.08	87580.44

II. इस पूरक विनियोग/अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Appropriation/Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2408-खाद्य, भण्डारण और	2408- Food, Storage and				
भाण्डागारण	Warehousing	Voted:	...	3972.40 (का)	3972.40
3456-नागरिक	3456- Civil				
आपूर्ति	Supplies	Charged:	...	0.06 (ख)	0.06
3601-राज्य सरकारों को	3601- Grants-in-aid to				
सहायता अनुदान	State Governments	Voted:	0.01 (ग)	...	0.01
जोड़ राजस्व भाग	Total Revenue Section		0.01	3972.46	3972.47
	भारित	Charged:	...	0.06	0.06
	स्वीकृत	Voted:	0.01	3972.40	3972.41
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
6408-खाद्य भण्डारण और	6408- Loans for Food Storage				
भाण्डागारण को ऋण	and Warehousing	Voted:	...	5000.00 (घ)	5000.00
6860-उपभोक्ता उद्योगों	6860- Loans for				
को ऋण	Consumer Industries	Voted:	...	0.01 (ङ)	0.01
जोड़ पूंजी भाग	Total Capital Section	Voted:	...	5000.01	5000.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		0.01	8972.47	8972.48
	भारित	Charged:	...	0.06	0.06
	स्वीकृत	Voted:	0.01	8972.41	8972.42

यह पूरक विनियोग/अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है:

The supplementary appropriation/grant is required for the following purposes:

- (क) (i) सरकारी निर्णयों और बकाया दावों के निपटान की वजह से अतिरिक्त उठाव के कारण ₹4575.00 करोड़ की खाद्य सब्सिडी भारत खाद्य निगम को प्रदान करने हेतु।
(ii) गन्ना सांविधिक न्यूनतम मूल्य (एसएमपी) का प्रतिस्थापन उचित

- (a) (i) For providing Food Subsidy to Food Corporation of India of ₹ 4575.00 crore on account of additional offtake due to Government decisions and to clear pending claims.
(ii) Sugar subsidy payable due to replacement of sugarcane

और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) ₹463.85 करोड़ से करने के कारण देय गन्ना सब्सिडी।	Statutory Minimum Price (SMP) by Fair and Remunerative Price (FRP) (₹ 463.85 crore).
(iii) एसयू (टीओएम) अधिनियम, 1978 के तहत अनधिसूचित गन्ना मिलों के लिए ₹4.00 करोड़ की सब्सिडी।	(iii) Subsidy for sugar mills denotified under SU(TOM) Act, 1978 (₹4.00crore).
(iv) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के माध्यम से वितरण हेतु खाद्य तेल आयात के लिए सब्सिडी (₹178.00 करोड़)।	(iv) Subsidy for import of edible oils for distribution through States /UT Governments (₹ 178.00 crore).
चूंकि ₹1248.45 करोड़ की बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध है अतः इसमें ₹3972.40 करोड़ का नगद व्यय होगा।	As savings of ₹1248.45 crore are available within the same section of the Grant, this will entail cash outgo of ₹ 3972.40 crore.
(ख) भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्मित केन्द्रीय सतर्कता समिति के वेतन व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नगद व्यय (₹0.06 करोड़) होगा।	(b) For meeting salary expenses on Central Vigilance Committee constituted as per the direction of Supreme Court of India This will entail cash outgo (₹ 0.06 crore).
(ग) प्रचार और जागरूकता अभियान के लिए बिहार, केरल और त्रिपुरा राज्यों को सहायता देना (₹0.354 करोड़)। चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।	(c) For extending assistance to States of Bihar, Kerala & Tripura for undertaking publicity- cum- awareness campaign (₹0.354 crore). As savings are available within the same Section of Grant, a token Supplementary is sought.
(घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अधिप्राप्ति प्रचालनों हेतु भारतीय खाद्य निगम को ₹5000.00 करोड़ के अल्पावधिक ऋण देने हेतु। इसमें नगद व्यय होगा।	(d) For extending short term loan of ₹5000.00 crore to Food Corporation of India for procurement operations under targeted public distribution system . This will entail cash outgo.
(ङ) चीनी मिलों को गन्ना विकास हेतु अतिरिक्त ऋण प्रदान करने हेतु (₹25.00 करोड़)। चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।	(e) For providing additional loan for Cane Development to Sugar Mills (₹25.00 crore). As savings are available within the same Section of Grant, a token Supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.18

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 18 और वर्ष 2010-11 के अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 18 देखिए)
 (See page 18 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011 and page 18 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-11)

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	203.01	249.01
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	49.36	49.36
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	203.02	298.38

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	3475-Other General Economic Services			
	स्वीकृत	Voted:	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान नव सृजित कार्यालय अन्तर्गत (i) कॉरपोरेट कार्य महानिदेशक (₹0.06 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपील न्यायाधिकरण (₹0.0089 करोड़) की स्थापना संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है।

चूँकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

The supplementary grant is required for meeting establishment related expenditure of the newly created offices, i.e. (i) Director General of Corporate Affairs (₹0.06 crore) and (ii) National Company Law Appellate Tribunal (₹0.0089 crore)

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.19

संस्कृति मंत्रालय
MINISTRY OF CULTURE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19 वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 19 और 2010-11 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 15 देखिए)।

(See page 19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011, page 19 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011 and page 15 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	1195.00	43.00	1238.00
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	83.22	...	83.22
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	32.64	...	32.64
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	1310.86	43.00	1353.86

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

राजस्व भाग मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
2205-कला और संस्कृति	स्वीकृत	2205- Art and Culture	Voted:	19.90 (का)	12.74 (खb)	32.64

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है:

This supplementary grant is required for the following purposes:

(क) यह अतिरिक्त व्यय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (₹ 17.90 करोड़) को विभिन्न कार्यकलापों और राष्ट्रीय स्मारक और पुरातत्व मिशन (₹ 2.00 करोड़) के लिए आवश्यक है। इसमें नगद व्यय होगा।

a. Additional expenditure is required for various activities of the Archaeological Survey of India (₹ 17.90 crore) and for National Mission on Monuments and Antiquities (₹ 2.00 crore). This will entail cash outgo.

(ख) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण वेतन, मंहगाई भत्ते, सेवानिवृत्ति लाभों, एमएसीपी के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु निम्नलिखित संस्थानों को सामान्य सहायता अनुदान:

b. Grants-in-aid General to the following institutions to meet additional expenditure on salaries, DA, retirement benefits, MACP etc. on account of implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations:

- (i) केन्द्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान वाराणसी (₹ 2.50 करोड़)।
- (ii) एशियाटिक सोसायटी कोलकाता (₹ 1.55 करोड़)।
- (iii) नव नालंदा महावीर और ह्वेनसांग स्मारक हॉल (₹ 0.90 करोड़)।
- (iv) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी (₹ 1.71 करोड़)।
- (v) सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद (₹ 2.44 करोड़)।
- (vi) भारतीय संग्रहालय (₹ 3.64 करोड़)।

- (i) Central Institute of Higher Tibetan Studies, Varanasi (₹ 2.50 crore).
- (ii) The Asiatic Society, Kolkata (₹ 1.55 crore).
- (iii) Nav Nalanda Mahavira and Huen Tsang Memorial Hall (₹ 0.90 crore).
- (iv) Delhi Public Library (₹ 1.71 crore).
- (v) Salarjung Museum, Hyderabad (₹ 2.44 crore).
- (vi) Indian Museum (₹ 3.64 crore).

इसमें नगद व्यय होगा।

This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 20

रक्षा मंत्रालय

MINISTRY OF DEFENCE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 20, वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 23 और वर्ष 2010-11 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 16 और 17 देखिए)।

(See page 20 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011, page 23 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-11 and pages 16 and 17 of Second Supplementary Demands for Grants of the year 2010-11).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.24	...	0.24
	स्वीकृत	Voted:	11245.89	1181.72	12427.61
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	भारित	Charged:	0.01	0.19	0.20
	स्वीकृत	Voted:	40.02	...	40.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	609.37	310.52	919.89
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		11895.53	1492.43	13387.96
	भारित	Charged:	0.25	0.19	0.44
	स्वीकृत	Voted:	11895.28	1492.24	13387.52

II. इस पूरक विनियोग अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2052-सचिवालय सामान्य	2052-Secretariat General				
सेवाएं	Services	Voted:	...	53.35 (का)	53.35
2055-पुलिस	2055-Police	Voted:	...	103.34 (खब)	103.34
2852-उद्योग	2852-Industries	Voted:	...	452.68 (गक)	452.68
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		...	609.37	609.37
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4047-अन्य राजकोषीय	4047-Capital Outlay				
सेवाओं पर	on Other Fiscal				
पूंजी परियोजना	Services	Voted:	...	87.16 (घद)	87.16
6858-इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए ऋण	6858-Loans for Engineering Industries	Voted:	...	222.36 (झे)	222.36
7615-विविध ऋण	7615-Miscellaneous Loans	Voted:	...	1.00 (चफ)	1.00
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)		...	310.52	310.52
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		...	919.89	919.89
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	...	919.89	919.89

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित हैं :-

The supplementary grants are sought for the following purposes:

- | | |
|--|---|
| <p>(क) रक्षा मंत्रालय के सचिवालय, छावनी बोर्डों और अन्य अधीनस्थ कार्यालयों के वेतनों और अन्य संस्थापन संबंधी व्यय के ₹ 55.21 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के संबंध में। अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध ₹ 1.86 करोड़ की बचतों को ध्यान में रखने के बाद, शेष राशि के लिए पूरक अपेक्षित है (₹ 53.35 करोड़);</p> <p>(ख) जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैंट्री (जेएकेएलआई) के सन्दर्भ में वेतन और भत्तों पर ₹ 103.34 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के संबंध में;</p> <p>(ग) कम्पनी की वित्तीय पुनर्संरचना के तहत बकाया देयों का समापन, सीमा शुल्क भुगतान आदि परिनिर्धारण के संबंध में हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को ₹ 452.68 करोड़ की राशि की सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु;</p> <p>(घ) तटरक्षक संगठन द्वारा विमान अधिग्रहण के संबंध में ₹ 100 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के संबंध में। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 12.84 करोड़ की बचतों को शामिल करने के बाद शेष राशि के लिए पूरक की मांग की गई है;</p> <p>(ङ) (i) ₹ 0.01 करोड़ के सांकेतिक पूरक की मांग हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के पक्ष में ₹ 149.87 करोड़ के बकाया ऋण को स्थाई ऋण में परिवर्तित करने हेतु की गई है। (ii) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के पक्ष में ब्याज और गारंटी शुल्क को स्थायी ऋण में परिवर्तित करने हेतु ₹ 222.35 करोड़ अपेक्षित है। चूंकि इसे समतुल्य प्राप्ति से पूरा किया जाएगा, अतः इसमें कोई नगद व्यय नहीं होगा;</p> <p>(च) कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट की यूनिट संचालित कैंटीनों को ₹ 1 करोड़ का ऋण प्रदान करने हेतु।</p> <p>इस पूरक में के ₹ 697.53 करोड़ का नगद व्यय होगा।</p> | <p>(a) Towards meeting additional expenditure of ₹ 55.21 crore on account of salaries and other establishment related expenditure of the Secretariat, Cantonment Boards and other subordinate offices of Ministry of Defence. After taking into account the savings of ₹ 1.86 crore available in the Revenue section of the grant, supplementary for the balance amount is sought (₹ 53.35 crore);</p> <p>(b) Towards meeting additional expenditure of ₹ 103.34 crore on pay and allowances in respect of Jammu and Kashmir Light Infantry (JAKLI);</p> <p>(c) For providing grants-in-aid amounting to ₹ 452.68 crore to Hindustan Shipyard Limited towards liquidation of outstanding dues, payment of customs duty, etc. under financial restructuring of the company.</p> <p>(d) Towards meeting additional expenditure of ₹ 100 crore on acquisition of aircrafts by Coast Guard Organisation. Taking into account the savings of ₹ 12.84 crore available in the Capital Section of the Grant, supplementary for the balance amount is sought;</p> <p>(e) (i) A token supplementary of ₹ 0.01 crore is sought for conversion of the loan of ₹ 149.87 crore outstanding against Hindustan Shipyard Limited into loan in perpetuity (ii) ₹ 222.35 crore is sought towards conversion of interest and guarantee fee outstanding against Hindustan Shipyard Limited into loan in perpetuity. As this will be matched by equivalent receipts, this will not entail cash outgo.</p> <p>(f) For providing loan of ₹ 1 crore to Unit Run Canteens of Canteen Stores Department.</p> <p>This supplementary will entail ₹ 697.53 crore as cash outgo.</p> |
|--|---|

मांग संख्या DEMAND NO.21

रक्षा पेंशन
DEFENCE PENSIONS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 21 देखिए)

(See page 21 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011)

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.25	...	0.25
	स्वीकृत	Voted:	24999.75	...	24999.75
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	9000.00	...	9000.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	34000.00	...	34000.00	
	भारित	Charged:	0.25	...	0.25
	स्वीकृत	Voted:	33999.75	...	33999.75

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2071-पेंशन और अन्य		2071-Pensions and Other				
सेवानिवृत्ति लाभ	स्वीकृत	Retirement Benefits	Voted:	...	9000.00	9000.00

यह पूरक अनुदान पेंशन, परिवार पेंशन, उपदान, पेंशन का संरांशीकृत मूल्य, छुट्टी नगदीकरण का भुगतान और अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिक (पीबीओआर) पेंशनरों में 1.1.2006 से पूर्व की पेंशन में सुधार संबंधी सरकारी आदेशों के कार्यान्वयन हेतु वर्धित आवश्यकता के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु मांगा गया है। यह अतिरिक्त आवश्यकता वर्ष 2010-11 के दौरान नए सेवानिवृत्त लोगों की संख्या में वृद्धि के कारण भी है। इसमें नगद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for meeting additional expenditure on account of increased requirement for payment of pension, family pension, gratuity, commuted value of pension, leave encashment and for implementation of Government orders on improvement in pension of pre 1.1.2006 Personnel Below Officer Rank(PBOR) pensioners. The additional requirement is also due to increase in the number of new retirees during the year 2010-2011. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 22

रक्षा सेवाएं - थलसेना
DEFENCE SERVICES - ARMY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 22, वर्ष 2010-11 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 24 और वर्ष 2010-11 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 18 देखिए)।

(See page 22 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011, page 24 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-11 and page 18 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2010-11).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	17.03	...	17.03
	स्वीकृत	Voted:	58978.16	...	58978.16
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित	Charged:	43.65	...	43.65
	स्वीकृत	Voted:	1500.00	...	1500.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित	Charged:	0.40	...	0.40
	स्वीकृत	Voted:	1659.78	...	1659.78
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	62199.02	...	62199.02
	भारित	Charged:	61.08	...	61.08
	स्वीकृत	Voted:	62137.94	...	62137.94

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Appropriation/Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2076-रक्षा सेवाएं-थलसेना	भारित	2076-Defence Services-Army	Charged:	...	0.40 (का)
	स्वीकृत		Voted:	...	1659.78 (खb)
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		...	1660.18
	भारित		Charged:	...	0.40
	स्वीकृत		Voted:	...	1659.78

यह पूरक विनियोग/अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु आवश्यक है:

The supplementary appropriation/grant is required for the following purposes :

(क) न्यायालय आदेशों की वजह से ₹0.40 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के सम्बन्ध में;

(a) Towards meeting the additional expenditure of ₹ 0.40 crore arising out of Court orders;

(ख) थल सेना के वेतन और भत्ते, परिवहन, पूर्व-सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना, भंडार और निर्माण कार्यों के तहत ₹ 1659.78 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के संबंध में।

(b) Towards meeting the additional expenditure of ₹ 1659.78 crore under pay and allowances of Army, transportation, ex-servicemen contributory health scheme, stores and works.

उपर्युक्त पूरक में ₹ 0.01 करोड़ की अतिरिक्त प्राप्तियों को ध्यान में रखने के बाद ₹ 1660.17 करोड़ का नगद व्यय होगा।

The above supplementary will entail cash outgo of ₹1660.17 crore after taking into account the additional receipts of ₹ 0.01 crore.

मांग संख्या DEMAND NO.23

रक्षा सेवाएं - नौसेना
DEFENCE SERVICES - NAVY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 23, वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 25 और वर्ष 2010-11 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 19 देखिए)।

(See page 23 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011, page 25 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011 and page 19 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	1.25	...	1.25
	स्वीकृत	Voted:	9453.78	...	9453.78
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित	Charged:	6.20	...	6.20
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	548.74	...	548.74
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	10009.97	...	10009.97
	भारित	Charged:	7.45	...	7.45
	स्वीकृत	Voted:	10002.52	...	10002.52

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2077-रक्षा सेवाएं-नौसेना	स्वीकृत	2077-Defence Services-Navy	Voted:	...	548.74
					548.74

यह पूरक अनुदान नौसेना के वेतन भत्तों, असैनिकों के वेतन और भत्तों, भंडारों, निर्माण कार्यों और संयुक्त कर्मचारियों के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है।

अनुदान के भारित भाग में उपलब्ध बचतें, रक्षा सेवाओं के अन्य अनुदानों में उपलब्ध बचतों और वर्धित प्राप्तियों-वसूलियों को ध्यान में रखने के बाद उपर्युक्त पूरक में ₹ 193.26 करोड़ का नगद व्यय होगा।

The supplementary grant is required to meet the additional expenditure on account of pay and allowances of Navy, pay and allowances of civilians, stores, works and joint staff.

The above supplementary will entail cash outgo of ₹ 193.26 crore after taking into account the savings available in the charged section of this grant, savings available in other grants of Defence Services and enhanced receipts/recoveries.

मांग संख्या DEMAND NO.24

रक्षा सेवाएँ - वायु सेना
DEFENCE SERVICES - AIR FORCE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 24 देखिए)।

(See page 24 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	1.24	...	1.24
	स्वीकृत	Voted:	15802.41	...	15802.41
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित	Charged:	0.89	...	0.89
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		15804.54	...	15804.54
	भारित	Charged:	2.13	...	2.13
	स्वीकृत	Voted:	15802.41	...	15802.41

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2078-रक्षा सेवाएँ-वायु सेना	2078-Defence Services-Air Force				
	भारित	Charged:	...	0.89	0.89
यह पूरक विनियोग न्यायालय के आदेशों के तहत होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु मांगा गया है।			The supplementary appropriation is required towards meeting additional expenditure arising out of Court orders.		
अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए इस पूरक अनुदान में कोई नकद व्यय नहीं होगा।			This supplementary will not entail cash outgo after taking into account the savings available in the voted section of the grant.		

मांग संख्या DEMAND NO.25

रक्षा आयुध कारखाने
DEFENCE ORDNANCE FACTORIES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 25 और वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 26 देखिए)।
(See page 25 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011 and page 26 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	1.50	...	1.50
	स्वीकृत	Voted:	1998.34	...	1998.34
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	भारित	Charged:	1.15	...	1.15
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित	Charged:	1.00	...	1.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2001.99	...	2001.99
	भारित	Charged:	3.65	...	3.65
	स्वीकृत	Voted:	1998.34	...	1998.34

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2079-रक्षा आयुध कारखाने	2079-Defence Ordnance Factories				
	भारित	Charged:	...	1.00	1.00

यह पूरक विनियोग न्यायालय के आदेशों के तहत होने वाले ₹ 1 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है।

अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए इस पूरक अनुदान में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary appropriation is required for meeting the additional expenditure of ₹ 1 crore arising out of Court orders.

This supplementary will not entail cash outgo after taking into account the savings available in the voted section of the grant.

मांग संख्या DEMAND NO. 26

रक्षा सेवाएं - अनुसंधान और विकास

DEFENCE SERVICES - RESEARCH AND DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 26 देखिए)।

(See page 26 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	0.61	...	0.61
	स्वीकृत	Voted:	5259.81	...	5259.81
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित	Charged:	0.15	...	0.15
	स्वीकृत	Voted:	14.85	...	14.85
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	5275.42	...	5275.42
	भारित	Charged:	0.76	...	0.76
	स्वीकृत	Voted:	5274.66	...	5274.66

II. इस पूरक विनियोग/अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Appropriation/Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2080-रक्षा सेवाएं अनुसंधान और विकास	भारित	2080-Defence Services-	Charged:	...	0.15 (का)
	स्वीकृत	Research and Development	Voted:	...	14.85 (खb)
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		...	15.00
	भारित	Charged:	...	0.15	0.15
	स्वीकृत	Voted:	...	14.85	14.85

यह पूरक विनियोग/अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है:

The supplementary appropriation/grant is required for the following purposes :

(क) न्यायालय के आदेशों के तहत होने वाले ₹0.15 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु;

(a) Towards meeting the additional expenditure of ₹0.15 crore arising out of Court orders;

(ख) वेतन और भत्तों के तहत ₹ 14.85 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।

(b) Towards meeting the additional expenditure of ₹14.85 crore under pay and allowances.

चालू वर्ष में होने वाली अतिरिक्त प्राप्तियों को देखते हुए इस पूरक अनुदान में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

This supplementary will not entail cash outgo after taking into account the additional receipts accruing in the current year.

मांग संख्या DEMAND NO.27

रक्षा सेवाओं पर पूंजी व्यय

CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 27 और वर्ष 2010-11 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 27 देखिए)।
(See page 27 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011 and page 27 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-11).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	...	36.80	36.80
	स्वीकृत	Voted:	...	59963.20	59963.20
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	भारित	Charged:	...	20.25	20.25
	स्वीकृत	Voted:	...	813.01	813.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित	Charged:	...	2.63	2.63
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		...	60835.89	60835.89
	भारित	Charged:	...	59.68	59.68
	स्वीकृत	Voted:	...	60776.21	60776.21

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4076-रक्षा सेवाओं पर पूंजी परियोजना	भारित 4076-Capital Outlay on Defence Services	Charged:	...	2.63	2.63

यह पूरक विनियोग न्यायालय आदेशों के तहत होने वाले ₹2.63 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु मांगा गया है।

अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए इस पूरक में नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary appropriation is required towards meeting the additional expenditure ₹ 2.63 crore arising out of Court orders.

This supplementary will not entail cash outgo after taking into account the savings available in the voted section of the grant.

मांग संख्या DEMAND NO. 29

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
MINISTRY OF EARTH SCIENCES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 29, और वर्ष 2010-11 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 28 देखिए)।
 (See page 29 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011 and page 28 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारत	Charged:	0.10	...	0.10
	स्वीकृत	Voted:	1020.96	284.29	1305.25
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	0.02	...	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	58.69	...	58.69
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	1079.77	284.29	1364.06
	भारत	Charged:	0.10	...	0.10
	स्वीकृत	Voted:	1079.67	284.29	1363.96

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3403-समुद्र विज्ञान		3403-Oceanographic				
अनुसंधान	स्वीकृत	Research	Voted:	27.93 (का)	...	27.93
3425-अन्य वैज्ञानिक		3425-Other Scientific				
अनुसंधान	स्वीकृत	Research	Voted:	4.55 (खब)	3.00 (गघ)	7.55
3455-मौसम विज्ञान		3455-Meteorology				
जोड़ (प्रक)	स्वीकृत		Voted:	...	23.21 (घद)	23.21
		Total (Supplementary)		32.48	26.21	58.69

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है:

(क) निम्नलिखित को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना
 (i) भूकम्पनीयता और भूकम्प (₹20 करोड़); (ii) "सागर निधि" पोत का संचालन और अनुरक्षण (₹4 करोड़); (iii) "सूचना प्रौद्योगिकी" योजना के तहत उपस्कर खरीद (₹1.50 करोड़); (iv) सेमिनार और संगोष्ठी (₹1.50 करोड़) (v) "ध्रुवीय विज्ञान" योजना के तहत अटार्कटिका अवसंरचना निर्माण और खोज यात्रा (₹20 करोड़); (vi) समुद्र, निरीक्षण और सूचना सेवाओं के तहत अनुसंधान परियोजनाएं (₹5 करोड़)। चूंकि ₹24.07 करोड़ की बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध है और ₹27.93 करोड़ अनुदान के पूंजी भाग से अभ्यर्पित किए जाएंगे, अतः इसमें कोई नगद व्यय नहीं होगा।

(ख) भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पूणे को मेघ एरोसोल पारस्परिक क्रिया और अवक्षेपण वृद्धि प्रयोग के दूसरे चरण के कार्यान्वयन के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु। चूंकि अनुदान के पूंजी भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is required for :

(a) providing Grants-in-aid-General to (i) Seismicity and Earthquake (₹ 20 crore); (ii) operation and maintenance of vessel "Sagar Nidhi" (₹ 4 crore); (iii) Purchase of equipment under the scheme "Information Technology" (₹ 1.50 crore); (iv) Seminar and Symposia (₹ 1.50 crore); (v) Construction of infrastructure and expedition to Antarctica under the scheme "Polar Science" (₹ 20 crore); (vi) Research projects under Ocean, Observation and Information Services (₹ 5 crore). As savings of ₹ 24.07 crore are available with the same Section of the Grant and ₹ 27.93 crore will be surrendered from Capital Section of the Grant, there will be no cash outgo.

(b) providing Grants-in-Aid-General to Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune for implementation of second phase of Cloud Aerosol Interaction and Precipitation Enhancement Experiments. As an equivalent amount will be surrendered from Capital Section of the Grant, there will be no cash outgo.

- | | |
|--|---|
| <p>(ग) भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पूणे को वेतन भुगतान के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना। चूंकि समतुल्य राशि अनुदान के पूंजी भाग से अभ्यर्पित की जाएगी, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।</p> <p>(घ) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग को वेतन भुगतान। चूंकि अनुदान के पूंजी भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।</p> | <p>(c) providing Grants-in-aid-General to Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune for payment of salary. As an equivalent amount will be surrendered from Capital Section of the Grant, there will be no cash outgo.</p> <p>(d) payment of salary to Indian Meteorological Department. As an equivalent amount will be surrendered from Capital Section of the Grant, there will be no cash outgo.</p> |
|--|---|

मांग संख्या DEMAND NO.30

पर्यावरण और वन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30, वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 29 और वर्ष 2010-2011 के अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 22-23 देखिए)।

(See page 30 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011, page 29 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011 and pages 22-23 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	2555.74	45.42	2601.16
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	33.92	0.47	34.39
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित	Charged:	...	0.90	0.90
	स्वीकृत	Voted:	0.04	...	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	2589.70	46.79	2636.49
	भारित	Charged:	...	0.90	0.90
	स्वीकृत	Voted:	2589.70	45.89	2635.59

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2406-वानिकी और वन्यजीव	स्वीकृत	2406- Forestry and Wildlife	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552- North Eastern Areas	Voted:	0.01 (खb)	...	0.01
3435-पारिस्थितिकी और पर्यावरण	स्वीकृत	3435- Ecology and Environment	Voted:	0.01 (गc)	...	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत	3601- Grants-in-aid to State Governments	Voted:	0.01 (घd)	...	0.01
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	Total Revenue Section	Voted:	0.04	...	0.04
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	भारित	5425- Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research	Charged:	0.90 (ङe)	...	0.90
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)		0.94	...	0.94
	भारित		Charged:	0.90	...	0.90
	स्वीकृत		Voted:	0.04	...	0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित के लिए मांगा गया है:

- (क) (i) भारतीय वन सेवा अधिकारियों के मध्य जीवन-वृत्ति प्रशिक्षण के लिए इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वन अकादमी संबंधी व्यय की पूर्ती हेतु (₹ 5.25 करोड़)।
- (ii) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद् को पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 6.60 करोड़); और
- (iii) पशु कल्याण (₹ 0.64 करोड़) और राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (6.50 करोड़) को सामान्य सहायता अनुदान।

The supplementary grant/appropriation is sought for:

- (a) (i) Meeting expenditure towards Indira Gandhi National Forest Academy for Mid Career Training of Indian Forest Service Officers (₹ 5.25 crore);
- (ii) Grants for Creation of Capital Assets to Indian Council of Forestry Research and Education (₹ 6.60 crore); and
- (iii) Grants-in-aid General to Welfare of Animals (₹ 0.64 crore); and National Afforestation Programme (₹ 6.50 crore).

- (ख) (i) राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (₹ 0.50 करोड़); और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए वन्यजीव प्राकृतिक आवास के एकीकृत विकास (₹ 4.88 करोड़) योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान।
- (ii) राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम (₹ 5.17 करोड़); और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु प्रदूषण में कमी (₹ 1.25 करोड़) के लिए सहायता योजनाओं के तहत पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान।
- (iii) पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभ हेतु वचनबद्ध देयताओं की पूर्ति हेतु पारिस्थितिकी विकास बलों के संबंध में व्यय (₹ 4 करोड़)।
- (ग) (i) निम्नलिखित को सामान्य सहायता अनुदान (1) उत्कृष्टता केन्द्र (₹ 2.75 करोड़); (2) गोविन्द बल्लभ पन्त हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान (₹1 करोड़) (3) राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम (ईएपी) (₹1.50 करोड़); (4) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (₹ 0.25 करोड़); और (6) जैव-विविधता संरक्षण (₹ 1.79 करोड़);
- (ii) राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम को पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 2.46 करोड़); और
- (घ) प्रोजेक्ट टाइगर (₹ 11.71 करोड़); और प्रोजेक्ट एलीफैंट (₹1 करोड़) योजनाओं के तहत सामान्य सहायता अनुदान।

चूँकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

- (ङ) भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण (₹ 0.45 करोड़) और भारतीय जन्तु विज्ञान सर्वेक्षण (₹ 0.45 करोड़) के संबंध में न्यायालय के फैसले से होने वाली व्यय की पूर्ति हेतु। चूँकि अनुदान के राजस्व भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, अतः कोई नकद व्यय नहीं होगा।

- (b) (i) Grants-in-aid General under the schemes of National Afforestation Programme (₹0.50 crore); and Integrated Development of Wildlife Habitats (₹ 4.88 crore) for the benefit of North Eastern Region & Sikkim.
- (ii) Grants for creation of Capital Assets under the schemes of National River Conservation Programme (₹ 5.17 crore); and Assistance for Abatement of Pollution (₹ 1.25 crore) for the benefit of North Eastern Region & Sikkim.
- (iii) Expenditure towards Eco-Development Forces for meeting the committed liabilities (₹ 4 crore) for the benefit of North Eastern Region & Sikkim.
- (c) (i) Grants-in-aid General to (1) Centres of Excellence (₹ 2.75 crore); (2) Gobind Ballabh Pant Himalayan Institute of Environment and Development (₹1 crore); (3) National River Conservation Programme (EAP) (₹ 1.50 crore); (4) Central Pollution Control Board (₹ 0.25 crore); (5) Environmental Impact Assessment Programme (Rs. 1.25 crore); and (6) Biodiversity Conservation (₹ 1.79 crore);
- (ii) Grants for Creation of Capital Assets to National Lake Conservation Programme (₹ 2.46 crore); and
- (d) Grants-in-aid General under the schemes of Project Tiger (₹ 11.71 crore); and Project Elephant (₹ 1 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

- (e) To meet expenditure related to court decree in respect of Botanical Survey of India (₹ 0.45 crore) and Zoological Survey of India (₹ 0.45 crore). As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue Section of the Grant, there will be no cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.31

विदेश मंत्रालय
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31, वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 30 और वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 24 देखिए)।

(See page 31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011, page 30 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011 and page 24 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2010-11).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	0.03	...	0.03
	स्वीकृत	Voted:	5621.57	753.40	6374.97
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	494.72	...	494.72
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	131.68	118.60	250.28
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	6248.00	872.00	7120.00
	भारित	Charged:	0.03	...	0.03
	स्वीकृत	Voted:	6247.97	872.00	7119.97

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं	स्वीकृत	2052- Secretariat General Services	Voted:	...	2.04 (का)
2061-विदेश	स्वीकृत	2061- External Affairs	Voted:	...	64.24 (खb)
3605-अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	स्वीकृत	3605- Technical & Economic Cooperation with Other Countries	Voted:	35.40 (गc)	30.00 (घd)
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	Total (Revenue Section)	Voted:	35.40	96.28
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
4059-सार्वजनिक कार्यों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4059- Capital Outlay on Public Works	Voted:	...	25.00 (ङe)
7605-विदेशी सरकारों को अग्रिम	स्वीकृत	7605-Advances to Foreign Governments	Voted:	93.60 (चf)	...
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत	Total (Capital Section)	Voted:	93.60	25.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary))	Voted:	129.00	121.28

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है:

(क) सचिवालय व्यय की पूर्ति हेतु।

(ख) (i) एम्बेसीज और मिशन (₹ 4.24 करोड़) और विशेष कूटनीतिक व्यय (₹ 60 करोड़) के तहत व्यय की पूर्ति हेतु।

(ii) निम्नलिखित संस्थानों को अनुदानों के तहत सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (i) चीनी अध्ययन संस्थान (₹ 15 करोड़) और (ii) मेशन डी आई' इन्डे परियोजना (₹1.40 करोड़)। चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

The supplementary grant is required for following purposes:-

(a) For meeting secretariat expenditure.

(b) (i) For meeting expenditure under Embassies & Missions (₹ 4.24 crore) and Special Diplomatic Expenditure (Rs. 60 crore).

(ii) To provide Grant-in-aid under Grants to Institution to (i) Institute of Chinese Studies (₹ 15 crore), and (ii) Maison de l'Inde project (₹ 1.40 crore). As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

- | | |
|--|--|
| <p>(गा) पुनान्तसंगचू I परियोजना के निष्पादन हेतु भूटान को सहायता हेतु व्यय की पूर्ति।</p> <p>(घ) निम्नलिखित के व्यय की पूर्ति हेतु (i) अन्तरराष्ट्रीय तकनीकी आर्थिक निगम/अफ्रीका कार्यक्रम हेतु विशेष राष्ट्रमण्डल सहायक (एससीएएपी) (₹ 10 करोड़) और (ii) अफगानिस्तान को सहायता (₹ 20 करोड़)।</p> <p>(ङ) विभिन्न देशों में संपत्ति अधिग्रहण/निर्माण की विभिन्न परियोजनाओं पर व्यय की पूर्ति हेतु।</p> <p>(च) पुनान्तसंगचू I परियोजना निष्पादन हेतु भूटान सरकार को ऋण प्रदान करना।</p> <p>क्रम सं.(क), (ख)(i), (ग), (घ), (ङ) और (च) में नगद व्यय होगा।</p> | <p>(c) To meet the expenditure for Aid to Bhutan for execution of the project Punatsangchu I.</p> <p>(d) To meet the expenditure for (i) International Technical & Economic Cooperation /Special Commonwealth Assistance for Africa Programme (SCAAP) (₹ 10 crore), and (ii) Aid to Afghanistan (₹ 20 crore).</p> <p>(e) For meeting expenditure of various projects of acquisition/construction of property in various countries.</p> <p>(f) To provide Loan to Government of Bhutan for execution of the project Punatsangchu I.</p> <p>Sl. No. (a), (b) (i), (c), (d), (e) and (f) entail cash outgo.</p> |
|--|--|

मांग संख्या DEMAND NO.32

आर्थिक कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 32 और वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 31 देखिए)।
(See page 32 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011, page 31 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	6821.08	1850.40	8671.48
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	24.52	11327.15	11351.67
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:	Voted:	0.03	0.01	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		6845.63	13177.56	20023.19

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	Voted:	...	0.01 (का)	0.01
3054-सड़क और पुल	3054-Roads and Bridges	Voted:	0.01 (खb)	...	0.01
3466-अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान	3466-International Financial Institutions	Voted:	...	0.01 (गc)	0.01
जोड़ राजस्व भाग	Total Revenue Section	Voted:	0.01	0.02	0.03
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4046-मुद्रा, सिक्का निर्माण और टकसाल पर पूंजी परियोजना	4046-Capital Outlay on Currency, Coinage and Mint	Voted:	...	0.01 (घd)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	0.01	0.03	0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है:

(क) मुद्रा निदेशालय की स्थापना के संबंध में संस्थापन संबंधी व्यय हेतु (₹1.95 करोड़)। चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

(ख) रेलवे सुरक्षा कार्यों के लिए अतिरिक्त बजटीय सहायता (₹112.16 करोड़) प्रदान करने हेतु। चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

(ग) सांस्कृतिक विरासत और सतत पर्यटन (सीएचएसटीटीएफ) संबंधी विश्व बैंक बहुदाता न्यास निधि के संबंध में अंशदान हेतु (₹4.60 करोड़)। चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

(घ) भारतीय प्रतिभूति एवं मुद्रण निगम लिमिटेड को भारतीय रिज़र्व बैंक को आपूर्ति किए जाने वाले सिक्कों की खरीद के अतिरिक्त भुगतान हेतु (₹788.80 करोड़)। चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

This Supplementary Grant is required for the following purposes:

(a) For meeting establishment related expenditure (₹1.95 crore) in connection with setting up a Directorate of Currency. As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) For providing additional Budgetary support (₹112.16 crore) for Railway Safety Works. As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) For making contribution (₹4.60 crore) towards World Bank Multi-donor Trust Fund on Cultural Heritage and Sustainable Tourism (CHSTTF). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(d) For making additional payment to Security Printing and Minting Corporation of India Limited (₹788.80 crore) for purchase of coins to be supplied to Reserve Bank of India. As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.33

वित्तीय सेवाएं विभाग

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 33 और वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 33 और 2010-2011 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 25 देखिए)।

(See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011 and page 33 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011 and page 25 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	32284.10	17325.00	49609.10
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	410.00	2320.12	2730.12
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	3992.88	3537.00	7529.88
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	Voted: 36686.98	23182.12	59869.10

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत	2235- Social Security and Welfare	Voted: ...	3380.55 (का)	3380.55
2416-कृषि वित्तीय संस्थान	स्वीकृत	2416- Agricultural Financial Institutions	Voted: ...	530.00 (खब)	530.00
2885-उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय	स्वीकृत	2885- Other Outlays on Industries and Minerals	Voted: ...	82.33 (गं)	82.33
जोड़ (राजस्व)	स्वीकृत	Total (Revenue)	Voted: ...	3992.88	3992.88
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
4416-कृषि वित्तीय संस्थानों में निवेश	स्वीकृत	4416- Investments in Agricultural Financial Institutions	Voted: ...	350.00 (घद)	350.00
5465-सामान्य वित्तीय और व्यापार संस्थानों में निवेश	स्वीकृत	5465- Investments in General Financial and Trading Institutions	Voted: 3187.00 (झ)	...	3187.00
जोड़ (पूंजी)	स्वीकृत	Total (Capital)	Voted: 3187.00	350.00	3537.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted: 3187.00	4342.88	7529.88

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

(क) कृषक-2008 के लिए ऋण माफ और ऋण राहत योजना के कार्यान्वयन के लिए भारत के लोक लेखा में कृषक ऋण राहत निधि में ₹ 4000 करोड़ की राशि जमा करने हेतु। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 619.45 करोड़ की बचतों को शामिल करने के बाद, इसमें ₹ 3380.55 करोड़ का नगद व्यय होगा।

(a) For crediting an amount of ₹ 4000 crore in Farmers' Debt Relief Fund in Public Account of India for implementation of Debt Waiver and Debt Relief Scheme for Farmers-2008. After taking into account savings of ₹ 619.45 crore available in the same Section of the grant, this will entail cash outgo of ₹ 3380.55 crore.

(ख) किसानों को अल्पावधिक ऋण प्रदान करने के लिए ब्याज सहायता के ₹ 1000 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 470 करोड़ की बचतों

(b) For meeting additional expenditure of ₹ 1000 crore for interest subvention for providing short term credit to Farmers. After taking into account the savings of

- | | |
|---|---|
| <p>को शामिल करने के बाद इसमें ₹ 530 करोड़ का नगद व्यय होगा।</p> <p>(ग) भारत सरकार और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय ऋण व्यवस्था के तहत क्रेडिटान्स्टाल्ट फुर वीडराएफबाउ (केएफडब्ल्यू) द्वारा आईसीआईसीआई बैंक को दिए गए ऋण श्रृंखला के लिए 'ऋण विभेदन निधि' के तहत जमा आईसीआईसीआई की निधियों की प्रतिपूर्ति के लिए। इसमें नगद व्यय होगा।</p> <p>(घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनः पूंजीकरण के लिए भारत सरकार के अंशदान के हिस्से के भुगतान हेतु। इसमें नगद व्यय होगा।</p> <p>(ङ) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का सोपान-1 पूंजी और जोखिम वाली आस्तियों के अनुपात (सीआरएआर) को 8 प्रतिशत पर रखने, क्योंकि भारत सरकार कतिपय सरकारी क्षेत्रों के बैंकों में अपनी धारिता 58 प्रतिशत तक बढ़ाएगी, के लिए इक्विटी सहायता के माध्यम से पुनः पूंजीकरण के लिए अतिरिक्त व्यय (₹ 6000 करोड़ की पूर्ति हेतु) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 2813 करोड़ की बचत को शामिल करने के बाद इसमें ₹ 3187 करोड़ का नगद व्यय होगा।</p> | <p>₹ 470 crore available in the same Section of the Grant, this will entail cashoutgo of ₹ 530 crore.</p> <p>(c) For reimbursement of funds to ICICI Bank deposited under 'Interest Differential Fund' for Lines of Credit extended to ICICI Bank by Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KfW) under the bilateral credit arrangement between Government of India and Germany. This will entail cash outgo.</p> <p>(d) For payment of Government of India's share of contribution for re-capitalisation of Regional Rural Banks (RRBs). This will entail cash outgo.</p> <p>(e) For meeting additional expenditure (₹ 6000 crore) for recapitalisation of Public Sector Banks (PSBs) through equity support to maintain their Tier-1 Capital to Risk Weighted Asset Ratio (CRAR) at 8% as also to raise Government of India's holding in certain PSBs to 58%. After taking into account savings of ₹ 2813 crore available in the same Section of the Grant, this will entail cash outgo of ₹ 3187 crore.</p> |
|---|---|

मांग संख्या DEMAND NO.35

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण

TRANSFERS TO STATE AND UNION TERRITORY GOVERNMENTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 35, वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 35 और वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 26 देखिए)।

(See page 35 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011, page 35 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011 and page 26 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	32639.00	8163.44	40802.44
	स्वीकृत	Voted:	78269.81	...	78269.81
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	भारित	Charged:	0.01	3000.00	3000.01
	स्वीकृत	Voted:	4379.02	...	4379.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित	Charged:	...	250.00	250.00
	स्वीकृत	Voted:	1340.00	...	1340.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		116627.84	11413.44	128041.28
	भारित	Charged:	32639.01	11413.44	44052.45
	स्वीकृत	Voted:	83988.83	...	83988.83

II. इस पूरक विनियोग/अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Appropriation/Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2075-विविध सामान्य सेवाएं	2075-Miscellaneous General Services	Voted:	...	1000.00 (का) 1000.00
2245-प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	2245-Relief on Account of Natural Calamities	Voted:	...	340.00 (खb) 340.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		...	1340.00 1340.00
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
7601-राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	7601-Loans and Advances to State Governments	Charged:	250.00 (गc) ...	250.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		250.00 1340.00	1590.00
	भारित	Charged:	250.00	250.00
	स्वीकृत	Voted:	...	1340.00 1340.00

यह पूरक विनियोग/अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु आवश्यक है:

The Supplementary Appropriation/Grant is required for: -

- | | |
|---|---|
| <p>(क) ऋण समेकन और राहत सुविधा (डीसीआरएफ) योजना के तहत राज्यों को ऋण राहत प्रदान करने हेतु। इसमें कोई नगद व्यय नहीं होगा क्योंकि व्यय को प्राप्तियों से पूरा किया जाएगा।</p> <p>(ख) राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ) को अंशदान की निधियों के अन्तर्गत हेतु। इसमें कोई नगद व्यय नहीं होगा क्योंकि व्यय को प्राप्तियों से पूरा किया जाएगा।</p> <p>(ग) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) हेतु। चूंकि अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध समतुल्य बचतों को अभ्यर्पित किया जाएगा, अतः इसमें कोई नगद व्यय नहीं होगा।</p> | <p>(a) To provide debt relief to States under Debt Consolidation and Relief Facility (DCRF) Scheme. There will be no cash outgo as expenditure will be matched by receipts.</p> <p>(b) To transfer funds for contribution to National Disaster Response Fund (NDRF). There will be no cash outgo as expenditure will be matched by receipts.</p> <p>(c) Additional Central Assistance (ACA) for Externally Aided Project. As equivalent savings available in Revenue Section of the Grant will be surrendered, this will not entail cash outgo.</p> |
|---|---|

मांग संख्या DEMAND NO. 40

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 40 देखिए)।

(See page 40 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	64.48	...	64.48
	स्वीकृत	Voted:	2015.47	10.20	2025.67
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित	Charged:	7.39	...	7.39
	स्वीकृत	Voted:	171.15	8.15	179.30
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	2258.49	18.35	2276.84
	भारित	Charged:	71.87	...	71.87
	स्वीकृत	Voted:	2186.62	18.35	2204.97

II. इस पूरक विनियोग/अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Appropriation/Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2016-लेखापरीक्षा	भारित	2016-Audit	Charged:	...	7.39 (का)
	स्वीकृत		Voted:	...	171.15 (खb)
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
4216-आवास पर पूंजी		4216-Capital Outlay			
परिव्यय	स्वीकृत	on Housing	Voted:	...	8.15 (गc)
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		186.69	186.69
	भारित		Charged:	...	7.39
	स्वीकृत		Voted:	...	179.30

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकता के उपरोक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई वसूलियां शामिल नहीं हैं जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2016-लेखापरीक्षा		2016-Audit	...	(-) 1.37	(-) 1.37

यह पूरक विनियोग/अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है:

The supplementary Appropriation/Grant is required for the following purposes :

- (क) और (ख) अतिरिक्त संस्थापना और वेतन संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।
- (ग) भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा अधिकारियों के लिए आवासीय भवन निर्माण हेतु अहमदाबाद नगर निगम से भूमि की अधिप्राप्ति हेतु अतिरिक्त भुगतान करने हेतु।

- (a) and (b) For meeting additional establishment and salary related expenditure.
- (c) For making additional payment on procurement of land from Ahmedabad Municipal Corporation for construction of residential building for Indian Audit and Accounts Service Officers.

₹ 1.37 करोड़ राशि की अतिरिक्त वसूलियों को ध्यान में रखने के बाद इस पूरक अनुदान के कारण ₹ 185.32 करोड़ का नगद व्यय होगा।

After taking into account the additional recoveries amounting to ₹ 1.37 crore, the cash outgo on account of this supplementary will be ₹ 185.32 crore.

मांग संख्या DEMAND NO.41

राजस्व विभाग
DEPARTMENT OF REVENUE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 41 और वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 37 देखिए)।
(See page 41 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011 and page 37 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत	Voted:	11122.10	0.77	11122.87
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	1000.01	27.00	1027.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	3359.81	0.10	3359.91
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	15481.94	27.87	15509.81	
	भारित	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत	Voted:	15481.92	27.87	15509.79

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2047-अन्य राजकोषीय		2047- Other Fiscal				
सेवाएं	स्वीकृत	Services	Voted:	...	0.01 (का)	0.01
2070-अन्य प्रशासनिक		2070- Other Administrative				
सेवाएं	स्वीकृत	Services	Voted:	...	5.67 (खb)	5.67
3601-राज्य सरकारों को		3601- Grant-in-aid to State				
सहायता अनुदान	स्वीकृत	Governments	Voted:	...	3354.13 (गc)	3354.13
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	Total Revenue Section	Voted:	...	3359.81	3359.81
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4216-आवास पर		4216- Capital Outlay				
पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	on Housing	Voted:	...	0.10 (घd)	0.10
जोड़ (परक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	...	3359.91	3359.91

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकता के उपरोक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070- Other Administrative Services	...	(-) 5.67	(-) 5.67

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए अपेक्षित है:

The Supplementary Grant is required for the following purposes:

(क) राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान को वेतन सम्बन्धी व्यय हेतु अतिरिक्त सहायता अनुदान (0.35 करोड़ रुपए) प्रवर्तन निदेशालय (₹3.89 करोड़), जब्त संपत्ति अपीलीय न्यायाधिकरण (₹0.84 करोड़), सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (₹0.87 करोड़) के अतिरिक्त संस्थापन व्यय

(a) For providing additional Grants-in-aid (₹0.35 crore) to the National Institute of Public Finance & Policy for salary related expenditure, for meeting additional establishment related expenditure of Enforcement Directorate (₹3.89 crore), Appellate Tribunal for Forfeited Property (₹0.84

और अन्तरराष्ट्रीय अंशदान (₹0.04 करोड़ रुपए) हेतु। चूंकि अनुदान के इसी भाग बचतों में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

(ख) केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के संस्थापन संबंधी व्यय (₹2.78 करोड़) की पूर्ति हेतु, राष्ट्रीय मादक द्रव्य नियंत्रण निधि (एनएफसीडीए) ₹5.00 करोड़) सहायता अनुदान व्यय की पूर्ति हेतु और अन्तरराष्ट्रीय सहयोग के संबंध में अंशदान (₹2.09 करोड़) के लिए अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹4.20 करोड़ रुपए की बचतों को शामिल करने और ₹5.67 करोड़ रुपए की वर्धित वसूलियों के उपयोग को देखते हुए इसमें नगद व्यय नहीं होगा।

(ग) केन्द्रीय बिक्री कर (₹3000 करोड़) को वापस लेने के कारण हुए राजस्व घाटे और वैट की क्षतिपूर्ति (₹500 करोड़) के लिए राज्य सरकारों को क्षतिपूर्ति की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹3354.13 करोड़ का निवल नगद व्यय होगा।

(घ) प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों के तैयार शुदा ध्यान में रखते हुए आवास की खरीद हेतु। इसमें नगद व्यय होगा।

crore), Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (₹0.87 crore) and for making International contribution (₹0.04 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) For meeting establishment related expenditure of the Central Bureau of Narcotics (₹2.78 crore), for meeting grants- in- aid expenditure out of the National Fund for Control of Drug Abuse (NFCDA) (₹5.00 crore) and for making contribution towards International Co-operation (₹2.09 crore). After taking into account the savings of ₹4.20 crore available in the same Section of the Grant and utilising enhanced recoveries of ₹5.67 crore, this will not entail cash outgo.

(c) For meeting additional requirement for compensation to State Governments for revenue loss due to phasing out of Central Sales Tax (₹3000 crore); and for VAT (Value Added Tax) compensation (₹500 crore). After taking into account the savings available in the same section of the Grant, it will entail a net cash outgo of ₹3354.13 crore.

(d) For purchase of ready-built accommodation for Zonal Offices of Enforcement Directorate. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 42

प्रत्यक्ष कर
DIRECT TAXES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 42 देखिए)।

(See page 42 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित	Charged:	0.02	...	0.02
स्वीकृत	Voted:	2844.98	1679.00	4523.98
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2845.00	1679.01	4524.01
भारित	Charged:	0.02	...	0.02
स्वीकृत	Voted:	2844.98	1679.01	4523.99

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4216- आवास पर पूंजी परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing			
स्वीकृत	Voted:	...	0.01	0.01

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता आयकर विभाग, मुम्बई के लिए पूर्ण तरह से तैयार आवासीय फ्लैटों की खरीद हेतु (₹ 32.41 करोड़) के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए है। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is required to meet the additional expenditure (₹ 32.41 crore) for purchase of ready built residential flats for Income Tax Department at Mumbai. As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.43

अप्रत्यक्ष कर
INDIRECT TAXES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 43 देखिए)।

(See page 43 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	0.50	...	0.50
	स्वीकृत	Voted:	2742.80	264.20	3007.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	285.36	...	285.36
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	3028.66	264.20	3292.86
	भारित	Charged:	0.50	...	0.50
	स्वीकृत	Voted:	3028.16	264.20	3292.36

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2037-सीमा शुल्क	स्वीकृत	2037- Customs	Voted:	...	68.57 (क)
2038-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	स्वीकृत	2038- Union Excise Duties	Voted:	...	216.79 (ख)
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted	...	285.36

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु आवश्यक है:

The supplementary grant is required for the following purposes:

(क) सीमा शुल्क कार्यालयों के वेतनों के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।

(a) To meet the additional expenditure on account of salaries of Customs Offices.

(ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालयों के वेतन और अन्य संस्थापना संबंधी व्यय के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।

(b) To meet the additional expenditure on account of salaries and other establishment related expenditure of Central Excise Offices.

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹132.20 करोड़ की बचतों को ध्यान में रखने के बाद, इस पूरक में ₹153.16 करोड़ का नगद व्यय होगा।

After taking into account the savings of ₹132.20 crore available in the Capital Section of the Grant, this supplementary will entail cash outgo of ₹153.16 crore.

The supplementary grant is sought for providing additional grants-in-aid for assistance to Technology Upgradation, Establishment and Modernisation of Food Processing Industries (₹ 23.83 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 46

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-11 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 46 और वर्ष 2010-11 के अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 38-39 और वर्ष 2010-11 के अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 28-31 देखिए)।

(See page 46 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011, pages 38-39 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-11 and pages 28-31 of the Second Supplementary Demands for the Grants for the year 2010-11).

(करोड़ रुपए ₹ in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	24015.06	1221.01	25236.07
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	127.07	0.03	127.10
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	0.04	...	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
	स्वीकृत	Voted:	24142.17	1221.04	25363.21

II. इस पूरक अनुदाना का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2210-चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health				
	स्वीकृत	Voted:	0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02
2211-परिवार कल्याण	2211-Family Welfare				
	स्वीकृत	Voted:	0.01 (गc)	0.01 (घd)	0.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)				
	स्वीकृत	Voted:	0.02	0.02	0.04

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगे गए हैं :-

The supplementary grants are sought for the following purposes :

- (क) (i) वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इन्स्टिट्यूट, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली को नाइट्रोजन ऑक्साइड स्वचालित डीएनए और आरएनए निष्कर्षण प्रणाली; मौजूदा रेडियो-ग्राफिक प्रणाली आदि के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹4.00 करोड़)।
- (ii) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु को ऑपरेशन संबंधी माइक्रोस्कोपों की खरीद और भवन निर्माण गतिविधियों के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹6.87 करोड़)।
- (iii) "फ्लूरोसिस की रोकथाम और नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम" योजना के तहत कार्यक्रम को इस प्रयोजन

- (a) (i) Grants for creation of capital assets to Vallabh Bhai Patel Chest Institute, Delhi University, Delhi for Nitrogen Oxide automatic DNA & RNA extraction system, Console for existing radiographic system etc. (₹4.00 crore).
- (ii) Grants for creation of capital assets to National Institute of Medical Health & Neuro-Science Bengaluru for purchase of operating microscopes and construction activities (₹ 6.87 crore).
- (iii) Grants-in-aid General to meet the additional requirement under the scheme 'National

<p>हेतु चयनित छः राज्यों के 29 अतिरिक्त जिलों में कार्यान्वित करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹12.21 करोड़)।</p>	<p>Programme for prevention and Control of Fluorosis for implementation of the programme in 29 additional districts of six States selected for the purpose (₹12.21 crore).</p>
<p>चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।</p>	<p>As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
<p>(ख) (i) "भारतीय फार्मसी परिषद" को वेतन संबंधी अतिरिक्त आवश्यकता और स्थापना संबंधी अन्य व्यय की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹0.10 करोड़)।</p> <p>(ii) "कालाजार कार्यक्रम" योजना के तहत डीडीटी को वर्धित लागत संबंधी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹16.25 करोड़)।</p>	<p>(b) (i) Grants-in-aid General to 'Pharmacy Council of India' to meet the additional requirement on salary and other establishment related expenditure (₹0.10 crore).</p> <p>(ii) Grants-in-aid General to meet the additional requirement on increased cost of DDT under the scheme 'Kala-Azar Programme' (₹16.25 crore).</p>
<p>चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।</p>	<p>As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
<p>(ग) "पल्स पोलियो" कार्यक्रम के तहत राज्यों को बाह्य संघटक के रूप में परिचालन लागत जारी करने के कारण हुई अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹50.00 करोड़)।</p>	<p>(c) Grants-in-aid General to meet the additional requirement under the 'Pulse Polio Programme' due to release of Operational Cost to the States as External Component (₹50.00 crores).</p>
<p>चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।</p>	<p>As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
<p>(घ) "एफपी सामग्री की मुफ्त आपूर्ति" योजना के तहत गर्भनिरोधकों की कीमतों में वृद्धि और राज्यों की आवश्यकताओं में वृद्धि के कारण अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹14.65 करोड़)।</p>	<p>(d) Grants-in-aid General to meet the additional requirement under the scheme 'Free Supply of FP Material' due to increase in prices of contraceptives and also due to the increase in the requirements of States (₹14.65 crore).</p>
<p>चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।</p>	<p>As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>

मांग संख्या DEMAND NO. 47

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी (आयुष)

DEPARTMENT OF AYURVEDA, YOGA & NATUROPATHY, UNANI,
SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-11 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 47 और वर्ष 2010-11 के अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 32 देखिए)।
(See page 47 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011, page 32 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2010-11).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	961.50	2.50	964.00
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	0.03	...	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	93.07	7.90	100.97
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	1054.60	10.40	1065.00

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2210-चिकित्सा और		2210-Medical and				
जन स्वास्थ्य	स्वीकृत	Public Health	Voted:	77.66 (का)	12.99 (खb)	90.65
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र		2552-North Eastern				
	स्वीकृत	Areas	Voted:	2.42 (गc)	...	2.42
जोड़ राजस्व भाग		Total Revenue Section		80.08	12.99	93.07
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4210-चिकित्सा एवं जन		4210-Capital outlay on				
स्वास्थ्य पर		Medical and				
पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Public Health	Voted:	7.90 (घd)	...	7.90
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	87.98	12.99	100.97

ये पूरक अनुदानें निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित हैं :

The supplementary grants are sought for the following purposes:

- क. (i) 'पाठ्य पुस्तक और हस्तलिपिक अधिग्रहण, सूची बनाना, डिजिटलीकरण और प्रकाशन' योजना के तहत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹0.03 करोड़)।
- (ii) कार्यशालाओं की संख्या में वृद्धि के कारण 'केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद' को सामान्य सहायता अनुदान (₹0.16 करोड़)।
- (iii) राज्य औषधीय पौध बोर्डों/संगठनों में परियोजनाओं की संख्या वृद्धि के कारण 'राष्ट्रीय औषधीय पौध बोर्ड की स्थापना' योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹3.83 करोड़)।

- a. (i) Grants-in-aid General to meet the additional requirement under the scheme 'Acquisition Cataloging, Digitisation and Publication of Text Book & Manuscript' (₹0.03 crore).
- (ii) Grants-in-aid General to 'Central Council of Homeopathy' due to increase in number of workshops (₹0.16 crore).
- (iii) Grants-in-aid General under the scheme 'Setting up of National Board for Medicinal plants' due to increase in number of projects in State Medicinal Plant Boards/organizations etc. (₹3.83 crore).

(iv)	अधिक आरोग्य मेलों के आयोजन और प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु 'आयुष उद्योग को प्रोत्साहन' सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹40 करोड़)।	(iv)	Grants-in-aid General to meet the additional requirement under the scheme 'Incentives to AYUSH Industry' for organizing more AROGYA fairs and for grant of incentives (₹0.40 crore).
(v)	'आयुष उद्योग समूह हेतु सामान्य सुविधाओं का विकास' योजना के तहत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹0.11 करोड़)।	(v)	Grants-in-aid General to meet the additional requirement under the scheme 'Development of common facilities for AYUSH Industry clusters' (₹0.11 crore).
(vi)	'स्थानीय स्वास्थ्य परम्पराओं/दाई कार्य/प्रसूति देखभाल आदि के पुनरुज्जीवन हेतु गैर सरकारी संगठनों का निधियन' योजना के तहत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹0.02 करोड़)।	(vi)	Grants-in-aid General to meet the additional requirement under the scheme 'Funding of NGOs for revitalization of local health traditions/midwifery practices/maternity care etc.' (₹0.02 crore).
(vii)	अनुदान की दूसरी/तीसरी किश्त जारी करने हेतु 'आयुष और जन स्वास्थ्य' योजना के तहत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹0.05 करोड़)।	(vii)	Grants-in-aid General to meet the additional requirement under the scheme 'AYUSH & Public Health' for releasing 2nd/3d installment of the grant (₹0.05 crore).
(viii)	अनुदान की पहली/दूसरी किश्त जारी करने हेतु 'राष्ट्रीय औषधीय पौध मिशन' योजना के तहत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹0.98 करोड़)।	(viii)	Grants-in-aid General to meet the additional requirement under the scheme 'National Mission on Medicinal Plants' for releasing 1st/2nd installments of the grant (₹0.98 crore).
(ix)	'आयुष अस्पतालों और औषधालयों का विकास तथा आयुष को मुख्य धारा से जोड़ने की 'योजना के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹9.40 करोड़)।	(ix)	Grants for creation of capital assets for additional expenditure under the scheme 'Development of Ayush Hospitals & Dispensaries and Mainstreaming of AYUSH' (₹9.40 crore).
(x)	'स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान जामनगर' को निर्माण कार्य हेतु पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹4.00 करोड़)।	(x)	Grants for creation of capital assets to 'Institute of Post Graduate Teaching and Research in Ayurveda, Jamnagar' for construction work (Rs.4.00 crore).
(xi)	'राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर' को छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण बकाया देयता हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹3.00 करोड़)।	(xi)	Grants-in-aid General to 'National Institute of Ayurveda, Jaipur' for pending liability of Arrears on account of implementation of recommendation of sixth central pay commission (₹3.00 crore).
(xii)	'राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर' को बिस्तरों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹3.52 करोड़)।	(xii)	Grants for creation of capital assets to 'National Institute of Ayurveda, Jaipur' due to increase in number of beds (₹3.52 crore).
(xiii)	'केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्धा अनुसंधान परिषद' को भवन निर्माण हेतु पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹0.25 करोड़)।	(xiii)	Grants for creation of capital assets to 'Central Council for Research in Ayurveda & Siddha' for construction of buildings (₹0.25 crore).
(xiv)	'राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली' को गुरु/शिष्य की संख्याओं में वृद्धि और वजीफा और साथ ही वेतनों की दरों में वृद्धि के कारण सामान्य सहायता अनुदान (₹9.00 करोड़)।	(xiv)	Grants-in-aid General to 'Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth, New Delhi' due to increase in number of Gurus/Shishyas and also due to enhancement in the rates of stipend and salaries (₹9.00 crore).
(xv)	'राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान' कोलकाता को ओबीसी परियोजना के तहत अतिरिक्त पद सृजन के कारण वजीफा और वेतनों में वृद्धि हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹0.76 करोड़)।	(xv)	Grants-in-aid-General to 'National Institute of Homeopathy, Kolkata' for increase in stipend and salaries due to creation of additional post under OBC project (₹0.76 crore).
(xvi)	'राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान' कोलकाता को ऑडिटोरियम, पुस्तकालय ब्लॉक, अतिरिक्त बालिका छात्रावास निर्माण और हर्बल गार्डन विकास हेतु पूंजी अस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹11.24 करोड़)।	(xvi)	Grants for creation of capital assets to 'National Institute of Homeopathy, Kolkata' for construction of Auditorium, Library block, Additional girls' hostel and development of Herbal Garden (₹11.24 crore).
(xvii)	'केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद' को प्रशासनिक व्यय पर अतिरिक्त खर्च में वृद्धि की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹2.89 करोड़)।	(xvii)	Grants-in-aid General to 'Central Council for Research in Homeopathy' to meet additional expenditure on administrative expenses (₹2.89 crore).

(xviii)	‘एमसीएच’ क्लिनिकों को खोलने और आईसी कार्यकलापों आदि हेतु ‘केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद’ पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹1.31 करोड़)।	(xviii)	Grants for creation of capital assets to ‘Central Council for Research in Homeopathy’ for opening of MCH clinics and IEC activities etc. (₹1.31 crore).
(xix)	‘राष्ट्रीय यूनानी औषधी संस्थान गैंगलुरु’ को मजदूरी भुगतान और अनुरक्षण कार्य हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹3.20 करोड़)।	(xix)	Grants-in-aid General to ‘National Institute of Unani Medicine, Bangaluru’ for payment of wages and maintenance work (₹3.20 crore).
(xx)	‘केन्द्रीय यूनानी औषधीय अनुसंधान परिषद’ को केन्द्रीय परिषद की संयुक्त भवन काम्पलेक्स की मरम्मत, अनुरक्षण और जीर्णोद्धार हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹6.07 करोड़)।	(xx)	Grants-in-aid General to ‘Central Council for Research in Unani Medicine’ for repair, maintenance and renovation of Central Council’s combined building complex (₹6.07 crore).
(xxi)	‘केन्द्रीय यूनानी औषधीय अनुसंधान परिषद’ को ड्रग्स के मानकीकरण और क्लिनिकल अनुसंधान के उद्देश्य से नई मशीनरी और उपकरणों की खरीद तथा निर्माण कार्य हेतु पूंजी सृजन के लिए अनुदान (₹3.18 करोड़)।	(xxi)	Grants for creation of capital assets to ‘Central Council for Research in Unani Medicine’ for purchase of new machinery and equipments for the purpose of standardization of drugs, clinical research and construction work (₹3.18 crore).
(xxii)	‘केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद’ को राष्ट्रीय अभिमान के कार्यकलापों, ओपीडीयों में वृद्धि के लिए सामान्य सहायता अनुसंधान (₹2.65 करोड़)।	(xxii)	Grants-in-aid General to ‘Central Council for Research in Yoga and Naturopathy’ for increase in the activities of national campaign, OPDs etc. (₹2.65 crore).
(xxiii)	‘केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद’ को कर्नाटक और हरियाणा में सीआरआई के निर्माण कार्य के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹12.50 करोड़)।	(xxiii)	Grants for creation of capital assets to ‘Central Council for Research in Yoga and Naturopathy’ for construction work of CRI in Karnataka and Haryana (₹12.50 crore).
(xxiv)	‘राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पुणे’ को चिकित्सा अनुभाग निर्माण हेतु पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹1.00 करोड़)।	(xxiv)	Grants for creation of capital assets to ‘National Institute of Naturopathy, Pune’ for construction of Treatment Section (₹1.00 crore).
(xxv)	‘मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली’ को जिला योग स्वस्थता केन्द्र और विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम में योग हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹2.40 करोड़)।	(xxv)	Grants-in-aid General to ‘Morarji Desai National Institute of Yoga, New Delhi’ for District Yoga wellness Centre and Yoga in school health programme (₹2.40 crore).
(xxvi)	‘राष्ट्रीय सिद्धा संस्थान चैन्नई’ को यूजीसी स्केलों के अनुसार वजीफा दर संशोधन के कारण सहायता अनुदान (₹2.00 करोड़)।	(xxvi)	Grants-in-aid General to ‘National Institute of Siddha, Chennai’ due to revision of rate of stipend as per UGC scales (₹2.00 crore).
(xxvii)	‘आयुष शिक्षा/औषध विकास तथा अनुसंधान/क्लिनिकल अनुसंधान/पारम्परिक औषधि आदि में लगे उत्कृष्ट आयुष केन्द्रों गैर सरकारी/निजी क्षेत्र में नियोजित को सहायता योजना के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (₹1.74 करोड़)।	(xxvii)	Grants-in-aid General to meet the additional expenditure under the scheme ‘Assistance to accredited AYUSH centres of Excellence in non-governmental/private sector engaged in AYUSH education/ drug development & research/ clinical research/ folk medicine etc.’ (₹1.74 crore).
(xxviii)	‘आयुष शिक्षा/औषध विकास और अनुसंधान/क्लिनिकल अनुसंधान/पारम्परिक औषधि आदि में लगे गैर-सरकारी/ निजी क्षेत्र में नियोजित उत्कृष्ट आयुष केन्द्रों को सहायता’ योजना के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹6.72 करोड़)।	(xxviii)	Grants for creation of capital assets to meet the additional expenditure under the scheme ‘Assistance to accredited AYUSH centres of excellence in non-governmental/private sector engaged in AYUSH education/ drug development & research/ clinical research/ folk medicine etc.’ (₹6.72 crore).
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹14.75 करोड़ की बचतों को समायोजित करने के बाद उपर्युक्त (i) से (xxviii) की मदों में ₹77.66 करोड़ का नकद व्यय होगा।		After adjusting the savings of ₹14.75 crore available in the same section of the grant, items from a (i) to (xxviii) above will entail cash outgo of ₹77.66 crore.	
ख. (i)	‘केन्द्रीय भारतीय औषधि परिषद’ को नवनियुक्त विशेषज्ञों/ सलाहकारों को वेतन और भत्तों के बकाया भुगतान हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹2.96 करोड़)।	b. (i)	Grants-in-aid General to ‘Central Council of Indian Medicine’ for payment of Arrears of Pay and Allowances to newly appointed experts/ consultants (₹2.96 crore).

- (ii) भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्यों में 'केन्द्रीय भारतीय औषधि परिषद' के चुनाव आयोजित करवाने हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹0.99 करोड़)।
- (iii) 'केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद नई दिल्ली' को भारत सरकार के प्रकाशन विभाग को भुगतान हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹1.36 करोड़)।
- (iv) 'स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान जामनगर' को संशोधित वेतन और मंहगाई भत्तों आदि के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹0.83 करोड़)।
- (v) 'राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर' को वेतन और भत्तों के अतिरिक्त व्यय हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹2.27 करोड़)।
- (vi) 'राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली' को सितम्बर 2000 से एनपीए बकाया और विद्युत टैरिफ में वृद्धि हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹0.43 करोड़)।
- (vii) 'राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता' को संशोधित एसपीपी आदि के संबंध में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹0.27 करोड़)।
- (viii) 'केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली' को सेवानिवृत्त लाभों और स्व-स्थाने पदोन्नति सामान्य सहायता अनुदान (₹2.80 करोड़)।
- (ix) 'केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली' को वेतन और भत्ता बकायों, चिकित्सा दावों, पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों आदि के भुगतान हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹4.69 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹3.61 करोड़ की बचतों को समायोजित करने के बाद, उपर्युक्त ख(i) से (ix) की मदों में ₹12.99 करोड़ का नकद व्यय होगा।

- ग. (i) पूर्वोत्तर राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों में वृद्धि के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए 'राष्ट्रीय औषधि पौध बोर्ड की स्थापना' योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹0.84 करोड़)।
- (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र में अतिरिक्त आवश्यकता के कारण आयुष अस्पतालों और औषधालियों का विकास तथा आयुष को मुख्य धारा से जोड़ने योजना के तहत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹9.35 करोड़)।
- (iii) 'केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद' को राष्ट्रीय अभियान ओपीडी के कार्यों आदि में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के कारण सामान्य सहायता अनुदान (₹0.10 करोड़)।
- (iv) 'केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद' को पूर्वोत्तर राज्यों में सीआरआई के निर्माण कार्यों हेतु पूंजी परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹5.00 करोड़)।

- (ii) Grants-in-aid General for conducting elections of 'Central Council for Indian Medicine' in States under the direction of Supreme Court of India (₹0.99 crore).
- (iii) Grants-in-aid General to 'Central Councils of Homoeopathy, New Delhi' for payment to Publication Department of Government of India (₹1.36 crore).
- (iv) Grants-in-aid General to 'Institute of Post Graduate Teaching & Research in Ayurveda, Jamnagar' for making payment of revised Pay and DA etc. (₹0.83 crore).
- (v) Grants-in-aid General to 'National Institute of Ayurveda, Jaipur' for additional expenditure on pay and allowances (₹2.27 crore).
- (vi) Grants-in-aid General to 'Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth, New Delhi' for NPA arrears w.e.f September, 2000 and increase in electricity tariff (₹0.43 crore).
- (vii) Grants-in-aid General to 'National Institute of Homoeopathy, Kolkata' to meet additional expenditure towards Modified ACP etc. (₹0.27 crore).
- (viii) Grants-in-aid General to 'Central Council for Research in Homoeopathy, New Delhi' to meet additional expenditure on retirement benefits and in-situ promotion (₹2.80 crore).
- (ix) Grants-in-aid General to 'Central Council for Research in Unani Medicine, New Delhi' for payment of arrears of Pay & Allowances, medical claims, pension and retirement benefits, etc. (₹4.69 crore).

After adjusting the savings of ₹3.61 crore available in the same section of the grant, the items from b (i) to (ix) above will entail cash outgo of ₹12.99 crore).

- (c) (i) Grants-in-aid General under the scheme 'Setting up of National Medicinal Plant Board' to meet the additional expenditure due to increase in proposals from North Eastern States (₹0.84 crore).
- (ii) Grants for creation of capital assets under the scheme 'Development of AYUSH Hospitals & Dispensaries and Mainstreaming of AYUSH' due to additional requirement in North East Areas (₹9.35 crore).
- (iii) Grants-in-aid General to 'Central Council for Research in Yoga & Naturopathy' to meet additional expenditure on increase in activities of National Campaign OPDs etc. (₹0.10 crore).
- (iv) Grants for creation of capital assets to 'Central Council for Research in Yoga & Naturopathy' for construction work of CRI in NER States (₹5.00 crore).

- (v) पूर्वोत्तर राज्यों में अतिरिक्त मांग के कारण 'एसएयू एंड एच का गुणवत्ता नियंत्रण' योजना के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान ₹0.14 करोड़।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹13.01 करोड़ की बचतों के समायोजन के बाद, उपर्युक्त (ग)(i) से (v) की मदों में 2.42 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

- घ. यह अतिरिक्त व्यय 'भारतीय औषधि भेषज निगम लि.' के आधुनिकीकरण और प्रसार के उद्देश्य के लिए 'निवेश' के रूप में आवश्यक है (₹9.00 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹1.10 करोड़ की बचतों के समायोजन के बाद, इसमें ₹7.90 करोड़ का नकद व्यय होगा।

- (v) Grants-in-aid General to meet additional expenditure under the scheme 'Quality Control of ASU & H Drugs' due to additional demand of NER States (₹0.14 crore).

After adjusting the savings of ₹13.01 crore available in the same section of the grant, the items from c (i) to (v) above will entail cash outgo of ₹2.42 crore.

- d. Additional expenditure is required as 'investment' for the purpose of modernisation and expansion of 'Indian Medicines Pharmaceutical Corporation Ltd' (₹9.00 crore).

After adjusting the savings of ₹1.10 crore available in the same section of the grant, it will entail cash outgo of ₹7.90 crore.

मांग संख्या DEMAND NO.48

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 48 और वर्ष 2010-11 के अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 33 देखिए)
(See page 48 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011 and page 33 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2010-11)

			(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	660.00	...	660.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	30.00	...	30.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
	स्वीकृत	Voted:	690.01	...	690.01

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health			
	स्वीकृत	Voted:	...	0.01
			0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है:

- अतिरिक्त निधि अनुसंधान कार्यक्रमों पर हुए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली का सामान्य सहायता अनुदान (₹20.00 करोड़)।
- विभिन्न अनुसंधान इकाइयों/आईसीएमआर फील्ड स्टेशनों, ग्रामीण केन्द्रों आदि में अवसंरचना उन्नयन संबंधी चालू कार्यों के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹50.00 करोड़)

चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- Grants-in-aid General to Indian Council of Medical Research, New Delhi to meet additional expenditure on extra mural research activities (₹20.00 crore).
- Grants for creation of capital assets to Indian Council of Medical Research, New Delhi for on-going works relating to up-gradation of the infrastructure at various research units/ICMR field stations, rural centres etc. (₹ 50.00 crore).

As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.49

भारी उद्योग विभाग

DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 49, वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 40 तथा वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 34 देखिए)।

(See page 49 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011, page 40 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011 and page 34 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
पूरक अनुदान:	स्वीकृत	Voted:	375.01	506.70	881.71
	स्वीकृत	SUPPLEMENTARY GRANT:			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत	Voted:	12.27	231.47	243.74
	स्वीकृत	Supplementary Estimate of the amount now required:			
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत	Voted:	1142.97	0.01	1142.98
	स्वीकृत	Total (Original plus Supplementary)	Voted: 1530.25	738.18	2268.43

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	स्वीकृत	2852-Industries	Voted:	...	1142.97 (का)
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
4858-इंजिनियरिंग उद्योग पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4858-Capital outlay on Engineering Industries	Voted:	0.01 (खब)	...
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted: 0.01	1142.97	1142.98

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) आवश्यक लेखा समायोजन अर्थात् 2009-2010 और 2010-2011 की अवधि हेतु एन्ड्रयू यूल एण्ड कम्पनी लि. ₹1.28 करोड़) और 2010-2011 की अवधि हेतु भारी इंजीनियरिंग निगम लि. (₹2.53 करोड़) के सम्बन्ध में गारंटी शुल्क माफी। (ii) 31.03.2009 को भारत सरकार के ऋण पर ब्याज और शास्ति ब्याज माफी (₹639.15 करोड़) तथा बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लि. जो कि कम्पनी की अनुमोदित पुनर्संरचना आयोजना भाग के रूप में भारत भारी उद्योग निगम लि. की सहायक कम्पनी है, के सन्दर्भ में संचित घाटे की एवज में इक्विटी (₹500.01 करोड़) अवलिखित।

(ii) ऑटोमोबाइल और सम्बद्ध उद्योग विकास परिषद को सामान्य सहायता अनुदान (₹4.84 करोड़) प्रदान करने हेतु, सरकारी गारंटियों वाले ऋण पर एचएमटी लि. को ब्याज सब्सिडी (₹5.20 करोड़) और 1.1.2010 से 31.3.2011 की अवधि हेतु सरकारी लिक्विडेटर के वेतन भुगतान और प्रशासनिक व्यय हेतु राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि. (₹0.12 करोड़) को अनुदान।

₹1142.97 करोड़ के व्यय की प्रतिपूर्ति लेखांकन समायोजन के लिए प्राप्तियों और अतिरिक्त व्यय (₹10.16 करोड़ रुपए) जिसको अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के पुनर्विनियोग के माध्यम से पूरा किया जाएगा। उक्त पूरकों में नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for the following purposes:

(a) (i) For carrying out necessary accounting adjustments viz. waiver of guarantee fee in respect of Andrew Yule and Company Ltd. (₹1.28 crore) for the period 2009-2010 and 2010-2011, Heavy Engineering Corporation Ltd. (₹2.53 crore) for the period 2010-2011. (ii) For waiver of interest and penal interest (₹639.15 crore) as on 31.03.2009 on Government of India loan and write down of equity (₹500.01 crore) against the accumulated losses in respect of Burn Standard Company Limited, a subsidiary of Bharat Bhari Udyog Nigam Ltd., as part of approved restructuring plan of the company.

(ii) For providing grant-in-aid general (₹4.84 crore) to Development Council for Automobile & Allied Industries, Interest subsidy (₹5.20 crore) to HMT Ltd. on Government guaranteed loan and grants to National Industrial Development Corporation Ltd. (₹0.12 crore) for payment of salaries to the Official Liquidator and administrative expenses for the period 1.1.2010 to 31.3.2011.

Expenditure of ₹1142.97 crore will be matched by receipts towards accounting adjustment and the additional expenditure (₹10.16 crore) will be met through re-appropriation of savings available within the same section of the Grant. The above supplementaries will not entail cash outgo.

- (ख) (i) इस सांकेतिक पूरक की अपेक्षा किए गए आवश्यक लेखा समायोजनों हेतु की गयी है अर्थात् भारत सरकार का ऋण परिवर्तन (₹382.52 करोड़), बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लि. के सन्दर्भ में इक्विटी में 31.12.2009 बकाया जीरो रेट डिबेंचर (75.03 करोड़ रुपए), भारत सरकार का ऋण (₹28.16 करोड़); भारत ब्रेक्स और वाल्व्स लि. के सन्दर्भ में 31.3.2009 को बकाया जीरो रेट डिबेंचर (₹14.30 करोड़ रुपए), और 500.01 करोड़ रुपए की इक्विटी राशि में बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड की सहायक रेलोल बर्न लि., तथा (ii) 31.3.2009 को सांविधिक देयता उन्मोचन हेतु बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड में अतिरिक्त इक्विटी निवेश (₹25.43 करोड़) प्रदान करना जिनकी पूर्ति भारत भारी उद्योग निगम लि. और इसकी ग्रुप कम्पनियों की अनुमोदित पुनर्संरचना योजना के भाग के रूप में अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध समतुल्य बचतों से की जाएगी।
- (b) (i) A token supplementary is sought for carrying out necessary accounting adjustment viz. conversion of Government of India loan (₹ 382.52 crore) and Zero Rate Debenture (₹75.03 crore) outstanding as on 31.12.2009 into equity in respect of Burn Standard Company Ltd. and Government of India loan (₹28.16 crore) and Zero Rate Debenture (₹14.30 crore) outstanding as on 31.3.2009 in respect of Bharat Brakes and Valves Ltd and Reyrolle Burn Limited subsidiaries of Burn Standard Company Ltd. into equity amounting to ₹500.01 crore, and (ii) for providing additional equity Investment (₹25.43 crore) in Burn Standard Company Ltd for discharging statutory liability as on 31.03.2009, which will be met from equivalent savings available within the same Section of the Grant, as part of approved restructuring plan of Bharat Bhari Udyog Nigam Ltd and its group companies.

मांग संख्या DEMAND NO.50

सरकारी उद्यम विभाग
DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 50 और वर्ष 2010-11 के अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 35 देखिए)
 (See page 50 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011 and page 35 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2010-11)

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	15.72	...	15.72
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	2.16	...	2.16
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.30	...	0.30
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	18.18	...	18.18

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION		
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD		
3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ		3451-Secretariat Economic Services		
	स्वीकृत	Voted:	...	0.30
				0.30

यह पूरक अनुदान घरेलू यात्रा व्यय (₹0.21 करोड़) और कार्यालय व्यय (₹0.09 करोड़) पर हुए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। इसमें नगद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for meeting additional expenditure on Domestic Travel Expenses (₹0.21 crore) and Office Expenses (₹ 0.09 crore). This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.51

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 51, वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 41-42 और वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 36 देखिए)।

(See page 51 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011, page 41-42 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011 and page 36 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	0.30	...	0.30
	स्वीकृत	Voted:	3195.12	87.97	3283.09
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	1027.28	0.02	1027.30
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	10.26	23.66	33.92
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	4232.96	111.65	4344.61
	भारित	Charged:	0.30	...	0.30
	स्वीकृत	Voted:	4232.66	111.65	4344.31

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	स्वीकृत	2052- Secretariat-General Services	Voted:	...	5.72 (का)
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत	2070- Other Administrative Services	Voted:	...	4.53 (खb)
3454-जनगणना सर्वेक्षण और आंकड़े	स्वीकृत	3454- Census Surveys and Statistics	Voted:	...	0.01 (गc)
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत	Total (Revenue Section)	Voted:	...	10.26
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4059- Capital Outlay on Public Works	Voted:	7.73 (घd)	12.98 (ङe)
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4070- Capital Outlay on other Administrative Services	Voted:	...	2.95 (चf)
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत	Total (Capital Section)	Voted:	7.73	15.93
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	7.73	26.19

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) गृह मंत्रालय ही के वेतन (₹ 2.87 करोड़)
- (ii) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) (₹ 0.05 करोड़)
- (iii) गृह मंत्रालय ही की सूचना प्रौद्योगिकी (मशीनरी और उपस्कर (₹ 0.30 करोड़) और
- (iv) गृह मंत्रालय के विभागीय लेखा संगठन के वेतन (₹ 2.50 करोड़)।

इसमें नगद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for meeting additional expenditure on:

- (a) (i) Salaries of Ministry of Home Affairs (MHA) (Proper) (₹ 2.87 crore)
- (ii) Wages for Narcotics Control Bureau (NCB) (₹ 0.05 crore)
- (iii) Information Technology (Machinery & Equipment) of MHA (Proper) (₹ 0.30 crore) and
- (iv) Salaries of Departmental Accounting Organization of MHA (₹ 2.50 crore).

This will entail cash outgo.

<p>(ख) (i) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 6.89 करोड़)</p> <p>(ii) जस्टिस चटर्जी आयोग को अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु भारत क आकस्मिकता निधि से प्राप्त अग्रिम की प्रतिपूर्ति (₹ 0.20 करोड़)</p> <p>(iii) आसूचना ब्यूरो (आईबी) का विज्ञापन और प्रचार (₹ 0.19 करोड़)</p> <p>(iv) इण्डो-अफ्रीका योजना का अन्य प्रशासनिक व्यय (₹ 0.50 करोड़)</p> <p>(v) राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (एनआईए) के विज्ञापन और प्रचार (₹ 0.30 करोड़)</p> <p>(vi) राजभाषा के किराए, दरें और कर (₹ 0.03 करोड़)</p> <p>(vii) एनआईए के लघु निर्माण कार्य (₹ 0.04 करोड़) और</p> <p>(viii) आप्रवासन ब्यूरो (बीओआई) के किराया, दरें और कर (₹ 0.60 करोड़) और लघु निर्माण कार्य (₹ 3.00 करोड़)।</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 7.22 करोड़ की बचतों को शामिल करने के बाद इसमें ₹ 4.53 करोड़ का नगद व्यय होगा।</p>	<p>(b) (i) providing grants-in-aid to National Human Rights Commission (₹ 6.89 crore)</p> <p>(ii) re-couping the advance obtained from Contingency Fund of India for providing additional grants-in-aid to Justice Chatterjee Commission (₹ 0.20 crore)</p> <p>(iii) Advertising and Publicity of Intelligence Bureau (IB) (₹ 0.19 crore)</p> <p>(iv) Other Administrative Expenses of Indo-Africa Plan (₹ 0.50 crore)</p> <p>(v) Advertising and Publicity of National Investigation Agency (NIA) (₹ 0.30 crore)</p> <p>(vi) Rent, Rates and Taxes of Official Language (₹ 0.03 crore)</p> <p>(vii) Minor Works of NIA (₹ 0.04 crore) and</p> <p>(viii) Rent, Rates and Taxes (₹ 0.60 crore) and Minor Works (₹ 3.00 crore) of Bureau of Immigration (BOI).</p> <p>After taking into account savings of ₹ 7.22 crore available within the same Section of the Grant, this will entail cash outgo of ₹ 4.53 crore.</p>
<p>(ग) (i) जनगणना (पृथक्करण और संकलन) के किराया, दरें और कर (₹ 2.00 करोड़) और</p> <p>(ii) जनगणना के तहत विज्ञापन और प्रचार (₹ 17.50 करोड़)।</p> <p>चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध है अतः सांकेतिक पूरक की मांग प्रत्येक मामले में की गई है।</p> <p>(घ) मानव अधिकार भवन का निर्माण।</p> <p>इसमें नगद व्यय होगा।</p> <p>(ङ) बीओआई (₹ 5.02 करोड़), आईबी (₹ 4.99 करोड़) औ एनसीबी (₹ 2.97 करोड़) के प्रमुख निर्माण कार्य।</p> <p>इसमें नगद व्यय होगा।</p> <p>(च) मशीनरी और उपस्कर (₹ 3.95 करोड़) की खरीद।</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 1.00 करोड़ की बचतों को शामिल करने के बाद इसमें ₹ 2.95 करोड़ रुपए का नगद व्यय होगा।</p>	<p>(c) (i) Rent, Rates and Taxes for Census (Abstraction and Compilation) (₹ 2.00 crore) and</p> <p>(ii) Advertising and Publicity under Census (₹ 17.50 crore).</p> <p>As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.</p> <p>(d) construction of Manav Adhikar Bhavan.</p> <p>This will entail cash outgo.</p> <p>(e) Major Works of BOI (₹ 5.02 crore), IB (₹ 4.99 crore) and NCB (₹ 2.97 crore).</p> <p>This will entail cash outgo.</p> <p>(f) purchase of Machinery and Equipment for IB (₹ 3.95 crore).</p> <p>After taking into account savings of ₹ 1.00 crore available within the same Section of the Grant, this will entail cash outgo of ₹ 2.95 crore.</p>

मांग संख्या DEMAND NO.53

पुलिस
POLICE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 53, वर्ष 2010-11 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 44-45 और वर्ष 2010-11 की अनुदानों की पूरक मांगों का पृष्ठ 38-39 देखिए)।

(See page 53 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011 and page 44-45 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011 and page 38-39 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	4.26	7.90	12.16
	स्वीकृत	Voted:	23335.48	6822.57	30158.05
पूरक अनुदान		SUPPLEMENTARY GRANT			
	भारित	Charged:	0.06	...	0.06
	स्वीकृत	Voted:	3807.48	604.01	4411.49
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	1982.08	0.01	1982.09
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	29129.36	7434.49	36563.85
	भारित	Charged:	4.32	7.90	12.22
	स्वीकृत	Voted:	29125.04	7426.59	36551.63

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2055-पुलिस	स्वीकृत	2055-Police	Voted:	0.01 (का)	1982.07 (खb)	1982.08
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय	भारित	4055-Capital Outlay on Police	Voted:	...	0.01 (गc)	0.01
जोड़ (परक)	भारित	Total (Supplementary)	Voted:	0.01	1982.08	1982.09

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant is required for meeting additional expenditure on:

- | | |
|---|---|
| <p>(क) (i) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अपराध और आपराधिक नेटवर्क प्रणाली (₹ 5.00 करोड़)।</p> <p>(ii) राज्य स्तर पर क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं और जिला स्तर पर जिला फॉरेंसिक मोबाइल इकाइयों का सृजन (₹ 13.69 करोड़)।</p> | <p>(a) (i) Crime and Criminal Network System of National Crime Records Bureau (₹ 5.00 crore).</p> <p>(ii) creation of Regional Forensic Science Laboratories at State Level and District Forensic Mobile Units at District Level (₹ 13.69 crore).</p> |
|---|---|

चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग प्रत्येक मामले में की गई है।

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

- | | |
|---|---|
| <p>(ख) (i) असम राइफल्स (एआर) (₹ 114.00 करोड़), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) (₹ 583.27 करोड़), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) (₹ 117.24 करोड़), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) (₹ 725.00 करोड़), दिल्ली पुलिस (डीपी) (₹ 357.71 करोड़), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) (₹ 117.24 करोड़), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) (₹ 27.00</p> | <p>(b) (i) Salaries of Assam Rifles (AR) (₹ 114.00 crore), Border Security Force (BSF) (₹ 583.27 crore), Central Industrial Security Force (CISF) (₹ 117.24 crore), Central Reserve Police Force (CRPF) (₹ 725.00 crore), Delhi Police (DP) (₹ 357.71 crore), Indo-Tibetan Border Police (ITBP) (₹ 117.24 crore), National Security Guard (NSG)</p> |
|---|---|

करोड़), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) (₹ 130.00 करोड़) और विभागीय लेखा संगठन (₹ 5.25 करोड़)।

(₹ 27.00 crore), Sashastra Seema Bal (SSB) (₹ 130.00 crore), and Departmental Accounting Organisation (₹ 5.25 crore).

(ii) सीआरपीएफ (₹ 25.00 करोड़) और एसएसबी (₹ 1.00 करोड़) के घरेलू यात्रा व्यय।

(ii) Domestic Travel Expenses of CRPF (₹ 25.00 crore) and SSB (₹ 1.00 crore).

(iii) बीएसएफ का किराया, दर और कर (₹ 6.23 करोड़)।

(iii) Rent, Rates and Taxes of BSF (₹ 6.23 crore).

(iv) दिल्ली पुलिस को आपूर्ति और सामग्री (₹ 10.44 करोड़), अश्रु गैस इकाई (₹ 4.60 करोड़) और फॉरेंसिक विज्ञान निदेशालय (₹ 0.45 करोड़)।

(iv) Supplies and Material of DP (₹ 10.44 crore), Tear Smoke Unit (₹ 4.60 crore) and Directorate of Forensic Sciences (₹ 0.45 crore).

(v) एआर (₹ 10.00 करोड़), बीएसएफ (₹ 10.00 करोड़), सीआईएसएफ (₹ 15.00 करोड़), सीआरपीएफ (₹ 20.00 करोड़), डीपी (₹ 10.00 करोड़) और राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एनपीए) (₹ 1.01 करोड़) को हथियार और बारूद सामग्री (सामान्य)।

(v) Arms and Ammunition (General) of AR (₹ 10.00 crore), BSF (₹ 10.00 crore), CISF (₹ 15.00 crore), CRPF (₹ 20.00 crore), DP (₹ 10.00 crore) and National Police Academy (NPA) (₹ 1.01 crore).

(vi) सीआरपीएफ (₹ 72.00 करोड़), आईटीबीपी (₹ 26.58 करोड़) के राशन की लागत।

(vi) Cost of Ration of CRPF (₹ 72.00 crore) and ITBP (₹ 26.58 crore).

(vii) दिल्ली पुलिस (₹ 15.00 करोड़) और एनएसजी (₹ 2.50 करोड़) को कपड़ा और टेंट।

(vii) Clothing and Tentage of DP (₹ 15.00 crore) and NSG (₹ 2.50 crore).

(viii) बीएसएफ की व्यवसायिक सेवाएं (₹ 2.03 करोड़) और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (₹ 0.01 करोड़) की व्यावसायिक सेवाएं।

(viii) Professional Services of BSF (₹ 2.03 crore) and Bureau of Police Research and Development (₹ 0.01 crore).

(ix) सीआईएसएफ (₹ 4.00 करोड़), नक्सल प्रबन्धन हेतु सहायता (₹ 125.00 करोड़) और केन्द्रीय जासूसी प्रशिक्षण स्कूल (₹ 0.36 करोड़) के अन्य प्रभार।

(ix) Other Charges (V) of CISF (₹ 4.00 crore), Assistance for Naxal Management (₹ 125.00 crore) and Central Detective Training School (₹ 0.36 crore).

(x) मोर्चाबन्द पुलिस स्टेशन के सशक्तिकरण हेतु पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान (₹ 10.00 करोड़)

(x) Grants-in-aid for creation of Capital Assets for strengthening of fortified Police Station (₹ 10.00 crore).

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 565.85 करोड़ रुपए की बचतों को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के पूंजी स्वीकृत भाग से ₹ 1981.81 करोड़ रुपए और राजस्व भारित भाग से ₹ 0.26 करोड़ रुपए के अभ्यर्पण करने से इसमें नगद व्यय होगा।

Taking into account savings of ₹ 565.85 crore available within the same Section of the Grant and surrender of ₹ 0.26 crore from Revenue Charged Section and ₹ 1981.81 crore from the Capital Voted Section of the Grant, this will not entail cash outgo.

(ग) (i) तटीय सुरक्षा की मशीनरी और उपस्कर (₹ 68.30 करोड़)

(c) (i) Machinery and Equipment of Coastal Security (₹ 68.30 crore).

(ii) पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के आवासीय भवन (₹ 0.20 करोड़)

(ii) Residential Building of Bureau of Police Research and Development (₹ 0.20 crore).

(iii) मोटरवाहन (आधुनिकीकरण (₹ 0.63 करोड़)।

(iii) Motor Vehicle (Modernisation) (₹ 0.63 crore).

चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः प्रत्येक मांग में सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

मांग संख्या DEMAND NO. 54

गृह मंत्रालय के अन्य व्यय

OTHER EXPENDITURE OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 54, वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 46 और 2010-2011 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 40 देखिए)।

(See page 54 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011, page 46 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011 and page 40 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.03	...	0.03
	स्वीकृत	Voted:	1359.51	136.41	1495.92
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	0.04	36.73	36.77
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	16.50	...	16.50
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1376.08	173.14	1549.22
	भारित	Charged:	0.03	...	0.03
	स्वीकृत	Voted:	1376.05	173.14	1549.19

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत	2235-Social Security and Welfare	Voted:	...	10.00 (का)
2245-प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	स्वीकृत	2245-Relief on account of Natural Calamities	Voted:	...	0.01 (खb)
3053-नागर विमानन	स्वीकृत	3053-Civil Aviation	Voted:	...	1.49 (गc)
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत	3601-Grants-in-aid to State Governments	Voted:	...	5.00 (घd)
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	...	16.50

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु है:

- (क) (i) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना (₹100.00 करोड़)
(ii) स्वतंत्रता सेनानियों के घरों की मरम्मत (0.05 करोड़ रुपए);
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹90.05 करोड़ रुपए और
अनुदान के पूंजी स्वीकृत भाग में उपलब्ध ₹10.00 करोड़ रुपए की
बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई नगद व्यय नहीं होगा।
- (ख) (i) राज्यों में स्थापित प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता
अनुदान प्रदान करने (₹4.00 करोड़)।
(ii) यूएनडीपी-आपदा जोखिम प्रबन्धन कार्यक्रम की एवज में सहायता
अनुदान (₹5.00 करोड़)
चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक
पूरक की मांग प्रत्येक मामले में की गई है।
- (ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाएं (₹5.00 करोड़)।

The supplementary grant is sought for meeting additional expenditure on:

- (a) (i) Swatantrata Sainik Samman Pension Scheme (₹100.00 crore)
(ii) maintenance of homes for freedom fighters (₹0.05 crore).
Taking into account savings of ₹90.05 crore available within
the same Section of the Grant and ₹10.00 crore available within
the Capital Voted Section of the Grant, there will be no cash outgo.
- (b) (i) providing grants-in-aid to Administrative Training
Institutes set up in States (₹4.00 crore).
(ii) grants-in-aid against UNDP- Disaster Risk Management
Programme (₹5.00 crore).
As savings are available within the same Section of the
Grant, a token supplementary is sought in each case.
- (c) Helicopter services in NE region (₹5.00 crore)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹3.51 करोड़ रुपए और अनुदान के पूंजी स्वीकृत भाग में उपलब्ध ₹1.49 करोड़ रुपए की बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई नगद व्यय नहीं होगा।

- (घ) (i) 1984 दंगों के पीड़ितों को वर्धित क्षतिपूर्ति (₹5.00 करोड़)
 (ii) गुजरात दंगा पीड़ित (₹45.58 करोड़)
 (iii) भागलपुर दंगा पीड़ित (₹0.90 करोड़)
 (iv) मिजोरम (₹5.00 करोड़) और त्रिपुरा (₹3.00 करोड़) के लिए पुनर्वास।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹54.48 करोड़ और अनुदान के पूंजी स्वीकृत भाग में उपलब्ध ₹5 करोड़ की बचतों को शामिल करने के बाद इसमें कोई नगद व्यय नहीं होगा।

Taking into account savings of ₹ 3.51 crore available within the same Section of the Grant and ₹ 1.49 crore available within the Capital Voted Section of the Grant, there will be no cash outgo.

- (d) (i) enhanced compensation to 1984 riot victims (₹ 5.00 crore)
 (ii) Gujarat riot victims (₹ 45.58 crore)
 (iii) Bhagalpur riot victims (₹ 0.90 crore)
 (iv) Rehabilitation for Mizoram (₹ 5.00 crore) and Tripura (₹ 3.00 crore)

Taking into account savings of ₹ 54.48 crore available within the same Section of the Grant and ₹5.00 crore available within the Capital Voted Section of the Grant, there will be no cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.55

संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण

TRANSFERS TO UNION TERRITORY GOVERNMENTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 55 और वर्ष 2010-11 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 41 देखिए)।
(See page 55 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011 and page 41 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2010-11).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	1919.10	72.00	1991.10	
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	5.00	...	5.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)				
	स्वीकृत	Voted:	1924.11	72.00	1996.11	
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:				
		II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	Voted:	0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु आवश्यक है:

- संघ राज्य क्षेत्र की विशेष परियोजनाओं हेतु पॉडिचेरी संघ राज्य-क्षेत्र एकबारगी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करना (₹ 50.00 करोड़)।
- बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम के लिए पॉडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र को सहायता प्रदान करना (₹ 7.50 करोड़)।
- पॉडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र को सामान्य सहायता (₹ 105.69 करोड़), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) को सहायता (₹ 7.39 करोड़), राष्ट्रीय ई-शासन कार्रवाई योजना (एनईजीएपी) को सहायता (₹ 1.45 करोड़), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) (₹ 4.64 करोड़), शहरी अवसंरचना शासन उप-मिशन (₹ 10.00 करोड़), लघु और मध्यम कस्बा शहरी अवसंरचना विकास (यूआईडीएसएमटी) मिशन (₹ 7.56 करोड़), शहरी गरीबों को बुनियादी सेवा (बीएसयूपी) उपमिशन (₹ 10.00 करोड़), एकीकृत आवास और झुग्गी विकास (₹ 1.20 करोड़) और राजीव आवास योजना (आरएवाई) (₹ 0.20 करोड़)।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को सामान्य सहायता (₹ 229.72 करोड़), एनएसएपी को सहायता (₹ 39.98 करोड़), एनईजीएपी को सहायता (₹ 2.94 करोड़), शहरी अवसंरचना शासन (₹ 500.00 करोड़), शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवा उपमिशन (बीएसयूपी) (₹ 184.47 करोड़), राजीव आवास योजना (आरएवाई) (₹ 10.00 करोड़), राष्ट्रमंडल खेल अवसंरचना (₹ 50.00 करोड़) और ईएपी हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (₹ 5.00 करोड़)।

The supplementary grant is required for:

- providing one time Additional Central Assistance to Union Territory of Puducherry for UT specific projects (₹ 50.00 crore).
- providing assistance to UT of Puducherry for Flood Management Programme (₹ 7.50 crore).
- providing to UT of Puducherry for Normal Assistance (₹ 105.69 crore), Assistance for National Social Assistance Programme (NSAP) (₹ 7.39 crore), Assistance for National E-Governance Action Plan (NEGAP) (₹ 1.45 crore), Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) (₹ 4.64 crore), Sub-mission on Urban Infrastructure Governance (₹ 10.00 crore), Urban Infrastructure Development for Small and Medium Towns (UIDSMT) (₹ 7.56 crore), Sub-mission on Basic Services to the Urban Poor (BSUP) (₹ 10.00 crore), Integrated Housing and Slum Development (₹ 1.20 crore) and Rajiv Awas Yojana (RAY) (₹ 0.20 crore).
- providing to National Capital Territory of Delhi for Normal Assistance (₹ 229.72 crore), Assistance for NSAP (₹ 39.98 crore), Assistance for NEGAP (₹ 2.94 crore), Sub-mission of Urban Infrastructure Governance (₹ 500.00 crore), Sub-mission on Basic Services to the Urban Poor (BSUP) (₹ 184.47 crore), Rajiv Awas Yojana (RAY) (₹ 10.00 crore), Commonwealth Games Infrastructure (₹ 50.00 crore) and Additional Central Assistance for EAP (₹ 5.00 crore).

चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग प्रत्येक मामले में की गई है।

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

मांग संख्या DEMAND NO.57

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 57, वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 48-49 और वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 43 देखिए)।

(See page 57 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011, and pages 48-49 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011 and page 43 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2010-11).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	47772.88	...	47772.88
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	4000.02	...	4000.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	1557.93	...	1557.93
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)Voted:	53330.83	...	53330.83

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2202-सामान्य शिक्षा		2202- General Education	Voted:	825.00 (का)	0.01 (खb)	825.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र		2552- North Eastern Areas	Voted:	0.01 (गc)	...	0.01
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत	3475- Other General Economic Services	Voted:	0.01 (घd)	...	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत	3601- Grants-in-Aid to State Governments	Voted:	732.90 (ङe)	...	732.90
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	1557.92	0.01	1557.93

टिप्पणी: (क) अतिरिक्त आवश्यकता के उपरोक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई वसूलियां शामिल नहीं हैं जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: (a) The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2202-सामान्य शिक्षा	स्वीकृत	2202- General Education	Voted:	-825.00	...	-825.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत	3601- Grants-in-Aid to State Governments	Voted:	-732.90	...	-732.90

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant is required for the following purposes:

- | | |
|--|---|
| <p>(क) 1 (i) सर्वशिक्षा अभियान योजना के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयनकारी एजेंसियों को पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 784.80 करोड़)।</p> <p>(ii) 'विद्यालयों में 'राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम' योजना तहत संघ राज्य क्षेत्रों की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.45 करोड़)।</p> | <p>(a) 1. (i) Grants for creation of capital assets to Implementing Agencies in States/Union Territories for meeting additional expenditure under the scheme 'Sarva Shiksha Abhiyan' (₹ 784.80 crore).</p> <p>ii) Grants-in-aid General to meet additional requirement of Union Territories under the scheme 'National Programme of Mid Day Meals in Schools' (₹ 0.45 crore).</p> |
|--|---|

- (iii) 'उत्कृष्ट बेंचमार्क के रूप में खण्ड स्तर पर 6000 आदर्श विद्यालयों की स्थापना योजना के तहत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 59.00 करोड़)।
- (iv) शिक्षा उपकर के अतिरिक्त संग्रहण के कारण 'प्रारंभिक शिक्षा कोष' को निधियों का अन्तरण ₹ 1372.00 करोड़)।
- चूंकि समतुल्य बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।
2. 'सर्व शिक्षा अभियान' योजना के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयनकारी एजेंसियों को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 825.00 करोड़)।
- चूंकि व्यय की पूर्ति प्रारंभिक शिक्षा कोष से की जाएगी, अतः तकनीकी पूरक की मांग की गई है।
- (ख) वेतन के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए निम्नलिखित संस्थाओं को सामान्य सहायता अनुदान।
- (i) राष्ट्रीय बालभवन (₹ 0.60 करोड़)।
- (ii) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (₹ 11.87 करोड़)।
- (iii) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (₹ 112.79 करोड़)।
- (iv) तिब्बती शरणार्थी बच्चे (तिब्बती स्कूल सोसायटी) (₹ 3.26 करोड़)।
- चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।
- (ग) 1. निम्नलिखित योजनाओं के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान:
- (i) विद्यालयों में राष्ट्रीयमध्याह्न भोजन कार्यक्रम (₹ 485.94 करोड़)।
- (ii) अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास (आईडीएमआई) (₹ 1.50 करोड़)।
- (iii) उत्कृष्टता के बेंचमार्क के रूप में खण्ड स्तर पर 6000 आदर्श विद्यालयों की स्थापना (₹ 5.00 करोड़)।
- (iv) 'सर्व शिक्षा अभियान' योजना के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयनकारी एजेंसियां (₹ 87.00 करोड़)।
- चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।
2. निम्नलिखित योजनाओं के तहत राज्यों में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए सामान्य सहायता अनुदान:
- (i) मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (एसपीक्यूईएम) प्रदान करने हेतु (₹ 5.40 करोड़)।
- (ii) माध्यमिक विद्यालयों में विकलांगों हेतु समावेशी शिक्षा (आईडीएसएस) (₹ 2.50 करोड़)।
- (iii) माध्यमिक बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना (₹ 3.00 करोड़)।
- चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।
- (iii) Grants for creation of capital assets under the scheme 'Setting up of 6000 Model Schools at Block level as Bench Mark of Excellence' (₹ 59.00 crore).
- (iv) Transfer of funds to 'Prarambhik Shiksha Kosh' due to additional collection of Education Cess (₹ 1372.00 crore).
- As savings is available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
2. Grants-in-aid General to Implementing Agencies in States/Union Territories for meeting additional expenditure under the scheme 'Sarva Shiksha Abhiyan' (₹ 825.00 crore).
- As the expenditure will be met from the Prarambhik Shiksha Kosh, a technical supplementary is sought.
- (b) Grants-in-aid General to the following Institutions to meet the additional expenditure on account of salary:
- (i) National.Bal Bhawan (₹ 0.60 crore).
- (ii) National Council of Educational Research and Training (₹ 11.87 crore).
- (iii) Kendriya Vidyalaya Sangathan (₹ 112.79 crore).
- (iv) Tibetan Refugee Children (Tibetan School Society) (₹ 3.26 crore).
- As savings is available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) 1. Grants for creation of capital assets to meet the additional expenditure under the following schemes:
- (i) National Programme of Mid Day Meals in Schools (₹ 485.94 crore).
- (ii) Infrastructure Development in Minority Institutions (IDMI) (₹ 1.50 crore).
- (iii) Setting up of 6000 Model Schools at Block Level as Bench Mark of Excellence (₹ 5.00 crore).
- (iv) Implementing Agencies in States/Union Territories for meeting additional expenditure under the scheme 'Sarva Shiksha Abhiyan' (₹ 87.20 crore).
- As saving is available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
2. Grants-in-aid General to meet the additional expenditure in States under the following schemes:
- (i) Providing Quality Education in Madrassas (SPQEM) (₹ 5.40 crore).
- (ii) Inclusive Education for the Disabled at Secondary School (IEDSS) (₹ 2.50 crore).
- (iii) National Scheme of Incentive to Girls for Secondary Education (Rs. 3.00 crore).
- As matching saving is available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(घ) 'राष्ट्रीय निवेश निधि को अन्तरण' (185.90 करोड़)।

चूंकि बचत अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध है, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

(ङ) (i) 'विद्यालयों में 'राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम' योजना के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 185.90 करोड़)।

चूंकि व्यय की पूर्ति राष्ट्रीय निवेश निधि से की जाएगी, अतः तकनीकी पूरक की मांग की गई है।

(ii) विद्यालयों में 'राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम' योजना के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 547.00 करोड़)।

चूंकि व्यय की पूर्ति प्रारंभिक शिक्षा कोष से की जाएगी, अतः तकनीकी पूरक की मांग की गई है।

(d) Transfer to 'National Investment Fund' (₹ 185.90 crore).

As saving is available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(e) (i) Grants-in-aid General to meet the additional expenditure under the scheme 'National Programme of Mid Day Meals in Schools' (₹ 185.90 crore).

As the expenditure will be met from National Investment Fund, a technical supplementary is sought.

(ii) Grants-in-aid General to meet the additional expenditure under the scheme 'National Programme of Mid Day Meals in Schools' (₹ 547.00 crore).

As the expenditure will be met from the Prarambhik Shiksha Kosh, a technical supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.58

उच्च शिक्षा विभाग
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 58, वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 50 तथा वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 44 देखिए)।

(See page 58 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011, page 50 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011 and page 44 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	16690.00	...	16690.00	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	2093.29	...	2093.29	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	0.05	...	0.05	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	18783.34	...	18783.34	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2202-सामान्य		2202- General				
शिक्षा	स्वीकृत	Education	Voted:	0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02
2203-तकनीकी		2203- Technical				
शिक्षा	स्वीकृत	Education	Voted:	0.01 (गc)	0.01 (घd)	0.02
2552-पूर्वोत्तर		2552- North Eastern				
क्षेत्र	स्वीकृत	Areas	Voted:	0.01 (ङe)	...	0.01
जोड़ (परक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.03	0.02	0.05

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए माँगे गए हैं:

- (क) (i) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान योजना के तहत वेतन, बकाया और अन्य आवर्ती व्यय के कारण होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹8.50 करोड़)।
- (ii) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान योजना के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹3.00 करोड़)।
- (iii) भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला की योजना के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹0.50 करोड़)।
- (iv) राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोत्साहन परिषद् योजना के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹4.00 करोड़)।
- (v) ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापना योजना के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹0.50 करोड़)।

चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

- (ख) (i) वेतन के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु निम्नलिखित संस्थानों को सामान्य सहायता अनुदान:

The supplementary grants are sought for the following purposes:

- (a) (i) Grants-in-aid General for meeting additional expenditure on account of salary, arrear and other recurring expenditure under the scheme Rashtryia Sanskrit Sansthan (₹8.50 crore).
- (ii) Grants for creation of capital assets for meeting additional expenditure under the scheme Rashtryia Sanskrit Sansthan (₹3.00 crore).
- (iii) Grants for creation of capital assets for meeting additional expenditure under the scheme Indian Institute of Advance Studies, Shimla (₹0.50 crore)
- (iv) Grants-in-aid General for meeting additional expenditure under the scheme National Council for Promotion of Urdu Language (₹4.00 crore).
- (v) Grants-in-aid General for meeting additional expenditure under the scheme Establishment of Rural Universities (₹0.50 crore).

As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) (i) Grants-in-aid General for the following Institutions for meeting additional expenditure on account of salary:

<p>(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (₹168.83 करोड़)।</p> <p>(2) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों (₹283.90 करोड़)।</p> <p>(3) राष्ट्रीय शिक्षा योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय (₹2.43 करोड़)।</p> <p>(4) हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा (₹1.15 करोड़)।</p> <p>(5) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (₹5.26 करोड़)।</p> <p>(6) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् ₹30.22 करोड़)।</p>	<p>(1) University Grants Commission (168.83 crore).</p> <p>(2) Central Universities (₹ 283.90 crore)</p> <p>(3) National University of Education Planning and Administration (₹ 2.43 crore).</p> <p>(4) Hindi Shikshan Mandal, Agra (₹ 1.15 crore).</p> <p>(5) Rashtrya Sanskrit Sansthan (₹5.26 crore).</p> <p>(6) Indian Council of Social Science Research (₹ 30.22 crore).</p>
<p>(7) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग (₹0.02 करोड़)।</p>	<p>(7) National Commission for Minority Educational Institutions (₹0.02 crore).</p>
<p>(ii) यूनेस्को को अंशदान अतिरिक्त हेतु भारत के वर्धित हिस्से के लिए अतिरिक्त व्यय (₹0.16 करोड़)।</p>	<p>(ii) Additional Contribution to UNESCO (₹0.16 crore), towards increased India's share.</p>
<p>चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।</p>	<p>As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
<p>(ग) अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान:</p>	<p>(c) Grants for creation of capital assets for meeting additional expenditure on:</p>
<p>(1) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कांचीपुरम (₹10.00 करोड़)।</p> <p>(2) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जबलपुर (₹15.00 करोड़)।</p> <p>(3) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी (₹50.00 करोड़)।</p> <p>(4) भारतीय प्रबंधन संस्थान (₹13.85 करोड़)।</p>	<p>(1) Indian Institute of Information Technology, Kanchipuram (₹10. 00 crore).</p> <p>(2) Indian Institute of Information Technology, Jabalpur (₹15.00 crore).</p> <p>(3) Indian Institute of Technology (₹ 50.00 crore).</p> <p>(4) Indian Institute of Management (₹13.85 crore).</p>
<p>चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।</p>	<p>As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
<p>(घ) (i) वेतन के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु निम्नलिखित संस्थानों को सामान्य सहायता अनुदान:</p>	<p>(d) (i) Grants-in-aid General for the following Institutions for meeting additional expenditure on account of salary:</p>
<p>(1) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान (₹15.31 करोड़)।</p> <p>(2) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (₹0.22 करोड़)।</p> <p>(3) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर (₹31.22 करोड़)।</p> <p>(4) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (₹172.05 करोड़)।</p> <p>(5) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नालॉजी, राँची (₹1.17 करोड़)।</p> <p>(6) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबन्ध संस्थान, ग्वालियर (₹1.21 करोड़)।</p> <p>(7) पूर्वोत्तर क्षेत्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, इटानगर (₹9.49 करोड़)।</p> <p>(ii) भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी डिजिटल लाइब्रेरी (इंडेस्ट) संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (₹17.75 करोड़)।</p>	<p>(1) National Institutes for Technical Teachers Training & Research (₹ 15.31 crore).</p> <p>(2) Board of Apprenticeship Training (₹ 0.22 crore).</p> <p>(3) Indian Institute of Science, Bangalore (₹31.22 crore).</p> <p>(4) Indian Institutes of Technology (₹172.05 crore).</p> <p>(5) National Institute for Foundry and Forge Technology, Ranchi (₹1.17 crore).</p> <p>(6) Indian Institute of Information Technology & Management, Gwalior (₹1.21 crore).</p> <p>(7) North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Itanagar (₹9.49 crore)</p> <p>(ii) Grants-in-aid General for meeting additional expenditure on Indian National Digital Library in Engineering Science and Technology (INDEST) (₹17.75 crore).</p>
<p>चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।</p>	<p>As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
<p>(ड) (i) पूर्वोत्तर क्षेत्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, इटानगर को डिग्री पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹3.00 करोड़)।</p> <p>(ii) केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार को डिग्री पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹8.00 करोड़)।</p>	<p>(e) (i) Grants for creation of capital assets to North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Itanagar, for meeting additional expenditure for introduction of degree courses (₹3.00 crore).</p> <p>(ii) Grants for creation of capital assets to Central Institute of Technology, Kokrajhar, for meeting additional expenditure for introduction of degree courses (₹8.00 crore).</p>
<p>चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।</p>	<p>As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>

मांग संख्या DEMAND NO. 59

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 59, वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों के पहले बैच का पृष्ठ 53 और 2010-2011 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 45 देखिए)।

(See page 59 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011, page 53 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011 and page 45 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए ₹ in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.03	...	0.03
	स्वीकृत	Voted:	2269.68	334.54	2604.22
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	0.01	2.18	2.19
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	0.01	186.92	186.93
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2269.73	523.64	2793.37
	भारित	Charged:	0.03	...	0.03
	स्वीकृत	Voted:	2269.70	523.64	2793.34

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2220-सूचना और प्रसारण	2220-Information and				
	Publicity	Voted:	...	0.01 (का)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
4220-सूचना और प्रसारण पर पूंजी परियोजना	4220-Capital Outlay on Information and				
	Publicity	Voted:	15.48 (खb)	...	15.48
6221-प्रसारण पर ऋण	6221-Loans for				
	Broadcasting	Voted:	162.16 (गc)	...	162.16
6552-पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु ऋण	6552-Loans for North Eastern Areas				
		Voted:	9.28 (घd)	...	9.28
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)		186.92	...	186.92
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		186.92	0.01	186.93
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	186.92	0.01	186.93

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है;

(क) भरतीय सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान कोलकाता (₹0.18 करोड़), भारतीय बालफिल्म सोसायटी (₹0.10 करोड़), भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पूर्ण (₹1.94 करोड़), भारतीय प्रेस परिषद (₹ 0.68 करोड़), भारतीय जन संचार संस्थान (₹0.47 करोड़) और वेतन और संस्थापन से सम्बन्धित अतिरिक्त व्यय (₹12.74 करोड़). की पूर्ति के अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु। चूंकि बचतें अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

(a) Towards providing additional grants-in-aid to Satyajit Ray Film and Television Institute of India, Kolkata (₹0.18 crore), Children's Films Society of India (₹0.10 crore), Film & Television Institute of India, Pune (₹1.94 crore), Press Council of India (₹ 0.68 crore), Indian Institute of Mass Communication (₹0.47 crore) and also towards meeting additional expenditure on Salary and establishment (₹12.74 crore). As savings are available under Revenue Section of the Grant, a token supplementary is sought;

- (ख) भवन निर्माण और विभिन्न मीडिया इकाइयों के पूंजी प्रवृत्ति के अन्य मदों संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (₹15.48 करोड़), अनुदान के राजस्व भाग के तहत उपलब्ध बचतों जो अभ्यर्पित की जाएगी को शामिल करने के बाद इसमें नगद व्यय के रूप में ₹13.88 करोड़ होगा।
- (ग) इसी भाग में मौजूद प्रावधान से ₹15.48 करोड़ की शेष आवश्यकता की पूर्ति के बाद प्रसार भारती (₹162.16 करोड़) को अतिरिक्त ऋण प्रदान करने के संबंध में। यह प्रबंधन राष्ट्रमण्डल खेल 2010 के आवंटनों का भाग है और यह प्रावधान 50 प्रतिशत ऋण और 50 प्रतिशत सहायता अनुदान के अनुपात में प्रसार भारती को निधियां प्रदान करने हेतु निर्णय के अनुपालन के संबंध में है। चूंकि समतुल्य बचतें अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध हैं, अतः इसमें नगद व्यय नहीं होगा।
- (घ) राष्ट्रमण्डल खेल 2010 के आवंटन के भाग के रूप में प्रसार भारती को पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु अतिरिक्त ऋण प्रदान करने के संबंध में (₹9.28 करोड़)। चूंकि समतुल्य बचतें अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध हैं जिने अभ्यर्पित किया जाएगा। अतः इसमें नगद व्यय नहीं होगा।
- (b) Towards meeting additional expenditure on construction of buildings and other items of capital nature of various media units (₹15.48 crore). After taking into account savings available under Revenue Section of the Grant, which will be surrendered, this will entail ₹13.88 crore as cash outgo;
- (c) Towards providing additional loans to Prasar Bharati (₹162.16 crore) after meeting the balance requirement of ₹15.48 crore from the existing provision in the same section. This provision is part of the allocations for the Commonwealth Games, 2010 and the provision is towards complying with the decision for providing funds to Prasar Bharati in the ratio of 50% loans and 50% Grants-in-aid. As equivalent savings are available in the Revenue Section of the Grant, which will be surrendered, this will not entail cash outgo;
- (d) Towards providing additional loans for development of North Eastern Areas (₹9.28 crore) to Prasar Bharati as part of the allocations for Commonwealth Games, 2010. As equivalent savings are available in the Revenue Section of the Grant, which will be surrendered, this will not entail cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO. 60

श्रम और रोजगार मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 60 और वर्ष 2010-11 के अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 54 देखिए)।
(See page 60 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011, page 54 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत	Voted:	3165.00	763.40	3928.40
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	186.00	..	186.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	84.68	...	84.68
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		3435.70	763.40	4199.10
	भारित	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत	Voted:	3435.68	763.40	4199.08

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2230-श्रम और रोजगार	2230-Labour and Employment	Voted:	83.66 (का)	1.01 (खb)	84.67
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	Voted:	0.01 (गc)	..	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	83.67	1.01	84.68

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are sought for the following purposes:

- | | |
|--|--|
| <p>(क) (i) राज्य सरकारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई)/ असंगठित क्षेत्र मजदूर स्वास्थ्य बीमा में केन्द्र की हिस्सेदारी संबंधी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (₹108.90 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखने के बाद, ₹82.90 करोड़ के नगद पूरक की मांग की गई है।</p> <p>(ii) "न्याय निर्णय मशीनरी (सीजीआईटी) का सुदृढ़ीकरण/न्याय मशीनरी सशक्तीकरण और लोक अदालतों का आयोजन" योजना के तहत कार्यालय व्यय सहित 1.1.2006 से सेवारत और सेवानिवृत्त पीठासीन अधिकारियों के वेतनमान के संशोधन पर वेतन संबंधी भुगतान हेतु (₹0.76 करोड़)। इसमें नकद व्यय होगा।</p> <p>(iii) "पूर्वोत्तर राज्य और सिक्किम में कौशल विकास अवसंरचना बढ़ाने" सम्बन्धी नई योजना के संबंध में व्यय की पूर्ति हेतु (₹30.53 करोड़)। चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है। चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।</p> | <p>(a) (i) For meeting additional requirement on Centre's share of Rashtriya Swasthaya Bima Yojana(RSBY) scheme/ Health Insurance for Unorganised Sector Workers to State Governments (₹108.90 crore). After taking into account savings available in the same Section of the Grant, cash supplementary of ₹82.90 crore is sought.</p> <p>(ii) For payment towards salaries on revision of pay-scale of serving and retired Presiding Officers w.e.f. 1.1.2006 including office expenses under the scheme "Strengthening of Adjudication Machinery (C.G.I.Ts)/ Strengthening of Adjudication Machinery and holding of Lok Adalats (₹0.76 crore). This will entail cash outgo.</p> <p>(iii) For meeting expenditure towards the new scheme on "Enhancing Skill Development Infrastructure in NE States and Sikkim"(₹30.53 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |
| <p>(ख) (i) "न्याय निर्णयन मशीनरी (सीजीआईटी) का सशक्तीकरण/न्याय निर्णयन मशीनरी सशक्तीकरण और लोक अदालतों का आयोजन"</p> | <p>(b) (i) For payment towards salaries on revision of pay-scale of serving and retired Presiding Officers w.e.f. 1.1.2006</p> |

योजना के तहत कार्यालय व्यय सहित 1.1.2006 से सेवारत और सेवानिवृत्त पीठासीन अधिकारियों के वेतनमान संशोधन पर वेतन संबंधी भुगतान हेतु (₹1.01 करोड़)।

(ii) केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीडब्ल्यूई) के वेतन और भत्तों के बकायों के संवितरण हेतु (₹11.00 करोड़)।

(iii) राष्ट्रीय श्रम संस्थान (एनएलआई) के वेतन और भत्तों के बकायों के संबंध में भुगतान हेतु (₹0.40 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में ₹11.40 करोड़ की बचतों को ध्यान में रखते हुए, इस पूरक में ₹1.01 करोड़ का नगद व्यय होगा।

(ग) (i) राज्य सरकारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) राज्य सरकार असंगठित क्षेत्र श्रमिक स्वास्थ्य बीमा योजना में केन्द्र का हिस्सा जारी करने हेतु (₹14.50 करोड़)।

(ii) वामपंथ उग्रवाद क्षेत्रों के युवाओं का कौशल प्रशिक्षण (₹3 करोड़) और पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु कौशल विकास पहल (एसडीआई) (₹2 करोड़) के अतिरिक्त व्यय की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु।

चूंकि, बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

including office expenses under the scheme “Strengthening of Adjudication Machinery (C.G .1 .Ts)/ Strengthening of Adjudication Machinery and holding of Lok Adalats (₹1.01 crore).

(ii) For disbursement of arrears of salary and allowances of Central Board for Workers’ Education(CBWE) (₹11.00 crore).

(iii) For payment towards arrears of salary and allowances of National Labour Institute(NLI) (₹0.40 crore).

Keeping in view the savings of ₹ 11.40 crore in the same Section of the Grant, the supplementary will entail a cash outgo of ₹1.01 crore.

(c) (i) For releasing Centre’s share of Rashtriya Swasthaya Bima Yojana(RSBY) scheme/ Health Insurance for Unorganised Sector Workers to State Governments (₹14.50 crore).

(ii) For meeting additional expenditure requirements on Skill Training for the Youth of Left Wing Extremism areas (₹3 crore) and Skill Development of Initiative(SDI) for North East Areas (₹2 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.61

चुनाव आयोग
ELECTION COMMISSION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 61 देखिए)।

(See page 61 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	19.46	...	19.46	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	4.22	...	4.22	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	23.68	...	23.68	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2015-चुनाव	2015-Elections			
स्वीकृत	Voted:	...	4.22	4.22

यह पूरक अनुदान चुनावों में ड्यूटी पर तैनात पर्यवेक्षकों को मानदेय जारी करने सहित वेतन, चिकित्सा उपचार, यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, लघु निर्माण कार्य और रख-रखाव, अन्य प्रभार और अधिवक्ताओं के शुल्क संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for meeting additional expenditure on salaries, medical treatment, travel expenses, office expenses, minor works and maintenance, other charges and fees to advocates, including release of honorarium to observers deployed on duty in elections.

इसमें नकद व्यय होगा।

This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.62

विधि एवं न्याय
LAW AND JUSTICE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-11 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 62 और वर्ष 2010-11 के अनुदानों के पहले बैच की पूरक मांगों का पृष्ठ 55 और वर्ष 2010-11 के अनुदानों के दूसरे बैच की पूरक मांगों का पृष्ठ 46 देखिए)।

(See page 62 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011, page 55 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-11 and page 46 of the Second Supplementary Demands for the Grants for the year 2010-11).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	672.17	15.02
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	268.53	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.01	...
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	940.71	15.02
				955.73

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice			
	स्वीकृत	Voted:	0.01	...
				0.01

यह पूरक अनुदान न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के लिए अनुदान जारी करने संबंधी अतिरिक्त व्यय हेतु अपेक्षित है (₹4 करोड़)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

The supplementary grant is required for additional expenditure for release of grants for infrastructure facilities for Judiciary (₹4 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.63
(विनियोग APPROPRIATION)
भारत का उच्चतम न्यायालय
SUPREME COURT OF INDIA

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 63 देखिए)।

(See page 63 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारत	Charged:	85.00	...	85.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
भारत	Charged:	13.37	...	13.37
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
भारत	Charged:	98.37	...	98.37

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice			
भारत	Charged:	...	13.37	13.37

यह पूरक विनियोग भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, "कार्यालय व्यय", "विभागीय कैटीन", "घरेलू यात्रा व्यय" पर अतिरिक्त व्यय और सुरक्षा कार्मिक संबंधी "व्यावसायिक सेवाओं" पर व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary appropriation is required for meeting additional expenditure for salaries of Judges, "Office Expenses", "Departmental Canteen", "Domestic Travel Expenses" and expenditure on "Professional Services" towards security personnel in the Supreme Court of India.

This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 64

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 64 देखिए)।

(See page 64 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत		Voted:	2636.40	12.30	2648.70
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान	स्वीकृत	the amount now required:	Voted:	30.78	30.78
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	2667.18	12.30	2679.48

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552- North Eastern Areas	Voted:	0.01 (का)	0.01
2851-ग्रामीण और लघु उद्योग	स्वीकृत	2851- Village and Small Industries	Voted:	0.01 (खब)	30.75 (गं)
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत	3601- Grants-in-aid to State Governments	Voted:	0.01 (घद)	0.01
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)	Voted:	0.03	30.75

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु आवश्यक हैं:

The supplementary grant is required for the following purposes:

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ की परियोजनाओं/योजनाओं के प्रावधान में वृद्धि हेतु अर्थात् (i) प्रौद्योगिकी सहायता संस्थानों और कार्यक्रम गुणवत्ता (₹ 0.24 करोड़), (ii) खादी उद्योग (₹ 1.51 करोड़), (iii) ग्रामीण उद्योग (₹ 0.09 करोड़) तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (₹ 20.43 करोड़)। चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

(a) For augmentation of provision for the projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim viz. (i) Quality of Technology Support Institutions and Programme (₹ 0.24 crore), (ii) Khadi Industries (₹ 1.51 crore), (iii) Village Industries (₹ 0.09 crore) and Prime Minister's Employment Generation Programme (₹ 20.43 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ख) निम्नलिखित की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (i) प्रौद्योगिकी सहायता संस्थानों और कार्यक्रम गुणवत्ता के तहत सब्सिडी (₹ 56.39 करोड़) और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की विपणन मदद/सहायता सहित जनजातीय उपयोगिता और प्रशिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए भी (₹ 1.78 करोड़), (iii) अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु लिए प्रशिक्षण संस्थान (₹ 3.85 करोड़), (iv) 31.3.2009 तक बने खादी और पोलीवस्त्र की बिक्री पर छूट दावों के निपटान के संबंध में खादी उद्योग (₹ 100.10 करोड़) और ग्राम उद्योग (₹ 15.16 करोड़) तथा वर्ष 2005-06 से 2009-10 तक के वर्षों के दौरान खादी और पोलीवस्त्र के बिना बिके स्टॉकों की कीमत का 10 प्रतिशत फ्लैट दरों पर खादी उद्योग (₹ 56.99 करोड़) और ग्राम उद्योग (₹ 8.17 करोड़) को एकबारगी वित्तीय प्रोत्साहन हेतु अनुदान तथा (v) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. को अतिरिक्त सहायता अनुदान (₹ 10 करोड़)। चूंकि बचतें

(b) For meeting the additional requirement on (i) subsidy under Quality of Technology Support Institutions and Programme (₹ 56.39 crore) and Tribal Sub-Plan including Marketing support/assistance to MSMEs and also for reimbursement of training fee (₹ 1.78 crore); (iii) Training Institutions (₹ 3.85 crore) for organization of more training programmes; (iv) grants to Khadi Industries (₹ 100.10 crore) and village Industries (₹ 15.16 crore) towards settlement of rebate claims on the sale of Khadi & Polyvastra made till 31.3.2009 and one time financial incentive at a flat rate of 10% of the value of unsold stocks of Khadi & Polyvastra during the years 2005-06 to 2009-10 to Khadi Industries (₹ 56.99 crore) and Village Industries (₹ 8.17 crore) and (v) additional grants-in-aid

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

(ग) खादी और ग्रामोद्योग (₹ 34.78 करोड़) और कॉयर बोर्ड (₹ 4.50 करोड़) के ₹ 39.28 करोड़ के संस्थापन संबंधी व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति। चूंकि ₹ 8.53 करोड़ की बचतें अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध हैं, अतः ₹ 30.75 करोड़ की शेष राशि के लिए पूरक अपेक्षित है। अनुदान की पूंजी भाग के तहत ₹ 0.50 करोड़ की बचत को ध्यान में रखने के बाद इस पूरक में ₹ 30.25 करोड़ का निवल नगद व्यय होगा।

(घ) जिला उद्योग केन्द्रों (डीआईसी) के कम्प्यूटरीकरण के संबंध में डाटाबेस उन्नयन (₹ 7.91 करोड़)। चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

(₹ 10 crore) to National Small Industries Corporation Ltd. As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) For meeting additional requirement on establishment related expenditure of Khadi and Village Industries (₹ 34.78 crore) and Coir Board (₹ 4.50 crore) amounting to ₹ 39.28 crore. As savings of ₹ 8.53 crore are available within the Revenue Section of the Grant, supplementary is sought for the balance amount of ₹ 30.75 crore. After taking into account the saving of ₹ 0.50 crore under Capital Section of the Grant, the supplementary will entail a net cash outgo of ₹ 30.25 crore.

(d) Upgradation of Database (₹ 7.91 crore) towards computerization of District Industries Centres (DICs). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.65

खान मंत्रालय
MINISTRY OF MINES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 65, वर्ष 2010-11 के अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 56 और वर्ष 2010-11 के अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 47 देखिए)।

(See page 65 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011, page 56 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011 and page 47 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	0.14	...	0.14
	स्वीकृत	Voted:	526.21	39.79	566.00
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित	Charged:	0.14	...	0.14
	स्वीकृत	Voted:	43.75	40.00	83.75
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	10.08	...	10.08
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	580.32	79.79	660.11
	भारित	Charged:	0.28	...	0.28
	स्वीकृत	Voted:	580.04	79.79	659.83

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत	3451-Secretariat-Economic Services	Voted:	...	0.95 (का)
2853-अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	स्वीकृत	2853-Non-ferrous Mining and Metallurgical Industries	Voted:	...	9.13 (खb)
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	...	10.08

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- (क) अवैध खनन के बारे में जांच करने के लिए जांच आयोग की स्थापना संबंधी ₹0.95 करोड़ के व्यय की पूर्ति हेतु। ₹0.95 करोड़ के अग्रिम को इस उद्देश्य हेतु भारत की आकस्मिक निधि से स्वीकृति मिली थी जिसकी प्रतिपूर्ति निधि को संसद द्वारा पूरक पास करने के बाद की जाती है। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ख) भारतीय खान ब्यूरो को ₹8.91 करोड़ के वेतनों के व्यय की पूर्ति और राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान को कर्मचारियों के वेतन बकायों के भुगतान के सम्बन्ध में सहायता अनुदान ₹0.22 करोड़। इसमें नकद व्यय होगा।
- (a) for meeting the expenditure of ₹0.95 crore on setting up of Commission of Inquiry to inquire into illegal mining. An advance of ₹0.95 crore was sanctioned from the Contingency Fund of India for the purpose, which shall be recouped to the Fund after the supplementary is passed by the Parliament. This will entail cash outgo.
- (b) for meeting the expenditure of salaries in respect of Indian Bureau of Mines (₹8.91 crore) and grant-in-aid (₹0.22 crore) to National Institute of Miner's Health towards payment of salary arrears of employees. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.67

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 67 और वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 48 देखिए)।
(See page 67 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011 and page 48 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	955.20	53.30	1008.50	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	955.22	53.30	1008.52	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2810-नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	2810- New and Renewable Energy			
स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है:

- सहकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में अधिशेष विद्युत उत्पादन के लिए संचालन तथा अन्तरण पर निर्मित (बूट) मॉडल के तहत वित्तीय संस्थाओं को व्यय की पूर्ति हेतु (₹4.50 करोड़),
- 2009-10 के दौरान स्वीकृत ऑफ ग्रिड सोलर पावर से संबंधित परियोजनाओं के निपटान के एवज में अनुदान जारी करने हेतु (₹7.50 करोड़),
- विशेष क्षेत्र विकास परियोजनाओं से संबंधित निधियों के शेष निर्गमनों के व्यय की पूर्ति (₹3.25 करोड़), और
- शैक्षणिक संस्थानों को प्रयोगशाला और पुस्तकालय सुविधा के उन्नयन हेतु, नवीकरणीय ऊर्जा चेयर्स संस्थान और राष्ट्रीय सौर विज्ञान कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा फेलोशिप कार्यक्रम के तहत फेलोशिपों की संख्या बढ़ाने हेतु व्यय की पूर्ति (₹2.35 करोड़)।

चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

The supplementary grant is required for the following purposes:

- To meet the expenses towards Financial Institutions under Built On Operate and Transfer (BOOT) Model for surplus power generation in Cooperative/Public Sector Sugar Mills (₹4.50 crore),
- For releasing grants against settlement of projects relating to Off-Grid Solar Power sanctioned during 2009-10 (₹7.50 crore),
- To meet expenses for balance releases of funds relating to Special Area Development Projects (₹3.25 crore), and
- To meet expenses to support educational institutions for upgradation of lab and library facility, institution of Renewable Energy Chairs and National Solar Sciences Programme, and enhancing total number of fellowships under National Renewable Energy Fellowship programme (₹2.35 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token Supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.68

अनिवासी भारतीय कार्य मंत्रालय
MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 68 देखिए)।

(See page 68 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत	Voted:	71.80	9.20	81.00	
		Supplementary Estimate of the amount now required:				
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत	Voted:	...	5.00	5.00	
	स्वीकृत	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	71.80	14.20	86.00

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
4059-सार्वजनिक निर्माण कार्यो		4059- Capital Outlay on			
पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Public Works	Voted:	...	5.00
				5.00	5.00

यह पूरक अनुदान प्रवासी भारतीय केन्द्र परियोजना के पूंजी परिव्यय के लिए आवश्यक है। चूंकि अनुदान के राजस्व भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध है जो अभ्यर्पित की जाएंगी, अतः इसमें नगद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is required for capital outlay of the project of Pravasi Bhartiya Kendra. As equivalent savings available in Revenue Section of the Grant will be surrendered, this will not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.69

पंचायती राज मंत्रालय
MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 69 देखिए)।

(See page 69 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत	Voted: Supplementary Estimate of the amount now required:	5170.71	...	5170.71
	स्वीकृत	Voted:	1520.00	...	1520.00
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)Voted:	6690.71	...	6690.71

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	स्वीकृत	2515- Other Rural Development Programme	Voted: 20.00 (का)	...	20.00
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत	3601- Grants-in-aid to State Governments	Voted: 1500.00 (खb)	...	1500.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted: 1520.00	...	1520.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant is required for the following purposes:

- (क) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नगद व्यय होगा।
- (ख) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम के तहत 60 आदिवासी और पिछड़े जिलों की एकीकृत कार्रवाई योजना के कार्यान्वयन हेतु। इसमें नगद व्यय होगा।

- (a) For meeting additional expenditure on Rashtriya Gram Swaraj Yojana. This will entail cash outgo.
- (b) For implementing Integrated Action Plan for 60 tribal and backward districts under Backward Regions Grants Fund Programme. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.70

संसदीय कार्य मंत्रालय
MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 70 देखिए)।

(See page 70 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत		Voted:	7.47	...	7.47
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत		Voted:	1.45	...	1.45
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत		Voted:	8.92	...	8.92

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	स्वीकृत	2052- Secretariat-General Services	Voted:	...	1.45
				1.45	1.45

यह पूरक अनुदान दिनांक 1.1.2006 से प्रभावी ग्रेड वेतन के उन्नयन के कारण कर्मचारियों को बकाया राशि के भुगतान संबंधी वेतन और वर्धित कार्यकलापों के कारण 'देशीय यात्रा व्यय' और 'अन्य प्रभारों' के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for meeting additional expenditure for salary on payment of arrears to employees on account of upgradation of grade pay w.e.f. 1.1.2006, 'Domestic Travel Expenses' and 'Others Charges' due to increased activities.

This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.71

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 71, वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 57 और वर्ष 2010-11 की अनुदान की दूसरी मांगों का पृष्ठ 49 देखिए)।

(See page 71 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011 and page 57 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011 and page 49 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2010-11).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	14.08	9.00	23.08
	स्वीकृत	Voted:	561.77	121.51	683.28
पूरक अनुदान	SUPPLEMENTARY GRANT				
	भारित	Charged:	6.00	...	6.00
	स्वीकृत	Voted:	35.01	...	35.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	11.05	...	11.05
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		627.91	130.51	758.42
	भारित	Charged:	20.08	9.00	29.08
	स्वीकृत	Voted:	607.83	121.51	729.34

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2052-सचिवालय सामान्य	2052-Secretariat General				
सेवाएं	Services	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
2051-लोक सेवा आयोग	2051-Public Service				
	Commission	Voted:	...	5.00 (खb)	5.00
2055-पुलिस	2055-Police	Voted:	...	3.13 (गc)	3.13
2070-अन्य प्रशासनिक	2070-Other Administrative				
सेवाएं	Services	Voted:	...	2.91 (घd)	2.91
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	0.01	11.04	11.05

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant is required for the following purposes :

- (क) सूचना अधिकार अधिनियम के प्रचार-प्रसार योजना हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3.50 करोड़) और पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 0.50 करोड़)।
- (a) Grants-in-aid General (₹ 3.50 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 0.50 crore) for the scheme of Propagation of RTI Act.

चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (ख) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु भारत की आकस्मिकता निधि से प्राप्त अग्रिम की प्रतिपूर्ति।

- (b) recouping an advance obtained from Contingency Fund of India for meeting additional expenditure toward conduct of examinations by Staff Selection Commission.

चूंकि समतुल्य बचतें अनुदान के पूंजी स्वीकृत भाग में उपलब्ध है जिन्हे अभ्यर्पित किया जाएगा, अतः इसमें कोई नगद व्यय नहीं होगा।

As equivalent savings available in the Capital Voted Section of the Grant will be surrendered, this will not entail cash outgo.

- | | |
|--|---|
| <p>(ग) '(i) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के वेतनों के तहत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति (₹ 1.83 करोड़)</p> <p>चूंकि समतुल्य बचतें अनुदान के पूंजी स्वीकृत भाग में उपलब्ध हैं जिन्हें अभ्यर्पित किया जाएगा, अतः इसमें कोई नगद व्यय नहीं होगा।</p> <p>(ii) सीबीआई का घरेलु यात्रा व्यय के तहत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति (₹ 1.30 करोड़)।</p> <p>चूंकि समतुल्य बचतें अनुदान के पूंजी स्वीकृत भाग में उपलब्ध हैं जिन्हें अभ्यर्पित किया जाएगा, अतः इसमें कोई नगद व्यय नहीं होगा।</p> <p>(घ) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करना।</p> <p>चूंकि समतुल्य बचतें अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध हैं जिन्हें अभ्यर्पित किया जाएगा, अतः इसमें कोई नगद व्यय नहीं होगा।</p> | <p>(c) (i) meeting additional requirement under Salaries of Central Bureau of Investigation (CBI) (₹ 1.83 crore).</p> <p>As equivalent savings available in the Capital Voted Section of the Grant will be surrendered, this will not entail cash outgo.</p> <p>(ii) meeting additional requirement under Domestic Travel Expenses of CBI (₹ 1.30 crore).</p> <p>As equivalent savings available in the Capital Voted Section of the Grant will be surrendered, this will not entail cash outgo.</p> <p>(d) providing additional grants-in-aid to Indian Institute of Public Administration.</p> <p>As equivalent savings available in Capital Charged Section of the Grant will be surrendered, this will not entail cash outgo.</p> |
|--|---|

मांग संख्या DEMAND NO.72

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 72, वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 58 तथा वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 50 देखिए)।

(See page 72 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011, page 58 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011 and page 50 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	3179.00	...	3179.00
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	14278.00	...	14278.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	21000.00	101.53	21101.53
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	38457.00	101.53	38558.53

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2802-पेट्रोलियम	स्वीकृत	2802-Petroleum	Voted:	...	21000.00 (का) 21000.00
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
4802-पेट्रोलियम पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4802- Capital Outlay on Petroleum	Voted:	...	101.53 (खब) 101.53
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	...	21101.53 21101.53

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant is required for following purposes:

- | | |
|--|--|
| <p>(क) तेल विपणन कम्पनियों को पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री की अनुमानित कम वसूलियों के संबंध में क्षतिपूर्ति प्रदान करना। इसमें नगद व्यय होगा।</p> <p>(ख) इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड (ईआईएल) में अतिरिक्त इक्विटी निवेश। इस व्यय की प्रतिपूर्ति पूंजी प्राप्तियों से होगी और इसमें नगद व्यय नहीं होगा।</p> | <p>(a) Providing compensation towards estimated under-recoveries to Oil Marketing Companies on account of sale of petroleum products. It will entail cash outgo.</p> <p>(b) Additional equity investment in Engineers India Limited (EIL). This expenditure will be matched by capital receipts and shall not entail cash outgo.</p> |
|--|--|

मांग संख्या DEMAND NO.73

योजना मंत्रालय
MINISTRY OF PLANNING

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 73, वर्ष 2010-11 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 59 और वर्ष 2010-11 के अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 51 देखिए)।

(See page 73 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-11, page 59 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-11 and page 51 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2010-11).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	1866.21	193.11	2059.32
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	0.02	...	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	1866.25	193.11	2059.36

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत	3475- Other General Economic Services	Voted:	0.01 (का)	0.01 (खब) 0.02

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त व्यय हेतु अपेक्षित हैं:

(क) अवसंरचना विकास वित्त निगम (आईडीएफसी) को अवसंरचना के वित्त पोषण संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सेवा के लिए सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु भारत की आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु (₹ 1.50 करोड़),

(ख) अनुप्रयुक्त जन शक्ति अनुसंधान संस्थान (आईएमआर) को वेतन के कारण में सहायता अनुदान जारी करने हेतु ₹ 0.50 करोड़)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grants are required for additional expenditure for the following purposes:

(a) To recoup advance taken from Contingency Fund of India for providing grants-in-aid to Infrastructure Development Finance Corporation (IDFC) for serving a high level Committee on Financing Infrastructure (₹ 1.50 crore),

(b) Release of grants-in-aid to Institute of Applied Manpower Research (IAMR) on account of salaries (₹ 0.50 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

मांग संख्या DEMAND NO.74

विद्युत मंत्रालय
MINISTRY OF POWER

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 74 और वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 60 और वर्ष 2010-11 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 52 देखिए)।

(See page 74 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011 and page 60 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011 and page 52 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2010-11).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	11386.74	4428.84	15815.58
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	24.87	710.65	735.52
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	7.36	...	7.36
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	11418.97	5139.49	16558.46

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2801-विद्युत	स्वीकृत	2801-Power	Voted:	0.01 (का)	7.35 (खb)
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.01	7.35

टिप्पणी: उपर्युक्त अनुमानों में निम्नलिखित वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates do not include the recoveries, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2801-विद्युत		2801-Power	...	(-) 7.35	(-) 7.35

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्य हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु को पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹55.47 करोड़)।
- (ii) उर्जा एफीशिएन्सी ब्यूरो-वैश्विक पर्यावरण सुविधा-विश्व बैंक परियोजना के तहत सूक्ष्म, लघु मध्यम उदयम की उर्जा एफीशिएन्सी वित्तपोषण योजना के प्रचालन हेतु (₹ 0.87 करोड़)

चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

- (ख) केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) के संस्थापन संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु चूंकि इस व्यय की पूर्ति वसूलियों से की जाएगी, अतः इसमें कोई नगद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is sought for the following purposes ;

- (a) (i) Grants for creation of capital assets to Central Power Research Institute, Bengaluru (₹ 55.47 crore).
- (ii) For operationalisation of the financing Energy Efficiency at Micro, Small & Medium Enterprises under Bureau of Energy Efficiency-Global Environment Facility-World Bank Project (₹ 0.87 crore).

As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) For meeting establishment related expenditure of Central Electricity Regulatory Commission (CERC). Since this expenditure will be matched by recoveries, there will be no cash outgo.

संख्या NO.75 (विनियोग) (APPROPRIATION)

राष्ट्रपति के कर्मचारी वृंद, आवास और भत्ते

STAFF, HOUSEHOLD AND ALLOWANCES OF THE PRESIDENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 75 देखिए)।

(See page 75 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	29.11	...	29.11
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित	Charged:	2.96	...	2.96
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
	भारित	Charged:	32.07	...	32.07

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2012-राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य	2012- President, Vice-President/ Governor, Administrator of Union Territories				
राज्य क्षेत्र के प्रशासक	भारित	Charged:	...	2.96	2.96

यह पूरक विनियोग सहायकों के वेतन संशोधन के कारण मंहगाई भत्ता बकाया, एलटीसी, बोनस आदि सहित बकाया भुगतानों के कारण वेतन की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु आवश्यक है।

The supplementary appropriation is required for meeting additional expenditure for salary on account of payment of arrears of pay revision of Assistants including DA arrears, LTC, Bonus, etc. and purchase of a new vehicle for the President of India.

इसमें नकद व्यय होगा।

This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.77

राज्य सभा
RAJYA SABHA

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 77 और वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 54 देखिए)।
(See page 77 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011 and page 54 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2010-11).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.72	...	0.72
	स्वीकृत	Voted:	172.33	...	172.33
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	23.00	...	23.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित	Charged:	0.06	...	0.06
	स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		196.12	...	196.12
	भारित	Charged:	0.78	...	0.78
	स्वीकृत	Voted:	195.34	...	195.34

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2011-संसद/राज्य/संघ	2011- Parliament/State/Union				
राज्य विधान मंडल	Territory Legislatures				
	भारित	Charged:	...	0.06 (का)	0.06
	स्वीकृत	Voted:	...	0.01 (खb)	0.01

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant/appropriation is required for the following purposes:

- | | |
|--|--|
| <p>(क) माननीय उपसभापति, राज्य सभा को दिनांक 18.05.2009 से देय वेतन और भत्तों के बकायों के भुगतान संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
चूँकि अनुदानों के स्वीकृत भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः इसमें नकद व्यय नहीं होगा।</p> <p>(ख) (i) संसद और संसदीय सौंध में भोजन सुविधाओं को प्रदान करने के लिए उत्तर रेलवे को 'सब्सिडियों' के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 1.50 करोड़)।</p> <p>(ii) राज्य सभा टीवी चैनल के तहत 'मजदूरी' और 'व्यावसायिक सेवा' संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 0.25 करोड़)।</p> <p>चूँकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।</p> | <p>(a) For meeting additional expenditure on payment of arrears of pay and allowances to the Hon'ble Deputy Chairman, Rajya Sabha w.e.f 18.05.2009.
As equivalent savings are available under Voted section of the Grant. This will not entail cash outgo.</p> <p>(b) (i) For meeting additional expenditure of 'Subsidies' to Northern Railway for providing catering facilities in Parliament House and Parliament House Annexe (₹ 1.50 crore).</p> <p>(ii) For meeting expenditure on 'Wages' and 'Professional Services' under Rajya Sabha TV Channel (₹ 0.25 crore).</p> <p>As savings are available in the same Section of the Grant, token supplementary is sought.</p> |
|--|--|

संख्या NO.78 (विनियोग) (APPROPRIATION)

संघ लोक सेवा आयोग

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 78 और वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 55 देखिए)।
(See page 78 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011 and page 55 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	116.67	...	116.67
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित	Charged:	15.00	...	15.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित	Charged:	10.29	...	10.29
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	भारित	Charged:	141.96	...	141.96

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2051-लोक सेवा		2051-Public Service			
आयोग	भारित	Commission	Charged:	...	10.29
					10.29

यह पूरक विनियोग संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित परीक्षाओं और इसके द्वारा किए गए चयनों और आयोग के वेतन सहित प्रशासनिक व्यय सम्बन्धी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary appropriation is required for meeting additional expenditure requirements on Examinations conducted by UPSC and selections made by it and for administrative expenses of the Commission including salary.

This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.79

उप-राष्ट्रपति का सचिवालय
SECRETARIAT OF THE VICE-PRESIDENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 79 देखिए)।

(See page 79 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत		Voted:	3.02	...	3.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत		Voted:	0.21	...	0.21
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत		Voted:	3.23	...	3.23

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2012-राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/ राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	2012- President, Vice-President/ Governor, Administrator of Union Territories	Voted:	...	0.21	0.21

यह पूरक अनुदान बेकार पड़े बुलेट-प्रूफ कार के प्रतिस्थापन और 'कार्यालय व्यय' के तहत विभिन्न मदों के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for meeting additional expenditure towards replacement of condemned bullet-proof car and for various items under 'office expenses'.

This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.80

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 80 और वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 56 देखिए)।
(See page 80 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011 and page 56 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	...	8.20	8.20
	स्वीकृत	Voted:	16090.54	19826.56	35917.10
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	1700.00	...	1700.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	683.91	591.97	1275.88
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		18474.45	20426.73	38901.18
	भारित	Charged:	...	8.20	8.20
	स्वीकृत	Voted:	18474.45	20418.53	38892.98

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3054-सड़क और पुल	3054-Roads & Bridges	Voted:	551.52 (का)	0.01 (खb)	551.53
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	Voted:	128.87 (गc)	...	128.87
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grant-in-aid to Union Territory Governments	Voted:	3.51 (घd)	...	3.51
जोड़ राजस्व भाग	Total Revenue Section	Voted:	683.90	0.01	683.91
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूंजी परियोजना	4552- Capital Outlay on North Eastern Areas	Voted:	0.01 (डe)	...	0.01
5054-सड़क और पुल पर पूंजी परियोजना	5054- Capital Outlay on Roads and Bridges	Voted:	591.96 (चf)	...	591.96
जोड़ पूंजी भाग	Total Capital Section	Voted:	591.97	...	591.97
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	1275.87	0.01	1275.88

टिप्पणी: उपर्युक्त अनुमानों में निम्नलिखित वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates do not include the recoveries, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	Voted:	-128.87	...	-128.87
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	Voted:	-3.51	...	-3.51
जोड़ राजस्व भाग	Total Revenue Section	Voted:	-132.38	...	-132.38
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
5054-सड़क और पुलों पर पूंजी परियोजना	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	Voted:	-591.96	...	-591.96
जोड़ पूंजी भाग	Total Capital Section		-591.96	...	-591.96
जोड़ वसूलियां	Total Recoveries		-724.34	...	-724.34

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है:

- (क) केन्द्रीय सड़क निधि (₹726.54 करोड़) को प्रदान करने हेतु। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹175.02 करोड़ की बचतों और अनुदान के पूंजी (स्वीकृत) भाग में ₹57.70 करोड़ की बचतों जिन्हें अभ्यर्पित किया जाएगा, को शामिल करने के बाद इसमें ₹493.82 करोड़ का निवल नगद व्यय होगा।
- (ख) निम्नलिखित पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (i) सड़क विंग द्वारा मशीनरी और उपस्कर का रख रखाव (₹2.50 करोड़) (ii) सीमा सड़क विंग द्वारा कार्ययोजना और सीमा सड़क अनुसंधान कार्यों हेतु (₹10.64 करोड़ रुपए) (iii) बीआरडीबी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग का अनुसंधान (₹41.00 करोड़) (iv) राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा सड़क अनुसंधान (₹17.26 करोड़) (v) भूतान क्षतिपूर्ति भत्ते हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹0.58 करोड़) और (vi) बीआरडीबी द्वारा भूतान में सड़क कार्यों हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹3.36 करोड़)। चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।
- (ग) राज्य सड़कों के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से राज्य सरकार को पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदानों पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (₹116.35 करोड़) और (ii) राज्यों में अन्तर राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की सड़कें (₹12.52 करोड़)। चूंकि ₹128.87 करोड़ के व्यय को केन्द्रीय सड़क निधि से प्राप्त वसूलियों से पूरा किया जाएगा, अतः इसमें कोई नगद व्यय नहीं होगा।
- (घ) दिल्ली में सड़कों हेतु केन्द्रीय सड़क निधि से संघ राज्य क्षेत्र को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदानों पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (₹3.51 करोड़)। चूंकि व्यय की प्रतिपूर्ति वसूलियों से होगी, अतः इसमें कोई नगद व्यय नहीं होगा।
- (ङ) “पूर्वोत्तर में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम” के तहत कवर न की गई सड़क विस्तार के सन्दर्भ में पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में सड़क विकास कार्यों पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (₹76.00 करोड़)। चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।
- (च) (i) केन्द्रीय सड़क निधि से वित्त पोषित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा हाथ में ली गयी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं (एनएचडीपी) के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (₹591.96 करोड़) (ii) सड़क विंग द्वारा किए राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों के विकास पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु ₹622.00 करोड़ और (iii) बीआरडीबी द्वारा किए गए राष्ट्रीय राजमार्ग कार्य (₹60.00 करोड़)। अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत उपलब्ध ₹682.00 करोड़ की बचतों को देखते हुए ₹591.96 करोड़ के व्यय जिससे केन्द्रीय सड़क निधि से प्राप्त वसूलियों से पूरा किया जाएगा, इसमें कोई नगद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- (a) To provide for the Central Road Fund (₹726.54 crore). Taking into account savings of ₹175.02 crore available within the same Section of the Grant and the savings of ₹57.70 crore under the Capital (Voted) Section of the Grant, which will be surrendered, this will entail a net cash outgo of ₹493.82 crore .
- (b) For meeting additional expenditure on (i) Maintenance of machinery and equipment by Roads Wing (₹2.50 crore); (ii) Strategic & Border Roads maintenance works by Border Roads Wing (₹10.64 crore); (iii) Maintenance of National Highways by BRDB (₹41.00 crore.); (iv) Road maintenance other than NHs (₹17.26 crore), (v) Grants-in-aid General for Bhutan Compensatory Allowance (₹0.58 crore) and (vi) Grants-in-aid General for road works inside Bhutan undertaken by BRDB (₹3.36 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) To meet additional expenditure on Grants for creation of capital assets to State Government from Central Road Fund for State Roads (₹116.35 crore) and (ii) On Inter State or Economic Importance Roads in States (₹12.52 crore). As the expenditure of ₹128.87 crore will be matched by recoveries from Central Road Fund, there will be no cash outgo.
- (d) To meet additional expenditure on Grants for creation of capital assets to Union Territory Government from Central Road Fund for Roads in Delhi (₹3.51 crore). As the expenditure will be matched by recoveries, there will be no cash outgo.
- (e) For meeting additional expenditure on Road Development works in the North Eastern Region and Sikkim in respect of road stretches not covered under the “Special Accelerated Road Development Programme in the North East” (₹76.00 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (f) (i) To meet additional expenditure of National Highways Development Projects (N.H.D.P) undertaken by National Highways Authority of India (N.H.A.I.) financed from Central Road Fund (₹591.96 crore). (ii) To meet additional expenditure on development of National Highways works undertaken by Road Wing (₹622.00 crore) and (iii) National Highways works undertaken by B.R.D.B. (₹60.00 crore). Taking into account savings of ₹682.00 crore available within the same Section of the Grant and the expenditure of ₹591.96 crore that will be matched by recoveries from Central Road Fund, there will be no cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.81

ग्रामीण विकास विभाग
DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 81, वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 61 और वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 57 देखिए)।

(See page 81 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011, page 61 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011 and page 57 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	137880.16	7.82	137887.98
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	10337.50	...	10337.50
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.05	...	0.05
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	148217.71	7.82	148225.53

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2216-आवास	स्वीकृत	2216- Housing	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
2505-ग्रामीण रोजगार		2505- Rural Employment				
	स्वीकृत		Voted:	0.01 (खb)	...	0.01
2515-अन्य ग्रामीण विकास		2515- Other Rural Development				
कार्यक्रम	स्वीकृत	Programme	Voted:	0.01 (गc)	0.01 (घd)	0.02
3054-सड़क और पुल	स्वीकृत	3054- Roads and Bridges	Voted:	0.01 (ङे)	...	0.01
जोड़ (परक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.04	0.01	0.05

टिप्पणी: उपर्युक्त अनुमानों में निम्नलिखित वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates do not include the recoveries, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
3054-सड़क और पुल		3054- Roads and Bridges	-553.38	...	-553.38

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- | | |
|---|--|
| (क) ग्रामीण आवास के तहत इन्दिरा आवास योजना पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 0.75 करोड़); | (a) for meeting the additional expenditure on Indira Aawas Yojana (₹ 0.75 crore) under Rural Housing; |
| (ख) ग्रामीण रोजगार के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 80 करोड़); | (b) for meeting the additional expenditure on Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (₹ 80 crore) under Rural Employment; |
| (ग) अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत डीआरडीए प्रशासन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 80 करोड़); | (c) for meeting the additional expenditure on DRDA Administration (₹ 80 crore) under Other Rural Development Programme; |
| (घ) वेतनों के व्यय की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अतिरिक्त सहायता अनुदान (₹ 0.97 करोड़); | (d) additional grants-in-aid (₹ 0.97 crore) to National Institute of Rural Development for meeting the expenditure on salaries; |

चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरकों की मांग की गई है।

- (ड) (i) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (₹548.85 करोड़) और
- (ii) हाईस्पीड डीजल/मोटर स्पिरिट पर अतिरिक्त उपकर संग्रहण के ₹553.38 करोड़ को केन्द्रीय सड़क निधि को अन्तरण हेतु। चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरकों की मांग की गई है।

As savings are available within the same section of the grant token supplementaries are sought.

- (e) (i) for meeting the additional expenditure on Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (₹ 548.85 crore) and
- (ii) for transfer of ₹ 553.38 crore of additional cess collection on High Speed Diesel/Motor Spirit to Central Road Fund. As savings are available within the same section of the Grant a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.83

पेयजल और स्वच्छता विभाग

(पूर्व में पेयजल आपूर्ति विभाग)

DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION
(PREVIOUSLY DEPARTMENT OF DRINKING WATER SUPPLY)

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 83 और वर्ष 2010-2011 के अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 58 देखिए)।
(See page 83 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011 and page 58 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	10583.78	...	10583.78
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	10583.80	...	10583.80

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2215-पेयजल आपूर्ति		2215-Water Supply				
और स्वच्छता	स्वीकृत	and Sanitation	Voted:	0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान राज्य जल और स्वच्छता मिशन, जिला जल और स्वच्छता समितियाँ, मिशनों, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों आदि को पूर्ण स्वच्छता अभियान संबंधी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु अतिरिक्त सहायता अनुदान (₹55.50 करोड़) प्रदान करने हेतु माँगा गया है। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

The supplementary grant is sought for providing additional grants-in-aid (₹55.50 crore) to State Water and Sanitation Mission, District Water and Sanitation Committees, Missions, District Rural Development Agencies etc., for meeting additional requirement on Total Sanitation Campaign. As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 84

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 84, वर्ष 2010-11 के अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 62 और वर्ष 2010-2011 के अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 59 देखिए)।

(See page 84 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011, page 62 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011 and page 59 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	0.02	0.02
	स्वीकृत	Voted:	2338.88	2376.48
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2338.94	37.60	2376.54
	भारित	Charged:	0.02	0.02
	स्वीकृत	Voted:	2338.92	2376.52

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research			
	स्वीकृत	Voted:	0.01 (का)	0.01 (खb)
				0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित के लिए अपेक्षित है:

(क) सामाजिक आर्थिक विकास हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के तहत "विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार एवं प्रचार योजना" को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (₹ 2.90 करोड़)।

(ख) भारतीय सर्वेक्षण को देहरादून और हैदराबाद स्थित दो केन्द्रीय विद्यालयों को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (₹ 2.59 करोड़)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is required for :

(a) providing Grants-in-aid-General to 'Science and Technology Communication and Popularisation Scheme' under Science and Technology Programme for Socio-Economic Development (₹ 2.90 crore).

(b) Survey of India to provide Grants-in-aid-General to two Kendriya Vidyalayas at Dehradun and Hyderabad (₹ 2.59 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

मांग संख्या DEMAND NO.85

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 85 देखिए)।

(See page 85 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	स्वीकृत	Voted:	2982.20	5.80	2988.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	स्वीकृत	Voted:	2.01	...	2.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	2984.21	5.80	2990.01

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3425-अन्य वैज्ञानिक		3425-Other Scientific				
अनुसंधान	स्वीकृत	Research	Voted:	2.00 (का)	0.01 (खb)	2.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित के लिए मांगा गया है:

- (क) (1) (i) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की "अनुसंधान योजनाएँ, छात्रवृत्तियाँ और फेलोशिप" योजना के तहत फेलोशिप की दरों में बढ़ोतरी के कारण (₹ 55 करोड़); और (ii) सीएसआईआर की "बौद्धिक सम्पदा और प्रौद्योगिकी प्रबंधन" योजना के तहत पेटेंट फाइल करने के शुल्क और न्यायवादियों के प्रभारों की दरों में बढ़ोतरी के कारण (₹ 5 करोड़); सीएसआईआर को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु; तथा

- (2) "उद्योग द्वारा अनुसंधान और विकास" योजना के तहत 'प्रौद्योगिकी संवर्धन, विकास और उपयोग' कार्यक्रम को सहायता अनुदान उपलब्ध कराने हेतु (₹ 2 करोड़)।

चूँकि ₹ 60 करोड़ की बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं तथा पूंजी भाग से ₹ 2 करोड़ की राशि अभ्यर्पित की जाएगी, अतः कोई नकद व्यय नहीं होगा।

- (ख) सीएसआईआर की "प्रशासन" योजना के तहत पेंशन भुगतान हेतु वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 5 करोड़)। चूँकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is sought for:

- (a) (1) Providing Grants-in-aid to Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) (i) due to increase in rates of fellowships under the CSIR scheme "Research Schemes, Scholarships and Fellowships" (₹ 55 crore); and (ii) due to increase in rate of fees for patent filing and charges of Attorneys under the CSIR scheme "Intellectual Property and Technology Management" (₹ 5 crore); and
- (2) Providing Grants-in-aid under the scheme "Research and Development by Industry" under the programme 'Technology Promotion, Development and Utilisation' (₹ 2 crore).

As savings of ₹ 60 crore are available within the same Section of the Grant and ₹ 2 crore will be surrendered from Capital Section, there will be no cash outgo.

- (b) Providing Grants-in-aid to CSIR for pension payments under the CSIR scheme "Administration" (₹ 5 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token Supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.86

जैव-प्रौद्योगिकी विभाग
DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 86 देखिए)।

(See page 86 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत	Voted:	1222.00	...	1222.00
		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)Voted:	1222.01	...	1222.01

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	स्वीकृत	3425-Other Scientific Research			
		Voted:	0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित के लिए अपेक्षित है: (i) राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केन्द्र, पूणे (₹ 10 करोड़) (ii) जीवन विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर (₹ 10 करोड़) (iii) यूनेस्को जैव प्रौद्योगिकी शिक्षा और प्रशिक्षण क्षेत्रीय केन्द्र, फरीदाबाद (₹ 7.26 करोड़) (iv) जैव प्रौद्योगिकी का प्रसार (₹ 2 करोड़) (v) जैव सूचना विज्ञान कार्यक्रम (₹ 3 करोड़) और (vi) राजीव गांधी जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र (₹ 8 करोड़)।

चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

The supplementary grant is sought for (i) National Centre for Cell Science, Pune (₹ 10 crore); (ii) Institute of Life Sciences, Bhubaneswar (₹ 10 crore); (iii) UNESCO Regional Centre for Education and Training in Biotechnology, Faridabad (₹ 7.26 crore); (iv) Biotech Popularisation (₹ 2 crore); and (v) Bioinformatics Programme (₹ 3 crore) and (vi) Rajiv Gandhi Centre for Biotechnology (₹ 8 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.87

पोत परिवहन मंत्रालय
MINISTRY OF SHIPPING

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 के अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 87 और वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 63 देखिए)।
(See page 87 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011 and page 63 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	1654.41	518.48	2172.89
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	0.03	0.02	0.05
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1654.44	518.51	2172.95

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3051-पत्तन और दीपस्तंभ	3051-Ports and Light Houses			
स्वीकृत	Voted:	...	0.01 (का)	0.01
3056-अंतर्देशीय जल परिवहन	3056-Inland Water Transport			
स्वीकृत	Voted:	0.01 (खब)	0.01 (गक)	0.02
जोड़ राजस्व भाग	Total Revenue Section	0.01	0.02	0.03
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5075-अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	5075-Capital Outlay on Other Transport Services			
स्वीकृत	Voted:	0.01 (घद)	...	0.01
6858-इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए ऋण	6858-Loans for Engineering Industries			
स्वीकृत	Voted:	...	0.01 (जे)	0.01
जोड़ पूंजी भाग	Total Capital Section	0.01	0.01	0.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.02	0.03	0.05

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है :-

The Supplementary Grant is sought for the following purposes:

- | | |
|--|--|
| <p>(क) (i) हुगली और हल्दिया चैनल के लिए कोलकाता पत्तन को अतिरिक्त तलकर्षण सब्सिडी प्रदान करने हेतु (₹ 41.27 करोड़);</p> <p>(ii) प्रमुख पत्तनों के लिए टैरिफ प्राधिकरण को अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 3.20 करोड़); और</p> <p>(iii) अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्यों के लघु निर्माण कार्यों के लिए वर्धित निविष्टि लागत की पूर्ति हेतु (₹ 5.51 करोड़)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।</p> | <p>(a) (i) For providing additional dredging subsidy to Kolkata Port Trust for Hoogly & Haldia Channel (₹ 41.27 crore);</p> <p>(ii) For providing additional Grants-in-aid General to Tariff Authority for Major Ports (₹ 3.20 crore); and</p> <p>(iii) For meeting increased input costs for minor works of Andaman Lakshadweep Harbour Works (₹ 5.51 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |
| <p>(ख) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूआई) द्वारा अंतर्देशीय जलमार्ग एनडब्ल्यू-1 और एनडब्ल्यू-3 संबंधी विकास निर्माण कार्य की लागत की पूर्ति हेतु पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अतिरिक्त अनुदान की पूर्ति (₹ 22.59 करोड़)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।</p> | <p>(b) For meeting additional Grants for creation of capital assets by Inland Waterways Authority of India (IWAI) to meet the cost of developmental works on Inland Waterways NW-1 and NW-3 (₹ 22.59 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |

- | | |
|---|---|
| <p>(ग) पेंशन देयताओं की पूर्ति हेतु आईडब्ल्यूआई को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करते हेतु (₹ 18.74 करोड़)। चूँकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।</p> | <p>(c) For providing additional Grants-in-aid General to IWAI to meet pension liabilities (₹ 18.74 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |
| <p>(घ) वेब बेस्ड इलेक्ट्रानिक डाटा इंटरचेंज सिस्टम के विकास के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 2.08 करोड़)। चूँकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।</p> | <p>(d) To meet additional expenditure on the account of the development of Web-based Electronic Data Interchange system (₹ 2.08 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |
| <p>(ङ) हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि. द्वारा वेतन आदि के भुगतान हेतु कार्यशील पूंजी की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (₹ 1.20 करोड़)। चूँकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक माँगा गया है।</p> | <p>(e) To meet additional requirement of working capital for payment of salaries, etc. by Hoogly Dock and Port Engineers Ltd. (₹ 1.20 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |

मांग संख्या DEMAND NO. 88

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-11 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 88, वर्ष 2010-11 के अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 64 और वर्ष 2010-11 के अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 60 देखिए)।

(See page 88 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011, page 64 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-11 and page 60 of the Second Supplementary Demands for the Grants 2010-11).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	4374.00	200.00	4574.00
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	0.03	...	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.02	25.00	25.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	4374.05	225.00	4599.05

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण		2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes			
	स्वीकृत	Voted:	0.01 (का)	0.01 (खब)	0.02
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
4225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय		4225-Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes			
	स्वीकृत	Voted:	25.00 (गं)	...	25.00
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	25.01	0.01	25.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है :

The supplementary grant is required for the following purposes:

(क) अनुसूचित जाति बाल छात्रावास (₹12.00 करोड़), अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास (₹10.00 करोड़), की योजना में पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान तथा अनुसूचित जातियों के लिए परीक्षापूर्व प्रशिक्षण केन्द्र योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹4.70 करोड़) जारी करने हेतु। चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

(a) For releasing Grants-in-aid for creation of capital assets in the scheme of Boys Hostels for Scheduled Castes (₹12.00 crore), Girls Hostels for Scheduled Castes (₹10.00 crore), and Grants-in-aid General under the scheme of Pre-Examination Training Centres for Scheduled Castes (₹4.70 crore). As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

- | | |
|---|---|
| <p>(ख) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को सहायता अनुदान जारी करने हेतु (₹0.10 करोड़)। चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।</p> <p>(ग) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम को अतिरिक्त इक्विटी जारी करने हेतु। चूंकि अनुदान के राजस्व स्वीकृत भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं जिन्हें अभ्यर्पित किया जाएगा, अतः इसमें नकद व्यय नहीं होगा।</p> | <p>(b) For releasing Grant-in-aid to National Commission for Backward Classes (₹0.10 crore). As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(c) For releasing additional equity to the National Scheduled Castes Finance and Development Corporation. As equivalent savings available in the Revenue Voted Section of the Grant will be surrendered, this will not entail cash outgo.</p> |
|---|---|

मांग संख्या DEMAND NO.90

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 90, वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 65 तथा वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 61 देखिए)।

(See page 90 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011, page 65 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011 and page 61 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
पूरक अनुदान:	स्वीकृत	Voted:	2138.66	9.69	2148.35
	स्वीकृत	SUPPLEMENTARY GRANT:			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत	Voted:	149.14	...	149.14
	स्वीकृत	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.04	...	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत	Total (Original plus Supplementary)			
		Voted:	2287.84	9.69	2297.53

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं	स्वीकृत	2052- Secretariat-General Services	Voted:	...	0.01 (का)
3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत	3451- Secretariat-Economic Services	Voted:	...	0.01 (खब)
3454-जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	स्वीकृत	3454- Census, Surveys and Statistics	Voted:	...	0.01 (गक)
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552- North Eastern Areas	Voted:	0.01 (घद)	...
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.01	0.03

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त व्यय अपेक्षित है:

- मंत्रालय के कार्यक्रम कार्यान्वयन स्कंध के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान (₹0.30 करोड़),
- सांख्यिकी विभाग के स्टाफ को वेतन, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद को प्रशिक्षण शुल्क और वेतन एवं लेखा कार्याकलाप कोलकाता और नागपुर के लिए प्रिन्टर/सर्वर की खरीद हेतु भुगतान (₹0.86 करोड़),
- (i) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के अंतर्गत चिकित्सा व्यय सहित फील्ड प्रचालन प्रभाग (एफओडी) और डाटा प्रोसेसिंग डिविजन (डीपीडी) के स्टाफ के वेतन का भुगतान (₹4.75 करोड़ रुपए), (ii) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) के स्टाफ के वेतन की पूर्ति हेतु (₹3.66 करोड़) और (iii) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के संबंध में "वेतन और भत्तों" और पेंशन तथा पेंशन का संराशिकृत मूल्य के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (₹8.35 करोड़)।
- "स्थानीय स्तर के विकास हेतु क्षमता विकास और आधारभूत सांख्यिकी" योजना के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (₹3.11 करोड़)।

चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरकों की मांग की गई है।

The supplementary grants are required for additional expenditure for the following purposes:

- Payment of salary to the staff of Programme Implementation Wing of the Ministry (₹0.30 crore),
- Payment of salary to the staff of Department of Statistics, training fees to National Institute of Financial Management, Faridabad and for purchase of printer/server for PAO, Kolkata and Nagpur (₹0.86 crore),
- i) Payment of salary to the staff of Field Operation Division(FOD) and Data Processing Division (DPD) under National Sample Survey Organisation (NSSO) including medical expenses (₹4.75 crore), ii) For meeting salary of the staff of Central Statistical Organisation (CSO) (₹3.66 crore) and, iii) For meeting additional expenditure under "Pay and Allowances" and pension and commuted value of pension in respect of Indian Statistical Institute (₹8.35 crore).
- For meeting additional expenditure under the scheme "Capacity Development and Basic Statistics for Local Level Development"(₹3.11 crore).

As savings are available within the same Section of under the Grant, token supplementaries are sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 92

कपड़ा मंत्रालय
MINISTRY OF TEXTILES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 92, वर्ष 2010-11 के अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 66 और वर्ष 2010-2011 के अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 62 देखिए)।

(See page 92 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011, page 66 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011 and page 62 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत		Voted:	5478.94	129.14	5608.08
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत		Voted:	7297.70	12.50	7310.20
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत		Voted:	523.60	96.03	619.63
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत	Total (Original plus Supplementary) Voted:	13300.24	237.67	13537.91

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग			REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष			MAJOR HEAD			
2851-ग्राम और लघु उद्योग	स्वीकृत	2851-Village and Small Industries	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
2852-उद्योग	स्वीकृत	2852-Industries	Voted:	0.01 (खb)	456.97 (गc)	456.98
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत	3601-Grants-in-aid to State Governments	Voted:	...	64.67 (घd)	64.67
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदान	स्वीकृत	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	Voted:	...	1.94 (ङe)	1.94
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत	Total (Revenue Section)	Voted:	0.02	523.58	523.60
पूंजी भाग			CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष			MAJOR HEAD			
4851-ग्राम और लघु उद्योग पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4851-Capital Outlay on Village and Small Industries	Voted:	1.35 (चf)	...	1.35
6860-उपभोक्ता उद्योग पर ऋण	स्वीकृत	6860-Loans for Consumer Industries	Voted:	...	94.68 (छg)	94.68
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत	Total (Capital Section)	Voted:	1.35	94.68	96.03
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	1.37	618.26	619.63

- यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है:
- (क) डिजाइन और तकनीकी उन्नयन की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (₹2.56 करोड़)। चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः पूरक की मांग की गई है।
- (ख) तकनीकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) संबंधी अतिरिक्त व्यय (₹519.68 करोड़) की पूर्ति हेतु। चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं। अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।
- (ग) कॉटन के एमएसपी प्रचालन के कारण भारतीय कपास निगम के घाटों की प्रतिपूर्ति हेतु (₹473 करोड़) तथा अहमदाबाद कपड़ा उद्योग अनुसंधान
- (a) The supplementary grant sought for the following purposes: For meeting the additional requirement on Design and Technical Upgradation (₹2.56 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) For meeting additional expenditure (₹519.68 crore) on Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) For reimbursement of losses (₹473 crore) to Cotton Corporation of India on account of MSP operation on cotton

संघ (₹1.48 करोड़), बाम्बे कपड़ा अनुसंधान संघ (₹1.48 करोड़); दक्षिण भारत कपड़ा अनुसंधान संघ (₹1.44 करोड़), उत्तर भारत कपड़ा अनुसंधान संघ (₹1.32 करोड़), हस्तनिर्मित कपड़ा अनुसंधान संघ (₹0.30 करोड़), ऊन अनुसंधान संघ (₹0.18 करोड़), भारतीय जूट उद्योग अनुसंधान संघ (₹2.40 करोड़) को अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने हेतु ₹481.60 करोड़ की राशि। चूंकि ₹24.63 करोड़ अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं अतः ₹456.97 करोड़ की शेष राशि हेतु पूरक अपेक्षित है। इसमें नकद व्यय होगा।

and for providing additional grants to Ahmedabad Textile Industries Research Association (₹1.48 crore), Bombay Textile Research Association (₹1.48 crore), South India Textile Research Association (₹1.44 crore), North India Textile Research Association (₹1.32 crore), Man Made Textile Research Association (₹0.30 crore), Wool Research Association (₹ 0.18 crore), grants to Indian Jute Industry Research Association (₹2.40 crore) amounting to ₹481.60 crore). As savings of ₹24.63 crore is available within the same Section of the grant, supplementary is sought for the balance amount ₹456.97 crore. This will entail cash outgo.

(घ) और (ङ) संचित हथकरघा स्टॉक की बिक्री के दस प्रतिशत की दर की विशेष छूट की अनुदान योजना पर अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

(d) and (e) For meeting the additional requirement on the scheme for grant of Special Rebate at the rate of ten percent on sale of accumulated handloom stock. This will entail cash outgo.

(च) बेंगलुरु में हस्तशिल्प के विकास आयुक्त के लिए कार्यालय आवास निर्माण की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (₹1.35 करोड़)। चूंकि समतुल्य राशि की बचत अनुदान के राजस्व भाग से अभ्यर्पित की जाएगी। इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

(f) For meeting the additional requirement (₹1.35 crore) on construction of office accommodation for the Development Commissioner for Handicrafts at Bengaluru. As savings of equivalent amount will be surrendered from Revenue Section of the Grant, this will not entail cash outgo.

(छ) ब्रिटिश इण्डिया कार्पोरेशन (₹42.99 करोड़), राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम (₹49.65 करोड़) को बकाया वेतनों; मजदूरी, सांविधिक देय और वीआरएस बकायों के भुगतान हेतु तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देय के निपटान हेतु राष्ट्रीय कपड़ा निगम (₹2.04 करोड़) के संसाधनों के अन्तर की पूर्ति हेतु ₹94.68 करोड़ की राशि। चूंकि ₹3.82 करोड़ की बचत अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध हैं जिसे अभ्यर्पित किया जाएगा, अतः इस पूरक में ₹90.86 करोड़ का निवल नगद व्यय होगा।

(g) For meeting the gap in resources of British India Corporation (₹42.99 crore), National Jute Manufacturers Corporation (₹49.65 crore) for payment of outstanding salaries and wages & statutory dues and VRS dues and National Textiles Corporation (₹2.04 crore) for settlement of dues of State Bank of India amounting to ₹94.68 crore. As savings of ₹3.82 crore available within the Revenue Section of the Grant will be surrendered, the supplementary will entail a net cash outgo of ₹90.86 crore.

मांग संख्या DEMAND NO.93

पर्यटन मंत्रालय
MINISTRY OF TOURISM

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 93 और वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 67 देखिए)।
(See page 93 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011 and page 67 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	1108.41	11.00	1119.41
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	1108.43	11.00	1119.43

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3452-पर्यटन	स्वीकृत	3452- Tourism	Voted:	0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए माँगा गया है:

- (i) प्रशिक्षण शीर्ष के तहत होटल प्रबंधन संस्थान/पाक् कला संस्थान/ भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन/राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और भोजन प्रबंधन प्रौद्योगिकी परिषद् को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (₹4.40 करोड़) और गंतव्य स्थल और सर्किटों के लिए उत्पाद/अवसंरचना के तहत मौजूदा योजनाओं के लिए सहायता प्रदान करने हेतु (₹17.13 करोड़)।

चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- (i) To provide Grants-in-aid to Institute of Hotel Management/Food Craft Institutes/Indian Institute of Tourism & Travel Management/National Council for Hotel Management and Catering Technology under the head Training (₹4.40 crore) and to provide assistance for on-going schemes under Proudct/Infrastructure Development for Destination and Circuits (₹17.13 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 94

जनजाति कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 94 और वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 68-69 देखिए)।

(See page 94 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011 and page 68-69 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-11).

(करोड़ रुपए ₹ in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	2822.07	...	2822.07
	स्वीकृत	Voted:	328.30	70.00	398.30
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	भारित	Charged:	0.01	...	0.01
	स्वीकृत	Voted:	0.02	...	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित	Charged:	6.86	...	6.86
	स्वीकृत	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		3157.28	70.00	3227.28
	भारित	Charged:	2828.94	...	2828.94
	स्वीकृत	Voted:	328.34	70.00	398.34

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes				
	स्वीकृत	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas				
	स्वीकृत	Voted:	0.01 (खb)	...	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments				
	भारित	Charged:	6.86 (गc)	...	6.86
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		6.88	...	6.88
	भारित	Charged:	6.86	...	6.86
	स्वीकृत	Voted:	0.02	...	0.02

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है :

The supplementary grant/appropriation is sought for the following purposes:

(क) (1) निम्नलिखित योजनाओं के तहत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।

(a) (1) For providing Grants-in-aid General, under the scheme

(i) कोचिंग और संबद्ध योजना और अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान (₹4.40 करोड़)

(i) Grants-in-aid to NGOs for STs including Coaching and Allied scheme and Award for Exemplary Service (₹ 4.40 crore);

<p>(ii) आदिवासी उपज/उत्पाद का बाजार विकास (₹2.54 करोड़) और</p> <p>(iii) उत्कृष्ट संस्थान/उच्च श्रेणी की शिक्षा योजना (₹2.50 करोड़)।</p>	<p>(ii) Market Development of Tribal Produce/Product (₹2.54 crore) and</p> <p>(iii) Scheme of Institutes of Excellence/Top Class Education (₹2.50 crore).</p>
<p>(2) योजना के तहत अन्य प्रभार प्रदान करने हेतु।</p> <p>(i) मॉनिटरिंग और मूल्यांकन ₹0.38 करोड़) और</p> <p>(ii) अनुसंधान सूचना और जन-शिक्षा, आदिवासी महोत्सव और अन्य (₹0.12 करोड़)।</p>	<p>(2) For providing Other Charges, under the scheme</p> <p>(i) Monitoring and Evaluation (₹0.38 crore) and</p> <p>(ii) Research Information and Mass Education, Tribal Festivals and others (₹0.12 crore).</p>
<p>चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः एक सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।</p>	<p>As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
<p>(ख) कोचिंग और संबद्ध योजना और अनुकरणीय सेवा हेतु पुरस्कार सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (₹3.00 करोड़)।</p> <p>चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।</p>	<p>(b) For providing Grants-in-aid General, under the scheme of Grants-in-aid to NGOs for STs including Coaching and Allied scheme and Award for Exemplary Service (₹3.00 crore).</p> <p>As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
<p>(ग) (i) विशेषकर दुर्बल आदिवासी समूहों (पीटीजी) के विकास की योजना (₹100.00 करोड़) और आदिवासी उप-आयोजना योजना (₹66.25 करोड़) के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान प्रदान हेतु ; तथा</p> <p>(ii) लघु वन उपज हेतु राज्य आदिवासी विकास सहकारी निगम की योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (₹0.01 करोड़)।</p>	<p>(c) (i) For providing Grants for creation of capital assets under the scheme of Development of Particularly Vulnerable Tribal Groups (PTGs) - (₹100.00 crore) and in Scheme under Tribal Sub-Plan (₹66.25 crore) and</p> <p>(ii) For providing Grants-in-aid General, under the scheme of State Tribal Development Cooperative Corporation for Minor Forest Produce (₹0.01 crore).</p>
<p>चूंकि अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹159.40 करोड़ रुपए की बचतें और अनुदान के राजस्व (स्वीकृत) भात के तहत 6.86 करोड़ रुपए की बटतों को ध्यान में रखते हुए जिसे अभ्यर्पित किया जाएगा, इस पूरक में कोई नकद व्यय नहीं होगा। उपलब्धता है, अतः सांकेतिक नकद व्यय होगा।</p>	<p>Taking into account savings of ₹159.40 crore available within the same Section of the Grant and the savings of ₹6.86 crore under the Revenue (Voted) Section of the Grant, which will be surrendered, this supplementary will not entail cash outgo.</p>

मांग संख्या DEMAND NO.95

अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 95, और वर्ष 2010-11 के अनुदानों की पूरक मांगों का पृष्ठ 70 और वर्ष 2010-11 के अनुदानों की पूरक मांग के का पृष्ठ 63 देखिए)।

(See page No. 95 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-11, page 70 of the First Supplementary Demands for the Grants for the year 2010-11 and page 63 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2010-11).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.01	...	0.01
	स्वीकृत	Voted:	1775.11	387.69	2162.80
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	0.02	...	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	121.18	...	121.18
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1896.32	387.69	2284.01
	भारित	Charged:	0.01	...	0.01
	स्वीकृत	Voted:	1896.31	387.69	2284.00

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
गृह मंत्रालय		Ministry of Home Affairs				
2052-सचिवालय-सामान्य		2052-Secretariat-General				
सेवाएं	स्वीकृत	Services	Voted:	...	1.14 (का)	1.14
2014-न्याय प्रशासन		2014-Administration of Justice	Voted:	...	1.27 (खब)	1.27
2055-पुलिस	स्वीकृत	2055-Police	Voted:	2.87 (गक)	8.17 (घद)	11.04
2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	स्वीकृत	2245-Relief on account of Natural Calamities	Voted:	...	1.99 (ङे)	1.99
कृषि मंत्रालय		Ministry of Agriculture				
2401-फसल कार्य	स्वीकृत	2401-Crop Husbandry	Voted:	...	2.22 (चफ)	2.22
2403-पशु पालन	स्वीकृत	2403-Animal Husbandry	Voted:	...	5.50 (चफ)	5.50
ग्रामीण विकास मंत्रालय		Ministry of Rural Development				
2215-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम		2515-Other Rural Development Programmes				
	स्वीकृत		Voted:	0.27 (छग)	...	0.27
विद्युत मंत्रालय		Ministry of Power				
2801-विद्युत पर्यावरण और वन मंत्रालय	स्वीकृत	2801-Power	Voted:	...	50.00 (जह)	50.00
		Ministry of Environment and Forests				
2406-वानिकी और वन्य जीव	स्वीकृत	2406-Forestry and Wild Life	Voted:	...	7.91 (झा)	7.91
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		Ministry of Food Processing Industries				
2408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण		2408-Food Storage and Warehousing				
	स्वीकृत		Voted:	...	6.33 (जा)	6.33
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		Ministry of Health and Family Welfare				
2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	स्वीकृत	2210-Medical and Public Health	Voted:	3.45 (टक)	...	3.45

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग		Department of School Education and Literacy				
2202-सामान्य शिक्षा	स्वीकृत	2202-General Education	Voted:	...	12.00 (₹)	12.00
उच्च शिक्षा विभाग		Department of Higher Education				
2202-सामान्य शिक्षा	स्वीकृत	2202-General Education	Voted:	3.30 (₹m)	3.75 (₹n)	7.05
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय		Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises				
2851-ग्रामीण एवं लघु उद्योग	स्वीकृत	2851-Village and Small Industries	Voted:	0.43 (₹n)	...	0.43
सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय		Ministry of Road Transport and Highways				
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत	2070-Other Administrative Services	Voted:	...	0.03 (₹p)	0.03
3054-सड़क और पुल	स्वीकृत	3054-Roads and Bridges	Voted:	0.67 (₹q)	...	0.67
3055-सड़क परिवहन	स्वीकृत	3055-Road Transport	Voted:	2.30 (₹r)	0.08 (₹s)	2.38
शहरी विकास मंत्रालय		Ministry of Urban Development				
2059-लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत	2059-Public Works	Voted:	1.50 (₹f)	6.00 (₹f)	7.50
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	14.79	106.39	121.18

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकता के उपरोक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई वसूलियां शामिल नहीं हैं जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
गृह मंत्रालय		Ministry of Home Affairs				
2055-पुलिस	स्वीकृत	2055-Police	Voted:	...	-0.20	-0.20
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत	2070-Other Administrative Services	Voted:	...	-12.24	-12.24
कृषि मंत्रालय		Ministry of Agriculture				
2404-डेयरी विकास	स्वीकृत	2404-Dairy Development	Voted:	...	-0.01	-0.01
2405-मात्स्यिकी	स्वीकृत	2405-Fisheries	Voted:	...	-0.50	-0.50
2425-सहकारिता	स्वीकृत	2425-Co-operation	Voted:	...	-0.01	-0.01
विद्युत मंत्रालय		Ministry of Power				
2801-विद्युत	स्वीकृत	2801-Power	Voted:	...	-0.15	-0.15
पर्यावरण और वन मंत्रालय		Ministry of Environment and Forests				
2406-वानिकी और वन्य जीव	स्वीकृत	2406-Forestry and Wildlife	Voted:	...	0.30	0.30
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		Ministry of Food Processing Industries				
2408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	स्वीकृत	2408-Food Storage and Warehousing	Voted:	...	-6.33	-6.33
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		Ministry of Health and Family Welfare				
2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	स्वीकृत	2210-Medical and Public Health	Voted:	...	-0.05	-0.05
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग		Department of School Education and Literacy				
2202-सामान्य शिक्षा	स्वीकृत	2202-General Education	Voted:	...	-0.30	-0.30
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय		Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises				
2851-ग्रामीण एवं लघु उद्योग	स्वीकृत	2851-Village and Small Industries	Voted:	...	-0.01	-0.01
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय		Ministry of Social Justice and Empowerment				
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत	2235-Social Security and Welfare	Voted:	...	-0.05	-0.05
जोड़ वसूलियां		Total Recoveries		...	-19.55	-19.55

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु मांगा है:

- (क) अंडमान और निकोबार वक्फ बोर्ड (₹ 0.04 करोड़) और वेतन तथा घरेलू यात्रा व्यय (₹ 1.10 करोड़) के लिए अतिरिक्त अनुदान हेतु।
- (ख) न्यायिक अधिकारियों के संशोधित वेतन आदि के कारण बकाया राशि के भुगतान हेतु (₹ 1.27 करोड़)।
- (ग) वेतन, चिकित्सा उपचार, घरेलू कार्य व्यय और पीओएल के तहत अतिरिक्त आवश्यकता हेतु (₹ 2.87 करोड़)।
- (घ) वेतन, चिकित्सा उपचार, घरेलू कार्य व्यय और पीओएल के तहत अतिरिक्त आवश्यकता हेतु (₹ 8.17 करोड़)।
- (ङ) अस्थायी शरण स्थलों में सूनामी पीड़ितों को मुफ्त राशन की आपूर्ति हेतु (₹ 1.99 करोड़)।
- (च) विभिन्न मंत्रालयों के तहत वेतनों की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु।
- (छ) पंचायती राज संस्थाओं को अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने हेतु (₹ 0.27 करोड़)।
- (ज) पीओएल की खरीद के संबंध में लम्बित डीजीएस एंड डी के दावों के निपटान हेतु (₹ 50.00 करोड़)।
- (झ) वेतन और मजदूरी (₹ 7.80 करोड़) और समयोपरि भत्ता (₹ 0.11 करोड़) के अन्तर्गत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु।
- (ञ) सार्वजनिक वितरण के लिए चावल, गेहूँ और चीनी की अतिरिक्त मात्रा की खरीद हेतु (₹ 6.33 करोड़)।
- (ट) सीटी स्कैन मशीन, दवा आदि की अधिप्राप्ति हेतु (₹ 3.45 करोड़)।
- (ठ) वेतन और घरेलू यात्रा व्यय के तहत अतिरिक्त आवश्यकता हेतु (₹ 12.00 करोड़)।
- (ड) वेतन और घरेलू यात्रा व्यय के अन्तर्गत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (₹ 3.20 करोड़) और सहायता प्राप्त स्कूलों को अतिरिक्त अनुदान (₹ 0.10 करोड़)।
- (ढ) वेतन और घरेलू यात्रा व्यय के तहत अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 3.12 करोड़) और सहायता प्राप्त स्कूलों को अतिरिक्त अनुदान हेतु (₹ 0.63 करोड़)।
- (ण) सब्सिडी की अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 0.35 करोड़) और खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की अतिरिक्त अनुदान हेतु (₹ 0.08 करोड़)।
- (त) न्यायालय आदेशों की अनुपालना में परिवहन विभाग के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते की बकाया राशि के भुगतान हेतु (₹ 0.03 करोड़)।
- (थ) क्षेत्रीय सड़कों के तहत पंचायती राज संस्थाओं को अतिरिक्त अनुदान (₹ 0.67 करोड़)।
- (द) परिवहन विभाग के पीओएल के लम्बित बिलों के निपटान हेतु (₹ 2.30 करोड़)।
- (ध) न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में परिवहन विभाग के कर्मचारियों को समयोपरि भत्तों की बकाया राशि का भुगतान करने हेतु (₹ 0.08 करोड़)।

अनुदान के पूंजी भाग से ₹ 14.80 करोड़ की बचतों को देखते हुए और ₹ 19.55 करोड़ की वर्धित वसूलियों को व्यय में से घटाकर समायोजन के पश्चात् इस पूरक अनुदान में ₹ 86.83 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।

The Supplementary Grant is sought for meeting additional expenditure for the following purposes:

- (a) For additional grants to Andaman and Nicobar Waqf Board (₹ 0.04 crore) and Salaries, Domestic Travel Expenses (₹ 1.10 crore)
- (b) For payment of arrears on account of revised pay scales etc. of Judicial Officers (₹ 1.27 crore)
- (c) For additional requirement under Salaries, Medical Treatment, Domestic Travel Expenses and POL (₹ 2.87 crore).
- (d) For additional requirement under Salaries, Medical Treatment, Domestic Travel Expenses and POL (₹ 8.17 crore).
- (e) For supply of free ration to the Tsunami victims in the Temporary Shelters (₹ 1.99 crore)
- (f) For meeting additional requirement of Salaries under various ministries.
- (g) For providing additional grants to Panchayati Raj Institutions (₹ 0.27 crore).
- (h) For settlement of pending DGS&D claims towards purchase of POL (₹ 50.00 crore).
- (i) For meeting additional requirement under Salary and Wages (₹ 7.80 crore) and Overtime Allowances (₹ 0.11 crore)
- (j) For purchase of additional quantity of Rice, Wheat and Sugar for Public Distribution (₹ 6.33 crore).
- (k) For procurement of CT Scan Machine, medicine etc (₹ 3.45 crore).
- (l) For additional requirement under Salaries and Domestic Travel Expenses (₹ 12.00 crore).
- (m) For additional requirement under Salaries & Domestic Travel Expenses (₹ 3.20 crore) and additional grants to aided Schools (₹ 0.10 crore)
- (n) For meeting additional requirement under Salaries & Domestic Travel Expenses (₹ 3.12 crore) and additional grants to aided Schools (₹ 0.63 crore)
- (o) For additional requirement of Subsidy (₹ 0.35 crore) and additional grants to Khadi and Village Industries Board (₹ 0.08 crore).
- (p) For payment of OTA arrears to employees of Transport Department in compliance with the Court Orders (₹ 0.03 crore).
- (q) Additional grants to Panchayati Raj Institutions under Sector Roads (₹ 0.67 crore).
- (r) For settlement of pending bills of POL of Transport Department (₹ 2.30 crore).
- (s) For payment of OTA arrears to employees of Transport Department in compliance of the Court Orders (₹ 0.08 crore)

Taking into account the savings of ₹ 14.80 crore from Capital Section of the Grant and after adjustment of enhanced recoveries of ₹ 19.55 crore taken as reduction of expenditure, the supplementary will entail a net cash outgo of ₹ 86.83 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 96

चंडीगढ़

CHANDIGARH

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-11 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 102 और वर्ष 2010-11 के अनुदानों के पहली बैच की पूरक मांगों का पृष्ठ 71 और वर्ष 2010-11 के अनुदानों के दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 64 देखिए)।

(See page 102 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011, page 71 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-11 and page 64 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2010-11).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	71.26	0.05	71.31
	स्वीकृत	Voted:	1729.69	515.91	2245.60
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	80.00	0.01	80.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित	Charged:	13.32	...	13.32
	स्वीकृत	Voted:	330.29	...	330.29
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2224.56	515.97	2740.53
	भारित	Charged:	84.58	0.05	84.63
	स्वीकृत	Voted:	2139.98	515.92	2655.90

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
गृह मंत्रालय	Ministry of Home Affairs				
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice				
	भारित	Charged:	...	13.32 (का)	13.32
	स्वीकृत	Voted:	...	4.33 (खb)	4.33
2039-राज्य उत्पाद	2039-State Excise	Voted:	...	0.08 (गc)	0.08
2054-राजकोष और लेखा प्रशासन	2054-Treasury and Accounts Administration	Voted:	...	0.13 (गc)	0.13
2055-पुलिस	2055-Police	Voted:	...	30.00 (खb)	30.00
2056-कारागृह	2056-Jails	Voted:	...	0.08 (गc)	0.08
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services	Voted:	1.20 (घd)	0.21 (गc)	1.41
3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	Voted:	...	0.04 (गc)	0.04
कृषि मंत्रालय	Ministry of Agriculture				
2403-पशुपालन	2403-Animal Husbandary	Voted:	...	0.12 (गc)	0.12
2425-सहकारिता	2425-Co-operation	Voted:	...	0.12 (गc)	0.12
विद्युत मंत्रालय	Ministry of Power				
2801-विद्युत	2801-Power	Voted:	...	92.85 (खc)	92.85
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	Ministry of Environment and Forests				
2406-वानिकी और वन्यजीव	2406-Forestry and Wildlife	Voted:	1.00 (घf)	0.12 (गc)	1.12

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
खाद्य प्रसंस्करण		Ministry of Food			
उद्योग मंत्रालय		Processing Industries			
2408-खाद्य भंडारण		2408-Food Storage and			
और भांडागारण	स्वीकृत	Warehousing	Voted: ...	0.44 (छट्)	0.44
3456-पोषण	स्वीकृत	3456-Civil Supplies	Voted: ...	0.53 (गC)	0.53
स्वास्थ्य एवं परिवार		Ministry of Health and			
कल्याण मंत्रालय		Family Welfare			
2210-चिकित्सा एवं		2210-Medical and			
सार्वजनिक स्वास्थ्य	स्वीकृत	Public Health	Voted: 2.98 (जh)	31.90 (खb)	34.88
स्कूली शिक्षा और		Department of School			
साक्षरता विभाग		Education and Literacy			
2202-सामान्य शिक्षा	स्वीकृत	2202-General Education	Voted: ...	13.85 (खb)	13.85
2236-पोषण	स्वीकृत	2236-Nutrition	Voted: 1.85 (झi)	...	1.85
उच्च शिक्षा विभाग		Department of Higher Education			
2202-सामान्य शिक्षा	स्वीकृत	2202-General Education	Voted: ...	64.00 (जj)	64.00
2203-तकनीकी शिक्षा	स्वीकृत	2203-Technical Education	Voted: ...	4.50 (छट्)	4.50
युवा मामले और		Ministry of Youth			
खेल मंत्रालय		Affairs and Sports			
2204-खेल एवं		2204-Sports and			
युवा सेवाएं	स्वीकृत	Youth Services	Voted: ...	0.83 (खb)	0.83
संस्कृति मंत्रालय		Ministry of Culture			
2205-कला एवं संस्कृति	स्वीकृत	2205-Art and Culture	Voted: 3.05 (टk)	2.62 (खb)	5.67
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम		Ministry of Micro, Small			
उद्यम मंत्रालय		and Medium Enterprises			
2851-ग्रामोद्योग एवं		2851-Village and			
लघु उद्योग	स्वीकृत	Small Industries	Voted: ...	0.03 (खb)	0.03
श्रम एवं रोजगार		Ministry of Labour			
मंत्रालय		and Employment			
2210-चिकित्सा एवं		2210-Medical and			
सार्वजनिक स्वास्थ्य	स्वीकृत	Public Health	Voted: ...	0.93 (खb)	0.93
2230-श्रम एवं रोजगार	स्वीकृत	2230-Labour and Employment	Voted: ...	0.67 (खb)	0.67
सड़क परिवहन एवं		Ministry of Road Transport			
राजमार्ग मंत्रालय		and Highways			
3055-सड़क परिवहन	स्वीकृत	3055-Road Transport	Voted: ...	3.41 (खb)	3.41
पर्यटन मंत्रालय		Ministry of Tourism			
3452-पर्यटन	स्वीकृत	3452-Tourism	Voted: 3.05 (ठl)	...	3.05
शहरी विकास मंत्रालय		Ministry of Urban Development			
2058-लेखा सामग्री		2058-Stationery and			
और मुद्रण	स्वीकृत	Printing	Voted: ...	2.08 (खb)	2.08
2059-लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत	2059-Public Works	Voted: ...	3.89 (डm)	3.89
2215-जलापूर्ति		2215-Water Supply and			
एवं स्वच्छता	स्वीकृत	Sanitation	Voted: ...	2.55 (ढn)	2.55
2217-शहरी विकास	स्वीकृत	2217-Urban Development	Voted: 6.00 (णo)	50.85 (तp)	56.85
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)	19.13	324.48	343.61
	भारित	Charged	...	13.32	13.32
	स्वीकृत	Voted:	19.13	311.16	330.29

अतिरिक्त आवश्यकताओं के उपर्युक्त अनुमानों में नीचे दी गई वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
गृह मंत्रालय		Ministry of Home Affairs				
2014-न्याय प्रशासन	स्वीकृत	2014-Administration of Justice	Voted:	..	-16.00	-16.00
विद्युत मंत्रालय		Ministry of Power				
4801-विद्युत	स्वीकृत	4801-Power	Voted:	...	1.00	1.00
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		Ministry of Health and Family Welfare				
2210-चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य	स्वीकृत	2210-Medical and Public Health	Voted:	...	-2.00	-2.00
शहरी विकास मंत्रालय		Ministry of Urban Development				
2059-लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत	2059-Public Works	Voted:	...	-1.73	-1.73
2215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता	स्वीकृत	2215-Water Supply and Sanitation	Voted:	...	-0.27	-0.27
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	Total Revenue Section	Voted:	...	-19.00	-19.00
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
शहरी विकास मंत्रालय		Ministry of Urban Development				
4217-शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4217-Capital Outlay on Urban Development	Voted:	...	-265.00	-265.00
जोड़ पूंजी भाग	स्वीकृत	Total Capital Section	Voted:	...	-265.00	-265.00
जोड़ वसूलियां		Total Recoveries		...	-284.00	-284.00

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु मांगा गया है :

The Supplementary Grant/Appropriation is sought for meeting additional expenditure for the following purposes:

- | | |
|---|---|
| (क) बकाया राशि और वर्धित मंहगाई भत्तों के भुगतान हेतु (₹13.32 करोड़)। | (a) For payment of arrears and enhanced DA (₹13.32 crore). |
| (ख) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को सहायता अनुदान (₹0.18 करोड़) और विभिन्न मंत्रालयों के तहत बकाया राशि और वर्धित मंहगाई भत्तों के भुगतान हेतु। | (b) Grants-in-aid to State Legal Services Authority (₹0.18 crore) and for payment of arrears and enhanced DA under various ministries. |
| (ग) विभिन्न मंत्रालयों के तहत वर्धित मंहगाई भत्तों के भुगतान हेतु। | (c) For payment of enhanced DA under various ministries. |
| (घ) बाहरी स्टाफ को वेतन के भुगतान हेतु (₹1.20 करोड़) | (d) For payment of salary to the outsourced staff (₹1.20 crore). |
| (ङ) बकाया राशि और वर्धित मंहगाई भत्तों के भुगतान (₹9.85 करोड़) और अतिरिक्त विद्युत की खरीद हेतु (₹83.00 करोड़)। | (e) For payment of arrears and enhanced DA (₹9.85 crore) and for purchase of additional power (₹83.00 crore). |
| (च) गाद अवरोधन बांधों के सुदृढ़ीकरण (₹0.50 करोड़) और बटरफ्लाई पार्क, अक्वेटिक पार्क तथा वनस्पतिक-उद्यान के विकास हेतु (₹0.50 करोड़)। | (f) For strengthening of silt retention dams (₹0.50 crore) and development of Butterfly Park, Aquatic Park and Botanical Garden (₹0.50 crore). |
| (छ) वेतनमानों के संशोधन के कारण सहायता अनुदान के वास्तविक हिस्से के भुगतान हेतु (₹0.44 करोड़)। | (g) For payment of actual share of Grants-in-aid, due to revision of pay scales (₹0.44 crore). |
| (ज) दवाओं की खरीद (₹1.65 करोड़); पानी और बिजली के बिलों का भुगतान (₹0.23 करोड़) और बाहरी स्टाफ को वेतन (₹1.10 करोड़) के भुगतान हेतु। | (h) For purchase of medicines (₹1.65 crore); payment of water and electricity bills (₹0.23 crore) and salary to outsourced staff (₹1.10 crore). |
| (झ) लाभभोगियों की संख्या में बढ़ोत्तरी और मूल्य वृद्धि के कारण (₹1.85 करोड़ रुपए)। | (i) Due to increase in number of beneficiaries and price rise (₹1.85 crore). |
| (ञ) बकाया राशि और वर्धित मंहगाई भत्तों के भुगतान हेतु (₹19.35 करोड़) और सहायता प्राप्त निजी स्कूलों और कॉलेजों को सहायता अनुदान (₹44.65 करोड़)। | (j) For payment of arrears and enhanced DA (₹19.35 crore) and Grants-in-aid to private aided schools and colleges (₹44.65 crore). |

- (ट) उत्तरी क्षेत्र सांस्कृतिक समिति को राज्य के हिस्से के भुगतान हेतु और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे, चंडीगढ़ कार्निवल, चंडीगढ़ थिएटर फेस्टिवल और नेशनल क्राफ्ट्स मेला आदि के समारोह के लिए (₹2.30 करोड़) और बाहरी स्टॉफ के भुगतान हेतु (₹0.75 करोड़)।
- (ठ) फूड क्राफ्ट्स इंस्टीट्यूट के विकास और सुदृढ़ीकरण हेतु (₹2.25 करोड़ रुपये) और गुलाब महोत्सव, नववर्ष समारोह और विश्व पर्यटन दिवस आदि के लिए (0.80 करोड़)।
- (ड) दैनिक भोगी कामगारों को बकाया राशि और वर्धित मंहगाई भत्तों का भुगतान (₹3.21 करोड़) और वर्धित मजदूरी के लिए (₹0.68 करोड़)।
- (ढ) दैनिक भोगी कामगारों का बकाया राशि और वर्धित मंहगाई भत्तों का भुगतान (₹1.42 करोड़) और वर्धित मजदूरी के लिए (₹1.13 करोड़)।
- (ण) नगर निगम को देय सहायता अनुदान के वास्तविक हिस्से के भुगतान हेतु (₹6.00 करोड़)।
- (त) तीसरे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार नगर निगम को देय सहायता अनुदान के वास्तविक हिस्से के भुगतान हेतु (₹50.20 करोड़) और बकाया राशि और वर्धित मंहगाई भत्तों के भुगतान हेतु (₹0.65 करोड़)।

अनुदान पूंजी भाग से प्राप्त ₹7.32 करोड़ की बचतों को देखते हुए और व्यय में से घटाकर ₹284.00 करोड़ की वर्धित वसूलियों के समायोजन के पश्चात इस पूरक अनुदान में ₹52.29 करोड़ का नकद व्यय होगा।

- (k) For payment of State's share to the North Zone Culture Society and celebration of various cultural programmes like Chandigarh Carnival, Chandigarh Theatre Festival and National Crafts Mela etc. (₹2.30 crore) and payment to outsourced staff (₹0.75 crore).
- (l) For strengthening and development of Food Crafts Institute (₹2.25 crore) and for celebration of Rose Festival, New Year festival and World Tourism Day etc. (₹0.80 crore).
- (m) For payment of arrears and enhanced DA (₹3.21 crore) and for enhanced wages to daily wage workers (₹0.68 crore).
- (n) For payment of arrears and enhanced DA (₹1.42 crore) and enhanced wages to daily wage workers (₹1.13 crore).
- (o) For payment of actual share of Grants-in-aid due to Municipal Corporation (₹6.00 crore).
- (p) For payment of actual share of Grants-in-aid due to Municipal Corporation as per recommendation of Third Delhi Finance Commission (₹50.20 crore) and payment of arrears and enhanced DA (₹0.65 crore).

Taking into account the savings of ₹7.32 crore from Capital Section of the Grant and after adjustment of enhanced recoveries of ₹284.00 crore taken as reduction of expenditure, the supplementary will entail a net cash outgo of ₹52.29 crore.

मांग संख्या DEMAND NO.97

दादरा एवं नागर हवेली
DADRA AND NAGAR HAVELI

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 108 देखिए)।

(See page 108 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	1581.45	61.21	1642.66	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	32.24	32.50	64.74	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	1613.69	93.71	1707.40	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
गृह मंत्रालय	Ministry of Home Affairs				
2055-पुलिस	2055- Police	Voted:	...	1.70 (का)	1.70
2245-प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	2245- Relief on Account of Natural Calamities	Voted:	...	0.09 (खb)	0.09
कृषि मंत्रालय	Ministry of Agriculture				
2402-मृदा और जल संरक्षण	2402- Soil and Water Conservation	Voted:	0.30 (गc)	...	0.30
ग्रामीण विकास मंत्रालय	Ministry of Rural Development				
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2515- Other Rural Development Programmes	Voted:	4.00 (घd)	...	4.00
विद्युत मंत्रालय	Ministry of Power				
2801-विद्युत	2801- Power	Voted:	...	0.45 (ङe)	0.45
पर्यावरण और वन मंत्रालय	Ministry of Environment and Forests				
2406-वानिकी और वन्य जीव	2406- Forestry and Wildlife	Voted:	...	0.15 (चf)	0.15
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	Ministry of Health and Family Welfare				
2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2210- Medical and Public Health	Voted:	1.30 (छg)	0.10 (चf)	1.40
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	Department of School Education and Literacy				
2202-सामान्य शिक्षा	2202- General Education	Voted:	3.60 (जh)	...	3.60
उच्च शिक्षा विभाग	Department of Higher Education				
2202-सामान्य शिक्षा	2202- General Education	Voted:	...	0.10 (चf)	0.10
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	Ministry of Road Transport and Highways				
3054-सड़क और पुल	3054- Roads and Bridges	Voted:	8.00 (झi)	0.25 (ञj)	8.25

जल संसाधन मंत्रालय		Ministry of Water Resources			
2215-जल आपूर्ति और स्वच्छता	स्वीकृत	2215- Water supply and Sanitation	Voted:	8.00 (₹k)	8.00
2702-लघु सिंचाई	स्वीकृत	2702-Minor irrigation	Voted:	4.00 (₹l)	4.15
2711-बाढ़ नियंत्रण और निकासी प्रणाली	स्वीकृत	2711-Flood Control and Drainage	Voted:	...	0.05
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	Total Revenue Section		29.20	32.24
पूँजी भाग		CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग		Ministry of Road Transport and Highways			
5054-सड़क और पुलों पर पूँजी परिव्यय	स्वीकृत	5054- Capital Outlay on Roads and Bridges	Voted:	18.00 (₹m)	18.50
पर्यटन मंत्रालय		Ministry of Tourism			
5452-पर्यटन पर पूँजी परिव्यय	स्वीकृत	5452- Capital Outlay on Tourism	Voted:	13.00 (₹O)	13.00
जल संसाधन मंत्रालय		Ministry of Water Resources			
4705-कमांड क्षेत्र विकास पर पूँजी परिव्यय	स्वीकृत	4705- Capital Outlay on Command Area Development	Voted:	1.00 (₹p)	1.00
जोड़ पूँजी भाग	स्वीकृत	Total Capital Section		32.00	32.50
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	61.20	64.74

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है:

- अतिरिक्त मंहगाई भत्ते के उन्मोचन के कारण वेतन का भुगतान (₹ 1.40 करोड़) और भारतीय आरक्षी बटालियन जवानों को यात्रा भत्ते के भुगतान हेतु (₹ 0.30 करोड़)।
- बाढ़ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टरों से मदद करने के संबंध में रक्षा मंत्रालय के बकाया बिलों के भुगतान हेतु (₹ 0.09 करोड़)।
- मृदा संरक्षण कार्यों के लिए सहायता अनुदान (₹ 0.30 करोड़)।
- ग्रामीण विकास कार्यों के लिए सहायता अनुदान (₹ 4.00 करोड़)।
- अतिरिक्त मंहगाई भत्ते (0.20 करोड़) उन्मोचन के कारण वेतन भुगतान और विद्युत सब-स्टेशनों और लाइनों के प्रचालन और अनुरक्षण हेतु (₹ 0.25 करोड़ हेतु)।
- विभिन्न मंत्रालयों के तहत अतिरिक्त मंहगाई भत्ते उन्मोचन के कारण वेतन भुगतान हेतु।
- अतिरिक्त मंहगाई भत्ता उन्मोचन (₹ 0.30 करोड़) के कारण वेतन; कन्या रक्षा कार्यक्रम और बकाया विद्युत बिलों के भुगतान हेतु (₹ 1.00 करोड़)।
- अतिरिक्त मंहगाई भत्ता उन्मोचन (₹ 1.60 करोड़) के कारण वेतन और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) सोसायटी को सहायता अनुदान हेतु (₹ 2.00 करोड़) हेतु।
- ग्रामीण सड़कों के निर्माण और सशक्तिकरण के लिए जिला पंचायत को और सरकारी उपक्रमों से डामर खरीद के संबंध में डीजीएसएंडडी के बकाया दावों के भुगतान हेतु (₹ 8.00 करोड़) सहायता अनुदान जारी करने के लिए।
- जिला सड़कों के प्रचालन और अनुरक्षण हेतु (₹ 0.25 करोड़)।
- दुधानी और मंदानी में जल आपूर्ति योजनाओं के लिए जिला पंचायत को सहायता अनुदान उन्मोचन और संघ राज्य क्षेत्र के लिए एकीकृत जल प्रबन्धन योजनाओं के लिए (₹ 8.00 करोड़)।
- संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर चैक बांधों के निर्माण के लिए जिला पंचायत को सहायता अनुदान (₹ 4.00 करोड़)।
- जिला सड़कों के चौड़ीकरण और सशक्तिकरण के लिए और डीजीएसएंडडी के तहत डामर खरीद के संबंध में बकाया डेविट टिप्पणियों के निपटान हेतु (₹ 18.00 करोड़)।

The Supplementary Grant is sought for meeting additional expenditure for the following purposes:

- For payment of salary on account of release of additional DA (₹ 1.40 crore) and payment of TA for Indian Reserve Battallion Jawans (₹ 0.30 crore).
- To clear the pending bills of Ministry of Defence towards the Air lifting of people trapped in flood (₹ 0.09 crore).
- Grants-in-aid for Soil Conservation works (₹ 0.30 crore).
- Grants- in-aid for Rural Development works (₹ 4.00 crore).
- For payment of salary on account of release of additional DA (₹ 0.20 crore) and for Operation & Maintenance of electrical sub-stations and lines (₹ 0.25 crore).
- For payment of salary on account of release of additional DA under various ministries.
- For payment of salary on account of release of additional DA (₹ 0.30 crore); save a Girl Child Programme and also to clear pending electricity bills (₹ 1.00 crore).
- For payment of salary on account of release of additional DA (₹ 1.60 crore) and Grants-in-aid to Rashtriya Madhayamik Siksha Abhiyan (RMSA) Society (₹ 2.00 crore).
- To release Grants-in-aid to District Panchayat for construction and strengthening of village roads and to clear the pending claims of DGS&D towards purchase of bitumen from Govt. undertakings (₹ 8.00 crore).
- For operation & maintenance of district roads (₹ 0.25 crore).
- For release of Grants-in-aid to District Panchayat for Water supply Schemes at Dudhani and Mandoni and for Integrated Water Management Plan for the UT (₹ 8.00 crore)
- Grants-in-aid to District Panchayat for construction of Check Dams at different places in U.T (₹ 4.00 crore)
- For widening and strengthening of District Roads and to clear the pending debit notes towards the purchase of asphalt under DGS&D (₹ 18.00 crore).

- | | |
|---|---|
| <p>(ढ़) संघ राज्य क्षेत्र में जिला सड़कों और पुलों की बड़ी मरम्मत हेतु (₹ 0.50 करोड़)।</p> <p>(ण) गोल्फ कोर्स के लिए प्राप्त भूमि की लागत के संबंध में भूमि प्राप्ति कलेक्टर को तथा होटल प्रबंधन और केटरिंग प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य योजनाओं के लिए संघ राज्य क्षेत्र के हिस्से के भुगतान हेतु (₹ 13.00 करोड़)।</p> <p>(त) दमन गंगा केनाल के निर्माण हेतु (₹ 1.00 करोड़)।</p> <p>इस पूरक में ₹ 64.74 करोड़ का निवल नगद व्यय होगा।</p> | <p>(n) For Major Repairs of District Roads and Bridges in the UT (₹ 0.50 crore).</p> <p>(o) For payment of Land Acquisition Collector towards the cost of land acquired for Golf Course, UT share for Institute of Hotel Management and Catering Technology and other schemes (₹ 13.00 crore).</p> <p>(p) For construction of Daman Ganga Canal (₹ 1.00 crore).</p> <p>The supplementary will entail a net cash outgo of ₹ 64.74 crore.</p> |
|---|---|

मांग संख्या DEMAND NO. 98

दमन और द्वीव
DAMAN AND DIU

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 114 देखिए)।

(See page 114 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत		Voted:	665.24	85.13	750.37
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत		Voted:	87.00	11.00	98.00
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	752.24	96.13	848.37

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
गृह मंत्रालय		Ministry of Home Affairs			
2055-पुलिस	स्वीकृत	2055-Police	Voted: ...	0.70 (का)	0.70
विद्युत मंत्रालय		Ministry of Power			
2801-विद्युत	स्वीकृत	2801-Power	Voted: ...	86.00 (खb)	86.00
उच्च शिक्षा विभाग		Department of Higher Education			
2202-सामान्य शिक्षा	स्वीकृत	2202-General Education	Voted: ...	0.30 (गc)	0.30
जोड़ (राजस्व भाग)		Total (Revenue Section)	...	87.00	87.00
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
विद्युत मंत्रालय		Ministry of Power			
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4801-Capital Outlay on Power Projects	Voted: 1.00 (घd)	...	1.00
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		Ministry of Road Transport and Highways			
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4801-Capital Outlay on Power Projects	Voted: 10.00 (ङe)	...	10.00
जोड़ (पूंजी भाग)		Total (Capital Section)	11.00	...	11.00
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)	11.00	87.00	98.00

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकता के उपरोक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई वसूलियां शामिल नहीं हैं जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
विद्युत मंत्रालय		Ministry of Power			
2801-विद्युत		2801-Power	Voted: ...	(-) 84.00	(-) 84.00
जोड़ (वसूलियां)		Total (Recoveries)	...	(-) 84.00	(-) 84.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant is sought for meeting additional expenditure for the following purposes:

(क) पुलिस कर्मियों को कैट के आदेशों के आधार पर वेतनमान के संशोधनों के कारण बकाया के भुगतान हेतु (₹0.70 करोड़)।

(a) For payment of arrears to police personnel due to revision of pay scales on basis of CAT orders (₹0.70 crores).

<p>(ख) बिजली खरीद और ऊर्जा के बकाया बिलों का निपटान (₹84.00 करोड़ रुपए) तथा विद्युत सब स्टेशनों के प्रचालन अनुस्क्षण/मरम्मत हेतु (₹2.00 करोड़ रुपए)।</p> <p>(ग) सरकारी महाविद्यालय, दमन के व्याख्याताओं को यूजीसी वेतनमान के कार्यान्वयन पर बकाया के भुगतान हेतु (₹0.30 करोड़ रुपए)।</p> <p>(घ) विभिन्न स्थानों के सब स्टेशनों का सशक्तिकरण और संस्थापन (₹1.00 करोड़ रुपए)।</p> <p>(ङ) चार लेन तटीय राजमार्ग के निर्माण; जिले की मुख्य सड़कों का चौड़ीकरण/सुधार; थर्मोप्लास्टिक पेंट और रोड फर्नीचर वस्तुएं प्रदान करने तथा आरसीसी नालियों के निर्माण हेतु (₹10.00 करोड़ रुपए)।</p>	<p>(b) For purchase of Power and settlement of pending bills of energy (₹ 84.00 crores) and for operation, maintenance/repairs of electricity sub-station (₹ 2.00 crore).</p> <p>(c) For payment of arrears to Lecturers of Government College, Daman for implementation of UGC Scales (₹ 0.30 crore).</p> <p>(d) For strengthening and establishment of Sub-Stations at different places (₹1.00 crore).</p> <p>(e) For construction of four lane coastal highway; widening/improving of district major roads; providing thermoplastic paint and road furniture items and construction of RCC drains. (₹10.00 crore).</p>
<p>₹84.00 करोड़ की वर्धित वसूलियों को ध्यान में रखते हुए उसे व्यय में से घटाकर पूरक में ₹14.00 करोड़ का निवल नगद व्यय होगा।</p>	<p>Taking into account the adjustment of enhanced recoveries of ₹84.00 crore taken as reduction of expenditure, the supplementary will entail a net cash outgo of ₹14.00 crore.</p>

मांग संख्या DEMAND NO. 100

शहरी विकास विभाग

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 124, वर्ष 2010-11 के अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 72 और वर्ष 2010-2011 के अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 65 देखिए)।

(See page 124 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011, page 72 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011 and page 65 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	29.41	20.62	50.03
	स्वीकृत	Voted:	1183.20	4755.98	5939.18
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	0.02	300.00	300.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित	Charged:	7.76	1.04	8.80
	स्वीकृत	Voted:	0.02	408.13	408.15
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1220.41	5485.77	6706.18
	भारित	Charged:	37.17	21.66	58.83
	स्वीकृत	Voted:	1183.24	5464.11	6647.35

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Appropriation/Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2216-आवास	भारित	2216-Housing	Charged:	...	7.76 (का)
	स्वीकृत		Voted:	...	0.01 (खb)
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552-North Eastern Areas	Voted:	0.01 (गc)	..
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.01	7.77	7.78
	भारित		Charged:	...	7.76
	स्वीकृत		Voted:	0.01	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4216-आवास पर	भारित	4216-Capital Outlay	Charged:	...	1.04 (घd)
पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	on Housing	Voted:	101.20 (ङe)	0.01 (चf)
4217-शहरी विकास पर	स्वीकृत	4217-Capital Outlay on Urban Development	Voted:	306.92 (छg)	...
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)		408.12	1.05	409.17
	भारित		Charged:	...	1.04
	स्वीकृत		Voted:	408.12	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		408.13	8.82	416.95
	भारित		Charged:	...	8.80
	स्वीकृत		Voted:	408.13	0.02

यह पूरक विनियोग/अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है:

The supplementary appropriation/grants are sought for following purposes:

(क) राष्ट्रपति संपदा का किराया, कर और दर (₹1.48 करोड़) और लघु निर्माण कार्यों (₹6.28 करोड़) के तहत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु। इसमें ₹7.76 करोड़ का निवल नगद व्यय होगा।

(a) For meeting the additional requirement under Rent, Rates & Taxes (₹1.48 crore) and Minor works (₹6.28 crore) of the President's Estate. This will entail net cash outgo of ₹7.76 crore.

(ख) किराया, दरों और करों (₹28.18 करोड़), कार्य भारित संस्थापन वेतन (₹4.65 करोड़) साधारण मरम्मत तहत लघु निर्माण कार्य

(b) For meeting the additional requirement under Rent, Rates & Taxes (₹28.18 crore), Salaries of Work Charged

(₹65.00 करोड़) और जनरल पूल एकोमोडेशन के लिए एम.पी. के घरों की साधारण मरम्मत (₹5.00 करोड़) के तहत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु।

चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

- (ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए शहरी अवसंरचना विकास परियोजना हेतु प्रावधान के तहत सामान्य सहायता अनुदान की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (₹12.00 करोड़)।

चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

- (घ) सीसीटीवी लगाने के लिए राष्ट्रपति संपदा के मुख्य कार्यों पर अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (₹1.04 करोड़)। इसमें निवल नगद व्यय होगा।
- (ङ) शहरी विकास (₹108.00 करोड़) के मुख्य निर्माण कार्य और रोजगार (₹0.41 करोड़) के मुख्य कार्यों की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु। चूंकि ₹7.21 करोड़ की बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं और ₹81.71 करोड़ की बचतें अनुदान राजस्व भाग (स्वीकृत) में उपलब्ध हैं जिन्हें अभ्यर्पित किया जाएगा, अतः इसमें ₹19.49 करोड़ का नगद व्यय होगा।
- (च) लेखा परीक्षा (₹2.00 करोड़) विदेशी मामले (₹0.10 करोड़), कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन (₹0.50 करोड़) के मुख्य कार्यों की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु।

चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

- (छ) दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को इक्विटी के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (₹306.92 करोड़)। इसमें नगद व्यय होगा।

Establishment (₹4.65 crore), Minor Works under Ordinary Repairs (₹ 65.00 crore) and Ordinary Repairs of MP Houses (₹ 5.00 crore) for maintaining General Pool Accommodation.

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (c) For meeting the additional requirement for Grants- in-aid General under provision for Urban Infrastructure Development Project for the benefit of North Eastern Areas and Sikkim (₹12.00 crore).

As savings are available within the same Section of Grant, a token Supplementary is sought

- (d) For meeting additional requirement on Major Works for President Estate for installation of CCTV (₹1.04 crore). This will entail a net cash outgo.
- (e) For meeting additional requirement on Major Works of Urban Development (₹108.00 crore) and Major Works of Employment (₹0.41 crore). As savings of ₹7.21 crore are available within the same section of the Grant and savings of ₹81.71 crore available in Revenue section (Voted) of the Grant will be surrendered, this will entail cash outgo of ₹19.49 crore.
- (f) For meeting additional requirement on Major Works of Audit (₹2.00 crore), External Affairs (₹0.10 crore), Personnel, Public Grievances and Pension (₹ 0.50 crore).

As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (g) For meeting additional requirement as equity to Delhi Metro Rail Corporation (₹306.92 crore). This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.103

जल संसाधन मंत्रालय
MINISTRY OF WATER RESOURCES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 127, वर्ष 2010-11 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 74 और वर्ष 2010-11 के अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 67 देखिए)।

(See page 127 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-11, page 74 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011 and page 67 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2010-11).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारत	Charged:	...	4.00	4.00
	स्वीकृत	Voted:	1020.52	107.00	1127.52
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	30.03	...	30.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	1050.56	111.00	1161.56
	भारत	Charged:	...	4.00	4.00
	स्वीकृत	Voted:	1050.56	107.00	1157.56

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2701-प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई	स्वीकृत	2701-Major & Medium Irrigation	Voted:	...	0.01
				0.01	0.01

यह पूरक अनुदान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलोजी की स्थापना संबंधी व्यय हेतु निधियाँ जारी करने हेतु अपेक्षित है (₹ 3.30 करोड़)। चूँकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is required to release funds to National Institute of Hydrology for establishment related expenditure (₹ 3.30 crore). As savings are available in the same Section of the Grant, a token Supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.104

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 128 वर्ष 2010-11 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 75 और वर्ष 2010-11 के अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 68 देखिए)।

(See page 128 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-11, page 75 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011 and page 68 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2010-11).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	11070.50	...	11070.50
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	0.04	...	0.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)Voted:	11070.55	...	11070.55

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	स्वीकृत	2235-Social Security and Welfare	Voted:	...	0.01
				0.01	0.01

यह पूरक अनुदान 'राष्ट्रीय लोक सहकारिता और बाल विकास संस्थान' को वेतन, बकाया राशि आदि संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए मांगा गया है। (₹ 1.30 करोड़)।

The supplementary grant is sought to provide Grants-in-aid General to 'National Institute of Public Cooperation and Child Development' to meet additional expenditure on salary, arrears etc. (₹ 1.30 crore).

चूंकि अनुदान के इसी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

As saving is available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought..

मांग संख्या DEMAND NO.105

युवा मामले और खेल मन्त्रालय

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 129 और वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 76 देखिए)।
(See page 129 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2010-2011 and page 76 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	2355.43	1209.57	3565.00
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	22.45	193.42	215.87
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.03	...	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	2377.91	1402.99	3780.90

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2204-खेल और युवा		2204- Sports and Youth				
मामले	स्वीकृत	Services	Voted:	0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02
4885-पूर्वोत्तर		2552- North Eastern				
क्षेत्र	स्वीकृत	Areas	Voted:	0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.02	0.01	0.03

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित हैं:

The Supplementary grants are required for the following purposes:

- (क) (i) नेहरू युवा केन्द्र संगठन को वेतन, बकायों आदि पर अतिरिक्त व्यय के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.44 करोड़)।
(ii) हिमालय माउंटनेयरिंग संस्थान, दार्जिलिंग, जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटनेयरिंग एण्ड विंटर स्पोर्ट्स, इण्डियन माउंटनेयरिंग फाउंडेशन और "राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम" की योजना के तहत अखिल भारतीय संगठनों को और अतिरिक्त व्यय के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.68 करोड़)।
(iii) भारतीय खेल प्राधिकरण को राष्ट्रमण्डल खेल, 2010 के लिए जीर्णोद्धार किए के लिए खेल स्टेडियमों अनुरक्षण पर आने वाली लागत हेतु वर्धित व्यय के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10.00 करोड़)।
चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।
- (ख) (i) नेहरू युवा केन्द्र संगठन को अपने कर्मचारियों के लिए वेतन बकायों आदि पर अतिरिक्त व्यय के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.07 करोड़)।
(ii) भारतीय खेल प्राधिकरण को अपने कर्मचारियों के लिए वेतन, बोनस, बकाया और पेंशन आदि के भुगतान के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 12.42 करोड़)।

- (a) (i) Grants-in-aid General to Nehru Yuva Kendra Sangathan for additional expenditure on salary and arrears etc. (₹ 2.44 crore)
(ii) Grants-in-aid General to Himalaya Mountaineering Institute, Darjeeling, Jawahar Institute of Mountaineering & Winter Sports, Indian Mountaineering Foundation and All India Organizations to meet additional expenditure under the scheme 'National Programme for Youth and Adolescent Development' (₹ 2.68 crore).
(iii) Grants-in-aid General to Sports Authority of India for increased outgo on running cost on maintenance of Sports Stadia renovated for Commonwealth Games, 2010 (₹ 10.00 crore).
As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) Grants-in-aid General to Nehru Yuva Kendra Sangathan to meet additional expenditure on salary and arrears etc. for its employees (₹ 2.07 crore).
(ii) Grants-in-aid General to Sports Authority of India to meet the additional expenditure on salary, bonus, arrears and pension etc. for its employees (₹ 12.42 crore).

- | | |
|---|---|
| <p>(iii) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर को वेतन, पेंशन, प्रचार व्यय, कार्यालय व्यय और अकादमी व्यय आदि पर अतिरिक्त व्यय के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3.33 करोड़)।</p> <p>चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।</p> <p>(ग) भारतीय खेल प्राधिकरण को पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवसंरचना परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 16.00 करोड़)।</p> <p>चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।</p> | <p>(iii) Grants-in-aid General to Laxmibai National Institute of Physical Education, Gwalior for additional expenditure on salary, pension, publicity expenses, office expenses and academic expenses etc. (₹ 3.33 crore).</p> <p>As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(c) Grants-in-aid General to Sports Authority of India for completion of infrastructure projects in North Eastern Region (₹ 16.00 crore).</p> <p>As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |
|---|---|

अनुबंध ANNEXURE

वर्ष 2010-11 के दौरान संसद में प्रस्तुत की जाने वाली उन मदों का विवरण जिनमें पुनर्विनियोग अनुमोदित सीमाओं से अधिक हो जाता है।

Statement showing items requiring report to Parliament where re-appropriation exceeded the approved limits during 2010-11.

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

क्र. सं. Sl. No.	मंत्रालय/विभाग का नाम Name of the Ministry/ Department	योजना Scheme	बजट अनुमान 2010-2011 Budget Estimates 2010-2011	पुनर्विनियोग की राशि Amount of Re-appropriation	टिप्पणियां Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries	चारा विकास योजना (मु.शी. 3601) Fodder Development Scheme (M.H.3601)	19.13	15.00	अतिरिक्त छः संघटकों के साथ योजना में संशोधन करने के कारण। अतः राज्य सरकारों से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। Due to modification of scheme with additional six components. Hence more proposals are in hand from State Governments.
		पशुरोग नियंत्रण Animal Disease Control	63.24	11.73	राज्य सरकारों से अधिक माँग होने के कारण। Due to more demands from State Governments.
		खुरपका मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम (मु.शी. 3601) Foot and Mouth Disease Control Programme (M.H. 3601)	10.50	8.49	राज्य सरकारों से अधिक माँग होने के कारण। Due to more demands from State Governments.
		मौजूदा अस्पतालों/औषधालयों का सुदृढीकरण (मु.शी. 3601) Strengthening of existing hospitals/dispensaries (M.H. 3601)	45.00	16.30	राज्य सरकारों से अधिक माँग होने के कारण। Due to more demands from State Governments.
		समुद्री मात्स्यिकी, अवसंरचना और फसल-पश्च क्रियाओं का विकास Development of Marine Fisheries, Infrastructure & Post Harvest Operations (M.H. 3601)	46.39	14.09	राज्य सरकारों से अधिक माँग होने के कारण। Due to more demands from State Governments.
		राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण एवं मात्स्यिकी प्रशिक्षण एवं विस्तार (मु.शी. 3601) National Welfare of Fishermen and Fisheries Training & Extension (M.H. 3601)	18.77	8.05	राज्य सरकारों से अधिक माँग होने के कारण। Due to more demands from State Governments.
2.	उर्वरक विभाग	3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं 00.800-अन्य व्यय 01-सभी आयोजना तथा आयोजना-भिन्न ऋण, भारत सरकार के एचएफसीएल, एमएफएल, एफएसीटी, एफसीआई और पीडीआईएल के बकाया ऋण पर ब्याज को बट्टे खाते डालना 01.00.03-पीपीएल की प्रकटन पश्च समायोजन देयताएं			1990-91 से 1992-93 के दौरान पीपीएल के पक्ष में एमएमटीसी द्वारा लिए गए उर्वरक और कच्ची सामग्री आयात पर पूरानी देयताओं को निपटाने के लिए पीपीएल द्वारा चुकाए जाने वाले एमएमटीसी के ब्याज दावों का निपटान।

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
Department of Fertilisers	3475-Other General Economic Services		0.01	4.05	Settlement of interest claim of MMTC to be paid by PPL to clear old liabilities on account of import of fertilizers and raw materials undertaken by MMTC in favour of PPL during 1990-91 to 1992-93.
	00.800-Other Expenditure				
	01-Write off of all Plan and Non-Plan loan, interest thereon on GOI loan outstanding against HFCL, MFL, FACT, FCI and PDIL.				
	01.00.03-Post closure adjustment liabilities of PPL.				
	2401-फसल कार्य				सरकारी खाते पर यूरिया आयात की संविदा/प्रतिबद्ध बाध्यताओं की पूर्ति। बजट में वृद्धि का कारण अन्तरराष्ट्रीय बाजार में यूरिया की मूल्यों में वृद्धि है।
	00.106-उर्वरकों का आयात				
	02-यूरिया आयात				
	02.00.33-सब्सिडी				
	2401-Crop Husbandry	8360.00		900.00	To meet contractual/committed obligations for import of urea on Government Account. Increase in Budget is due to increase in prices of urea in the international market.
	00.106-Import of Fertilizers	(Gross)			
	02-Import of Urea				
	02.00.33-subsidies				
3. पर्यावरण और वन मंत्रालय	(आयोजना)				
	3435-पारिस्थितिकी और पर्यावरण				
	03 - पर्यावरण अनुसंधान और पारिस्थितिकीय पुनर्सृजन				
	103 - अनुसंधान और पारिस्थितिकीय पुनर्सृजन				रक्षा मंत्रालय के लम्बित बिल की प्रतिपूर्ति तथा दो और पारिस्थिकीय बटालियनों को प्रचालित करना।
	04 - पारिस्थितिकी विकास बल				
	04.00.30-अन्य संविदात्मक सेवाएं (Plan)				
Ministry of Environment and Forests	3435 - Ecology & Environment				
	03 - Environmental Research & Ecological Regeneration				
	103- Research & Ecological Regeneration				Reimbursing pending bill to Ministry of Defence & operationalising two more Eco Battalions.
	04-Eco-Development Forces				
	04.00.30-Other Contractual Services	12.00		20.00	
4. विदेश मंत्रालय	3605- अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग				मालदीव गणराज्य में प्रौद्योगिकी धारण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा शैक्षणिक क्षमता निर्माण संबंधी परियोजना के कार्यान्वयन हेतु मालदीव सरकार को नकद सहायता प्रदान करने के लिए।
	00.101- अन्य देशों के साथ सहयोग				
	13- मालदीव को सहायता				
	13.00.32- अंशदान				
Ministry of External Affairs	3605-Technical and Economic Cooperation with Other Countries				To provide cash assistance to the Govt. of Maldives for implementing the Project on education capacity building to promote technology adoption in the Republic of Maldives.
	00.101-Cooperation with Other Countries				
	13- Aid to Maldives				
	13.00.32- Contributions	3.00		7.16	
5. वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग	मु.शी. 2020-आय एवं व्यय पर कर संग्रहण (मुख्य शीर्ष)				
	00.001-निर्देशन एवं प्रशासन (लघु शीर्ष)				

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
	01-जॉच-पड़ताल				
	01.00.02-मजदूरी				दैनिक वेतनभोगियों की अधिक दर के कारण वृद्धि हुई है।
	01.00.11-देशीय यात्रा व्यय				अधिकारियों और कर्मचारियों के वार्षिक स्थानांतरण के कारण वृद्धि हुई है।
	01.00.12-विदेश यात्रा व्यय				आईआरएस अधिकारियों के अधिक विदेश यात्रा के कारण वृद्धि।
	01.00.14-किराया, दरें एवं कर				किराया संबंधी करारों में संशोधन के कारण बढ़ोत्तरी हुई है।
	01.00.20-अन्य प्रशासनिक व्यय				यह आतिथ्य, मनोरंजन और उपहार संबंधी व्यय आदि में बढ़ोत्तरी के कारण हुआ है।
	01.00.28-व्यावसायिक सेवाएं				अधिवक्ताओं की फीस आदि के बकाया बिलों के भुगतान के कारण बढ़ोत्तरी हुई है।
	01.00.41-गुप्त सेवा व्यय				अधिक छान-बीन और जब्तीकरण के कारण यह बढ़ोत्तरी हुई है।
Ministry of Finance, Department of Revenue	MH 2020-Collection of Taxes on Income & Expenditure (Major Head) 00.001-Direction and Administration (Minor Head) 01- Investigation				
	01.00.02-Wages	0.005		0.003	The increase is due to higher rates of daily wagers.
	01.00.11-Domestic Travel Expenses	0.16		0.15	The increase is due to annual transfers of Officers and Staff.
	01.00.12-Foreign Travel Expenses	0.00		0.06	The increase is due to more visits abroad of IRS Officers.
	01.00.14-Rent, Rates and Taxes	0.00		0.2264	The increase is due to revision of rent agreements.
	01.00.20-Other Administrative Expenses	0.005		0.0095	This is due to increase in hospitality, expenditure on entertainment and gift etc.
	01.00.28-Professional Services	0.10		0.085	The increase is due to payment of outstanding bills of lawyers fee etc.
	01.00.41-Secret Service Expenditure	0.40		0.25	The increase is due to more searches and seizures.
	02-अनुसंधान सांख्यिकी और प्रकाशन				
	02.00.03-समयोपरि भत्ता				समयोपरि भत्ता के अधिक दावेदारों के कारण यह वृद्धि हुई है।
	02.00.12-विदेश यात्रा व्यय				भा.स.से. अधिकारियों के अधिक विदेश भ्रमण के कारण बढ़ोत्तरी हुई है।
	02.00.20-अन्य प्रशासनिक व्यय				यह वृद्धि आतिथ्य, मनोरंजन और उपहार आदि पर व्यय में बढ़ोत्तरी के कारण हुई है।
	02.00.26-विज्ञापन एवं प्रचार				यह वृद्धि वार्षिक प्रचार कार्यक्रम (वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित) के कारण हुई है।
	02- Research Statistics and Publication				
	02.00.03-Overtime Allowance	0.0052		0.0026	The increase is due to more claimants of OTA.
	02.00.12-Foreign Travel Expenses	0.00		0.0325	The increase is due to more visits abroad of IRS Officers.

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		02.00.20-Other Administrative Expenses	0.01	0.012	This is due to increase in hospitality, expenditure on entertainment and gift etc.
		02.00.26-Advertising and Publicity	39.00	39.00	The increase is due to Annual Publicity Programme (approved by FM).
		03-संगठन एवं प्रबंधन सेवाएं			
		03.00.03-समयोपरि भत्ता			समयोपरि भत्ता के अधिक दावेदारों के कारण यह वृद्धि हुई है।
		03.00.12-विदेश यात्रा व्यय			भा.स.से. अधिकारियों के अधिक विदेश भ्रमण के कारण बढ़ोत्तरी हुई है।
		03.00.20-अन्य प्रशासनिक व्यय			यह वृद्धि आतिथ्य, मनोरंजन और उपहार आदि पर व्यय में बढ़ोत्तरी के कारण हुई है।
		03.00.26-विज्ञापन एवं प्रचार			आईटी विभाग के अधिक विज्ञापनों के कारण यह वृद्धि हुई है।
		03- Organisation and Management Services			
		03.00.03-Overtime Allowance	0.0008	0.0002	The increase is due to more claimants of OTA.
		03.00.12-Foreign Travel Expenses	0.00	0.05	The increase is due to more visits abroad of IRS officers.
		03.00.20-Other Administrative Expenses	0.025	0.015	This is due to increase in hospitality, expenditure on entertainment and gift etc.
		03.00.26-Advertising and Publicity	0.035	0.08	The increase is due to more advertisements of IT Department.
		04-निरीक्षण			
		04.00.11-देशीय यात्रा भत्ता			अधिकारियों और कर्मचारियों के वार्षिक स्थानांतरण के कारण वृद्धि हुई है।
		04.00.20-अन्य प्रशासनिक व्यय			यह वृद्धि आतिथ्य, मनोरंजन और उपहार आदि पर व्यय में बढ़ोत्तरी के कारण हुई है।
		04- Inspection			
		04.00.11-Domestic Travel Expenses	0.035	0.035	The increase is due to annual transfers of Officers and Staff.
		04.00.20-Other Administrative Expenses	0.00	0.005	This is due to increase in hospitality, expenditure on entertainment and gift etc.
		00.101-संग्रहण प्रभार-आयकर (मुख्य शीर्ष)			
		01-आयुक्त और उनके कार्यालय			
		01.01.20-अन्य प्रशासनिक व्यय			यह वृद्धि आतिथ्य, मनोरंजन और उपहार आदि पर व्यय में बढ़ोत्तरी के कारण हुई है।
		01.01.26-विज्ञापन एवं प्रचार			आईटी विभाग के अधिक विज्ञापनों के कारण यह वृद्धि हुई है।
		00.101-Collection Charges- Income Tax (Minor Head)			
		01- Commissioners and their offices			
		01.01.20-Other Administrative Expenses	2.192	6.938	This is due to increase in hospitality, expenditure on entertainment and gift etc.

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		01.01.26-Advertising and Publicity	0.965	0.91	The increase is due to more advertisements of IT Department.
		02- आयकर और संपत्ति कर मामले निपटान आयोग			
		02.00.11-देशीय यात्रा भत्ता			अधिकारियों और कर्मचारियों के वार्षिक स्थानांतरण के कारण वृद्धि हुई है।
		02.00.12-विदेश यात्रा भत्ता			भा.स.से. अधिकारियों के अधिक विदेश भ्रमण के कारण बढ़ोत्तरी हुई है।
		02.00.26-विज्ञापन और प्रचार			आईटी विभाग के अधिक विज्ञापनों के कारण यह वृद्धि हुई है।
		02- Settlement Commission for Income Tax and Wealth Tax Cases			
		02.00.11-Domestic Travel Expenses	0.41	0.14	The increase is due to annual transfers of Officers and Staff.
		02.00.12-Foreign Travel Expenses	0.00	0.02	The increase is due to more visits abroad of IRS Officers.
		02.00.26-Advertising and Publicity	0.00	0.01	The increase is due to more advertisements of IT Department.
		04-प्रधान मुख्य लेखानियंत्रक के आंचलिमक लेखा कार्यालय			
		04.00.20-अन्य प्रशासनिक व्यय			यह वृद्धि आतिथ्य, मनोरंजन और उपहार आदि पर व्यय में बढ़ोत्तरी के कारण हुई है।
		04.00.27-लघु कार्य			आईटी विभाग के अधिक विज्ञापनों के कारण यह वृद्धि हुई है।
		04- Zonal Accounts Offices of Principal Chief Controller of Accounts			
		04.00.20-Other Administrative Expenses	0.06	0.02	This is due to increase in hospitality, expenditure on entertainment and gift etc.
		04.00.27-Minor Work	0.07	0.03	The increase is due to maintenance and repairs of field units of IT Department.
		02-अग्रिम निर्णय प्राधिकरण			
		02.00.12-विदेशी यात्रा व्यय			भा.स.से. अधिकारियों के अधिक विदेश भ्रमण के कारण बढ़ोत्तरी हुई है।
		02.00.14-किराया, दर और कर			यह वृद्धि किराया इकरारनामों के संशोधन के कारण है।
		02- Authority for Advance Rulings			
		02.00.12-Foreign Travel Expenses	0.00	0.05	The increase is due to more visits abroad of IRS Officers.
		02.00.14-Rent, Rates & Taxes	0.45	0.27	The increase is due to revision of rent agreements.
		4216-आवास पर पूंजी परिव्यय			
		01.00.54-निवेश			यह वृद्धि मुम्बई में बांद्रा कुर्ला परियोजना के लिए 56-टाइप-V के फ्लैट्स के निर्माण के लिए भूमि खरीद के कारण है।

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		4216-Capital Outlay on Housing			
		01.00.54-Investments	15.00	0.3241	The increase is due to purchase of land for construction of 56-type-V flats for Bandra Kurla Project at Mumbai.
6. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग		2071.01.118.01-केन्द्र सरकार के पेंशनभोगी			
Department of Health & F.W.		2071.01.118.01-Central Government Pensioners	(आयोजना-भिन्न) 377.87 (Non-Plan)	222.13	सीजीएचएस के पेंशनभोगियों के चिकित्सा उपचार पर वर्धित व्यय Increased expenditure on medical treatment of CGHS pensioners
		2210.01.103.24-औषधालयों/अस्पतालों की स्थापना	(आयोजना) 33.00 (Plan)	12.21	वेतन, दवा की खरीद संबंधी वर्धित व्यय Increased expenditure on Salaries, Procurement of medicine.
		2210.01.103.24-Setting up of Dispensaries/Hospitals	(आयोजना-भिन्न) 500.00 (Non-Plan)	80.00	
		2210.01.110.19-सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	(आयोजना) 77.00 (Plan)	26.00	तदैव -do-
		2210.01.110.19-Safdarjang Hospital, New Delhi	(आयोजना-भिन्न) 160.00 (Non-Plan)	21.11	
		2210.01.110.20-डा. आरएमएल अस्पताल, नई दिल्ली	(आयोजना) 73.69 (Plan)	11.03	तदैव -do-
		2210.01.110.20-Dr.R.M.L. Hospital N.Delhi	(आयोजना-भिन्न) 107.00 (Non-Plan)	16.57	
		2210.01.110.23-कलावती सरन अस्पताल	(आयोजना) 16.00 (Plan)	3.55	तदैव -do-
		2210.01.110.23-Kalawati Saran Children's Hospital	(आयोजना-भिन्न) 23.26 (Non-Plan)	3.50	
		2210.05.105.27-लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती एस.के. अस्पताल			तदैव -do-
		2210.05.105.27-Lady Hardinge Medical College & Smt. S.K. Hospital	(आयोजना-भिन्न) 97.00 Non-Plan	5.72	
		2210.05.105.34-नर्सिंग सेवाओं का विकास			मौजूदा नर्सिंग स्कूलों के सशक्तिकरण पर अतिरिक्त व्यय
		2210.06.003.11-Development of Nursing Services,	(आयोजना) 17.00 (Plan)	5.00	Additional expenditure on strengthening of existing Schools of Nursing.

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		2210.06.104.02-केन्द्रीय मादक द्रव्य मानक नियंत्रण संगठन	(आयोजना)		प्रयोगशाला उपस्करों और उपभोज्य की अधिप्राप्ति पर अतिरिक्त व्यय
		2210.06.104.02- Central Drugs Standard	10.00 (Plan) (आयोजना-भित्त)	8.69	Additional expenditure on procurement of Lab equipments,
		Control Organisation	13.68 (Non-Plan)	0.59	consumables.
		2210.06.107.01- केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली	(आयोजना)		संस्थान की अवसंरचना के सशक्तिकरण/ जीर्णोद्धार पर अतिरिक्त व्यय
		2210.06.107.01-Central Research Institute, Kasauli	12.00 (Plan)	20.32	Additional expenditure on strengthening/renovation of infrastructure of the Institute.
		4210.01.110.07- आरएमएल अस्पताल, नई दिल्ली	(आयोजना)		सीडब्लूजी संबंधी कार्यों पर पूंजी कार्यों संबंधी अतिरिक्त व्यय
		4210.01.110.07- RML Hospital, New Delhi	33.00 (Plan)	16.00	Additional expenditure on capital works on CWG related works.
		2210.06.800.27-एकीकृत बीमारी निगरानी परियोजना	(आयोजना)		राज्य स्वास्थ्य सोसायटियों से वर्धित मांग
		2210.06.800.27-Integrated Disease Surveillance Project	29.00 (Plan)	25.40	Increased demand from State Health Societies.
		2211.00.109.10- पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम	(आयोजना)		विश्व बैंक को ऋण की प्रतिभूति के संबंध में वित्त मंत्रालय के लेखा और लेखा परीक्षा सहायता नियंत्रक कार्यालय को भुगतान हेतु।
		2211.00.109.10-Pulse Polio Immunization Programme	581.51 (Plan)	34.10	To pay to office of Controller of Aid, Accounts & Audit, Ministry of Finance towards repayment of Loan to World Bank.
		2211.00.800.09-परिवार कल्याण लिंक्ड स्वास्थ्य बीमा योजना	(आयोजना)		बीमा प्रीमियम की वर्धित लागत के कारण।
		2211.00.800.09-Family Welfare Linked Health Insurance Plan	15.00 (Plan)	24.82	Due to increased cost of Insurance Premium.
		2211.00.800.14- प्रबन्धन सूचना प्रणाली	(आयोजना)		एएचएस के तहत उपक्रम क्लिनिकल एंथरों प्रमोमेट्रिक बायोकेमिकल्स टेस्टिंग हेतु वर्धित मांग।
		2211.00.800.14-Management Information System	100.00 (Plan)	10.00	Increased demand for undertaking clinical, anthropometric bio- chemical testing under AHS.
		2252.00.282.01-राज्य पीआईपी हेतु आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल	(आयोजना)		पूर्वोत्तर राज्यों से वर्धित मांग
		2252.00.282.01-RCH Flexible Pool for State PIPs	453.50 (Plan)	15.00	Increased demand from the NE States.
		2552.00.284.04- मिशन फ्लेक्सीबल पूल	(आयोजना)		पूर्वोत्तर राज्यों से वर्धित मांग
		2552.00.284.04- Mission Flexible Pool	481.30 (Plan)	15.00	Increased demand from the NE States.

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		2552.00.288.01-राष्ट्रीय वेक्टर जनित बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम	(आयोजना)		दीर्घावधिक कीटनाशक नेट्स (एलएल आईएन) और पूर्वोत्तर राज्यों हेतु डीडीटी की अतिरिक्त आवश्यकता की वर्धित मांग के कारण
		2552.00.288.01-National Vector Borne Disease Control Programme	63.63(Plan)	78.03	Due to increased supply of Long Lasting Insecticide Nets (LLIN) and additional requirement of DDT for NE States.
		3601.04.246.02-नियमित टीकाकरण कार्यक्रम	(आयोजना)		अतिरिक्त टीकों की अधिप्राप्ति
		3601.04.246.02-Routine Immunization Programme	396.00 (Plan)	33.00	To procure additional vaccines.
		3601.04.263.03-राष्ट्रीय वेक्टर जनित बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम	(आयोजना)		विगत वर्ष में डीडीटी की विभेदक लागत की पूर्ति हेतु
		3601.04.263.03-National Vector Borne Disease Control Programme (GC)	88.36(Plan)	45.20	To meet the differential cost of DDT in previous year.
		3601.04.263.05-काला-जार नियंत्रण कार्यक्रम	(आयोजना)		तदैव
		3601.04.263.05-Kala-Azar Control Programme	12.25(Plan)	21.35	-do-
7. गृह मंत्रालय		2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 00.119-राजभाषा 03-अन्य योजनाएं, 03.05-केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, 03.05.13-कार्यालय व्यय			हिन्दी प्रशिक्षण के आधुनिकीकरण और आन लाइन परीक्षा आरम्भ करने के लिए डीजीएसएंडडी दर संविदा पर 227 कम्प्यूटरों और अनुषंगियों की खरीद हेतु।
Ministry of Home Affairs		2070-Other Administrative Services 00.119-Official Language 03-Other Schemes 03.05-Central Hindi Training Institute 03.05.13-Office Expenses	0.63	0.83	For purchase of 227 computers and peripherals on DGS&D rate contract for modernization of Hindi Training and introduction of on-line examination.
		2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं 00.116-आप्रवासन ब्यूरो 01-प्रवासी सेवाएं 01.01.14-किराया, दरें और कर			आईजीआईए, दिल्ली में मकान के किराए के भुगतान के संबंध में डायल को 60.00 लाख रुपए की राशि आवश्यक है। राशि का भुगतान पहले दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया था। अब यह निर्णय लिया गया है कि डायल को यह भुगतान आप्रवासन ब्यूरो द्वारा किया जाना है। शीर्ष आईटी (एम एंड ई) के तहत उपलब्ध बचतों में से 60.00 लाख रुपए की राशि शीर्ष आरआरटी में पुनर्विनियोग के लिए प्रस्तावित की जा रही है।
		2070-Other Administrative Services 00.116-Bureau of Immigration 01-Services to migrant 01.01.14-Rent Rates & Taxes	0.70	0.60	An amount of ₹ 60.00 lakh is required towards payment of space rent at IGIA, Delhi to DIAL. The payment was earlier made by Delhi Police. It has now been decided to make the payment to be made by Bureau of Immigration to DIAL. Savings are available under the

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
					head IT (M&E), out of which an amount of ₹ 60.00 lakh has been re-appropriated to the head RRT.
	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं				व्यय की समीक्षा के आधार पर एक वास्तविक
	00.116-आप्रवासन ब्यूरो				मूल्यांकन किया गया और पाया गया कि
	01-आप्रवासी सेवाएं				वचनबद्ध व्यय हेतु लघु निर्माण कार्य (एएमसी
	01.01.27-लघु निर्माण कार्य				1.38 करोड़ रुपए) बीओआई मुख्यालय और
					आईसीपी में मरम्मत कार्य (1.00 करोड़
					रुपए) और बंगलौर के एफआरआरओ
					कार्यालय के लघु निर्माण कार्य (62.00
					लाख रुपए) के लिए 3.00 करोड़ रुपए की
					अतिरिक्त आवश्यकता है।
	2070-Other Administrative Services				On the basis of review of
	00.116-Bureau of Immigration				expenditure, a realistic assessment
	01-Services to migrant				has been made and found that an
	01.01.27-Minor Works	1.00	3.00		additional amount of ₹ 3.00 crore
					is required for Minor Works for
					committed expenditure (AMC ₹
					1.38 crore) repairs works at BOI
					Hqrs. & ICP (₹ 1.00 crore) and
					minor works in FRRO office (₹
					62.00 lakh) at Bengaluru.
	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं				सीसीएसएपी के अध्यक्ष, सदस्यों, सदस्य
	00.103-क्षेत्रीय परिषद्				सचिव और सचिवालय के अधिकारियों एवं
	03-अन्तरराष्ट्रीय परिषद्				स्टाफ के वेतन/मानदेय/पारिश्रमिक
	03.00.01-वेतन				
	2070-Other Administrative Services				Salaries/Honorarium/Emoluments
	00.103-Zonal Council				for Chairman, Members, Member
	03-Inter State Council				Secretary & Sectt. officers & staff
	03.00.01-Salaries	2.52	1.20		of CCSSAP.
	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं,				सीसीएसएपी के अध्यक्ष, सदस्य और अन्य
	00.103-क्षेत्रीय परिषद्				अधिकारियों का आन्ध्र प्रदेश का अक्सर
	03-अन्तरराष्ट्रीय परिषद्				होने वाले दौरे।
	03.00.11-देशीय यात्रा व्यय				
	2070-Other Administrative Services				Frequent visits of Chairman,
	00.103-Zonal Council				Members and other officers of
	03-Inter State Council				CCSAP to Andhra Pradesh.
	03.00.11-Domestic Travel Expenses	0.20	0.70		
	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं,				ईंधन, टैक्सी किराए पर लेना, स्टाफ कारों
	00.103-क्षेत्रीय परिषद्				का रखरखाव, टेलीफोन स्टेशनरी, कार्यालय
	03-अन्तरराष्ट्रीय परिषद्				उपस्कर और आवरण, बैठकें, रिपोर्टों का
	03.00.13-कार्यालय व्यय				मुद्रण आदि।
	2070-Other Administrative Services				Expenditure towards fuel, hiring of
	00.103-Zonal Council				taxies, maintenance of staff cars,
	03-Inter State Council				telephones, stationery, office
	03.00.13-Office Expenses	0.30	0.70		equipments & accessories,
					meetings, printing of reports, etc.
	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं,				संघवाद पर चौथे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, 2007
	00.790-अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन/वैठक				संबंधी बकाया बिलों का निपटान
	01-संघवाद पर चौथा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन				

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		03.01.20-अन्य प्रशासनिक व्यय 2070-Other Administrative Services 00.790-International Conference/ Meetings 01-Fourth International Conference on Federalism 01.00.20-Other Administrative Expenses	0.01	1.26	Clearance of outstanding bills relating to 4th International Conference on Federalism, 2007
		2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 00.110-राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी 01.01-निर्देश एवं प्रशासन 01.01.14-किराया, दरें और कर 2070-Other Administrative Services 00.110-National Investigation Agency 01.01-Direction & Administration 01.01.14-Rent, Rates & Taxes	2.00	2.35	किराया संबंधी वचनबद्ध देयताओं की पूर्ति हेतु 3.00 करोड़ रुपए की कमी है। There is a shortfall of ₹ 3.00 crore to meet the committed liabilities on rent.
		2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं 00.110-राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी 01.01-निर्देश एवं प्रशासन 01.01.11-घरेलू यात्रा व्यय 2070-Other Administrative Services 00.110-National Investigation Agency 01.01-Direction & Administration 01.01.11-Domestic Travel Expenses	0.25	1.00	देश के विभिन्न भागों में चालू अन्वेषणों के संबंध में व्यापक यात्राओं के कारण अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है। Additional funds are required because of extensive tours in connection with ongoing investigations in different parts of the country.
		2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं 00.119-राजभाषा 03.05-अन्य योजनाएं 03.05-केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान 03.05.06-चिकित्सा उपचार 2070-Other Administrative Services 00.119-Official Language 03-Other Schemes 03.05-Central Hindi Training Institute 03.05.06-Medical Treatment	0.03	0.05	अतिरिक्त चिकित्सा उपचार निधियों की आवश्यकता के लिए। Additional funds are required for medial treatment.
		2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं 00.109-आसूचना ब्यूरो 01-संस्थापना 01.01-सामान्य प्रशासन 01.01.28-व्यावसायिक सेवाएं 2070-Other Administrative Services 00.109-Intelligence Bureau 01-Establishment 01.01-General Administration 01.01.28-Professional Services	8.00	2.19	वेतन में वृद्धि के कारण सशस्त्र सुरक्षा गार्डों की तैनाती संबंधी बकाया बिलों पर्याप्त आवंटन के अभाव में और चूंकि विभिन्न परीक्षाओं के संचालन संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु निधियां उपयोग कर ली गई थीं अतः सशस्त्र सुरक्षा गार्डों के नियमित बिलों के भुगतान हेतु भी लम्बित हैं। Due to enhancement in salaries, the arrear bills on deployment of arms guards are pending for want of adequate allocation and also to pay the regular bills of arms guards since the funds were utilized to meet the expenditure on conducting various examination.

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		3454-जनगणना, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी			
		01-जनगणना			
		800-अन्य व्यय			जनगणना अनुसूचियों के भंडारण के लिए
		02-प्रथक्करण और संकलन			अपेक्षित अतिरिक्त भंडारण स्थान संबंधी
		02.00.14-आरआरटी			व्यय की पूर्ति हेतु।
		3454-Census Survey & Statistics			
		01-Census			
		800-Other Expenditure			To meet expenditure towards
		02-Abstraction & Compilation			additional storage space required
		02.00.14-RRT	1.45	2.00	for storage of Census Schedules.
		3454-जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी			
		01-जनगणना			
		800-अन्य व्यय			
		04-पंजीकरण प्रोन्नति पद्धति अनुसंधान			जनगणना 2011 के प्रचार की अतिरिक्त
		और जनसंख्या अध्ययन			आवश्यकता की पूर्ति के कारण।
		04.00.26-विज्ञापन एवं प्रचार			
		3454-Census Survey & Statistics			
		01-Census			
		800-Other Expenditure			
		04-Registration Promotion Method,			To meet the urgent requirement of
		Research & Population Studies			publicity for Census 2011.
		04.00.26-Advertising & Publicity	2.00	1.75	
		4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजी			
		परिव्यय			
		80-सामान्य			
		80.051-भवन निर्माण			
		33-राष्ट्रीय अग्निशमन कालेज			
		01-कार्यालय भवन			अहाते की दीवार और कार्यालय भवन के
		33.01.53-मुख्य निर्माण कार्य			निर्माण के कारण।
		4059-Capital Outlay on Public			
		Works			
		80-General			
		80.051-Construction			
		33-National Fire Service College			
		01-Office Buildings			For construction of compound wall
		33.01.53-Major Works	0.01	0.99	& office building.
8. गृह मंत्रालय		2013-मंत्रिपरिषद्			
		00.106-मंत्रिमंडल सचिवालय			उपचार संबंधी अतिरिक्त व्यय के कारण।
		02-राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय			
		02.01-सामान्य प्रशासन			
		02.01.06-चिकित्सा उपचार			
Ministry of Home		2013-Council of Ministers			
Affairs		00.106-Cabinet Sectt.			
Cabinet		02-National Security Council			
		Sectt.			
		02.01-General Administration			For extra expenditure on medical
		02.01.06-Medical Treatment	0.08	0.03	treatment.
		2013-मंत्रिपरिषद्			
		00.106-मंत्रिमंडल सचिवालय			
		02-राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय			विभिन्न देशों के साथ जारी वार्ता में भाग

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		02.01-सामान्य प्रशासन 02.01.12-विदेशी यात्रा व्यय 2013-Council of Ministers 00.106 Cabinet Sectt. 02-National Security Council Sectt. 02.01-General Administration 02.01.12-Foreign Travel Expenses	0.50	0.15	लेने के लिए विभिन्न देशों की यात्रा के कारण। For visits to countries for participating in ongoing dialogue with various countries.
		2013-मंत्रिपरिषद् 00.106-मंत्रिमंडल सचिवालय 02-राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय 02.01-सामान्य प्रशासन 02.01.28-व्यावसायिक सेवाएं 2013-Council of Ministers 00.106 Cabinet Sectt. 02-National Security Council Sectt. 02.01-General Administration 02.01.28-Professional Services	0.06	0.05	वर्गीकृत अध्ययनों के भुगतान हेतु। For payment of classified studies.
9. गृह मंत्रालय		2055-पुलिस 00.101-अपराध अन्वेषण और सतर्कता 03-केन्द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला 03.03-सामान्य प्रशासन 03.03.28-व्यावसायिक सेवाएं			हैदराबाद में सीएफआई के भवन सुरक्षा में लगे सशस्त्र रक्षकों के वेतन भुगतान के लिए निधि आवश्यक है।
Ministry of Home Affairs Police		2055-Police 00.101-Criminal Investigation & Vigilance 03-Central Forensic Science Laboratory 03.03-General Administration 03.03.28-Professional Service	0.25	0.16	Fund is required for making the payment of salary to the Armed Guards deployed for the building security of CFIs at Hyderabad.
		2055-पुलिस 00.101-अपराध अन्वेषण और सतर्कता 03-केन्द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला 03.03-सामान्य प्रशासन 03.03.12-विदेशी यात्रा व्यय 2055-Police 00.101-Criminal Investigation & Vigilance 03-Central Forensic Science Laboratory 03.03-General Administration 03.03.12-Foreign Travel Expenses	0.06	0.29	सीएफएसएल के वैज्ञानिकों की एफबीआई प्रयोगशाला अमेरिका की यात्रा पर व्यय की पूर्ति हेतु। To meet expenditure on the visit of Scientists from CFSL to FBI Laboratories, USA
		2055-पुलिस 00.103-असम राइफल्स 01-संस्थापन 01.02-सामान्य प्रशासन 01.02.28-व्यावसायिक सेवाएं 2055-Police 00.103-Assam Rifles 01-Establishment			वैधानिक और अन्य व्यावसायिक फीसों का भुगतान ।

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		01.02-General Administration			For payment of legal and other
		01.02.28-Professional Services	0.00	0.05	professional fees.
		2055-पुलिस			
		00.101-अपराध अन्वेषण और सतर्कता			
		05-प्रश्नवाले दस्तावेजों का सरकारी			
		परीक्षक			सीएफएसएल के वैज्ञानिकों की एफबीआई
		03-सामान्य प्रशासन			प्रयोगशाला अमेरिका की यात्रा पर व्यय की
		05.03.12-विदेशी यात्रा व्यय			पूर्ति हेतु।
		2055-Police			
		00.101-Criminal Investigation			
		& Vigilance			
		05-Govt. Examiner of Questioned			
		Documents			To meet expenditure on the visit of
		03-General Administration			Scientists from CFSL to FBI
		05.03.12-Foreign Travel Expenses	0.06	0.26	Laboratories, USA
		2055-पुलिस			
		00.101-अपराध अन्वेषण और सतर्कता			
		10-केन्द्रीय फॉरेसिक विज्ञान			
		प्रयोगशाला (सीबीआई)			सीएफएसएल के वैज्ञानिकों की एफबीआई
		01-सामान्य प्रशासन,			प्रयोगशाला अमेरिका की यात्रा पर व्यय की
		10.01.12-विदेशी यात्रा व्यय			पूर्ति हेतु।
		2055-Police			
		00.101-Criminal Investigation			
		& Vigilance			
		10-Central Forensic Science			
		Laboratory (CBI)			To meet expenditure on the visit of
		01-General Administration			Scientists from CFSL to FBI
		10.01.12-Foreign Travel Expenses	0.05	0.09	Laboratories, USA
		2055-पुलिस			
		00.101-अपराध अन्वेषण और सतर्कता			
		09-फॉरेसिक विज्ञान निदेशालय			डीएफएस नई दिल्ली के अधिकारियों को
		09.01-सामान्य प्रशासन			चालू वित्त वर्ष 2010-11 के लिए अधिकारियों
		09.01.06-चिकित्सीय इलाज			के भुगतान।
		2055-Police			
		00.101-Criminal Investigation			
		& Vigilance			
		09-Directorate of Forensic Science			For payment to the officials of
		09.01-General Administration			DFS, New Delhi for current
		09.01.06-Medical Treatment	0.06	0.13	financial year 2010-11
		2055-पुलिस			
		00.800-अन्य व्यय			
		03-अश्रु गैस सामग्री की खरीद			
		विनिर्माण और वितरण			जम्मू कश्मीर पुलिस को अश्रु गैस खोलों
		03.00.21-आपूर्ति और सामग्री			की आपूर्ति बढ़ाने हेतु।
		2055-Police			
		00.800-Other Expenditure			
		03-Purchase, Manufacture &			
		Distribution of Tear Smoke			
		Material			To increase supplies of Tear Gas
		03.00.21-Supplies & Materials	4.00	4.60	Shells to JK Police.

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		2055-पुलिस			
		00.105-सीमा सुरक्षा बल			
		01-बीएसएफ महानिदेशालय			
		03-सामान्य प्रशासन			सफदर जंग एयरपोर्ट हेलीबेस का किराया
		01.03.14-किराया, दरें और कर			भुगतान
		2055-Police			
		00.105-Border Security Force			
		01-Directorate General BSF			
		03-General Administration			Payment of rent of Safdarjung
		01.03.14-Rent, Rates & Taxes	1.28	4.95	Airport Helibase.
		4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय			
		00.216-अन्य पुलिस संगठन			
		04-केन्द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला			
		04.03-सामान्य			
		04.03.51-मोटर वाहन			नए वाहनों की खरीद के कारण
		4055-Capital Outlay on Police			
		00.216-Other Police Organisation			
		04-Central Forensic Science			
		Laboratory			
		04.03-General			
		04.03.51-Motor Vehicles	0.08	0.03	For purchase of new vehicles.
		4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय			
		00.216-अन्य पुलिस संगठन			
		06-प्रश्नवाले दस्तावेजों का सरकारी			
		परिक्षक			जीईक्यूडी, हैदराबाद के अतिरिक्त आवास
		06.02-कार्यालय भवन			के रूप में पहली मंजिल के निर्माण के
		06.03.53-मुख्य कार्य			कारण।
		4055-Capital Outlay on Police			
		00.216-Other Police Organisation			
		06-Govt. Examiner of Questioned			
		Documents			For construction of additional
		06.02-Office Building			accommodation of GEQD,
		06.02.53-Major Works	0.00	0.50	Hyderabad
		4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय			
		00.216-अन्य पुलिस संगठन			
		14-अश्रु गैस सामग्री की खरीद			
		विनिर्माण और वितरण			
		01-सामान्य			जम्मू कश्मीर पुलिस के अश्रु गैस खोल की
		14.01.52-मशीनरी और उपस्कर			आपूर्ति बढ़ाने के लिए।
		4055-Capital Outlay on Police			
		00.216-Other Police Organisation			
		14-Purchase, Manufacture &			
		Distribution of Tear Smoke			
		Material			
		01-General			To increase supplies of Tear Gas
		14.01.52-Machinery & Equipment	0.75	0.55	Shells to JK Police.
		4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय			
		00.202-असम राइफल्स			
		02-आवासीय भवन			पीपीपी आधार कार्य से संबंधित आवासीय
		02.00.53-मुख्य कार्य			परियोजना के कारण अतिरिक्त राशि ।

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		4055-Capital Outlay on Police 00.202-Assam Rifles 02-Residential Building 02.00.53-Major Works	8.00	3.94	Additional amount is for housing project on PPP basis work.
10.	गृह मंत्रालय गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान, 01-आयोजना-भिन्न अनुदान, 01.146-अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम 02-गुजरात में वर्ष 2002 के साम्प्रदायिक दंगों के पीड़ितों को अतिरिक्त राहत और पुनर्वास, 02.00.31-सामान्य सहायता अनुदान 3601-Grants-in-aid to State Govt. 01-Non-Plan Grants 01.146-Other Social Security and Welfare Programme 02-Additional Relief and Rehabilitation to the victims of communal riot of 2002 in Gujarat 02.00.31-Grants-in-aid General	0.10	85.65	गुजरात के वर्ष 2002 के साम्प्रदायिक दंगों के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास के लिए अतिरिक्त अनुग्रह सहायता के भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय किया जाना है। The excess is to make payment of additional ex-gratia assistane for relief and rehabilitation to the victims of communal riots of 2002 in Gujarat.
	Ministry of Home Affairs Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs				
11.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	3601.04.321.04-कौशल विकास पहल (सामान्य) (कौशल विकास पहल योजना के तहत) । 3601.04.321.04-Skill Development Initiative (General) (Under the scheme of Skill Development Initiative)	0.40	119.95	सफल प्रशिक्षणार्थियों, पंजीकृत वीटीपी और पैनल वाले निर्धारण निकायों को निर्दिष्ट राज्यों के माध्यम से प्रशिक्षण, परीक्षण और निर्धारण शुल्क की प्रतिपूर्ति का भुगतान। Payment of reimbursement of training, testing and assessment fee to successful trainees, registered VTPs and empanelled assessing bodies through designated states.
	Ministry of Labour and Employment				
12.	ग्रामीण विकास विभाग	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम - ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और जिला योजना प्रक्रिया का सशक्तिकरण को प्रबन्धन सहायता - प्रबन्धन प्रकोष्ठ 2515-Other Rural Development Programmes - Management Support to Rural Development Programmes and Strengthening District Planning Process - Management Cell	0.65	1.00	कार्यालय आवास के किराए के लिए व्यय की पूर्ति हेतु । To meet the expenditure for hiring of office accommodation.
	Department of Rural Development				
13.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान 04.343-अनुसूचित जातियों के लिए कल्याणकारी अनुसूचित जाति विशेष संघटक आयोजना 01-मैट्रिक-पश्च छात्रवृत्ति योजना 01.00.31- सामान्य सहायता अनुदान 3601-Grants-in-aid to State Governments 04.343-Welfare Schedule Castes-			पूर्वोत्तर और सिक्किम क्षेत्र में स्थित लाभभोगियों को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।
	Ministry of Social Justice & Empowerment				

(करोड़ रुपए *Rupees in Crore*)

1	2	3	4	5	6
		Special Component Plan for Schedule Castes 01-Post Matric Scholarship Scheme 01.00.31-Grants-in-aid General	1667.00	8.98	For providing grants-in-aid to beneficiaries located in NE and Sikkim Region.
14.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह Andaman and Nicobar Islands				
>	विद्युत मंत्रालय	मु.शी. 2801-विद्युत 01 विद्युत कारखाना और अनुषंगी कार्य (आपूर्ति और सामग्री)			पीओएल के खरीद संबंधी डीजीएस एंड डी के बकाया ऋण ज्ञापन के निपटान के लिए।
>	Ministry of Power	MH 2801-Power 01 Power Plant and Ancillary Works (Supplies and Materials)	37.00	80.00	For settlement of pending debit memo of DGS&D towards purchase of POL.
>	शहरी विकास मंत्रालय	मु.शी. 4216-आवास पर पूंजी परिव्यय 800.07- सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता 01-सुनामी प्रभावित लोगों के स्थायी आवास			सुनामी प्रभावित लोगों के लिए स्थाई आवास के निर्माण पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति
>	Ministry of Urban Development	MH 4216-Capital Outlay on Housing 800.07- Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programme 01-Permanent Shelters for persons affected by Tsunami	29.00	16.00	To meet the additional expenditure on construction of permanent shelters for persons affected by Tsunami